लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खण्ड 42 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4 बृहस्पतिवार 30 जुलाई, 1970/8 श्रावण, 1892 (शक)
No. 4, Thursday, July 30, 1970/Sravana 8, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
91. खाद्य उत्पादन के बारे में कम अनुमान लगाना तथा अधिक सही अनुमान सुनिश्चित करने के तरीके का विकास	Under Assessment of Food Production and Evolution of a method to ensure more accurate Assessment ..	1—4
92. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मजदूरों के लिये अस्पताल की सुविधाएं कम करना	Reducing of Hospital Facilities to workers under ESIC ..	5—10
93. बारहसिंगों की संख्या में कमी और उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिये कार्यवाही	Fall in number of Barasingha (Stag) and steps to prevent its Extinction ..	11—12
94. उपग्रह पर आधारित टेलीविजन व्यवस्था की तुलना में भूमि पर आधारित टेलीविजन व्यवस्था को प्राथमिकता देना	Ground based T. V. Net work in Preference to Satellite Based T. V. ..	12—13
95. पश्चिम बंगाल में चावल के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Rice in West Bengal ..	13—16
96. कोयला खान मजदूरों पर उपदान (ग्रेचूटी) की योजना लागू करना	Application of Scheme of Gratuity to Coal Mine Workers ..	16—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
97. औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में आयोगों की स्थापना	Setting up of Industrial Relations Commissions ..	17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
98. पंजाब में सामुदायिक विकास खण्डों को समाप्त करना	Winding up of Community Development Blocks in Punjab ..	17
99. भूमिहीन मजदूर	Landless Labour ..	17—18
100. सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध और उनकी अंशधारिता में श्रमिकों का भाग	Workers' participation in Share-holding and management of public Undertakings ..	18—19
101. समाचार-पत्रों को विज्ञापनों के वितरण में राजनीतिक आधार का आरोप	Alleged political considerations in Distribution of Advertisement to Newspapers ..	19
102. भूमि-सुधारों में असंतोषजनक प्रगति	Unsatisfactory progress in land Reforms ..	19—20
103. आकाशवाणी द्वारा जून, 1970 में चांदनी चौक, दिल्ली में हुई प्रधानमंत्री की सभा के बारे में विस्तार से समाचार दिया जाना	Wider Coverage by A. I. R. of P. M's meeting at Chandni Chowk, Delhi in June, 1970 ..	20—21
104. चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों द्वारा अपने कृषि लक्ष्यों में प्राप्त हुई सफलता के बारे में रिपोर्ट	Reports on Achievement of Agricultural Targets by States under Fourth Plan ..	21
105. फरक्का बांध परियोजना में छंटनी	Retrenchment in Farakka Barrage Project ..	22
106. खुर्जा-हापुड़-दिल्ली के बीच टेलीफोन लाइनों में सुधार के लिये कार्यवाही	Steps for Improvement in Telephone lines between Khurja-Hapur-Delhi ..	22—23
107. मास्को के रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस के प्रसारणों की अनुश्रवित (मानिटर्ड) रिपोर्ट संसद् सदस्यों तथा पत्रकारों को उपलब्ध न किया जाना	Non availability of Monitored Reports of Broadcasts of Radio Moscow peace and Progress, to M. Ps. and Journalists ..	24
108. भूमि वितरण नीति की असफलता	Failure of Land Distribution Policy ..	24—25
109. कुछ चलचित्रों को मनोरंजन कर की छूट देना	Exemption of certain Films from Entertainment Tax ..	25—26
110. कोचीन में मतनचेरी स्थित मछली पकड़ने के एक पत्तन के विकास के लिये योजना	Scheme for development of a Fishing Harbour at Mattan Cherry, Cochin ..	26

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
111. आकाशवाणी में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में अपनाई जा रही नीति	Policy followed in regard to contract staff of AIR ..	26—27
112. आंध्र प्रदेश में उर्वरक के वितरण में अनाचार के बारे में जांच	Enquiry into Malpractice in Distribution of Fertiliser in Andhra Pradesh ..	27—28
113. गोआ के लिये युवक रेडियो स्टेशन	Youth Radio Station for Goa ..	28
114. मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र पुनः चालू किया जाना	Revival of Akashvani at Mysore ..	28—29
115. शिक्षा प्रयोजनों के लिये टेलीविजन केन्द्र	T. V. Stations for educational purposes ..	29
116. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बदलना	Conversion of Indian Council of Agricultural Research into a National Institute..	29
117. दिल्ली में गलत टेलीफोन-कालों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against wrong telephone calls in Delhi ..	29—30
118. चुम्बन के दृश्यों वाले चलचित्रों के बारे में राज्यों का अभ्यावेदन	States' Representations in Regard to Films containing Kissing Scenes ..	30
119. टेलीविजन उत्पादन के लिये संयुक्त राष्ट्र से सहायता	UN Aid for T. V. production ..	30—31
120. चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry ..	31
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
601. कपास की फसल पर विमानों द्वारा कीटनाशक औषधियां छिड़कने के लिए पंजाब सरकार को दी जाने वाली राज सहायता में कमी	Reduction in subsidy to Punjab Government for Aerial Spray of Insecticides on Cotton Crop ..	31
602. चीनी की सप्लाई के लिए श्रीलंका सरकार का निवेदन	Request from Ceylon Government for supply of sugar ..	32
603. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, डिस्पेंसरी पहाड़गंज, नई दिल्ली के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें	Compliants against doctors of ESIC dispensary Paharganj, New Delhi ..	32
604. चीनी के स्टाक का जमा होना	Accumulated stocks of Sugar ..	32—33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
605. अन्दमान द्वीप समूह के लिये चौथी योजना के अन्तर्गत घोंघा नियंत्रण परियोजना	Sanail control project under Fourth Plan for Andaman islands ..	33—34
606. जंगली ढोरों को पकड़ने की योजना	Scheme for catching wild cattle ..	34
607. रोजगार कार्यालयों द्वारा विकलांगों को काम देना	Jobs for physically handicapped provided by Employment Exchanges ..	34—35
608. डाक तथा तार विभाग, बरौनी, बेगूसराय, मोहाना तथा हाथीडाह के कर्मचारियों को परियोजना भत्ते का दिया जाना	Payment of project allowance to Employees of Post and Telegraph Department, Barauni, Begusarai, Mohana and Hathidah ..	35
609. राज्य सरकारों द्वारा चीनी मिलों, बागान आदि का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Mills, Plantation etc. by State Governments ..	35—36
610. मेसर्स बासुमती (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता के मामलों की जांच	Inquiry into affairs of M/s Basumati (P) Limited, Calcutta ..	36
611. चीनी का उत्पादन	Production of Sugar ..	36—37
612. लाख उद्योग संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें	Recommendation of Higher Power Committee on lac industry ..	37—38
613. पंजाब सरकार द्वारा निर्यात किया गया गेहूं	Wheat exported by Punjab Government ..	38
614. श्रीलंका में रहने वाले भारत मूलक लोगों का भारत भेजा जाना	Repatriation of Indians from Ceylon ..	38
615. शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि	Rise in number of educated unemployed ..	39
616. हरिजनों और अनुसूचित आदिम जातियों को फालतू भूमि का वितरण	Distribution of surplus land to Harijan and Scheduled Tribes ..	39—40
617. बागान श्रमिकों के लिये शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं	Medical and educational facilities for plantation workers ..	40
619. बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार सम्बन्धी समिति	Committee on Unemployment and Under Employment ..	40—41
620. पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तथा बांकुरा जिलों में भूख के कारण मृत्यु	Starvation deaths in Purulia and Bankura Districts of West Bengal ..	41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या .S. Q. Nos.		
621. शाहजहानपुर के एक व्यक्ति से 40 मन तांबे की तार का पकड़ा जाना	Recovery of 40 maunds of copper wire from a person of Shahjahanpur ..	41—42
622. जम्मू तथा काश्मीर को दी गई खाद्य राज्य सहायता की राशि	Amount of food subsidy given to Jammu and Kashmir ..	42
623. वेतन आयोग द्वारा आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of pay scales of AIR Staff artistes by Pay Commission ..	42
624. बांका, भागलपुर में डाकघर के लिये नई इमारत का निर्माण	Construction of a new building for Post Office at Banka, Bhagalpur ..	42—43
625. प्रशासनिक विफलताओं के परिणाम-स्वरूप होने वाले औद्योगिक झगड़े	Industrial troubles due to administrative failure ..	43
626. पश्चिमी बंगाल के राय चौक नामक स्थान पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण	Development of a deep sea fishing harbour at Roy Chok, West Bengal ..	43—44
627. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, में संशोधन का प्रस्ताव	Proposals for amendment of Industrial Disputes Act, 1947 ..	44
628. गहरे समुद्र में मछली वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिये बंगाल की खाड़ी का सर्वेक्षण	Survey of Bay of Bengal for location of deep sea fishing areas ..	44—45
629. पश्चिम बंगाल की चावल के अतिरिक्त कोटे की मांग	Demand for additional quota of rice by West Bengal ..	45
630. पुनर्वास कार्य सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति का सुझाव	Suggestion by Committee on review of Rehabilitation Work ..	46
631. रेलवे कुलियों तथा विक्रेताओं के राष्ट्रीय संगठन द्वारा ज्ञापन	Memorandum by National Federation of Railway porters and vendors ..	46—47
632. पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का आगमन	Influx of East Pakistan Refugees ..	47—48
633. मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्वित के लिये कलकत्ता बन्दरगाह के नौका कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Bargemen in Calcutta Port for implementation of wage board recommendations ..	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
634.	राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके विद्यार्थियों के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता की योजना	Scheme of help by Indian council agricultural research in setting up agricultural universities in States and to their students ..	49—50
635.	कृषि मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Agricultural Ministers ..	51
636.	पंचायत समितियों को बनाये रखने का औचित्य	Justification for continuance of Panchayat Samities ..	51
637.	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आर० एस० ओ० 9/2 की बजाय आर० एस० ओ० पी/14 ट्रैक्टर, का आयात	Import of R.S.O.P/14 tractors from German Democratic Republic instead of R.S.O. 9/2 ..	51—52
638.	रोजगार कार्यालय में दर्ज लोगों की संख्या	Persons registered with Employment Exchanges ..	52
639.	फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर की गई फिल्में	Films censored by Board of Film Censors ..	52
640.	गन्ने की उत्पादन लागत तथा फैक्टरी मूल्य में अंतर	Difference in cost of production factory price of sugarcane ..	52—53
641.	दक्षिण कनारा जिले में बीड़ी उद्योग पर अधिनियम लागू करना	Application of Bonus Act to Beedi Industry in South Kanara District ..	54
642.	बसीरहाट-हसनबाद की सीमा पर पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की दयनीय अवस्था	Miserable condition of East Pakistan Refugees in Bashirhat Hasanabad Border ..	54—55
643.	द्वितीय प्रेस आयोग की नियुक्ति	Appointment of Second Press Commission ..	55—56
644.	विदेशी तेल कम्पनियों में छटनी	Retrenchment in foreign oil companies ..	56—57
645.	मोगा में वर्षा से गेहूं को क्षति	Damage of Wheat due to rain in Moga (Punjab) ..	57
646.	भूमिहीन मजदूरों को मकानों के लिये स्थान देने हेतु राज्यों को केन्द्रीय सरकार का निदेश	Central directive to States for Providing House sites to landless labourers ..	57—58
647.	रबी के मौसम के लिये खाद्यानों की वसूली का कार्यक्रम	Foodgrains procurement programme for Rabi Season ..	58—59

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
648. नई दिल्ली, देवनगर में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बोतल में किसी चीज का पाया जाना	Foreign substance found in a Bottle of Milk of DMS in Dev Nagar, New Delhi ..	59
649. राज्यों में कृषि योजनाओं के लिए आवंटित अनुदानों को उपयोग में लाने की कमी	Shortfall in Utilisation of Grants Allotted to States for Agricultural Plans ..	60
650. टेलीफोन-उपभोक्ताओं के निवास पर मीटर का लगाया जाना	Installation of Meters at Residences of telephone subscribers	60—61
651. दिल्ली तथा अन्य राज्यों में श्रमिकों के लिये क्वार्टर	Quarters for labourers in Delhi and other States ..	61—62
652. नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा कांग्रेस (सत्तारूढ़) के लिये विशेष संगीत गोष्ठी का आयोजन	Special concert arranged by AIR for Congress (R) in New Delhi ..	62
653. बिहार में बीजों की बिक्री के लिये राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा एक गैर-सरकारी फर्म के साथ ठेका	Contract by National Seeds Corporation with a Private Firm for Sale of seeds in Bihar ..	62—63
654. हवाई डाक के पत्रों को ले जाने के समय में परिवर्तन करने का कार्य इंडियन एयर-लाइन्स को सौंपना	Entrusting change in timings of clerance of AIR Mail letters to Indian Airlines ..	63
655. पंजाब के लिये दूर-दर्शन केन्द्र	T.V. for Punjab ..	63
656. मई 1970 में वर्षा के कारण अनाज तथा चारे की हानि	Loss of grains and fodder due early rains in May, 1970 ..	64
657. पंचायतों द्वारा राज्यों में भूमि का वितरण	Distribution of land in States by Panchayats ..	64
658. पिछड़े राज्यों के किसानों को खेती के विकसित तरीकों की जानकारी देने की योजना	Plan to acquaint agriculturists of backward States of advance farming techniques ..	64—65
659. दूध से बनी वस्तुओं पर रोक लगाने का दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की सप्लाई पर प्रभाव	Effect of ban on milk products on the supply of milk by DMS ..	65
660. विविध भारती से कार्यक्रमों का बार-बार प्रसारित किया जाना	Repetitive nature of Vividh Bharti Programmes ..	66

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
661. दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सुपर बाजारों की कार्य प्रणाली का अध्ययन	Study into the working of Super Bazars of Delhi/New Delhi ..	66—67
662. मिट्टी परीक्षण करने के लिये प्रयोगशालाओं की स्थापना	Setting up soil testing laboratories ..	67—68
663. फिल्म 'प्रेम पुजारी' का प्रदर्शन	Exhibition of film Prem Pujari ..	68
664. केन्द्रीय श्रमिक ब्यूरो, शिमला में कदाचार	Malpractices in Central Labour Bureau, Simla ..	68
665. आकाशवाणी के हिन्दी स्टेनोग्राफरों को अग्रिम वेतन वृद्धि देना	Advance increments to Hindi Stenographers in AIR ..	69
666. देश में भूख से मृत्यु	Starvation deaths in the country ..	69
668. सतना स्टोन लाइम कम्पनी के श्रमिक नेता द्वारा शिकायत	Complaint by labour leaders of Satna Stone Lime Company ..	69—70
669. कांगड़ा घाटी में रेलवे लाइन के मोड़ पर काम कर रहे डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता का भुगतान	Payment of project allowance to P&T employees working on diversion point of Railway line in Kangra Valley ..	70
671. गुजरात के खेड़ा जिले के गांवों द्वारा अधिक टेलीफोन कनेक्शन देने की मांग	Demand for more telephone connections from villages of Khaira district of Gujarat ..	70—71
672. आकाशवाणी प्रशासन का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of AIR Administration ..	71
673. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, सेक्टर पांच में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा एक नये दुग्ध केन्द्र का खोला जाना	Opening of a milk booth by DMS in Sector V of R.K. Puram, New Delhi ..	71—72
674. दिल्ली में टेलीफोन प्रणाली के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Telephone system in Delhi	72—73
675. श्रमिक समस्याओं का सर्वेक्षण	Survey of labour problems ..	73—74
676. 1969-70 में सुपर बाजार को हुई हानि और उसके द्वारा किराये का भुगतान न किया जाना	Loss to Super Bazar, New Delhi for the year 1969-70 and Non payment of Rent ..	74
677. भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल के विरुद्ध आरोप	Allegation against Board of Directors of Food Corporation of India ..	75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
678.	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (सी) आसनसोल के सामने कोयला कर्मचारियों का प्रदर्शन	Demonstration by Coal Workers before RLC (C) Asansol ..	76
679.	उर्वरक की खपत में कमी	Fall in consumption of fertilizers ..	76—77
680.	पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार	Land reforms in West Bengal ..	77—78
681.	दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों की मरम्मत	Repairs to Delhi Milk Scheme Milk Booths ..	78—79
682.	पाला पड़ने से सब्जियों तथा रबी की फसल की रक्षा करने के लिये कृषि उपकरण	Agricultural equipment for protecting vegetables and Rabi Foodgrains crop from damage by Frost ..	79—80
683.	वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Vanaspati Ghee ..	80
684.	पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का उत्तर प्रदेश, मैसूर तथा मध्य प्रदेश में पुनर्वास	Rehabilitation of East Pakistan Refugees in U.P., Mysore and Madhya Pradesh ..	81
685.	उड़ीसा में केन्द्रीय बीज फार्म को हीराकुड क्षेत्र से स्थानान्तरित करना	Shifting of Central Seed Farm from Hirakud area in Orissa ..	81
686.	भूमि अधिग्रहण जांच प्रतिवेदन	Land Acquisition enquiry report ..	81—82
687.	लैम्फलपेट, मनीपुर में कृषि विकास के लिये रक्षित भूमि	Land reserved in Lamphelpat, Manipur for Agricultural Development ..	82
688.	विभिन्न राज्यों में सामुदायिक विकास विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की स्थिति	Position of Staff working in Department of community development in different States ..	82—83
689.	दिल्ली में अलाभप्रद जोतों से भू-राजस्व का समाप्त किया जाना	Abolition of land revenue on uneconomic holdings in Delhi ..	83—84
690.	ग्राम पंचायतों की भूमि का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में वितरण	Distribution of land belonging to Gram Panchayats amongst Schedule Castes and Schedule Tribes ..	84
691.	पंजाब के खाद्य तथा पूर्ति विभाग से गेहूं का गायब हो जाना	Disapperance of Wheat from Food and Supply Department, Punjab ..	84—85
692.	न्यूनतम मजूरी के बारे में हिन्द मजदूर सभा, दिल्ली द्वारा ज्ञापन दिया जाना	Memorandum from Hind Mazdoor Sabha Delhi Regarding Minimum wage ..	85

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

693. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बम्बई के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Regional Provident Fund Commissioner, Bombay ..	85
694. अमरीका से विमान द्वारा लाई गई भेड़ों पर खर्च	Expenditure on Import of Sheep from USA by Air ..	86—87
695. पश्चिम बंगाल में भूमि वितरण की योजना	Scheme for land distribution in West Bengal ..	87
696. पश्चिम बंगाल में छोटे किसानों द्वारा जबरदस्ती हस्तगत की गई भूमि का निर्धारण	Assessment of land forcibly acquired by Small Farmers in West Bengal ..	87
697. खाद्य प्रोटीन तत्व	Food protein contents ..	87—88
698. प्रेस सम्वाददाताओं को मान्यता सम्बन्धी सुविधाएं देना	Accreditation facilities for Press Correspondents ..	88—89
699. आकाशवाणी से विज्ञापनों के प्रसारणों से कुल आय	Gross Income out of Broadcasts of Advertisements over AIR ..	89
700. रोम में खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक	FAO Meeting at Rome ..	89—90
701. प्रव्रजन के कारणों को मालूम करने के लिये पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के बयानों का रिकार्ड करना	Recording of Statements of East Pakistan Refugees to Ascertain causes of migration ..	90
702. चौथी योजना की अवधि में गो-मांस के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Beef production during Fourth Plan ..	90—91
703. अहमदाबाद तथा बम्बई और बड़ौदा तथा बम्बई के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct dialling system between Ahmedabad Bombay and Baroda Bombay ..	91
704. गांधी नगर, गुजरात में टेलीफोन सुविधाएं और गांधी नगर तथा अहमदाबाद और दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन सेवा	Telephone facilities at Gandhi Nagar Gujarat and Direct Telephone connection between Gandhi Nagar and Ahmedabad and Delhi ..	91—92
705. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या	Staff working in Ministry of Information and Broadcasting community,-wise ..	92
706. पंजाब में बहावलपुर तथा उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रदेश के शरणार्थियों को भूमि का आंवटन	Allotment of land to refugees from Bahawalpur State and NWFP in Punjab ..	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
707.	कुछ राज्यों में अलाटियों द्वारा ट्रैक्टरों को पंजाब और हरियाणा के खरीदारों को बेचना	Sale of Tractors by Allottees in some States to purchasers in Punjab and Haryana ..	93
708.	वर्ष 1970-71 में अनाज के उत्पादन की सम्भावनाएं	Prospects of food production for 1970-71 ..	93
709.	चीनी मिलों द्वारा गन्ना देरी से लिये जाने के कारण किसानों को हुई वित्तीय हानि	Financial loss to Farmers due to late procurement of Sugarcane by Sugar Mills ..	93—94
710.	जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा खराब ट्रैक्टर सप्लाई किये जाने के कारण, उनके द्वारा ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी सहयोग-समझौते पर पुनर्विचार	Review of collaboration agreement with GDR for setting up Tractor Plant due to defective Tractors supplied by them ..	94—95
711.	राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में बन्द हुए कारखाने, संस्थान तथा कार्यालय	Factories establishments and offices closed in West Bengal during President's Rule ..	95
712.	मध्य प्रदेश में मण्डियों की स्थिति के सुधार के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता	Central Financial assistance to improve market conditions in Madhya Pradesh ..	95
713.	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of textile mills in Madhya Pradesh by National Textile Corporation ..	95—96
714.	मध्य प्रदेश में वनपशुओं की उचित व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for effective management of wild life in Madhya Pradesh ..	96
715.	समुद्री खाद्य स्रोतों के उपयोग के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Exploitation of sea food resources ..	96—97
716.	तमिलनाडु में श्रमिक अशान्ति	Labour unrest in Tamil Nadu ..	97
717.	चीनी मिलों द्वारा चीनी का उत्पादन तथा निर्यात	Production and export of sugar by sugar mills ..	98
718.	विश्व जनमत तैयार करने के लिये पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में आने वाले अल्प संख्यकों के संबंध में चलचित्र तथा टेलीविजन चित्र बनाना	Cine and TV films on exodus of Minorities from East Pakistan to Rouse World Opinion ..	98—99

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
719. अखिल भारतीय अन्ध सहायता समिति, लाजपत नगर, नई दिल्ली को आवंटित की गई भूमि	Land allotted to All India Blind Relief Society, Lajpat Nagar, New Delhi ..	99
720. अतिरिक्त लाभ वाले पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of officers working on posts carrying extra gains ..	99
721. संचार विभाग में अरिरिक्त लाभ वाले पदों से अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of officials from posts carrying extra Gains in Department of Communications ..	100
722. माडर्न बेकरीज की दिल्ली शाखा के शीतागार में बन्द हो गये कर्मचारी	Workers locked in Cold storage of Delhi Branch of Modern Bakeries Ltd. ..	100
723. श्रव्य, दृश्य प्रचार निदेशालय की मार्फत सरकारी उपक्रमों तथा सांविधिक उपक्रमों के विज्ञापन	Advertisements of Public undertakings and Statutory undertakings through DAVP ..	100—101
724. पिल्म वित्त निगम के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Film Finance Corporation ..	101
725. पिछले तीन वर्षों में निकाले गये स्मारक टिकटों का निर्यात	Export of commemorative stamps brought out during last three years ..	101
726. राज्यों में खेतिहर मजदूरों द्वारा फसल में से भाग लेने के लिए कानून	Legislation for crop sharing by Agricultural Labourers in States ..	101—102
727. चरखी-दादरी-दिल्ली और चरखी-दादरी रोहतक के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Telephone link between Charkhi Dadri, Delhi and Charkhi, Dadri, Rohtak ..	102—103
728. फसल बीमा योजना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के निर्देश पद	Terms of reference of export committee on crop insurance scheme ..	103
729. बारानी खेती का एकीकृत विकास करने की योजना	Scheme for integrated Dry land Agricultural Development ..	103—104
730. चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का अध्ययन करने के लिए समिति	Committee to study Nationalisation of Sugar Industry ..	104
731. चौथी योजना में दूर-संचार के विकास के परिव्यय में कटौती तथा उसके परिणामस्वरूप परिभोक्ताओं की प्रतीक्षा के समय में वृद्धि	Cut in the outlay for development of Telecommunications during Fourth Plan and consequent increase in waiting period of telephone subscribers ..	104—105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
732.	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का निर्यात	Export of seeds by National Seeds Corporation ..	105—106
733.	प्रेस के कार्य में हस्तक्षेप	Interference in the working of Press ..	106
734.	पत्रकारिता सम्बन्धी कर्मचारियों के लिए बीमे की व्यवस्था	Insurance covers for Journalist employees ..	106—107
735.	दक्षिण भारत और गुजरात की दूर-संचार सेवाओं के भंग होने की जांच करने की मांग	Demand for enquiry into breakdown of tele communications services to South India and Gujarat ..	107
736.	प्रेस परिषद् का पुनर्गठन	Reconstitution of Press Council ..	107—108
737.	दिल्ली में बेरोजगार में वृद्धि	Rise in unemployment in Dehli ..	108
738.	चौथी पंचवर्षीय योजना के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर व्यय	Expenditure on community Development programmes during Fourth Five Year Plan ..	108—109
739.	चीनी उद्योग द्वारा आंशिक रूप से हानि का वहन	Share of losses by sugar industry ..	109
740.	पश्चिम बंगाल में कार्मिक संघों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन पेश करना	Submission of Annual Reports by Trade Unions in West Bengal ..	109—110
741.	हरियाणा की पेहोवा तथा बुलाह तहसील से बड़ी संख्या में पंजाबी किसानों को बेदखल कर उस जमीन को स्थानीय किसानों को देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय निदेश	Central directive regarding eviction of large number of Punjabi peasants of Pehowa and Gulha Tehsil of Haryana and their allotment to local peasant ..	110
742.	अस्पतालों और चिकित्सा उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्न्तगत लाने के लिए इस अधिनियम का संशोधन	Amendment of Industrial disputes Act to bring hospitals and medical industry under its purview ..	110—111
743.	राज्य कर्मचारी बीमा योजना के डाक्टरों द्वारा हड़ताल	Strike by ESIS doctors ..	111
744.	"कांग्रेस-इंडिकेट गेट्स अवे विद राइस स्कैन्डल"	Congress (I) gets away with rice scandal	111—112
745.	दिल्ली टेलीविजन का प्रसारण क्षेत्र	Range of Delhi T. V. ..	112
746.	प्रशिक्षित व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता	Unemployment allowance to trained persons ..	112

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
747. समान कार्य के लिये समान वेतन	Equal pay for equal work	.. 113
748. गत तीन वर्षों में बिहार में उर्वरक और कीटनाशी दवाइयों की खपत	Consumption of fertiliser and pesticides in Bihar during last three years	.. 113—114
749. बिहार में अकाल तथा सूखे की स्थिति	Famine and drought in Bihar	.. 114—115
750. पटना में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत आवेदन-पत्र	Applications pending for telephone connection at Patna	.. 115
751. विश्वविद्यालय कर्मचारियों के के लिये कार्मिक संघ सम्बन्धी अधिकार	Trade union rights for University Employees	.. 115—116
752. उतर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिये सहायता	Assistance re : Nationalisation of Sugar Industry in U. P.	.. 116
753. शिक्षा को उद्योग में सम्मिलित करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियमों का संशोधन	Amendment of Industrial Dispute Act to cover education as an Industry	.. 116—117
754. किसानों को दिये जाने वाले गन्ने के मूल्यों में उतार-चढ़ाव	Fluctuations in sugar cane price paid to kisans	.. 117
755. चीनी के निर्यात तथा उसके भण्डार में कमी करने की योजना	Sheme for export of sugar and reduction in stock	.. 117—118
756. मेडिकल औषध बिक्रेता तथा कर्मचारियों को कर्मकारों में सम्मिलित करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के संशोधन हेतु ज्ञापन	Memorandum for amendment for Industrial disputes Act to include Medical and Pharmaceutical Salesman and Employees as workmen	.. 118—119
757. मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले में लाहर, गोहाड, आलमपुर और मेहगांव की टेलीफोन लाइनों में खराबी	Defects in Telephone lines in Lahar, Gohad, Alampur and Mehgaon in Bhind, M. P.	.. 119
758. दंतिया तथा ग्वलियर के बीच सीधी ट्रंककाल लाइन	Direct trunk call line between Datia and Gwalior	.. 119
759. ढेंकानाल, उड़ीसा में लघु कृषि विकास एजेंसियां	Small farming development agencies in Dhenkanal, Orissa	.. 120
760. उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों के प्रभाव का मूल्यांकन	Evaluation of the Impact of various media on riot hit areas	.. 120

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
761. उर्वरक उद्योग के साथ संयुक्त रूप से उर्वरक सम्बर्धन परिषद का गठन	Consultation of Fertiliser promotion Council Jointly with Fertiliser Industry ..	120
762. राज्यों में उद्योगवार रोजगार	Industry wise employment in States ..	121
763. कृषि-भूमि का सर्वेक्षण	Agricultural soil Survey ..	121
764. कलकत्ता में बिड़ला मुख्य कार्यालयों के बन्द होने के बारे में आकाशवाणी द्वारा कथित पक्षपातपूर्ण प्रसारण	Alleged one sided broadcast by AIR re : closure of Birla Head Office in Calcutta ..	122
765. समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण	Government control over Newspapers ..	122—123
766. सुन्दरवन, (पश्चिम बंगाल) में कपास की काश्त	Cultivation of Cotton in Sundarbans West Bengal ..	123—124
767. पश्चिम बंगाल के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति	Persons registered with Employment Exchanges in West Bengal ..	124
768. पश्चिम बंगाल में रोजगार की विस्फोटक स्थिति	Explosive job situation in West Bengal ..	125
769. सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री का वक्तव्य	Statement of Agricultural Minister of U. P. Regarding Drought hit areas ..	125—126
770. उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के लिये लाइसेंस	Licences for Sugar Mills in U. P. ..	126
771. उत्तर प्रदेश में छोटे कृषकों के लिये कृषि विकास परियोजनाओं में वृद्धि	Increase in small farmers development projects in U. P. ..	126
772. भारत में सुपर बाजारों को हानि	Losses by Super Bazars in India ..	127
773. आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र की शक्ति में वृद्धि	Increased power of A. I. R. Trivandrum ..	127—128
774. सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण काम पर न लिए गए डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी	P. and T. Employees kept out of jobs due to their participation in September 1968 strike ..	128—129
775. सपान्ही अभ्रक खानों के श्रमिकों और प्रबन्धकों में विवाद	Dispute between workers and Management of Sapanhi Mica Mines ..	129
776. धान, कपास तथा मोटे अनाज के लिये समर्थन मूल्य	Support price for paddy, cotton and coarse cereals ..	129—130

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
777.	गो-वध सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on cow slaughter ..	130
778.	पंजाब तथा हरियाणा में गेहूं की वसूली	Procurement of wheat in Punjab and Haryana ..	130—131
779.	अखिल भारतीय छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्र संघ से अभ्यावेदन	Representations from All India small and Medium Newspapers Federation ..	131
780.	पश्चिमी बंगाल में भूमिगत जल संसाधनों का सवक्षण	Survey of under ground water resources in West Bengal ..	131—132
781.	पश्चिमी बंगाल में कपड़ा मजदूरों द्वारा हड़ताल	Strike by Textile workers in West Bengal ..	132
782.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को सुविधाएं	Concession to AIR Staff Artistes ..	132—133
783.	प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को एक निगम के रूप में परिवर्तित करना	Conversion of PTI into a corporation ..	133
784.	पश्चिम पाकिस्तान के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शरणार्थियों का गुजरात में पुर्नवास	Rehabilitation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe West Pakistan Refugees in Gujarat ..	133—134
785.	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये मध्य प्रदेश द्वारा चम्बल क्षेत्र देने का प्रस्ताव	Offer of Chambal tracts by Madhya Pradesh for Rehabilitation of East Pakistan Refugees ..	134
787.	खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करना तथा उसका प्रभाव	Abolition of Food zones and its effects ..	134—135
788.	सूरतगढ़ कृषि फार्म से एकत्र की गई फसलों को आग लग जाने के कारण क्षति	Damage to Crops collected from Suratgarh Agricultural Farm due to Fire ..	135
789.	संचार-उपग्रह के निर्माण में आत्मनिर्भरता	Self sufficiency in the Manufacture of Communication Satellite ..	135
790.	धान की संकर किस्म	Hybrid variety of paddy ..	136
791.	राज्यों में ट्रैक्टरों की किराया-खरीद योजना	Scheme for hire purchase of tractors in States	137
792.	चौथी योजना के दौरान असम कृषि विश्वविद्यालय के विकास के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सहायता	Assistance by Indian Council of Agricultural Research for Development of Assam Agricultural University during Fourth Plan ..	137

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
793. राज्यों में भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey of under ground water resources in States ..	138
794. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा की जाने वाली बीजों की खरीद और बिक्री के मूल्यों में अन्तर	Difference in purchase and sale prices of seeds by National Seeds Corporation ..	138—139
795. बचत बैंक तथा पेन्शन भुगतान की सुविधाओं वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर	Extra department branch post offices with Savings Bank and Payment of pension facilities ..	139
796. गुजरात के लिये टेलीफोन निर्देशिका	Telephone directory for Gujarat ..	139—140
797. खालों तथा चमड़े का निर्यात	Export of Skins and Leather ..	140
798. खाद्य स्थिति का मूल्यांकन	Assessment of Food Situation ..	140—141
799. रेडियो पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian Propaganda on Radio Pakistan ..	141
800. पश्चिम बंगाल में जोतों के विवरण पेश किये जाना	Submission of return of Landholdings in West Bengal ..	141—142
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
उड़ीसा के सम्बलपुर जिले के तमदी गांव में चार हरिजनों की हत्या	Killing of four Harijans in Tamdi Village in Sambalpur District of Orissa ..	142—147
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	148—149
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
कार्यवाही-सारांश	Minutes ..	150
संसदीय समितियां	Parliamentary Committees—	
कार्य का सारांश	Summary of Work ..	150
उड़ीसा में दूसरे इस्पात कारखाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. second Steel Plant in Orissa ..	150—152
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat ..	150—152
समिति के निर्वाचन—	Election to Committee—	
राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति	National Food and Agric ulture Organisation Liaison Committee ..	152
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक	Indian Post Office (Amendment) Bill ..	152—164
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	152
श्री शेर सिंह	Shri Sher Singh ..	152

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	.. 153
श्री भोलानाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master	.. 153
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan	.. 153
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	.. 154
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	.. 154—155
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 155
श्री के० अनिरुद्धन	Shri K. Anirudhan	.. 155—156
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	.. 156
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	.. 156—157
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	.. 157
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	.. 157
श्री द्व० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	.. 157—158
श्री वि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	158
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	.. 158
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	.. 159
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1	.. 162—163
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	.. 163—164
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दू अल्प संख्यकों के आने के बारे में चर्चा	Discussion re. Migration of Hindu Minorities from East Pakistan	.. 164—177
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	.. 164—165
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	.. 165—166
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 166—167
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	.. 168—169
श्री एस० कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	.. 169—172
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchoudhury	.. 171—172
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	.. 172—174
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	.. 174—177

लोक-सभा
LOK SABHA

बृहस्पतिवार, 30 जुलाई, 1970 / 8 श्रावण, 1892 (शक)
Thursday, July 30, 1970/Sravana 8, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्य उत्पादन के बारे में कम अनुमान लगाना तथा अधिक सही अनुमान सुनिश्चित करने के तरीके का विकास

+

*91. **श्री गु० चं० नायक :** **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्रीमती शारदा मुकर्जी : **श्री अजमल खां :**
श्री झारखण्डे राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में कम अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा दिये गये खाद्य उत्पादन के अनुमानों की यथार्थता की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष में खाद्य उत्पादन के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ; और

(घ) क्या राज्यों द्वारा अधिक सही अनुमान लगाने को सुनिश्चित करने के लिये सरकार किसी तरीके का विकास करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) कृषि मूल्य आयोग ने अपनी कुछ रिपोर्टों में राज्य सरकारों द्वारा संकलित खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानों तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुमानों में असंगति का उल्लेख किया है । ऐसे मामलों में बाद के अनुमान राज्य के अनुमानों की तुलना में अधिक हैं ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए अनुमानों की मन्त्रालय में जांच-पड़ताल की जाती है और अखिल भारतीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन के वास्तविक अनुमान लगाए जाते हैं ।

(ग) चूंकि कृषि वर्ष 1970-71 अभी हाल ही में प्रारम्भ हुआ है, अतः इस वर्ष, खाद्यान्न उत्पादन की सम्भाव्यताओं को बताना सम्भव नहीं है । 1969-70 के उत्पादन के अन्तिम अनुमानों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, परन्तु लगभग 1000 लाख मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान है ।

(घ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें फसल उत्पादन के ठीक-ठीक तथा उपयुक्त समय पर अनुमान लगाने के कार्य में सुधार लाने हेतु प्रयत्न कर रही हैं ।

श्री गु० चं० नायक : मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में उत्पादन की तुलना में खाद्यान्न की आवश्यकता कितनी है और उत्पादन तथा आवश्यकता के बीच कितना अन्तर है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : आवश्यकता के निश्चित आंकड़े देना बहुत कठिन है । मोटे तौर पर यदि हम वर्तमान आवश्यकता के अनुसार अनुमान लगायें तो सम्भवतः आवश्यकता और उत्पादन के बीच बहुत कम अन्तर रहेगा जो लगभग 30-40 लाख मीटरी टन का होगा ।

श्री गु० चं० नायक : गत तीन वर्षों में पी० एल०-480 के अन्तर्गत तथा अन्य स्रोतों से कुल कितने खाद्यान्न का आयात किया गया और कुल कितने धन का भुगतान किया गया अथवा भुगतान करना है ? क्या आयात को समाप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, और यदि हां, तो हम खाद्यान्न में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो कृषि उत्पादन से सम्बन्धित है, ना कि खाद्यान्नों के आयात से । आप सम्बद्ध मंत्रालय से यह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री रा० की० अमीन : यह तो सर्वविदित है कि हमारे कृषि उत्पादन सम्बन्धी अनुमान सही नहीं है । परन्तु मुझे यह शंका है कि हम तस्करी से 600 करोड़ रुपये की मूल्य का सामान आयात कर रहे हैं जिसका भुगतान हम अपने सामान के निर्यात से करते हैं और मुझे यह शंका है कि यह भुगतान मुख्य रूप से खाद्यान्नों के निर्यात से करते हैं जो उचित तरीके से नहीं अपितु अनुचित और अवैध तरीके से होता है । क्या मंत्री महोदय ने कभी नेपाल अथवा पाकिस्तान को इस प्रकार निर्यात किए गए खाद्यान्नों का अनुमान लगाया है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इस प्रश्न का सम्बन्ध तो कृषि उत्पादन के अनुमान से है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें चाहिए कि वह अपना प्रश्न सम्बद्ध मंत्रालय से करें ।

Shri Bibhuti Mishra : Central Government is importing foodgrains on the basis of the estimates given to it by the agencies of the State Governments. I want to know from the hon. Minister whether Central Government contemplate to constitute a 'fool-proof' agency, that can compile accurate figures of the production and requirements of food grains, and the extent of the requirements which are to be met by importing foodgrains?

Sir, the State Government agencies prepare the figures just in a casual way by going to the rural areas··

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : प्रणाली में सुधार करने हेतु निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं और अब केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना बनाई गई है ताकि फसल और उपज के उत्पादन के अनुमान यथासम्भव सही हों। गत दो वर्षों में इस योजना को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मैसूर, और बिहार में लागू किया गया है और चतुर्थ योजना में इसको समस्त भारत में लागू किया जायेगा और इसके अतिरिक्त राज्य स्तर की व्यवस्था और केन्द्र की प्रशासनिक व्यवस्था में समन्वय स्थापित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। इस समस्या पर विचार करने हेतु मंत्रालय में स्थाई समिति है। मैं माननीय सदस्यों की इस बात की प्रशंसा करता हूं कि जहां तक सम्भव हो हमारे पास सही अनुमान होने चाहिए जिससे कि आयात और खाद्यान्न की आवश्यकताओं की नीतियों का निर्धारण करने हेतु आवश्यक आंकड़े प्राप्त हो सकें। इस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री ई० के० नायनार : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि वर्ष 1969-70 के उत्पादन के अन्तिम अनुमानों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, परन्तु उत्पादन अनुमानतः दस करोड़ मीटरी टन हुआ है। परन्तु गत तीन वर्षों में उत्पादन की वृद्धि के बावजूद भी फोर्ड फाउंडेशन के श्री डगलस एन्समिंगर ने जो भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में अब तक बहुत आशावादी रहे हैं, अब इस बारे में अपनी शंका व्यक्त की है। कृषि उत्पादन के प्राधिकारी 1970 में भारत द्वारा खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की सम्भावना के बारे में शंका व्यक्त करते हैं। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि भारत जापान नहीं है, जहां 'कृषि-क्रान्ति' अपने आप ही आ सकती है।

समाचारपत्रों में बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश जो फालतू अनाज वाला राज्य है, अतिरिक्त फसल उगाना नहीं चाहता। इसका प्रथम कारण उनकी शंका है कि इससे चावल के मूल्य घट जायेंगे। अन्य बात यह है कि फोर्ड फाउंडेशन के विशेषज्ञों का कहना है कि हम 1971 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सरकार घोषणा करती है कि वे 1971 के पश्चात् पी० एल०-480 के खाद्यान्न का आयात नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला वर्तमान प्रश्न से संगत नहीं है।

श्री ई० के० नायनार : मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्ष 1969-70 के उत्पादन के अन्तिम अनुमानों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, परन्तु लगभग 10 करोड़ मीटरी टन का उत्पादन होने का अनुमान है। परन्तु, विशेषज्ञों के मतानुसार हमारा उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों तक नहीं पहुंचेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सब तथ्यों को समझेगी और सरकार उत्पादन में वृद्धि करने और पी० एल०-480 के अन्तर्गत आयात को समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस बारे में है कि चालू वर्ष के खाद्य उत्पादन के बारे में सरकार का अनुमान क्या है और कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा दिये गए खाद्य उत्पादन के अनुमानों का सत्यापन किया है।

श्री ई० के० नायनार : यह विशेषज्ञों का मत है। विशेषज्ञों के मत पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : माननीय सदस्यों को विदित है कि विशेषज्ञों ने समय समय पर अपने मत व्यक्त किए हैं परन्तु यह भी सर्वविदित है कि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो रही है। जहां तक खाद्य उत्पादन का सम्बन्ध है, उदाहरणतया वर्ष 1965-66,1966-67 में यह स्तर 7.2 करोड़ मीटरी टन था। पिछले वर्ष उत्पादन लगभग 10 करोड़ मीटरी टन हुआ था और उससे पहले वर्ष उत्पादन 9.4 करोड़ मीटरी टन हुआ था। अतः उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मैं नहीं समझता कि हम इन बातों को लेकर निराशाजनक दृष्टिकोण अपनाएं। निश्चय ही सुझाव दिए जा सकते हैं और सुधार की गुंजाइश हो सकती है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जब कि सांख्यिकीय प्रणाली लगभग वैज्ञानिक है तो कुछ राज्यों और केन्द्र के द्वारा लगाए गए खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानों में इतना अधिक अन्तर क्यों है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : अनुमानों में कुछ असंगति होने के कारणों में एक यह है कि मूल रूप में अनुमान एक विशेष फसल के आधार पर लगाए गये थे परन्तु अब गत 3 अथवा 4 वर्षों में कृषि में नये और महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। अधिक उपज वाले किस्म के कार्यक्रम आरम्भ हो गए हैं और दूसरे वह फसल उगाने की पद्धति आरम्भ हो गई है। अब राज्यस्तर पर इन बातों का परावर्तन सही ढंग से नहीं हो रहा है और हम इन सब बातों का समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र भेजे थे और तब कृषि सचिव की विकास आयुक्तों से बातचीत हुई थी और हम किसी प्रकार के मतैक्य पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य की सूचनार्थ मैं यह बता देना चाहता हूं कि कभी-कभी राज्यों में भी विभिन्न विभागों के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते। राज्यों के खाद्य विभाग और कृषि विभाग जो आंकड़े देते हैं, वे भी कभी-कभी आपस में मेल नहीं खाते। परन्तु माननीय सदस्य के द्वारा उठाया गया मूल प्रश्न भी ठीक है कि हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि राज्य सरकारों और केन्द्र द्वारा लगाये गए अनुमान लगभग समान होने चाहिए।

Shri K. N. Tiwary : Since food production was stated to have been under-estimated, on what basis this view has been expressed and how much shortage of foodgrains has been reported ?

Secondly, I want to know the total quantity of production during the current year. Now it has been stated that the production was estimated near about 100 million tonnes, but what would be the production during 1970-71 Since the monsoon is irratic this year and there have been reports from various places of the fear of drought due to scanty rains, what would be the estimates of productions?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक चालू वर्ष, अर्थात वर्ष 1970-71, के अनुमानों का सम्बन्ध है, अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है क्योंकि बुवाई कार्यक्रम अभी आरम्भ ही हुआ है। रबी की फसल अभी ठीक से उगी भी नहीं है। इस अवस्था में मैं स्थूलरूप से अनुमान लगाना उचित नहीं समझता।

जहां तक असंगति का मामला है, वे कोई बड़ी अथवा मुख्य असंगतियां नहीं हैं। ये असंगतियां वर्ष 1966-67 से होनी आरम्भ हुई हैं। इस वर्ष लगभग 30 लाख मीटरी टन की असंगति है। स्थिति का पता लगाने के लिए अब प्रयत्न हो रहे हैं और अनेक विशेषज्ञ भी इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। अब हम इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि अनुमान लगाने की सम्पूर्ण प्राणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

कर्मचारी राज्य बीमा नियम के मजदूरों के लिए अस्पताल की सुविधाएं कम करना

+

*92. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री उमानाथ :**
श्री के० रमानी : **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मजदूरों को उपलब्ध अस्पताल की सुविधाओं में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है और प्रस्तावित सुविधाएं क्या होंगी; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) से (ग). कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिसम्बर 1968 में अस्पताल में बिस्तरों की संख्या प्रति हजार कर्मचारी परिवारों के लिये 4 के स्थान पर 11 कर देने का निश्चय किया था। यह निश्चय निगम द्वारा स्थापित एक उप-समिति की सिफारिश पर किया गया था जिसे यह ज्ञात हुआ था कि नियोजकों के अंशदान की दर अधिकतम कर देने के बाद भी प्रति हजार कर्मचारी परिवारों के लिये 4 से अधिक विस्तरों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होगा।

श्री विश्वनाथ मेनन : ऐसा माना जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों के लिये अत्यन्त श्रेष्ठकर कार्य किया है। परन्तु वर्तमान सिफारिशों के कारण तो कर्मचारियों के लिए वास्तव में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने नियोजकों से बकाया राशि के रूप में कितना धन लिया है। क्या सरकार की ओर से कार्य-वाही करने में ढील होने के कारण यह बकाया राशि बढ़ रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरायेंगे ?

श्री विश्वनाथ मेनन : आपको नियोजकों से वार्षिक अंशदान की कितनी बकाया धनराशि एकत्रित करनी है, और यह क्यों नहीं एकत्रित की गई ?

श्री भागवत झा आजाद : यह एक अलग प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बकाया राशि के बारे में है।

श्री विश्वनाथ मेनन : इसका इस प्रश्न से सीधा सम्बन्ध है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस समय आंकड़े नहीं दे सकता, परन्तु आंकड़े प्राप्त करके उपलब्ध किये जा सकते हैं। हम नियोजकों से वसूल किए धन के आंकड़े तैयार कर सकते हैं। परन्तु इस समय मैं आंकड़े देने में असमर्थ हूं। परन्तु इसके अतिरिक्त मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इस प्रश्न का प्रति हजार कर्मचारी परिवारों के लिए चार विस्तरों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि यदि अंशदान बढ़ाकर अधिकतम अर्थात् 4.7 प्रतिशत कर दिया जाये तो भी निगम की आय को देखते हुए इससे अधिक नहीं कर सकते।

श्री विश्वनाथ मेनन : इस स्थिति में कर्मचारियों की सुविधाओं में कमी करने का वास्तविक कारण क्या है ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने पहले कहा है निगम की आरम्भिक अवस्था में हमने यह निर्णय किया था कि निगम प्रति हजार परिवारों के लिये 11 बिस्तरों की व्यवस्था कर सकता है। परन्तु अब हमें यह पता लगा है कि नियोजकों के अंशदान की दर बढ़ाकर अधिकतम अर्थात् 4.7 प्रतिशत, क्योंकि श्रमिक तो पहले ही अधिकतम अर्थात् 2.3 प्रतिशत देते हैं, कर देने पर भी निगम प्रतिहजार परिवारों के लिए 11 बिस्तरों की व्यवस्था नहीं कर सकता। अतः हमें एक समिति की सिफारिश के आधार पर इस संख्या को घटाने पर बाध्य होना पड़ा। यह मुख्यतया वित्तीय कठिनाइयों और परिसीमाओं के कारण ही हुआ था।

श्री के० रमानी : मंत्री महोदय ने पहले बताया था कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कम करने के प्रश्न से धन के अभाव का कोई सम्बन्ध नहीं। लेकिन वह ठीक नहीं है। प्रति हजार परिवारों के लिए 11 बिस्तरों की व्यवस्था है लेकिन सरकार अब इसे घटाकर प्रति हजार परिवारों के लिए 4 विस्तरों की व्यवस्था करने वाली है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के मजदूरों ने मांग की है कि बिस्तरों तथा अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाये। विशेषकर क्षय रोगियों को अस्पताल की सुविधायें बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में, हम देखते हैं कि सरकार देश में 900 से अधिक नियोजकों से बकाया राशि एकत्र करने में असमर्थ है जो लगभग $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये है और अब वह गरीब मजदूरों को दी जाने वाली अस्पताल सुविधाओं में कमी करना चाहते हैं। क्या यह उचित है कि एक ओर सरकार यह कहे कि वे मजदूरों की स्थिति में सुधार करना चाहती है तथा उनको चिकित्सा सुविधायें आदि देना चाहती है और दूसरी ओर उसी समय वह अपने उत्तरदायित्व को भी न निभाये ···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब प्रश्न पूछें।

श्री के० रमानी : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित है। सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह देश में बीमाकृत मजदूरों के प्रति इस सांविधिक उत्तरदायित्व को निभाये। जब स्थिति ऐसी है तो वे बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के बजाय कम कैसे कर सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नियोजकों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान में वृद्धि करने के बारे में कोई कार्यवाही करने जा रही है ताकि उससे निगम की निधि में वृद्धि हो सके और मजदूरों को अधिक सुविधायें दी जा सकें? अन्यथा, जैसा कि तमिलनाडु राज्य के श्रम मंत्री ने चेतावनी दी है, भारत सरकार को इसके कारण श्रम संकट का सामना करना पड़ सकता है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिस्तरों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी करना सरकार के वश में नहीं है। यह निगम है जो इन मामलों पर निर्णय करती है जिसकी निधि में 2.3 प्रतिशत अंशदान मजदूरों का होता है और 4 प्रतिशत नियोजकों का और यह सभी तीनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बनती है और इसे राज्य सरकारों से भी अंशदान प्राप्त होता है। इसलिये, सुविधाओं में कमी करने अथवा वृद्धि करने के बारे में जो भी निर्णय किया जाता है, वह निर्णय निगम द्वारा अपने राजस्व को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हम तो इस मामले में आते ही नहीं। निगम ने अपनी वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात दिसम्बर, 1968 में यह निर्णय किया था कि उनके पास प्रति हजार परिवारों के लिये 4 बिस्तरों से अधिक की व्यवस्था करने के लिए रुपये नहीं हैं। वास्तव में, 11 से अधिक विस्तरों के लिए भी विचार अवश्य हो सकता है। आखिर केवल 11 बिस्तर ही क्यों? यह उपलब्ध

निधि पर निर्भर करता है। निगम में मजदूरों, नियोजकों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं और यह निर्णय उसके द्वारा अपनी निधि को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

श्री स० कुन्दू : मुझे दो प्रश्न पूछने हैं, यह दुःख की बात है कि श्रम विभाग के मंत्री उस समिति के प्रतिवेदन का समर्थन करते हैं जो कि मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम सुविधाओं में धन के अभाव के कारण कटौती करती है। सरकार बिना उत्तरदायित्व लिये कर्मचारी राज्य बीमा के प्रबन्धक के रूप में कार्य करती है। जहां तक मजदूरों को न्यूनतम सुविधायें देने का सम्बन्ध है, क्या सरकार इसे प्रतीपगामी कार्यवाही समझती है ? यदि हां, तो क्या वे इस प्रयोजन के लिये अतिरिक्त अनुदान देकर वित्तीय कमी को पूरा करने को तैयार हैं ताकि प्रति हजार परिवारों के लिये 11 बिस्तरों की व्यवस्था को कायम रखा जा सके ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा मैंने स्पष्ट किया था, निगम एक स्वायत्तशासी निकाय है, इसको तीन स्रोतों से वित्त प्राप्त होता है, पहला स्रोत नियोजक हैं जिनसे अधिकतम 4.7 प्रतिशत अंशदान का 4 प्रतिशत अंशदान प्राप्त होता है। मजदूरों से 2.3 प्रतिशत प्राप्त होता है और चिकित्सा सहायता की लागत का $\frac{1}{8}$ भाग राज्य सरकार से प्राप्त होता है।

श्री एस० एम० जोशी : केन्द्रीय सरकार से क्या प्राप्त होता है ?

श्री भागवत झा आजाद : केन्द्रीय सरकार कुछ भी अंश दान नहीं करती, सरकार देश में सभी निगमों में अंशदान नहीं कर सकती। वर्तमान स्थिति यह है कि एक समिति ने निगम की निधि की जांच की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रति हजार परिवारों के लिये 4 बिस्तरों से अधिक का प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रति हजार परिवारों के लिये 11 बिस्तरों की व्यवस्था किये जाने से पूर्व भी बीमा कर्मचारियों को दी जा रही न्यूनतम सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की गई थी, परिवार यूनिट को देखते हुए इसमें वृद्धि की गई थी।

श्री शिव नारायण : न्यूनतम क्या है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या मंत्री महोदय उस बात को स्पष्ट कर सकेंगे जो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है ? जब यह योजना चालू की गई थी और जैसे कि इसने धीरे-धीरे प्रगति की है, अधिनियम की योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए उद्योगों के अन्तर्गत आने वाले मजदूरों की संख्या से उनको मालूम था कि कितने मजदूरों को अर्थात् बीमाशुदा व्यक्तियों को उसके अन्तर्गत लाया जा रहा है, इसलिए वे उस अंशदान की राशि का अनुमान लगा सकें जिसे मजदूरों से एकत्र किया जा सकता था, वे भी अंशदान कर सकते थे और नियोजकों से मिलने वाले अंशदान का निर्धारण कर सकते थे, अतः मैं जानना चाहता हूं कि उस समय उन्होंने यह अनुमान किस आधार पर लगाया कि निगम उपलब्ध धन द्वारा प्रति हजार परिवारों के लिए 11 बिस्तरों की व्यवस्था करने में समर्थ है और अब वे कैसे कहते हैं कि इसमें लगभग 65 प्रतिशत कमी करने की आवश्यकता है, मैं अंकगणित अधिक नहीं जानता लेकिन मेरे विचार से यह जो कमी 65 प्रतिशत की की जा रही है, कम कभी नहीं है। उन्होंने अपनी आय का गलत अनुमान कैसे लगाया, जब उन्हें बड़ी अच्छी तरह मालूम था कि योजना के अन्तर्गत कितने मजदूर आयेंगे और नियोजकों से कितनी राशि एकत्र की जा सकती है।

कितने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का निर्माण किया गया है अर्थात् कितनी इमारतें

तैयार खड़ी हैं और आवश्यक उपकरणों तथा सप्लाई की अनुपलब्धता के कारण कार्य आरम्भ करने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री भागवत झा आजाद : जो कुछ मैं कह चुका हूं उससे अधिक इसे स्पष्ट नहीं कर सकता, यह एक स्वायत्तशासी निगम है जिसे तीन स्रोतों से रुपये प्राप्त हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि 1960 में क्या आधार था, लेकिन तथ्य यह है कि जिस आधार पर 11 बिस्तरों की व्यवस्था की गई थी, वह वर्तमान परिस्थितियों में ठीक नहीं बैठता। निगम भी, जो कि स्वायत्तशासी है, इस निर्णय पर नहीं पहुंचा है।

जहां तक इमारतों का सम्बन्ध है, जिनका निर्माण किया गया है और जो प्रति हजार परिवार के लिए 4 बिस्तरों की व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं उनको आरम्भ किया जायगा और उन्हें धीरे-धीरे प्रयोग में लाया जा रहा है। मैं नहीं कह सकता कि देश भर में कितनी इमारतें हैं।

Shri Tulshidas Jadhav: Mr. Speaker, in which cities the 11 hospitals under this scheme have been established, where the arrangements for the treatment of the workers have been made and how much money has been spent on these hospitals ?

Shri Bhagwat Jha Azad: Mr. Speaker, these hospitals are in many cities in the country. I cannot tell the names of all the cities. These hospitals are both in big as well as small cities. These hospitals are in big cities like Bombay, Calcutta, Ahmedabad and Madras etc., but as I said it is very difficult to tell the names of all the cities.

श्री एस० कन्डप्पन : भारत सरकार अपने आप को प्रगतिशील तथा समाजवादी कहती हैं लेकिन सरकार के श्रम मंत्री को इस प्रकार का उत्तर देते हुए शर्म आनी चाहिये जैसा कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में वह दे रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : यह ठीक नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री एस० कन्डप्पन : आप प्रश्न सुनिये और इस प्रकार गर्म न होइये। (**व्यवधान**)

श्री स० कुण्डू : आप अपने सचिवों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का समर्थन कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

Shri Janeshwar Misra : He has power and he should not flare up like this. If the hon. Minister flares up he should be condemned.

Shri Bhagwat Jha Azad : We are here not to listen bad names but to give replies.

श्री एस० कन्डप्पन : ऐसा कहना हमारे राज्य मंत्री श्री आजाद के लिए अच्छा नहीं है जो कि कार्मिक संघों के अधिकारों का समर्थन करने का दावा करते हैं और अपने आपको बहुत अधिक वामपंथी कहते हैं। मुझे उनसे ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी वास्तव में, मुझे आशा थी कि वे कुछ सहानुभूति दिखायेंगे तथा इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपने आरम्भ में ही विनम्र भाषा का प्रयोग नहीं किया।

श्री एस० कन्डप्पन : जो उत्तर हमें यहां दिया गया उसके लिये मैं इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना उचित समझता हूं।

मैं सरकार से यह बात स्पष्ट रूप से जानता हूं कि क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के नियंत्रण से बिल्कुल बाहर है। अगर ऐसा है, तो केन्द्रीय सरकार इस देश में मजदूरों के कल्याण के लिए तथा उनको सुविधायें प्रदान करने के बारे में क्या कार्य कर रही है।

यदि वे राज्यों द्वारा, स्वयं मजदूरों तथा नियोजकों के अंशदान द्वारा मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि नहीं कर सकते तो केन्द्रीय सरकार के स्तर पर श्रम मंत्रालय स्थापित करने का क्या प्रयोजन है। उन्होंने हाल में जो कदम उठाये हैं उनके द्वारा वे उन विशिष्ट क्षेत्रों के संबन्ध में क्या करने जा रहे हैं जहां कुछ सुविधायें पहले ही दी गई थीं और जहां राज्य सरकारें, उन सुविधाओं में वृद्धि करने और उनका उस क्षेत्र में अन्य स्थानों में विस्तार करने की बात छोड़िये, उनको कायम रखने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): निगम एक स्वायत्तशासी और एक त्रिपक्षीय निकाय है। निकाय के आय के साधन, जैसा मेरे साथी ने बताया, तीन हैं। पहला 2.3 प्रतिशत की दर पर मजदूरों द्वारा अंशदान, दूसरा 4 प्रतिशत की दर पर नियोजकों द्वारा अंशदान और तीसरा राज्य सरकारों द्वारा अंशदान। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति ने इस बारे में हाल में कुछ सिफारिशें की हैं। वे सरकार के विचाराधीन हैं। एक स्वायत्तशासी निगम अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय करता है। हम क्या कर सकते हैं ? हम केवल परामर्श दे सकते हैं यहां तक कि हमारे परामर्श से भी कोई लाभ नहीं होग जब तक कि केन्द्रीय सरकार इस योजना में कुछ अंशदान नहीं करती इसलिये इन सभी मामलों पर विचार किया जा रहा है। निगम की महासमिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है। महासमिति की आगामी बैठक सितम्बर में होगी। श्रम मंत्री उसके पदेन अध्यक्ष हैं। मेरे पास जो भी थोड़ी सी पटुता है उसका मैं इस हेतु उपयोग करूंगा कि पूरी योजना में संशोधन हो जाय।

श्री एस० कन्डप्पन : मैंने दो प्रश्न पूछे थे, पहला यह कि क्या भारत सरकार कुछ भी अंशदान करने में समर्थ नहीं है ? उन्हें यह देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि इस निगम को वित्त की दृष्टि से और अधिक आकर्षक बनाया जाय और जिन सुविधाओं के बारे में बचन दे चुके हैं, उनमें अगर वृद्धि नहीं की जा सकती तो उन्हें बनाये रखा जाय, मैंने दूसरा प्रश्न नये निर्णय से, विशेषकर तमिलनाडु में पैदा होने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछा था (**व्यवधान**)। इससे वहां कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जायेगी। सरकार की न केवल हमारे बारे में रुचि है, बल्कि जैसा मेरा अनुमान है उनकी अन्य बातों में भी रुचि है और अन्य बातें पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर होती हैं, श्रम मंत्री ने मेरे राज्य में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एक स्पष्ट मांग की थी कि इससे वृद्धि करनी होगी और उस मांग का उस क्षेत्र के मजदूरों द्वारा समर्थन किया गया था, जब तक इसमें वृद्धि नहीं की जाती तब तक उनके लिये चलते जाना कठिन होगा। सरकार क्या करने जा रही है ? क्या वे कुछ रियायत अथवा कुछ सहायता देंगे ? क्या श्रम मंत्री ने यह मामला सरकार के सामने उठाया है और क्या वह ऐसा प्रयत्न करेंगे कि भारत सरकार की निधि में से निगम में कुछ अंशदान किया जाय ?

श्री डी० संजीवैया : यह कटौती केवल एक वर्ष के लिये है, यह केवल 31-3-1971 तक लागू रहेगी, उसके पश्चात इसका पुनर्विलोकन किया जायेगा, लेकिन राज्य सरकारें भी अपने अंशदान में वृद्धि करने के बारे में विचार क्यों नहीं करतीं ? एक समय वे $\frac{1}{4}$ दे रहे थे अब वे केवल $\frac{1}{8}$ दे रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Just now the hon. Minister stated that there are no funds with the Corporation. Suppose they come across such a situation that they donot have money for medicines for expenditure on doctors, and they have money only to meet the expenditure on buildings, doctors and employees and they do not have money to spend on workers, then what they will do in that situation ? The hon. Minister is talking about reducing the beds, the workers

are already facing many difficulties. They do not get medicines properly. There is one doctor for 1500 patients, they cannot do justice with the patients. You had decided that there will be four beds per thousand family units. In Ujjain there are 8 beds per 10 thousand workers. So what you had decided, has not been put into effect and now you are going to make more curtailment in that, I want to know what do you want to do in this situation ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is not that we do not have money for medicines only. The question is quite clear. Suppose we have Rupees one hundred. We have three items to spend on. We have to spend some amount on medical facilities and some minimum is required for the administration also and, according to the Act, there is statutory provision that there should be cash benefit also. Corporation has to spend about ten or eleven percent on administration the remainingg 85 percent funds, which we have, can be spent on medical facilities. The hon. Member said about Madhya Pradesh that there are 8 beds per 10 thousand workers. I want to tell him that only 381 beds are required in Madhya Pradesh, 225 beds have been provided and 215 are being provided after this, we will have 59 beds surplus. Those will have to be surrendered.

Mr. Speaker : How to give time to two Members of each party? Do you want that this should go on like this. Yesterday we could take only one question and today we should have two ? In this way what is the use of Question Hour?

श्री जि० मो० बिस्वास : मेरे द्वारा प्रश्न की पूर्वसूचना दिये जाने के क्या क्या प्रयोजन हैं ? रोज मेरा नाम होता है लेकिन मुझे हर रोज अपने अवसर से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि मेरा नाम पांचवें अथवा छठे स्थान पर होता है । मेरे विचार से आज भी मेरा नाम 5वें स्थान पर है और मैं नहीं सोचता कि मुझे अवसर मिलेगा, यह अच्छी पद्धति नहीं है । एक दिन में 30 प्रश्न लेने का प्रयत्न करना अच्छा नहीं, केवल दो प्रश्न लेना अधिक अच्छा है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे वचन दें कि आप हर प्रश्न के लिए बार-बार नहीं उठेंगे तो मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री जि० मो० बिस्वास : यह अच्छा है, लेकिन आपने कभी भी कोई अवसर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : इस बार मैं आपको अवसर दूंगा ।

Shri S. M. Joshi: It is being stated here again and again that it is an autonomous body : It is a strange thing. The hon. Minister has stated that this curtailment is for one year and it is being considered. I do not know what is being considered. May I know whether the hon. Minister is ready to give this assurance that in accordance with the recommendation of the estimates committee the curtailment is only for one year and that will not continue and that assistance would be given to them on behalf of the Central Government and curtailment will not be made?

श्री डी० संजीवैया : हम इस समय कोई वचन नहीं दे सकते । प्राक्कलन समिति की सभी सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, एक सवाल के लिये पांच सदस्यों के नाम होते हैं, पांच और बुलाये जायें तो दस हो जाते हैं, कैसे काम चले ?

श्री जि० मो० बिस्वास : महोदय उन सदस्यों को बोलने की अनुमति न दें जिनके नाम नहीं हैं, प्रश्न करना बड़ा कष्टकर है, कुछ सदस्य, जो प्रश्न की पूर्वसूचना नहीं देते, यहां प्रश्न पूछने का लाभ उठाते हैं ।

बारहसिंगों की संख्या में कमी और उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिये कार्यवाही

+

*93. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह:**
श्री गं० च० दीक्षित : **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री शशि भूषण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य भारत में बारहसिंगे केवल मध्य प्रदेश के कन्हा नेशनल पार्क में पाये जाते हैं और उनकी संख्या 1938 में 3000 थी जो अब घटकर 70 रह गई है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उनकी जाति का लोप होने से बचाने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की है ; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति परिरक्षण सम्मेलन ने इस विषय पर क्या सिफारिशें की हैं और उन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Shri Hukum Chand Kachwai : It is a matter of great regret that this question had been sent long ago but even then the Government do not reply directly. Whenever the Government want to put off the reply they simply say that information is being collected and will be laid on the Table of the House. In this way we cannot get reply to any questions. The question which I have asked is very important for Madhya Pradesh. The Bara Singha (Stag) is found only in Madhya Pradesh and no where else. So the Government may not put off the question. The Government should try to increase its number. I want to know that since last time the committee have made recommendations for it, so whether the Government is ready to spend more in this respect after considering over the recommendation ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर दे सकते हैं ? वे सुझाव थे ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हम समूचे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय पार्क में वन्य पशुओं के संरक्षण को बड़ा महत्व देते हैं ; यहां तक कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से परामर्श लिया है और उनका न केवल संरक्षण करने अपितु उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम कुछ कार्यवाहियां कर रहे हैं । यह सच है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कि इनकी संख्या कम हो गई है परन्तु उनके कारणों को सुनिश्चित किया जा रहा है । हम इसके लिए एक अलग से बाग बना रहे हैं और विशेषज्ञों को वहां नियुक्त करेंगे जो यह देखेंगे कि भविष्य में उनकी संख्या बढ़े ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether the Government have taken any action till to-day on the recommendations made by the International Conference on the preservation of Nature and Natural Resources. It not, what are reasons therefor and when they will take action on them ? Besides, has the Madhya Pradesh Government given any interim relief for cooperation in this work ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह राज्य का विषय है । राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसकी देख-भाल करें परन्तु जिस सहायता की भी आवश्यकता होगी हमें वह देने में प्रसन्नता होगी । मध्य प्रदेश सरकार सभी आवश्यक कार्यवाही कर रही है तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी, जो वन्य पशुओं में दिलचस्पी दिखाती हैं, इसमें रुचि ले रही हैं और वहां वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये इस पार्क को कुछ अधिक सहायता उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है ।

श्री क० प्र० सिंह देव : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि वन्य पशुओं का संरक्षण राज्य का विषय है । प्रश्न में प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संघ की सिफारिशों का उल्लेख है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने जो सिफारिशें की हैं, क्या उनको मानने के लिये राज्य सरकारें बाध्य हैं तथा भारत सरकार यह देखने के लिये क्या कार्यवाही करेगी कि उन सिफारिशों को राज्य सरकार क्रियान्वित करे ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : वे सिफारिशें किसी विशिष्ट प्रक्षेत्र के सन्दर्भ में नहीं हैं । ये सिफारिशें वन्य पशुओं के संरक्षण के सन्दर्भ में हैं । उनको पूरा करने के लिये हम बाध्य नहीं हैं परन्तु वे इस समस्या को सुलझाने में सहायक हैं । राज्य सरकारें और केन्द्र दोनों इन सिफारिशों की ओर ध्यान दे रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम बारहसिंगों तक पहुंच गया है ? उनकी संख्या के कम होने के क्या कारण हैं ?

Mr. Speaker : Even you do not observe Family Planning what to talk of Bara Singhas ?

उपग्रह पर आधारित टेलीविजन व्यवस्था की तुलना में भूमि पर आधारित टेलीविजन व्यवस्था को प्राथमिकता देना

+

*94. **श्री वेणी शंकर शर्मा** :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सामिनाथन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन से यह विदित होता है कि अब से 10 वर्ष के अन्दर देश की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के लिए भूमि पर आधारित टेलीविजन व्यवस्था 112 करोड़ रुपये की लागत से की जा सकती है ; और

(ख) क्या उक्त अध्ययन से यह भी पता लगा है कि उपग्रह के आधार पर इतनी ही बड़ी टेलीविजन व्यवस्था करने पर 800 करोड़ रुपए की लागत आयेगी तथा भूमि पर आधारित प्रणाली भारतीय प्रयासों और जानकारी से पूरी की जा सकती है परन्तु उपग्रह संचार व्यवस्था के लिये विदेशी सहयोग पर निर्भर करना होगा जो युद्ध के समय नष्ट की जा सकती है जबकि भूमि पर आधारित व्यवस्था में ऐसा कोई खतरा नहीं है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) उपग्रह पर आधारित टेलीविजन व्यवस्था पर अनुमानित खर्चा अध्ययन में शामिल नहीं था। भूमि पर आधारित पद्धति मुख्यतया अपने ही देश के प्रयत्नों पर स्थापित की जा सकती है। 'उपग्रह' इस मंत्रालय का विषय नहीं है।

Shri Beni Shankar Sharma: The Hon. Minister has stated just now that the subject "Satellite" does not come under his Ministry. But the then Minister for Information and Broadcasting, Shri K. K. Shah, replied on 29, February, 1968 in reply to the question no. 538 in Rajya Sabha :—"The Indian National Committee of space Research under the **aegis** of the Department of Atomic Energy was also examining the proposal for country-wise Television through satellites." Now it is not understandable how the Hon. Minister says that this subject does not come under his department.

I want to know whether the Indian National Committee of Space Research has sent its report or not? If so then what they have given in their report regarding broadcasting through Satellite Based Television.

श्री इ० कु० गुजराल : कुछ समय पूर्व टेलिविजन के विस्तार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी, कार्यकारी दल ने भूमि पर आधारित टेलीविजन व्यवस्था और उपग्रह पर आधारित टेलिविजन व्यवस्था के विस्तार को दृष्टि में रखकर इस पर विचार किया है। यह प्रतिवेदन अभी समिति के पास है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे कार्यकारी दल ने यह सुझाव दिया था कि भूमि पर टेलिविजन व्यवस्था का विस्तार व्यवहार्य और संभव है। इस संबंध में सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है।

Shri Beni Shankar Sharma: So far as India is concerned, there are many languages in vogue. I think the Hon. Minister will agree to my point that Satellite based Television Net work will not be so useful for such countries where many languages are in vogue. The Satellite based Television Net work may prove more useful where there is one common language. May I know whether the Hon. Minister agrees to this point that at least in India, where we have not been able to provide livelihood for crores of people, the broadcasting of Programmes though Satellite based Television is a cruel joke. There should be no place for such luxurious item in our country. If so, whether it will be done through ground-based system which will entail total expenditure of Rs. 112 crores?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं अपने माननीय मित्र के लिए एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, जब हम टेलीविजन व्यवस्था के विस्तार की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य मनोरंजन न होकर विकास की रीढ़ को हड्डी के रूप में विस्तार से होता है जो शिक्षा, कृषि और परिवार नियोजन के विकास के लिए सुलभ साधन है। इस प्रश्न पर, कि हम इसे भूमि पर आधारित स्टेशन अथवा उपग्रह से करें, अभी तुलनात्मक रूप से विचार हो रहा है, यह प्रश्न इससे या उससे करने का नहीं है अपितु दोनों प्रणालियों से अधिकतम लाभ उठाने से है।

\+ **पश्चिम बंगाल में चावल के मूल्यों में वृद्धि**

*95. **श्री जि० मो० बिस्वास :**
डा० रानेन सेन :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री कं० हाल्दर :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में पश्चिम बंगाल में विशेषकर देहाती क्षेत्रों में चावल के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चावल के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) अप्रैल-जून, 1970 के दौरान पश्चिमी बंगाल में चावल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। तथापि, जुलाई में मूल्यों में या तो गिरावट आई है अथवा स्थिरता रही।

(ख) चावल के मूल्य में यह वृद्धि मुख्यत: लम्बी अवधि के लिए सूखा पड़ने तथा मंडी में कम आमद से अमन फसल के उत्पादन में कमी होने के कारण हुई।

(ग) राज्य में वितरण के लिये खाद्यान्नों की सप्लाई में वृद्धि करने के प्रबन्ध किए गए हैं। राज्य सरकार गैर राशन वाले क्षेत्रों में व्यापार खाते पर गेहूं एवं मोटे अनाजों के आयात को प्रोत्साहित कर रही है ।

श्री जि० मो० बिस्वास : जो मंत्री महोदय ने कहा वह सही है। उत्पादन में कमी के कारण चावल के मूल्यों में वृद्धि हुई है और सूखे के कारण मेरा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। जब प्रधान मंत्री ने पुरुलिया जिले का दौरा किया तो जनता खाना मांगने आई तो उन पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने लाठी बरसायी और हमारी सूचना के अनुसार पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भूख से लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उस जिले की आवश्यकता प्रति वर्ष 4 लाख मन चावल की है।

अध्यक्ष महोदय : वे अपना प्रश्न करें, इस तरह के वक्तव्य से अन्य सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिलता हैं।

श्री जि० मो० बिस्वास : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। इस सभा के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बताना आवश्यक है कि पहले ही 100 व्यक्तियों को भूख के कारण मृत्यु हो चुकी है। हमारी आवश्यकता प्रतिवर्ष 4 लाख मन चावल की हैं और प्रति वर्ष चावल की कमी हो जाती है। मंत्री महोदय ने ठीक ही बताया है कि यह उत्पादन की कमी के कारण है और चावल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। अतएव मैं जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्र को चावलों के लिये मांग भेजी है और यदि हां तो राज्य सरकार को कितना चावल भेजा गया है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इस पर विस्तारपूर्वक कहने से पूर्व क्या मैं माननीय सभा को यह आश्वासन दूं कि पश्चिमी बंगाल की स्थिति भली प्रकार से नियंत्रण में है। हमने पश्चिमी बंगाल की सरकार को यह आश्वासन दिया है कि चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों की उचित सप्लाई की जायेगी, गेहूं के सम्बन्ध में हमने उनसे कहा है कि हम जितना वे चाहते हैं उतना सप्लाई करने को तैयार हैं। गत कुछ महीनों से मूल्यों में कुछ वृद्धि होने से राज्य सरकार इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। कलकत्ता, आसनसोल तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में राशन की व्यवस्था है और जहां तक इन क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है, अन्य क्षेत्रों में लगभग 15,000 उचित मूल्य की दुकानें हैं। माननीय सदस्य राज्य सरकार द्वारा बताए गये आवश्यकता के ठीक-ठीक आंकड़े जानना चाहते थे। इन आंकड़ों को समय समय पर बताया गया है। मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में पश्चिमी बंगाल के प्रतिनिधि ने—जो उस समय स्वयं मुख्य मंत्री थे—चावल और गेहूं दोनों के आंकड़े 22 लाख टन बताये थे। जहां तक उचित आवश्यकता का सम्बन्ध है, उस बारे में इस सभा में कोई भय नहीं होना चाहिये। हम पश्चिमी बंगाल की सभी उचित आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।

श्री जि० मो० बिस्वास : अभी मैंने सूखाग्रस्त क्षेत्रों, विशेषकर पुरुलिया और बांकुरा जिलों के बारे में कहा था, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल के इन दो जिलों की अत्यधिक खराब स्थिति का सुधार करने पर विचार कर रही है ?

क्या वे, विशेषकर प्रधान मंत्री द्वारा उन क्षेत्रों का दौरा करने के उपरान्त, कुछ विशेष कार्यवाही करेंगे ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : राज्य प्रशासन पहले ही इस मामले पर विचार कर रही है, जहां तक सप्लाई और स्थानीय भंडार स्थिति का सम्बन्ध है, वह संतोषजनक है । जहां तक विशेष जिले में राहत देने का कार्य है, यह आवश्यक कार्यवाही करना राज्य प्रशासन का कार्य है परन्तु यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट सुझाव देते हैं तो मैं उनका स्वागत करने तथा जांच करने के लिये तैयार हूं ।

श्री कं० हाल्दर : हमने संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रशासन में देखा है कि जब खाद्यान्नों के मूल्य बहुत बढ़ रहे थे तो तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों की सप्लाई की तथा दातृ राहत कार्य को भी हाथ में लिया । परन्तु जब वर्तमान शासन आया तो इन सभी सुविधाओं को रोक दिया गया । मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या वर्तमान सरकार उन सुविधाओं को देगी जोकि संयुक्त मोर्चा सरकार के समय दी गई थीं ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं राज्य सरकार से स्थिति के बारे में पता करूंगा ।

श्री वि० कु० मोडक : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यों में वृद्धि हुई है, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय बतायें कि अप्रैल से जुलाई, 1970 तक बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन के कोटे में कितनी वास्तविक वृद्धि की गई है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मेरे पास सांविधिक राशन क्षेत्रों के आंकड़े हैं, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण की मात्रा का सम्बन्ध है मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : पश्चिमी बंगाल में मूल्यों में वृद्धि के अलावा वित्त मंत्रालय से यह समाचार आया है कि गत छः महीनों में देश में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि 8 प्वाइन्ट्स है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में चावल की सप्लाई के अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है कि मूल्यों में वृद्धि न हो और चावल तथा आवश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी को रोका जाये ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह सच है कि जनवरी, अप्रैल और मई के महीनों में मूल्यों में सामान्य वृद्धि हुई है परन्तु माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि हाल ही में मूल्यों की प्रवृत्ति बहुत संतोषजनक रही है और जुलाई के महीने में अनाज के मूल्य गत जुलाई से कम हैं । अनाज के थोक मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक गत वर्ष 18 जुलाई को 207.6 था जबकि इस वर्ष 205.7 है, अतः गत वर्ष से यह कम है ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि चावल के उत्पादन में कमी का कारण यह था कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी खराब थी और क्या बरगदारों का हिस्सा राजनीतिक दलों ने हड़प लिया था ? क्या सरकार पश्चिम बंगाल को चावल और गेहूं सप्लाई करने पर सहमत हो गई है ? क्या तत्काल के उपाय के रूप में कमी वाले ग्रामीण लोगों में राशन की नई दुकानें खोलने का सरकार का विचार है ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्ष 1971 तक चावल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये पश्चिम बंगाल की योजना को क्रियान्वित करने के लिये सहायता देगी ? यह योजना उस समय बनाई गई थी जब राष्ट्रपति शासन पहले लागू हुआ था ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून और व्यवस्था की सामान्य समस्या के बारे में हमें विशेषरूप से बताया है कि इस कारण अनाज सम्बन्धी कानून लागू करने में अवश्य कुछ कठिनाई हुई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक न होने के कारण अनाज सम्बन्धी कानून लागू करने में और प्रशासन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार की यह रिपोर्ट है।

जहां तक उचित मूल्य की अतिरिक्त दुकानें खोलने का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल सरकार निर्णय कर सकती है और यदि हमारी सहायता की कोई आवश्यकता है, तो हम वह सहायता अवश्य देंगे।

कोयला खान मजदूरों पर उपदान (ग्रेचूटी) की योजना लागू करना

*96. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसका कोई निर्णय कर लिया है कि कोयला मजूरी बोर्ड ने जिस उपदान की योजना की सिफारिश की है और जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, उसे भारत के खान मजदूरों पर किस तिथि से लागू किया जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक स्थानों पर मालिक लोग कर्मचारियों की छंटनी का लाभ दिये बिना सेवा से हटा रहे हैं, क्योंकि मजदूरों की यह छंटनी प्राविधिक रूप में छंटनी नहीं है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उसके फलस्वरूप कोयला खान मजदूरों की संख्या कम होती जा रही है ?

श्रम, बेरोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) जी, नहीं। इस मामले में सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से आगे कार्यवाही की जा रही है।

(ख) और (ग). सूचना ऐकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

Shri Deven Sen : Is it a fact that the Coal Wage Board had approved the Gratuity Scheme unanimously in 1967 and the Government had also approved it in **principle**? I want to know the reasons for the delay in implementing the said Scheme even after three years.

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : This is a fact that the Wage Board had recommended it in 1967 and the Government had accepted it in principle in November, 1969 in the Industrial Commettee. The Wage Board had stated that the gratuity should be given by imposing cess on the despatch of coal, that means the same will be borne by the consumers. Government is considering this matter whether they should force the consumers, to pay the gratuity in the form of cess because normally it is paid by the employers. The National Labour Commission has recommended that the rate of provident fund should be resived from 8 per cent to 10 per cent. We are considering whether we should pay the gratuity by increasing the rate of provident fund or by imposing cess on the despatch of coal. We have asked for necessary opinion of all the concerned Departments.

Shri Deven Sen : I want to know whether the labour have protested against the giving of gratuity by increasing the rate of Provident Fund? Who has protested against it? I want to know as to why this proposal has not been implemented? Whether hon. Minister [is aware that the employers have dismissed many people during this period without assigning

any reason and without giving them the benefit of retrenchment and moreover the number of labourers has been reduced even in the coalfields ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The labourers have not protested, they were rather in favour of this proposal. We are considering both the alternatives and Steel Plants, Railways, Mines and Metals and other consumer Departments are being consulted in this matter. We are not aware of any retrenchment. Mines and Metals and other Departments are being asked whether anybody has been retrenched without any benefit. In case the hon'ble Member furnishes any information in this regard, we shall examine the same.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में आयोगों की स्थापना

*97. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने केन्द्रीय तथा राज्यों के स्तर पर औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में आयोगों को स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों को त्रिपक्षीय स्थायी श्रम समिति के समक्ष रखा गया, जिसकी बैठक 23-24 जुलाई, 1970 को हुई । समिति ने उन्हें कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया । समिति के निष्कर्षों के प्रकाश में आगे कार्यवाही की जायगी ।

Winding up of Community Development Blocks in Punjab

*98. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Punjab have wound up the Community Development Blocks ; and

(b) the reaction of the Central Government in case the aforesaid Blocks have been wound up or are being wound up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. C. Jamir). (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भूमिहीन मजदूर

*99. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 14 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9715 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन तथा स्वयं नियोजित मजदूरों का विषय किसे सौंप रखा है तथा इसके लिये कितने कर्मचारी रखे हुए हैं और ये कुल कर्मचारियों के कितने प्रतिशत हैं ;

(ख) वर्ष 1969 में जब भूमिहीन तथा स्वयं नियोजित मजदूरों की रोजगार की स्थिति का पिछली बार नमूना सर्वेक्षण किया गया था उनके मंत्रालय ने उनके हित में क्या उपाय किये हैं; और

(ग) महाराष्ट्र में प्रायोगिक रोजगार गारन्टी योजना से अब तक क्या अनुभव प्राप्त हुआ है और चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में उल्लिखित रोजगार के स्थाई प्रस्ताव की योजना सामान्यीकरण के लिये इस अनुभव को कब पर्याप्त समझा जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) और (ख). श्रमिकों-औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा कृषि-का कल्याण, श्रमिकों की स्थिति इत्यादि विषय श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपे गए हैं। भूमिहीन कृषि श्रमिकों के स्थापन के सम्बन्ध में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त योजनाएं कृषि विभाग को सौंपी गई हैं।

श्रम और रोजगार विभाग में एक सहायक निदेशक है जो कि कृषि श्रमिकों से संबंधित विषय का एकमात्र इंचार्ज है।

श्रम ब्यूरो, शिमला ने समस्त देश के 20 क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र के तीन-तीन गांवों में 1967-68 और 1968-69 के दौरान ग्रामीण श्रमिकों के बारे में गहन अध्ययन किया है। 6 क्षेत्रों के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार की प्रायोजिक योजना हाल ही में मंजूर की गई और अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार की योजना के विस्तार पर एक व्यापक क्षेत्र में इसी प्रकार के मार्गदर्शन प्रयोग के परिणामों के आधार पर प्राप्त अनुभव के बाद ही विचार किया जा सकता है।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध और उनकी अंशधारिता में श्रमिकों का भाग

*100. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री मधु लिमये : **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है, जिसके अन्तर्गत कर्मचारी सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में भाग लेने के साथ-साथ उनके अंशधारी भी बन सकें ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त योजना को कब से चालू किया जायेगा ;

(घ) किन-किन सरकारी उपक्रमों पर यह योजना लागू होगी ;

(ङ) क्या इन सरकारी कम्पनियों के निदेशक मंडलों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी मनोनीत किये जायेंगे ;

(च) क्या ऐसी योजना गैर-सरकारी क्षेत्र पर भी लागू की जायेगी जैसा कि पश्चिमी जर्मनी में किया गया है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारग हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) से (छ) . योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

समाचारपत्रों को विज्ञापनों के वितरण में राजनोतिक आधार का आरोप

*101. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री बृज भूषण लाल : **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार और दिल्ली नगर निगम ने कुछ समाचार-पत्रों को राजनीतिक आधार पर विज्ञापन देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये आरोप सही हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों और स्थानीय निकायों को समाचार-पत्रों को विज्ञापनों के उचित वितरण के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) तथा (ख) . राज्य सरकारों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के बारे में अपनी नीति निर्धारित करने के लिये स्वतन्त्र है ।

(ग) लघु समाचार-पत्र सम्बन्धी जांच समिति ने विज्ञापनों को देने के लिये समाचार-पत्रों के चयन के लिये जिस मापदण्ड की सिफारिश की थी, उसको सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को नवम्बर, 1966 में सूचित कर दिया गया था। इस बारे में समिति की सिफारिश संख्या 126 पर सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से सम्बन्धित लोक सभा की मेज पर 30 मई, 1967 को रखे गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

भूमि-सुधारों में असंतोषजनक प्रगति

*102. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री दे० अमात : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भूमि-सुधारों की क्रियान्विति में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भूमि-सुधारों को शीघ्र लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) (क) और (ख). भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति हुई है। परन्तु कई राज्यों में कानूनों में त्रुटियां तथा उनके कार्यान्वयन में कठिनाइयां थीं।

भूमि सुधारों की प्रगति का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता रहा है। भूमि सुधारों की तुरन्त क्रियान्विति की आवश्यकता पर बल देने के लिये नवम्बर, 1969 में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों को सभा पटल पर रख दिया गया था।

(ग) प्रत्येक राज्य में भूमि सुधारों की प्रगति पर निरन्तर ध्यान रखने उनको प्रस्तावों की तैयारी में सहायता देने, उपयुक्त विधेयकों के निर्माण तथा भूमि सुधारों की शीघ्र कार्यान्विति के लिये प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में भूमि सुधारों की एक केन्द्रीय समिति पुनर्गठित करने का निश्चय किया गया है। राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार की उच्चाधिकार समितियों की स्थापना करने की सिफारिश की गई है।

आकाशवाणी द्वारा जून, 1970 में चांदनी चौक दिल्ली में हुई प्रधान मन्त्री की सभा के बारे में विस्तार से समाचार दिया जाना

*103. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री जि० ब० सिंह :
श्री बंशनारायण सिंह :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में, चांदनी चौक, दिल्ली में जून, 1970 में हुई प्रधान मन्त्री की सार्वजनिक सभा के समाचारों को अपने समाचार-प्रसारणों में बहुत अधिक विस्तार से प्रसारित किया जबकि उसी महीने में दिल्ली ही के रामलीला मैदान तथा गांधी ग्रांउड में हुई सार्वजनिक सभाओं के समाचारों को जिनमें क्रमश: श्री अटल बिहारी बाजपेयी, तथा श्री मोरारजी देसाई द्वारा भाषण दिये गये थे और जिनमें श्रोताओं की उपस्थिति भी अपेक्षाकृत अधिक थी; कम समय दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार आकाशवाणी के उन समाचार प्रसारणों के पाठ सभा पटल पर रखेगी, जिनमें उपर्युक्त तीनों सभाओं या उनमें से किसी भी सभा के बारे में समाचार दिये गये थे;

(घ) क्या यह भी सच है कि प्रधान मन्त्री का भाषण साथ साथ रेडियो स्टेशन पर प्राप्त किया जा रहा था जबकि अन्य दो सभाओं के लिये यह व्यवस्था नहीं की गई थी; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों ने सम्पादकों से यह कहा था कि वे प्रधान मंत्री की सभा के बारे में विस्तारपूर्वक समाचार दें ?

सूचाना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी में प्रधान मंत्री के चांदनी चौक में दिये गये भाषण का सारांश अपने समाचार बुलेटिन में दिया।

(ख) इसको समाचार बुलेटिन में इसके समाचारिक महत्व के आधार पर दिया गया था।

(ग) इन तीन सभाओं से सम्बन्धित अंग्रेजी तथा हिन्दी के मुख्य समाचार बुलेटिनों के अंशों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

(घ) भाषण की रिपोर्ट रेडियो स्टेशन द्वारा प्राप्त की जा रही थी परन्तु इसको साथ साथ रिले नहीं किया जा रहा था ।

(ङ) जी, नहीं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों द्वारा अपने कृषि लक्ष्यों में प्राप्त हुई सफलता के बारे में रिपोर्ट

*104. **श्री नारायणन :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री कोलाई बिरुआ : **श्री नम्बियार :**
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अफसरों के दलों ने इस उद्देश्य से राज्यों का दौरा किया था कि वे चौथी योजना के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ठोस योजनाएं बना सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन दलों ने राज्यों का दौरा करने के पश्चात् अपने प्रतिवेदन दे दिए हैं ;

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदनों को जुलाई के पहले सप्ताह में हुए मुख्य मंत्रियों और कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया था ; और

(घ) क्या मंत्रालय ने उन विशेषज्ञ समितियों और विचार-गोष्ठियों के प्रतिवेदनों को समन्वित करके सम्मेलन के विचारार्थ कोई टिप्पणी-पत्र तैयार किया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । दल के दौरों का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से वर्ष के दौरान कृषि विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करना है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन राज्यवार रिपोर्टों को इसी रूप में कृषि मंत्रियों के विचारार्थ नहीं रखा जाता है । यद्यपि, सामान्य रूप से जिन रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे दिया गया, उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ।

(घ) सम्मेलन के लिये टिप्पणी-पत्र तैयार करते समय मन्त्रालय में उपलब्ध विशेषज्ञ समितियों विचार-गोष्ठियों आदि की रिपोर्टों की सिफारिशों पर जहां तक उनका संबंध सम्मेलन के कार्यक्रम की मदों से है, विचार किया गया था ।

फरक्का बांध परियोजना में छंटनी

*105. **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध परियोजना में हजारों श्रमिकों को फालतू करार देकर उनको छंटनी किए जाने की धमकी दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि हां, तो उनके लिए तत्काल वैकल्पित रोजगार की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में श्रमिक संघ नेताओं के साथ बातचीत की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कुछ समय तक फरक्का बांध परियोजना के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या में कोई कमी करने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद ऐसे कर्मचारियों को जिनकी अनुरक्षण अवस्था में कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, चरणात्मक ढंग से फालतू कर दिया जायगा। ऐसे श्रमिकों की कुल संख्या अंततः लगभग 2,300 होगी।

(ख) और (ग). फरक्का बांध परियोजना के ऐसे कर्मचारियों को रोजगार दिलाने के लिए, जो परियोजना के पूर्ण होने पर फालतू हो जाएंगे, हर सम्भव प्रयास किए जाते रहेंगे। एक विशेष-कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा। वह रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत विशेष कक्ष के इन्चार्ज हैं, जो फालतू हुए कर्मचारियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा।

(घ) और (ङ). 29-5-1970 को कलकत्ता में एक बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस बैठक में फालतू होने वाले कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार ढूंढने के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से व्याख्या की गई। जैसा कि बैठक में फैसला किया गया, एक पुनरीक्षण समिति स्थापित की गई है, जिसमें अन्यों के साथ-साथ इस परियोजना के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि हैं। यह समिति परियोजना के उन कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार ढूंढने हेतु की गई कार्यवाही का समय-समय पर पुनरीक्षण करेगी, जिन्हें फालतू करार किया जाएगा।

Steps for improvement in Telephone Lines between Khurja-Hapur-Delhi

*106. **Shri Suraj Bhan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of times Khurja-Hapur Telephone line went out of order last year, month-wise, and the reasons therefor ;

(b) the number of times the telephone line remained out of order for more than twelve hours during this period, month-wise ;

(c) the comparative position on the above subjects during the previous year ;

(d) the details of the steps taken so far to improve telephone service from Khurja to Hupur and Delhi, their results and the future plans and scheme ; and

(e) the time by which the scheme would be completed ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) to (c) . Information regarding the total number of interruptions and number of interruptions exceeding 12 hours of Khurja-Hapur line during 1968-69 and 1969-70 is given in the enclosed statement.

The main reason for more interruptions upto November '69 was theft of copper wire which was in use till that time and was thereafter replaced by ACSR wire. The interruptions after November were due to natural causes.

(d) and (e). Khurja-Hapur copper wire trunk has been replaced by ACSR wire in November 1969. As a result, Khurja-Hapur Trunk Service has considerably improved.

As regards Khurja-New Delhi Trunk circuits, these are provided on two routes.

(1) Khurja to Hapur on open wire (ACSR) and then, on the coaxial system to Delhi.

(2) Khurja to New Delhi, direct carrier system, on open wire. This Trunk is also being replaced by wire ACSR and the work is expected to be completed in a month's time. With these measures already taken, the Trunk Service from Khurja to Hapur and New Delhi has registered considerable improvement.

As a long term measure, a small tube coaxial system, connecting Agra, Aligarh, Khurja, Hapur and Meerut is under installation which is expected to be completed during 1972.

Statement

Months	1968-69		1969-70	
	Total No. of cases.	Cases over 12 hrs. duration.	Total No. of cases.	Cases over 12 hrs. duration.
April	15	9	9	2
May	11	2	15	6
June	17	5	21	9
July	8	5	16	10
August	10	5	11	4
September	12	5	23	10
October	10	4	20	8
November	8	5	4	1
December	14	8	1	nil
January	11	6	2	nil
February	9	4	1	1
March	16	9	3	2

मास्को के रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस के प्रसारणों की अनुश्रवित (मानिटर्ड) रिपोर्ट संसद सदस्यों तथा पत्रकारों को उपलब्ध न किया जाना

*107. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बलराज मधोक :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आकाशवाणी को आदेश जारी किए गए हैं कि वे मास्को के 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' रेडियो के प्रसारणों की अनुश्रवित (मानिटर्ड) रिपोर्ट संसद सदस्यों तथा पत्रकारों को उपलब्ध न कराएं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन प्रसारण में का मुख्य विषय सभी प्रकार से हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में रूस सरकार से बातचीत की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रूसी प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इन रिपोर्टों की प्रतियां संसद सदस्यों को नहीं दी जा रही थीं । कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा पत्रकारों को इनकी प्रतियां देना बन्द कर दिया गया है ।

(ख) रिपोर्टें सरकारी प्रयोग के लिए ही हैं ।

(ग) से (ङ). जी, नहीं । बहुत से विदेशी प्रसारण संगठन देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते हैं और उन्हें रोकने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं हैं । आकाशवाणी अपनी देशी और विदेशी सेवाओं के माध्यम से इनके प्रसारणों के प्रभाव को निष्फल करने का प्रयत्न करता है ।

भूमि वितरण नीति की असफलता

*108. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री राम चरण :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की भूमि वितरण की नीति असफल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय के हाल के अध्ययन में इन सब बातों को प्रकाश में लाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस अध्ययन का सारांश क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। पता चला है कि तीन योजनाओं की अवधि में राज्य सरकारों द्वारा 107 लाख एकड़ भूमि भूमि-हीन कृषकों में बांटी गई है । इसके अतिरिक्त भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर 23.6 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई थी, जिसमें से 15.8 लाख एकड़ भूमि का कब्जा राज्य सरकारों ने ले लिया और 11.4 लाख एकड़ भूमि भूमि-हीन कृषकों में बांट दी गई।

(ख) और (ग). योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने भूमि-हीन कृषि श्रमिकों के पुनः बसाने के लिए चुनिन्दा बस्तियों के मामलों का अध्ययन किया है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इन अध्ययनों को प्रकाशन सं० 61 के रूप में प्रकाशित किया है। बसाने की योजना में सुधार करने के लिए रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं :—

1. एक बस्ती की योजना के अन्तर्गत बसने वालों की संख्या की सीमा और बस्ती के क्षेत्र की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
2. भूमि पर बसने तथा स्वयं खेती करने वाले सही एलाटी का चुनाव करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
3. जहां कालोनाइजेशन का अर्थ नई बस्ती बसाना है, वहां प्रत्येक बसने वाले व्यक्ति के लिये न्यूनतम मूल सुविधाओं की व्यवस्था करनी आवश्यक है।
4. बसाने के विभिन्न पहलुओं का समन्वय करने के लिए केवल एक एजेन्सी को उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए।
5. योजना को कार्य रूप देने के लिये जिम्मेदार एजेन्सी बस्ती के पास स्थित होनी चाहिए।
6. प्राथमिक स्तर पर उचित आयोजन और कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए।

(घ) चुनिन्दा बस्तियों के मामले, अध्ययन की रिपोर्ट के अवलोकन और सुझाव राज्य सरकारों को विचारार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजे गये हैं।

कुछ चलचित्रों को मनोरंजन कर की छूट देना

*109. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जिन चलचित्रों में राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्दता अथवा परिवार नियोजन के लिए प्रयास किया गया है, उन्हें मनोरंजन कर की छूट देने के बारे में कोई संकेत अथवा अनुदेश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने मनोरंजन कर की छूट दी है और कितने चलचित्रों को दी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को

राष्ट्रीय एकता के विषय पर, गुणदोष आधार पर उपयुक्त फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने की सिफारिश करती है ।

(ख) सूचना विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

कोचीन में मत्तनचेरी स्थित मछली पकड़ने के एक पत्तन के विकास के लिये योजना

*110. **श्री जनार्दनन :**

श्री अदिचन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मत्तनचेरी, कोचीन के मछली पकड़ने वाले एक पत्तन का विकास करने के लिए योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्योरा क्या है ;

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना का अनुमोदन कर दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). मंत्रालय में जनवरी, 1970 में कोचीन पत्तन न्यास द्वारा तैयार की गई एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । इस परियोजना में लगभग 60 मध्यम और बड़े आकार के मीन पोतों की आवश्यकताओं को पूरा करने, लादने, उतारने, रख रखाव और अन्य सम्बन्धित घाट सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक घाट-दीवार, जेटी, स्लिपवे, वर्कशाप और नीलाम घर की व्यवस्था की गई है ।

(ग) परियोजना पर लगभग 300 लाख रुपए व्यय होंगे ।

(घ) परियोजना रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है । कुछ मुद्दों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से स्पष्टीयकरण प्राप्त किए गए हैं । परिवहन तथा जहाजरानी मंत्रालय के परामर्श से ढांचे और अनुमानों के तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है । कोचीन पत्तन न्यास और हाल ही में राज्य सरकार के प्राधिकारियों से भी विचार-विमर्श किया गया है । परियोजना के ब्योरों की जांच-पड़ताल पूरी होते ही वित्त मंत्रालय के परामर्श से परियोजना की स्वीकृत के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

आकाशवाणी में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनाई जा रही नीति

*111. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के समस्त केन्द्रों में कलाकारों और नैमित्तिक तथा अस्थायी आधार

पर काम कर रहे अन्य कर्मचारियों समेत कुल कितने कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में ठेके पर काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जो पिछले दस साल से लगातार काम कर रहे हैं और जो अभी भी अस्थायी हैं और ठेके पर ही काम करते हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनके द्वारा गत वर्ष लोक-सभा में दिये गये इस आश्वासन के सम्बन्ध में, कि कर्मचारियों को नियमित आधार पर नियुक्ति करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ; कोई कार्यवाही की है, और यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है तथा उनका ब्योरा क्या है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) ऐसे कर्मचारियों ने पिछले एक वर्ष में कितने बार आन्दोलन और हड़ताल की ; और इसके क्या कारण थे ; और

(ङ) इस समस्या के समस्त पहलुओं को देखते हुए क्या नीति अपनाई जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) स्टाफ आर्टिस्टों के सिवाए किसी अन्य श्रेणी के कर्मचारी को आकाशवाणी में ठेके पर नहीं लगाया जाता। आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्टों की कुल संख्या 10 जनवरी, 1970 को 2,554 थी (इसमें कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कैज्युअल आधार पर लगाए गए आर्टिस्टों की संख्या शामिल नहीं है)। थोड़ी अवधि के लिए लगाए गए कैज्युअल आर्टिस्टों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) स्टाफ आर्टिस्टों को सामान्यतः 55 वर्ष की आयु तक ठेके दिये जाते हैं। अतः वे अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह स्थायी या अस्थायी नहीं होते। ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो कैज्युअल आधार पर लगातार पिछले 10 वर्ष से काम कर रहा हो।

(ग) मामले पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि आकाशवाणी में ठेके पद्धति को फिलहाल समाप्त न किया जाए।

(घ) आकाशवाणी के कुछ कर्मचारियों ने फरवरी-अप्रैल, 1970 के महीनों के दौरान प्रदर्शन तथा सभायें कीं। आंदोलन 1-5-1970 से वापिस ले लिया गया। यह आंदोलन ऊंचे वेतनमान तथा पदोन्नति के लिये अच्छे अवसर प्राप्त करने तथा सेवा की अन्य शर्तों में सुधार के लिए किया गया था।

(ङ) सरकार अपने कर्मचारियों की मांगों पर सदा सहानुभूति से तथा योग्यता आधार पर विचार करती है।

आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक के वितरण में अनाचार के बारे में जांच

*112. **श्री रवि राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आन्ध्र प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति के निष्कर्षों की दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश के उर्वरक के वितरण में गम्भीर कुप्रबन्ध और गड़बड़ी के सौदों के बारे में जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता ली है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कब भेजा गया था और इसके जांच कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां, 1966-69 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा वापस मांगे गये वहन खर्च के दावों के सम्बन्ध में पूर्णतया जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कहा गया है।

(ख) 23-6-70 को औपचारिक रूप से केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक शिकायत दायर की गई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रिपोर्ट दी है कि सम्बद्ध रिकार्ड कब्जे में कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

(ग) इस समय, जांच के निष्कर्ष की सम्भावित तिथि के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

गोआ के लिये युवक रेडियो स्टेशन

*113. **श्री मणि भाई जे० पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोआ में एक युवक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह स्टेशन कब तक स्थापित हो जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) से (ग). युववाणी को आकाशवाणी के पणजी केन्द्र से चालू करने का प्रस्ताव है।

मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र पुनः चालू किया जाना

*114. **श्री क० लकप्पा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को व्यक्तियों, संस्थाओं और मैसूर सरकार से मैसूर नगर में पुनः आकाशवाणी केन्द्र चालू करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बंगलौर स्थित आकाशवाणी केन्द्र के प्रसारण मैसूर नगर और अन्य निकटस्थ स्थानों पर नहीं सुने जा सकते ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र पुनः चालू करने की सरकार की कोई योजना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). जी, नहीं। तथापि, मैसूर में सहायक स्टूडियो जो बंगलौर केन्द्र से जोड़े जाएंगे, स्थापित करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

शिक्षा प्रयोजनों के लिये टेलीविजन केन्द्र

*115. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के दो टेक्नोलोजिकल संस्थानों ने शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की अनुमति के लिये सरकार से आवेदन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस आवेदन पर विचार किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बदलना

*116. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बदलने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके सम्बन्ध में अन्य ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिये संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(ख) संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था मात्र होने के कारण इस समय परिषद् एक गैर-सांविधिक संगठन है। परिषद् के पुनर्गठन का निश्चय कर लिया गया है और इसके लिये परिषद् को सांविधिक स्तर प्रदान करना आवश्यक है। प्रस्तुत विधेयक में भूतपूर्व सरकारी अनुसंधान संस्थानों के कर्मचारियों के इस सांविधिक निकाय में स्थानान्तरण तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक रूप से उठाये जाने वाले प्रासंगिक अथवा तत्सम्बन्धी कदमों की भी व्यवस्था होगी।

दिल्ली में गलत टेलीफोन-कालों के विरुद्ध शिकायतें

*117. **श्री मनुभाई पटेल** :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली तथा अन्य नगरों में लगाये गये विभिन्न

टेलीफोनों में गलत नम्बर वाली कालों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा टेलीफोन प्रभोक्ताओं को ठीक नम्बर डायल करने पर भी गलत नम्बर मिल जाने के लिये अदायगी करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन व्यवस्था में इन गम्भीर दोषों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इसमें कब तक सुधार हो जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं । गलत नम्बर वाली कालों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है । मीटर पर सभी कालों की गणना स्वचल प्रणाली से होती है । यदि लगातार गलत नम्बर मिलने के बारे में शिकायत मिले तो मीटर या उपस्कर में खराबी पाये जाने पर समुचित छूट दी जाती है ।

(ख) टेलीफोन व्यवस्था में कोई गंभीर दोष नहीं है । 2000 कालों के पीछे गलत कालों की औसत संख्या 1 से कम है । इसे और भी कम करने के लिये लगातार प्रयत्न किये जाते हैं ।

चुम्बन के दृश्यों वाले चलचित्रों के बारे में राज्यों का अभ्यावेदन

*118. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने चुम्बन के दृश्यों वाले चलचित्रों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). फिल्म सेन्सर सम्बन्धी जांच समिति की रिपोर्ट पर अपने विचार सूचित करते हुये आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने फिल्मों में चुम्बन चित्रित करने वाले दृश्यों का विरोध किया है ।

फिल्म सेन्सर के समूचे प्रश्न पर फिल्म सेन्सर सम्बन्धी जांच समिति द्वारा विचार किया गया है। समिति की रिपोर्ट सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

टेलीविजन उत्पादन के लिये संयुक्त राष्ट्र से सहायता

*119. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में टेलीविजन उत्पादन तथा स्टूडियो तकनीकी कार्य प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत की सहायता करने का निर्णय किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी सहायता प्राप्त होगी ; और

(ग) इस परियोजना में सरकार का क्या योगदान होगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) 1,147,000 डालर ।

(ग) 85,95,000 रुपये ।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*120. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सभी पहलुओं का अध्ययन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में संसद में एक विधेयक के पेश किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब-शिन्दे) : (क) से (ग). सरकार ने राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में देश में चीनी उद्योग के कार्य का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

कपास की फसल पर विमानों द्वारा कीटनाशक औषधियां छिड़कने के लिये पंजाब सरकार को दी जाने वाली राज सहायता में कमी

601. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कपास की फसल पर विमानों द्वारा कीट-नाशक औषधियां छिड़कने के लिये पंजाब सरकार को दी जाने वाली राज सहायता को 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब-शिन्दे) : (क) कपास की फसल पर हवाई छिड़काव के प्रचालन प्रभार के रूप में 1968-69 तक सभी राज्यों को 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती थी । यह सहायता, वर्ष 1969-70 के दौरान पंजाब सहित सभी राज्यों को, घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई । वर्ष 1970-71 के दौरान भी सहायता की दर 25 प्रतिशत जारी रही ।

(ख) भारत सरकार की सामान्य नीति धीरे-धीरे सहायता को समाप्त करना है । जब किसान कीटनाशी औषधियों के हवाई छिड़काव के आर्थिक लाभ को समझेंगे तो वे इसके लिये खर्चा देंगे । इस आदान की अधिक लागत की प्रतिपूर्ति अधिक उत्पादन से हो जाती है ।

चीनी की सप्लाई के लिये श्रीलंका सरकार का निवेदन

602. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री बेधर बेहेरा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने अपने आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिये भारत सरकार से लगभग 10,000 टन चीनी की तुरन्त सप्लाई के लिये निवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या यह सौदा आस्थगित ऋण के रूप में होगा अथवा वस्तु विनिमय के रूप में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब-शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकार एक वर्ष के आस्थगित भुगतान के आधार पर श्रीलंका सरकार को 10,000 मीटरी टन सफेद चीनी सप्लाई करने हेतु सहमत हुई है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, डिस्पेंसरी पहाड़गंज, नई दिल्ली के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

603. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम, डिस्पेंसरी, पहाड़गंज, नई दिल्ली के डाक्टरों के विरुद्ध गत चार महीनों में कोई शिकायत मिली है कि उन्होंने रोगियों को देखने पर जाने से इन्कार किया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें मिलीथीं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत दिल्ली में डाक्टरी-देख रेख का प्रबन्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है जिसने निम्नलिखित सूचना भेजी है :

(क) जी, हां ।

(ख) एक ।

(ग) इस मामले की जांच की गई है और यह पता चला है कि रोगी को घर पर जा कर देखने की न तो आवश्यकता थी और न ही यह सम्भव था ।

चीनी के स्टाक का जमा होना

604. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू मौसम में चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण चीनी उद्योग के साथ स्टाक के जमा हो जाने की समस्या पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो यह स्टाक कितनी मात्रा में जमा हो गया है तथा इसका मूल्य क्या है और क्या इस प्रकार माल के जमा होने को रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है;

(ग) तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यवार कितनी गैर-सरकारी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(घ) राष्ट्रीयकरण की योजना की प्रमुख बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख). जी हां। क्योंकि चीनी एक मौसमी उद्योग है इसलिए पिराई मौसम के दौरान तथा उसके अन्त में चीनो के स्टाक का जमा हो जाना, इसके कार्यचालन की एक सामान्य बात है। तथापि, इस वर्ष चीनी का बहुत अधिक उत्पादन होने के कारण, उद्योग के पास गत वर्ष की अपेक्षा अधिक स्टाक है। 15 जुलाई, 1970 को कारखानों के पास लगभग 360 करोड़ रुपये की कीमत का 28. 71 लाख मीटरी टन चीनो का प्रत्यक्ष स्टाक था। इसमें से 7.85 लाख मीटरी टन चीनी कारखानों को विक्रय के लिए दी गई थी और लगभग 260 करोड़ रुपये की कीमत का 20.86 लाख मीटरी टन अनिर्मुक्त स्टाक पड़ा है।

राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे जहां कहीं भी आवश्यक हो, चीनी की मात्रा में वृद्धि कर दें और उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें चीनी का कोटा आंवटित किया जा रहा है। चीनी की खुलो बिक्री पर लगे अन्तर्राज्यीय संचलन सम्बन्धी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। चीनी की यथा सम्भव मात्रा का निर्यात करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). सम्भवतया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की ओर संकेत किया गया है। केन्द्रीय सरकार को अभी तक समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और वह अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अन्दमान द्वीप समूह के लिये चौथी योजना के अन्तर्गत घोंघा नियन्त्रण परियोजना

605. **श्री बाबूराव पटेल** . क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से अन्दमान द्वीप समूह में विशाल पूर्वी अफ्रीकी घोंघे पपीते, केले, रबड़ तथा सुपारी के बगानों को नष्ट कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 के दौरान उत्पादकों को किस प्रकार की और कितनी क्षति हुई;

(ग) चौथी योजना में घोंघा नियन्त्रण परियोजना के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया है;

(घ) पोर्ट ब्लेयर स्थित कीट-विज्ञान उपकेन्द्र में जीव नियन्त्रण कार्य पर कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने घोघों का निर्यात करने के लिये कोई योजना बनाई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां, वे सब्जियां और फूलों के पौधों को हानि भी पहुंचाते हैं।

(ख) यह कीट अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ क्षेत्र में काफी अधिक हैं। घोंघा बसे हुए सब द्वीपों में मौजूद हैं। फिर भी इस कीट द्वारा हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए किसी भी द्वीप समूह में कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बताया गया है कि वर्षा के मौसम में इस कीट द्वारा बड़ी हानि हुई है।

(ग) घोंघा नियन्त्रण के लिये कोई पृथक रकम निर्धारित नहीं की गई है। बनस्पति रक्षा कार्यों के लिये चौथी योजना में 4.29 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और यह कार्य 5,000 एकड़ क्षेत्र में किया जायेगा। इससे विशाल अफ्रीकी भूमि घोंघे के आतंकों से मुक्त हो जायेगा।

(घ) इस समय हाडो हार्टिकल्चर गार्डन, अनुसंधान उप-केन्द्र में एक वरिष्ठ तकनीकी सहायक कार्य कर रहा है। एक कनिष्ट कोट विज्ञानी और एक वरिष्ठ तकनीकी सहायक की नियुक्ति के लिये व्यवस्था की गई है। आशा है इन पदों को शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा।

(ङ) सरकार घोंघे के निर्यात की सम्भावनाओं की खोज कर रही है परन्तु अभी तक किसी पक्के प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

जंगली ढोरों को पकड़ने की योजना

606. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगली ढोरों को पकड़ने की किसी योजना पर कार्य हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्तरी क्षेत्रों में ऐसे कितने ढोर प्राप्त किये गये और दक्षिणी राज्यों में भेजे गये; और

(ग) इस योजना पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) योजना के प्रारम्भ से 31 मार्च, 1970 तक उत्तरी राज्यों से कुल 23,962 लावारिस आवारा उत्पादक पशु प्राप्त हुए थे जो विभिन्न राज्यों को वितरित कर दिये गये थे। इनमें से 6,843 पशु दक्षिणी राज्यों के पशुपालकों में वितरित किये गये।

(ग) मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने राज्य क्षेत्र गतिविधियों के रूप में ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। केन्द्रीय दलों ने महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को इन राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की है।

रोजगार कार्यालयों द्वारा विकलांगों को काम देना

607. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांगों के लिये रोजगार कार्यालय द्वारा कितने विकलांग/अशक्त आवेदकों को कार्य दिया गया; और

(ख) चौथी योजना में विकलांगों के लिये कितने अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) विकलांगों के लिये विशेष नियोजन कार्यालयों द्वारा 31 मार्च, 1970 तक 7024 विकलांगों (जिनमें अंधे, बहरे और अशक्त वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं) को नियुक्ति सहायता दिलाई गई।

(ख) भारत सरकार का चौथी योजना में अशक्त लोगों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा अंधों, बहरों और विकलांग लोगों के लिए पहले से ही चलायी जा रहा संस्थाओं को भी राष्ट्रीय केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है चौथी योजना में विकलांगों के लिए विशेष नियोजन कार्यालय स्थापित करना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

डाक तथा तार विभाग, बरौनी, बगूसराय, मोहाना तथा हाथीडाह के कर्मचारियों को परियोजना भत्ते का दिया जाना

608. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों तथा मजदूरों को 11 अप्रैल, 1967 से परियोजना भत्ता मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बरौनी, बेगुसराय, मोहाना तथा हाथीडाह में कार्य कर रहे डाक तथा तार विभाग कर्मचारियों को उक्त भत्ता नहीं मिल रहा है जबकि ये बरौनी के 20 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर कार्य कर रहे हैं तथा नियमों के अन्तर्गत जो देय है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाथीडाह आदि में कार्य कर रहे डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों ने इस बारे में 18 अप्रैल, 1969 को एक अभ्यावेदन किया था, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का उपरोक्त स्थान पर कार्य कर रहे डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को किस तिथि से परियोजना भत्ते का भुगतान आरम्भ करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) हाथीडाह में काम कर रहे डाक-तार कर्मचारियों ने इस बारे में एक अभ्यावेदन किया है और यह मामला विचाराधीन है।

(घ) इस प्रश्न की भी जांच की जा रही है।

राज्य सरकारों द्वारा चीनी मिलों, बागान आदि का राष्ट्रीयकरण

609. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि वे चीनी मिलों, बागान आदि का स्वतन्त्र रूप से राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती ; और

(ख) इस बारे में संवैधानिक स्थिति क्या है और क्या इस दिशा में कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों के मार्ग में कोई कानूनी रुकावट है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को सलाह दी गई है कि संसद तथा राज्य विधान सभा चीनी प्रतिष्ठानों का अधिग्रहण करने के बारे में कानून बनाने के लिये सक्षम है, बशर्ते कि ऐसा कानून संविधान के सम्बन्धित अनुच्छेदों की आवश्यकताओं को पूरा करना हो और राज्य विधान सभा द्वारा पारित कानून के मामले में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने का अनुबन्ध है। इस समस्या के अखिल भारतीय स्वरूप के होने और इसकी जटिलताओं को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में इसके कार्यचालन का गहराई से अध्ययन करने के लिये एक समिति स्थापित करने का निश्चय किया है ।

मैसर्ज बासुमती (प्राइवेट) लिमिटेड कलकत्ता के, मामलों की जांच

610. **श्री भगवान दास** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कलकत्ता के मैसर्ज बासुमती (प्राइवेट) लिमिटेड के मामलों की जांच करना कब आरम्भ किया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस जांच के पूरा होने में किन कारणों से विलम्ब हो रहा है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 7 मई, 1968 को ।

(ख) मामले में क्षेत्र जांच पूरी हो चुकी है । दो विशेषज्ञों की राय अभी प्राप्त होनी है ।

(ग) यह एक जटिल और कठिन मामला है और इसमें बहुत से दस्तावेजों तथा गवाहों की जांच निहित है ।

चीनी का उत्पादन

611. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू सीजन में चीनी का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा और इसमें से कितनी चीनी फालतू होगी ;

(ख) ऐसे पूर्वाविशिष्ट भण्डारों पर कितना ब्याज होगा और क्या इसे अगले वर्ष के मूल्यों में नहीं जोड़ा जायगा जिसे उपभोक्ता देंगे ;

(ग) सरकार ने चीनी की मिठाई के उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या किया है ;

(घ) सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के वर्तमान औसत मूल्य क्या हैं, और इन परिस्थितियों में खुले बाजार की चीनी पर अधिक कर लगाना कहां तक उचित है ; और

(ङ) क्या सरकार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में चीनी का प्रयोग करने वाले स्कूलों को बेची जाने वाली चीनी पर थोड़ी सी छूट देगी तथा गर्भवती माताओं और अस्पताल में रोगियों को डाक्टरों द्वारा दी गई पर्चियों के आधार पर इस प्रकार की छूट दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1969-70 के दौरान 22 जुलाई, 1970 तक चीनी का उत्पादन 42.16 लाख मीटरी टन हुआ था। सारे मौसम में कुल उत्पादन 43.00 लाख मीटरी टन के आस-पास हो सकता है। मौसम के अन्त में लगभग 19 लाख मीटरी टन चीनी के बच जाने की आशा है।

(ख) चीनी उद्योग में स्टाक का बच जाना सामान्य बात है। लेवी-चीनी के मूल्य में सामान्य बचे स्टाक पर ब्याज प्रभार पहले ही सम्मिलित होता है। बहुत अधिक मात्रा में बचे स्टाक को देखते हुए चीनी का बफर स्टाक तैयार करने का विचार है और इस योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) सरकार ने पहली मार्च, 1969 से मिठाई पर उत्पादन शुल्क 800 रुपये से घटा कर 300 रुपये प्रति मीटरी टन कर दिया था। सरकार मिठाई निर्माताओं को मिठाई निर्यात के लिये निर्धारित मूल्यों पर लेवी चीनी भी आवंटित करती है। इसके अलावा, ऐसे निर्यातों के लिए 17 प्रतिशत जहाज तक निष्प्रभार नकद सहायता भी दी जाती है।

(घ) महत्वपूर्ण मंडियों में खुली बाजार की चीनी का चालू औसत थोक मूल्य 170.00 रुपये से 183.00 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है जबकि लेवी चीनी का औसत थोक मूल्य 154.50 से 177.00 रुपये प्रति क्विंटल है। घरेलू उपभोक्ताओं के हित में लेवी चीनी पर उत्पादन शुल्क की कम दर लागू की गई है। खुले बाजार की बिक्री की चीनी पर अधिक शुल्क का भार राजस्व विषयक उपाय है।

(ङ) स्कूलों तथा अस्पतालों को सहायता प्राप्त दरों पर चीनी सप्लाई के प्रश्न पर मुख्यतः राज्य सरकारों को विचार करना होता है। इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली चीनी पर कर में कटौती करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, ऐसे मामलों में प्रस्तावित शुल्क की माफी या कटौती करना मुश्किल होगा।

Recommendation of High Power Committee on LAC Industry

612. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) which of the recommendations of the High Power Committee appointed by the Ministry of Food and Agriculture with a view to obviating the difficulties experienced by the producers and factories and which were under the consideration of the Government have been implemented so far and the action being taken to implement the remaining recommendations ;

(b) the names of the places where Government propose to set up lac factories in order to make the best use of lac ;

(c) the recommendations made by the Lac Research Institute and the number of lac farms in India at present ; and

(d) whether Government propose to nationalise the Lac Industry and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) The High Power Committee which was appointed by the Ministry of Foreign Trade and not by the Ministry of Food and Agriculture recommended at its meeting held on 7. 11. 69 that there should be cooperative organisation for proper collection and marketing of lac and that this organisation should be strong enough to compete with the middlemen and the traders. That recommendation is under the consideration of the Government.

(b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(c) No recommendations have been made by the Lac Research Institute. Information regarding the number of lac firms is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(d) There is no such proposal under consideration of the Government for the time being.

Wheat exported by Punjab Government

613. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have examined the news published in the newspaper 'Pratap' of 17th May, 1970 to the effect that in 1968 Punjab had booked wheat of the value of Rs. 4 crores for various countries by Railway wagons, which have not reached those places so far;

(b) whether it is also a fact that the wheat had been sent to Nepal, Pakistan, Tibet and other countries through the borders of Bengal, Maharashtra and other States;

(c) if so, the action taken by the Government in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) The news item referred to is not traceable in the issue of "Pratap" dated 17th May, 1970.

(b) to (d). Do not arise.

श्री लंका में रहने वाले भारत मूलक लोगों का भारत भेजा जाना

614. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत मूलक श्रीलंका निवासियों को वापस भारत भेजने के कार्य में शीघ्रता लाने की श्रीलंका सरकार की कार्यवाही के विषय पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रत्यावर्तित भारतीयों को बसाने आदि के लिये उचित प्रबन्ध कर लिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) श्रीलंका सरकार का सरकारी मत यही है कि भारतीय-मूल के लोगों के बारे में भारत श्रीलंका, करार, 1964 को वह अक्षरशः क्रियान्वित करेगी । इसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में भारत सरकार का भी ऐसा ही मत है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।**[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 3769/70]**

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

615. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री पी० विश्वम्भरन : **श्री रा० बरुआ :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों से शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में बराबर वृद्धि हो रही है ;

(ख) 1965 तथा 1970 के बीच शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इनके कारणों का कोई अनुमान लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बढ़ रही बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार की कोई रचनात्मक योजनायें हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी केवल नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज शिक्षित (मैट्रिक उत्तीर्ण और अधिक) नौकरी चाहने वालों की संख्या से सम्बन्धित है। यह संख्या 31-12-1965 को 8.42 लाख थी जो 31-12-1969 में बढ़कर 15.26 लाख हो गई।

(घ) पश्चिम बंगाल व केन्द्र की चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग सिंचाई व बिजली, परिवहन व संचार और शिक्षा स्वास्थ्य व परिवार नियोजन और समाज कल्याण जैसी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा (शिक्षितों समेत) बेरोजगारों के लिए अधिकाधिक नियुक्ति अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है। कुछ विशेष श्रेणी के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों जैसे इन्जीनियरों व तकनीशियनों आदि में फैली बेरोजगारी की स्थिति का सामना करने के लिए विशेष उपाय आरम्भ कर दिये गये हैं।

हरिजनों और अनुसूचित आदिम जातियों को फालतू भूमि का वितरण

616. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा हरिजनों और अनुसूचित जन-जातियों को फालतू भूमि का वितरण करने में हुई प्रगति के बारे में जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों में भूमि वितरित करने के सम्बन्ध में की गई प्रगति के विषय में अनुसूचित जातियों तथा अनु-

सूचित जन-जातियों के आयुक्त पूछताछ करते रहते हैं। आयुक्त द्वारा 31 दिसम्बर, 1969 को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में बताया गया है कि अनुसूचित जातियों को कुल आवंटित भूमि का 30.21 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जातियों को 12.86 प्रतिशत भाग दिया गया है। कृषि जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के उपरान्त उपलब्ध अधिशेष भूमि का पृथक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

बागान श्रमिकों के लिये शिक्षा और चिकित्सा सुविधायें

617. **श्री विश्वनाथ मनन :**
श्री गणेश घोष :
श्री के० रमानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति की निकट भविष्य में दिल्ली में होने वाली बैठक बागान श्रमिकों को इस समय उपलब्ध चिकित्सा और शिक्षा सम्बन्धी बहुत ही कम सुविधाओं की समस्याओं पर विचार किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो बागान श्रम अधिनियम के उपबन्धों को इस सम्बन्ध में कहां तक लागू किया गया है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि बागानों के मालिक उक्त अधिनियम के उपबन्धों को पूर्णतः लागू करें ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के तेरहवें सत्र में, जिसकी बैठक दिल्ली में 10 जुलाई, 1970 को हुई, अन्य बातों के साथ-साथ बागान श्रमिकों तथा बागानों में चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ख) यह आयोग की रिपोर्ट के पैरा 11.11 में बताया गया है।

(ग) बागान श्रमिक अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और यह आशा की जाती है कि वे बागान औद्योगिक समिति द्वारा स्वीकृत आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में इस मामले में समुचित कार्यवाही करेंगे।

Committee on unemployment and under-employment

619. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri K. Ramani :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Dr. Sushila Nayar :
Shri Yamuna Prasad Mandal :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Sharda Nand :
Shri S. M. Krishna :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri Janeshwar Mishra :
Shri Hem Barua :
Shri R. K. Birla :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the extent to which unemployment and under-employment is prevalent in India at present;

(b) whether it is a fact that Government propose to appoint a Committee to ascertain the factual position ; and

(c) if so, the scope of the Committee and the time limit for presentation of the report ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya): (a) Precise information is not available.

(b) and (c). The Government has decided to set up an Expert Committee, which will include some Members of Parliament, to assess the extent of unemployment in all its aspects and to suggest suitable remedial measures.

The Committee will be required to present its report within one year's period.

Starvation deaths in Purulia and Bankura Districts of West Bengal

620. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri J. M. Biswas :
Shri J. Mohammed Imam :
Dr. Ranen Sen :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri D. N. Patodia :
Shri Sharda Nand :
Shri N. K. Somani :
Shri K. Halder :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri K. M. Koushik :
Shri R. K. Amin :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement of Food and Agriculture Adviser to the Governor of West Bengal Shri Kidwai, published in the 'Hindustan' dated the 22nd May, 1970 that ten persons died of starvation in West Bengal ;

(b) whether it is also a fact that a large number of people have been affected by drought in Purulia and Bankura districts of West Bengal ; and

(c) the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Government have seen the press report in question. It is understood that the Food and Agriculture Adviser to the Governor of West Bengal had merely said, in reply to the query of some correspondent who had met him at the time, that an allegation that ten persons had died of starvation in Purulia had been received, but that this was to be checked up.

(b) and (c). Inadequate and untimely rains last year had caused drought conditions, crop failures and crop disease in some districts of West Bengal, Bankura and Purulia districts being the worst affected areas. The State Government have taken necessary relief measures, like opening of relief works, grant of gratuitous relief, increasing the issue of foodgrains through the ration shops, free feeding programmes, digging and desilting of wells and grant of loans.

A sum of Rs. 50 lakhs has also been sanctioned by the Central Government (in May 1970) in order to keep the State Government in funds for the execution of relief measures.

Recovery of 40 maunds of copper wire from a person of Shahjahanpur

621. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that copper wires weighing nearly 40 maunds were recovered

from a person in Shahjahanpur during the months of May and June, 1970 ;

(b) whether the wires belonged to the P. and T. Department and the value thereof ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) About 400 Kg. (10 Maunds–30 Seers) of Copper Wire was recovered in Shahjahanpur on 27–5–70.

(b) This is under verification. Value is about Rs. 5000/-.

(c) Five. Case under investigation.

जम्मू तथा काश्मीर को दी गई खाद्य राजसहायता की राशि

622. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को खाद्य राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) इसका आधार तथा उद्देश्य क्या था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब-शिन्दे) : (क) राज्य सरकार को इस प्रकार की कोई राजसहायता नहीं दी जाती है । तथापि, केन्द्रीय स्टाक से दिये जाने वाले खाद्यान्नों के निर्धारित निर्गम मूल्यों में कुछ खाद्यान्नों के बारे में राजसहायता का एक अंश शामिल रहता है । ये निर्गम मूल्य सभी राज्यों पर लागू होते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वेतन आयोग द्वारा आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

623. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री बेधर बेहेरा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नियुक्त किया गया वेतन आयोग स्टाफ आर्टिस्टों के वेतनमान आदि पर भी विचार करेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). मामला अभी विचाराधीन है ।

बांका, भागलपुर में डाकघर के लिये नई इमारत का निर्माण

624. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांका, जिला भागलपुर के डाकघर के कार्य में कई गुना हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या उसके लिये एक नई इमारत बनाने का पक्का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय कब किया गया था और निर्माण में विलंब क्यों किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). बांका में डाकघर की मौजूदा इमारत को फिर से बनाने का निश्चय किया गया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके नक्शे और तखमीने तैयार होते ही काम की मंजूरी दी जायेगी और काम हाथ में ले लिया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रशासनिक विफलताओं के परिणामस्वरूप होने वाले औद्योगिक झगड़े

625. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल अधिकांश औद्योगिक झगड़े प्रशासनिक विफलताओं के कारण होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ; और

(ग) इससे अब तक कितनी सफलता मिली है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिमी बंगाल के राय चौक नामक स्थान पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण

626. **श्री जि० मो० बिस्वास** : **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री कं० हाल्दर : **श्री अदिचन** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 2 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 758 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के राय चौक नामक स्थान पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का बन्दरगाह बनाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर अनुमानत: कितना खर्च आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब-शिन्दे) : (क) राय चौक में मछली पकड़ने के बन्दरगाह के लिये अप्रैल, 1970 में एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ख) इस परियोजना में पांच बांधों सहित एक नदी जेटी की व्यवस्था की गई है, जो माल

लादने तथा उतारने, रख-रखाव एवं सम्बन्धित समुद्र तट की सुविधाओं सहित 120 फुट तक की लम्बाई वाले 15 ट्रौलरों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है।

(ग) बन्दरगाह के प्रथम अवस्था विकास के लिये 180.00 लाख रुपये।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन का प्रस्ताव

627. **श्री जि० मो० बिस्वास :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री जनार्दनन : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन के लिये कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं और उन्हें नियोजकों के तथा श्रमिकों के संगठनों तथा राज्य सरकारों में उनकी राय जानने के लिए परिचालित किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन के कुछ प्रस्ताव संलग्न विवरण में दिये गये हैं और उन्हें राय जानने के लिए परिचालित किया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 3770/70]

गहरे समुद्र में मछली वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए बंगाल की खाड़ी का सर्वेक्षण

628. **श्री जि० मो० बिस्वास :** **डा० रानेन सेन :**
श्री जनार्दनन : **श्री कं० हाल्दर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए बंगाल की खाड़ी का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पूर्वी क्षेत्र में गहरे समुद्र से मछली से संबंधित विकास-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) बंगाल की खाड़ी में समन्वेषी मछली पकड़ने का कार्य विशाखापटनम् और तूतिकोरीन के केन्द्रों से एक सीमित हद तक पहले से ही आरम्भ कर दिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मद्रास, प्रदीप, कलकत्ता और पोर्ट ब्लैयर में अतिरिक्त केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) भारत सरकार के सर्वेक्षण फ्लीट को 57 फुट वाले अतिरिक्त पोतों से, जिनका देश में ही निर्माण किया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है। पूर्वी जर्मनी से हाल ही में एक 105 फुट वाला पोत आयात किया गया है। यह भी प्रस्ताव है कि एक 73 फुट वाले और एक 160

फुट वाले पोत का निर्माण किया जाये। इसके अतिरिक्त गहरे समुद्र के संसाधनों के सघन समन्वेषी सर्वेक्षण के लिये पूर्वी तट के साथ और फ्लीट का कुछ भाग रखा जायेगा। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में संसाधनों के सर्वेक्षण के लिये 105 फुटवाले पोत का प्रयोग किया जायेगा। तामिल नाडु सरकार के लिये देश में बनाये जाने वाले 57 फीट लम्बे 4 पोतों को लगाकर समन्वेषी सर्वेक्षण को और भी मजबूत किया जायेगा।

(ग) कुछेक उपलब्ध पोतों की सहायता से विशाखापटनम् और तूतिकोरीन के केन्द्रों से पूर्वी तट के साथ 25 फैदम लाइन तक तट से दूर जलों का सर्वेक्षण किया गया है। कुड्डेलोर, एन्नोर, काकिनाडा, पुरी और चांदबली के समीप अत्यधिक क्षमता वाले मात्स्यकी संसाधनों का पता चला है। पूर्वी तट के तटीय जलों के साथ 36 फुट लम्बी यंत्रीकृत नौकाएं कार्य कर रही हैं। तामिल नाडु तट से दूर गहरे समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिये हाल ही में एक प्राइवेट फर्म को 65 फुट लम्बे दो मछली पकड़ने वाले ट्रालर्स आयात करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। प्रशीतन और शीत भंडारण की सुविधायें मद्रास में स्थापित कर दी गई हैं और श्रिम्प के निर्यात व्यापार को विकसित करने की दृष्टि से तूतिकोरिन में एक प्रशीतन प्लान्ट निर्माणाधीन है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले उपक्रमियों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने देश में बने हुये पोतों को, आयातित पोतों की 27 प्रतिशत तदनुरूपी कीमतों तक सरकारी सहायता देने की एक योजना चालू की है। पूर्वी तट से दूर संसाधनों के और अधिक समन्वेषी सर्वेक्षण के सम्बन्ध में आशा है कि इस योजना से पूर्वी और पश्चिमी तट के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा।

पश्चिम बंगाल की चावल के अतिरिक्त कोटे की मांग

629. **श्री जि० मो० बिस्वास :** **श्री कं० हाल्दर :**
डा० रानेन सेन : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के सूखे के कारण खाद्यान्नों की हानि को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी बंगाल प्रशासन ने चावल की अतिरिक्त मात्रा दिये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त मात्रा की मांग की गई है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) . अमन की कथित कम पैदावार और राज्य में चल रही सूखे की स्थिति को देखते हुए पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय पूल से 1970 के लिए अपने चावल के कोटे को 1.5 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 2.76 लाख मीटरी टन कर देने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने खुले बाजार में देने के लिए 43,000 मीटरी टन चावल मांगा था।

(ग) भारत सरकार ने राज्य का चावल का कोटा बढ़ाकर 2.0 लाख मीटरी टन कर दिया है और बाद में और बढ़ोतरी करने के लिए विचार करना मान लिया है। भारत सरकार खुले बाजार में सरकारी चावल देने के लिये सहमत नहीं हुई है।

पुनर्वास कार्य संबंधी पुनरीक्षण समिति का सुझाव

630. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
डा० रानेन सेन :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री शारदा नन्द :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास कार्य सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति ने यह सुझाव दिया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार की तथा उसके द्वारा अधिगृहीत की गई भू-सम्पत्ति पर रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को पुनर्वास पर सरकार को 79.41 लाख रुपये खर्च करने चाहिये;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सुझाव स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सुझाव के क्रियान्वयन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति ने अपनी चतुर्थ रिपोर्ट 29 मई, 1970 को प्रस्तुत की थी जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से आये लगभग 1,700 विस्थापित परिवारों के लिये, जो कि पश्चिम बंगाल में सरकारी तथा अधिग्रहीत सम्पत्तियों पर बैठे हुए हैं, आवास के लिये प्लाटों और गृह निर्माण ऋणों के लिये 79.41 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता की सिफारिश की है।

रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

रेलवे कुलियों तथा विक्रेताओं के राष्ट्रीय संगठन द्वारा ज्ञापन

631. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कुलियों और विक्रेताओं के राष्ट्रीय संगठन ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि आनन्दन समिति की रेलवे कुलियों से सम्बंधित सिफारिश को तुरन्त कार्यान्वित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) और (ख). रेलवे कुलियों और विक्रेताओं के राष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष, श्री शीलभद्र याजी से 25 अप्रैल, 1970 का पत्र प्राप्त हुआ था और उसका उत्तर 7 मई, 1970 को दे दिया गया था। उक्त पत्र में रेलवे के लाइसेंस-धारी कुलियों एवं कमीशन विक्रेताओं के अध्ययन दल द्वारा की गई तीन सिफारिशों अर्थात् (i) लाइसेंसधारी कुली तथा विक्रेता यूनियन की मान्यता ; (ii) द्विपक्षीय समिति की नियुक्ति और (iii) शिकायत प्रक्रिया निरूपण के बारे में विशेष हवाला दिया गया था। इन तीन सिफारिशों में

से, दो (एक द्विपक्षीय समिति की नियुक्त के सम्बन्ध में तथा दूसरी शिकायत प्रक्रिया के निरूपण के बारे में) रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। उन्होंने इस मामले में अपने जनरल मैनेजरों को आवश्यक अनुदेश भी जारी कर दिये हैं।

2- अध्ययन दल ने 89 सिफारिशें की थीं, इनमें से 43 सिफारिशें पहले ही पूर्णत: स्वीकार की जा चुकी हैं। अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का आगमन

632. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री सीताराम केसरी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री गणेश घोष :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० रानेन सेन :
श्री जि० भ० सिंह :
श्री रवि राय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मणि भाई जे० पटेल :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री हेम बरुआ :
श्री जे० वेंकटस्वामी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री शारदा नन्द :
श्री ई० के० नायनार :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री ओंकार सिंह :
श्री कं० हाल्दर :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री बलराज मधोक :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सरदार अमजद अली
श्री वि० कु० मोडक :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री भगवान दास :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री हेम राज :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री अब्दुलगनी दार :
श्री समर गुह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का पश्चिम बंगाल तथा साथ के भारतीय क्षेत्रों में अचानक आगमन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में पश्चिम बंगाल तथा साथ के अन्य भारतीय क्षेत्रों में कितने शरणार्थी आये हैं ; और

(ग) उन्हें पुनः बसाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, इस कार्य के लिये कितना धन नियत किया गया है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल, 1970 से जून, 1970 तक के पिछले तीन महीनों के अन्तर्गत 1,05,125 व्यक्ति पश्चिम बंगाल तथा अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में आये । इनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) चूंकि पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के सीमावर्ती राज्यों की क्षमता पहले ही अन्तिम सीमा तक पहुंच चुकी है, इसलिये यह निश्चय किया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान से नये प्रवाह के इन नये प्रवासियों को सीमावर्ती राज्यों से बाहर के स्थानों को या तो सीधा पुनर्वास स्थलों को या पुनर्वास से पहले राहत शिविरों में-भेज दिया जाये ।

चूंकि अधिकांश प्रवासी कृषक हैं इस लिये उन्हें उस सीमा तक भूमि पर बसाया जायेगा जिस तक कि विभिन्न राज्यों द्वारा भूमि उपलब्ध की जायगी ; राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में पहले ही कहा जा चुका है और उनकी अन्तिम प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है । तथापि, भूमि की दुर्लभता के तथ्य को ध्यान में रखते हुये, सभी कृषक परिवारों को भूमि पर बसाना संभव नहीं होगा और इस लिये राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि कृषक प्रवासियों को अन्य गैर-कृषक प्रवासी परिवारों के साथ ही लघु तथा मध्यम उद्योगों में पुनर्व्यवस्थापन देने के लिये प्रस्ताव तैयार करें । इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान की जायेंगी जोकि इनके पुनर्वास में सहायक होंगी ।

विवरण

अप्रैल, 1970 से जून, 1970 के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल तथा अन्य पड़ोसी भारतीय क्षेत्रों में आने वाले नये प्रवासियों का अभिनव प्रवाह ।

मास	पश्चिम बंगाल	आसाम	त्रिपुरा	योग
अप्रैल, 1970	17,896	1,263	402	19,561
मई, 1970	28,929	1,510	556	30,995
जून, 1970	53,207	783 (18-6-70 तक)	579	54,569
योग :	1,00,032	3,556	1,537	1,05,125

मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए कलकत्ता बन्दरगाह के नौका कर्मचारियों की हड़ताल

633. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह में काम करने वाले 15000 नौका कर्मचारियों ने इस मांग के समर्थन में काम करना बन्द कर दिया है कि उन्हें बन्दरगाह तथा गोदी कर्मचारियों से सम्बद्ध केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजूरी दी जाय ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के मामले को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) 25 जुलाई, 1970 को नई दिल्ली में हुए वार्तालाप के फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो गया जिसके अन्तर्गत नौका कर्मचारियों को 27 जुलाई, 1970 से कार्य आरम्भ करना है।

राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके विद्यार्थियों के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की सहायता की योजना

634. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिभापूर्ण छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजनायें बनाई है ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने ऐसी भी कोई योजनायें बनाई हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो परिषद् की उक्त योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) कृषि और पशु विज्ञान विषयों के उच्चतर अध्ययनों के लिए निपुण विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए परिषद् निम्न दो योजनायें चला रही हैं :

(1) स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को अध्ययन/अनुसन्धान के लिये शिक्षा-वृत्तियां प्रदान करने की योजना।

(2) स्नातक-पूर्व विद्यार्थियों को योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना।

स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये शिक्षावृत्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए चौथी योजना के दौरान शिक्षावृत्तियां प्रदान करने और डाक्ट्रेट-पश्चात् अनुसन्धान के लिए भी शिक्षावृत्तियां प्रदान करने की योजना में संशोधन कर दिया गया है। प्रदान की जाने वाली शिक्षावृत्तियों की वार्षिक संख्या निम्न प्रकार है :—

1.	एम० एससी०/एम० बी० एससी० के लिए कनिष्ठ शिक्षावृत्तियां—200 रुपये प्रतिमास की दर से	335 शिक्षावृत्तियां
2.	पीएच० डी० के लिए वरिष्ठ शिक्षावृत्तियां—300 रुपए प्रतिमास की दर से	155 शिक्षावृत्तियां
3.	पीएच० डी० के लिए वरिष्ठ शिक्षावृत्तियां—400 रुपए प्रतिमास की दर से	25 शिक्षावृत्तियां
4.	डाक्ट्रेट के पश्चात् केवल अनुसन्धान के लिए वरिष्ठ शिक्षावृत्तियां—500 रुपए प्रतिमास की दर से।	24 शिक्षावृत्तियां

विभिन्न कृषि और पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में अब तक प्रदान किए जा रहे कुल प्रवेश के 5 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत के आधार पर 100 रुपए प्रतिमास की दर से छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था के लिए चौथी योजना के दौरान योग्यता-एवं-साधन छात्र-वृत्तियां प्रदान करने की योजना में संशोधन किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत "कृषि/पशुचिकित्सा/कृषि इंजीनियरिंग/गृह विज्ञान में विज्ञान निपुणता खोज छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना" शीर्षक एक उप-योजना शामिल की गई है। एन० सी० ई० आर० टी० (शिक्षा एवं युवा सेवा मन्त्रालय) द्वारा बेसिक विज्ञान में राष्ट्रीय विज्ञान निपुणता खोज छात्रवृत्तियों के प्रतिमान के आधार पर यह योजना बनाई गई है और इसे चालू वित्तीय वर्ष से शुरू किया गया है। यह डाक्ट्रेट स्तर तक चुनिंदा उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। प्रारम्भ में, योजना 25 ऐसी छात्रवृत्तियां वार्षिक प्रदान करती है।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक कृषि विश्व-विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। परिषद् ने कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए "एक मार्गदर्शी अधिनियम" बनाया है और उसे राज्य सरकारों को मार्गदर्शन के लिए परिचारित कर दिया गया है। देश में "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास" की 21.25 करोड़ रुपये की कुल लागत की एक योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, चौथी योजना अवधि के दौरान, राज्य के लिए, प्रत्येक मद पर सीमित और कुल मिलाकर अधिक से अधिक 2.00 करोड़ रुपये तक चुनिंदा मदों पर शत-प्रतिशत के आधार पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि मंत्रियों का सम्मेलन

635. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : **श्री राम चरण :**
श्री रवि राय : **श्री हेम राज :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई 1970 के प्रथम सप्ताह में राज्यों के कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3771/70]**

Justification for continuance of Panchayat Samities

636. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :.

(a) the justification for continuing the institution of panchayat samities in the Community Development Blocks when the loans that were once being routed through them are now being routed through the cooperative Banks or Commercial Banks ; and

(b) whether these Panchayat Samities have not become a burden on the State Governments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. C. Jamir) : (a) and (b). The Panchayat Samities are entrusted with the developmental functions in all the States. They are made directly responsible for the implementation of the Community Development Programme. Besides, they are also charged with the preparation and implementation of developmental plans for the block/taluk. The Samities are vested with specific executive responsibilities in fields like primary education, health and sanitation and communications. They also exercise supervision over the Panchayats and have the right to scrutinise the budgets of the Panchayats. In some States, budget of the Gram Panchayats is approved by the Panchayat Samities.

The Panchayati Raj bodies were not set up as credit institutions. Increased availability of credit in rural areas is not going to come in the way of effective functioning of the Panchayati Raj bodies. In fact it is going to facilitate their development work specially in the sphere of production programmes.

Import of R. S. O.-P/14 Tractors from German Democratic Republic Instead of R. S. O. 9/2.

637. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether R. S. O.-P/14 tractors have been imported in place of R. S. O. 9/2 tractors from the German Democratic Republic and if so, the number thereof ; and

(b) whether it is a fact that the German Democratic Republic have declared R.S.O.P./14 as obsolete and sent them to India ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a). No, Sir. 2,000 numbers of RSO9/124 tractors have been imported from the German Democratic Republic. The tractor tested at the Tractor Training and Testing Station, Budni was fitted with a 2-cylinder air-cooled engine developing about 18 horse-power, styled 'RS-09-2' and the one imported is fitted with a 4-cylinder air-cooled engine developing a higher horse-power and other related changes styled 'RS-09/124'.

(b) We have no such information.

Persons registered with employment exchanges

638. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons who got themselves registered in Employment Exchanges upto March, 1970 ;

(b) whether keeping in view the number of unemployed persons, which has increased due to lack of new employment opportunities, Government propose to enhance the age limit for recruitment in Government service from 25 to 30 years ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a). 34,53,927 job-seekers were on the live register of Employment Exchanges as on 31. 3. 1970.

(b) and (c). A proposal to enhance the age limit for recruitment in the case of Engineers is under consideration.

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर की गई फिल्में

639. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान फिल्म सेंसर बोर्ड ने कितनी फिल्में सेंसर कीं ;

(ख) कितनी फिल्मों को 'यू' प्रमाणपत्र दिये गये ; और

(ग) कितनी फिल्मों को 'ए' प्रमाणपत्र दिये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 2,898

(ख) 2,779

(ग) 119

गन्ने की उत्पादन लागत तथा फैक्ट्री मूल्य में अंतर

640. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 30 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8041 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने के लिये 7.37 रुपये न्यूनतम मूल्य का क्या औचित्य है जबकि उत्पादन लागत 3.04 रुपये प्रति क्विंटल है ;

(ख) क्या सरकार ने विचार किया है कि इस अन्तर से गन्ने के अधिक उत्पादन को बढ़ावा मिला है जिससे अब बिना बिकी चीनी के अत्यधिक स्टाकों की समस्या खड़ी हो गई है ;

(ग) गेहूं और चावल की उत्पादन लागत (अखिल भारतीय) क्या है, न्यूनतम कानूनी मूल्य क्या है और जिन राज्यों में कानू . कीमतें नियत की गई हैं वहां दालों की तदनुरूप कीमतें क्या हैं ; और

(घ) क्या खाद्यान्न नीति समिति ने विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नें की उत्पादन लागत और कानूनी विक्रय मूल्य के अनुपातों को सम्बद्ध किया है और यदि हां, तो वे क्या हैं और क्या समिति ने अनुपातों में अन्तर की व्याख्या की है और इसे उत्पादन में उतार-चढ़ाव से जोड़ा है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जैसाकि उल्लिखित प्रश्न के उत्तर में दिया गया है, हरियाणा में उत्पादन-लागत 5.04 रुपये थी न कि 3.04 प्रति क्विंटल । गन्ने का न्यूनतम मूल्य इन बातों का ध्यान रखते हुए निर्धारित किया जाता है (क) गन्ने की उत्पादन-लागत ; (ख) वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को होने वाला लाभ और कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति (ग) उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं के लिये चीनी उपलब्ध करना ; (घ) चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी को जिस मूल्य पर बेचा जाता है ; और (ङ) गन्ने से चीनी की उपलब्धि । अत: गन्ने का न्यूनतम मूल्य यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित किया जाता है कि गन्ने का मूल्य अन्य वैकल्पिक फसलों की तुलना में काफी लाभकारी हो ताकि चीनी, गुड़ और खण्डसारी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त क्षेत्र गन्ना के अन्तर्गत लाया जा सके ।

(ख) इस वर्ष अधिक गन्ना-उत्पादन के लिए 7.37 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम सांविधिक मूल्य को श्रेय देना ठीक नहीं होगा । यह बहुत हद तक सांविधिक न्यूनतम मूल्य जोकि गन्ना-उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अपनाई गई आंशिक विनियंत्रण की नीति के अंतर्गत 1967-68 और 1968-69 वर्षों के दौरान दिये गये थे, से अधिक मूल्य होने के कारण है ।

(ग) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने सभी राज्यों के लिए 1970-71 सीजन हेतु धान के न्यूनतम साहाय्य मूल्य 46.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किये हैं। आयोग ने 1970-71 विपणन मौसम के लिए गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों के लिये गेहूं का न्यूनतम साहाय्य मूल्य 50 रु० से 60 रु० के बीच और अन्य राज्यों के लिए 55 रु० से 63 रु० के बीच निर्धारित करने की सिफारिश भी की थी । तथापि, सरकार ने साहाय्य मूल्य निर्धारित नहीं किए थे क्योंकि अधिप्राप्ति मूल्यों पर साहाय्य खरीद की जा रही है । साहाय्य मूल्य में उत्पादन लागत और प्रोत्साहन तत्व शामिल हैं । खाद्यान्नों का न्यूनतम साहाय्य मूल्य कानूनी तौर पर निर्धारित नहीं किये जाते हैं । दालों के लिए कोई भी न्यूनतम साहाय्य मूल्य घोषित नहीं किये जाते हैं ।

(घ) जी नहीं ।

दक्षिण कनारा जिले में बीड़ी उद्योग पर बोनस अधिनियम लागू करना

641. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 23 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7332 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह मानते हुए कि बीड़ी उद्योग के लिए राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं क्या उनसे जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि राज्य सरकारें उसके विधान का उल्लंघन न करें ; और

(ग) दक्षिण कनारा जिले में बीड़ी उद्योग में कार्य कर रहे 50,000 लोगों पर बोनस अधिनियम लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 7332, दिनांक 23 अप्रैल, 1970 के उत्तर में बताया गया है, बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 की धारा 2 (5) (ii) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग के सम्बन्ध में राज्य सरकारें उचित सरकारें हैं। फिर भी दक्षिणी कनारा जिले के बीड़ी उद्योग में इस अधिनियम को लागू करने से सम्बन्धित सूचना भेजने की प्रार्थना मैसूर सरकार से की गई है। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

बसीरहाट-हसनबाद की सीमा पर पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की दयनीय अवस्था

642. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** **श्री भगवान दास :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद : **श्री समर गुह :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि बसीरहाट-हसनबाद सीमा के समीप शरणार्थी बहुत ही शोचनीय स्थिति में रह रहे हैं और उनके पास खराब मौसम का सामना करने के लिये कोई साधन नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी कार्यवाही की है या करना चाहती है जिससे उन लोगों की स्थिति में सुधार हो और उन्हें अच्छे ढंग से बसाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) (क) से (ग). पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों के प्रवाह में इस वर्ष के प्रारम्भ से अचानक वृद्धि हुई और मई, 1970 के अन्तिम सप्ताह में, जबकि आने वाले प्रवासियों की प्रति दिन औसत 2000 व्यक्ति हो गई, प्रवाह चरम सीमा तक पहुंच गया इसके फल स्वरूप, आरंभ में प्रवासियों को, जो कि हसनाबाद तथा बसीरहाट के सीमावर्ती नगरों में भारी संख्या में एकत्रित हो गये थे, आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना सम्भव नहीं था। प्रवाह अभी भी चल रहा है, यद्यपि इसकी गति कुछ कम होकर लगभग 1,200 व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है।

कठिनाई की इस बहुत लघु प्रारंभिक अवधि के उपरान्त, अब प्रवासियों के आवास के प्रबन्ध पूर्ण हो चुके हैं। सफाई सुविधाएं, पीने के पानी की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि प्रदान कर दी गई हैं। रामाकृष्ण मिशन, भारत सेवा आश्रम संघ, भारतीय रेड क्रास समिति इत्यादि जैसे लोकोपकारी संगठनों की सहायता से खाद्य तथा अन्य राहत की मदों के वितरण की व्यवस्था भी कर दी गई है।

चूंकि पश्चिम बंगाल की क्षमता पहले ही अन्तिम सीमा को पहुंच चुकी है, और इस राज्य में प्रवासियों के पुनर्वास की ओर कोई गुंजाइस नहीं हैं, इसलिये इन प्रवासी परिवारों को राज्य के बाहर, भारत सरकार के माना राहत शिविर में और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसी राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे राहत शिविरों में, आवास के लिये भेजा जा रहा है। उन्हें आवास और आवश्यक राहत सहायता प्रदान करने के लिये विभिन्न राज्यों में समाप्त किये गये शिविर फिर से चालू किये जा रहे हैं और नये शिविर स्थापित किये जा रहे हैं।

जहां तक उनके पुनर्वास का सम्बन्ध है, यह बताना उचित होगा कि चूंकि अधिकांश प्रवासी कृषक हैं इसलिये उन्हें उस सीमा तक भूमि पर बसाया जायेगा जिस तक कि विभिन्न राज्यों द्वारा भूमि उपलब्ध की जायेगी ; राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में पहले ही कहा जा चुका है और उनकी अन्तिम प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। तथापि, भूमि की दुर्लभता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सभी कृषक परिवारों को भूमि पर बसाना सम्भव नहीं होगा और इसलिये राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि कृषक प्रवासियों को अन्य गैर-कृषक प्रवासी परिवारों के साथ ही लघु तथा मध्यम उद्योगों में पुनर्व्यवस्थापन देने के लिये प्रस्ताव तैयार करें। इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान की जायेंगी जो कि इनके पुनर्वास में सहायक होंगी।

द्वितीय प्रेस आयोग की नियुक्ति

643. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र ही द्वितीय प्रेस आयोग की नियुक्ति पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक नियुक्त किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये हैं कि समाचार एजसियां सरकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप से स्वतन्त्र रहें; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) . प्रेस आयोग की सिफारिशों पर इस दृष्टिकोण से पुनर्विचार

किया जा रहा है कि क्या उनमें से कोई सिफारिश, जो अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है, अब कार्यान्वित की जानी चाहिये और यदि ऐसा है तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरे प्रेस आयोग की नियुक्ति करने या न करने पर भी विचार किया जा रहा है।

(घ) तथा (ङ). समाचार एजेंसियां गैर सरकारी क्षेत्र में आती हैं और इसलिये बिना सरकारी हस्तक्षेप के पूर्ण स्वतन्त्र है। तथापि, सरकार समाचार एजेंसियों को अपनी आर्थिक स्थिति तथा अपनी सेवा के स्तर में सुधार करने के लिये सभी सम्भव आर्थिक तथा अन्य सहायता दे रही है।

विदेशी तेल कम्पनियों में छंटनी

644. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही विदेशी तेल कम्पनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी करती जा रही हैं ;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने अपने दो तिहाई कर्मचारियों की पहले ही छंटनी कर दी है ;

(ग) क्या एस्सो कम्पनी ने शेष 50 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करने की धमकी दी है ;

(घ) क्या विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही निष्प्रभावी सिद्ध हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन कम्पनियों में कर्मचारियों की छंटनी रोकने के लिये सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इस प्रकार की कोई लगातार छंटनी नहीं की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ). पिछले कुछ वर्षों से विदेशी तेल कम्पनियां, सामान्य निवर्तनों आदि तथा प्रबन्धकों और यूनियनों में हुए द्विपक्षीय समझौतों के अन्तर्गत उनके द्वारा चलाई जाने वाली अगेती स्वैच्छिक सेवानिवृति योजनाओं के अन्तर्गत समय-पूर्व नियुक्ति के बाद नये कर्मचारी भर्ती न करके अपने श्रमिकों की संख्या को कम कर रहे हैं। नौकरी की असुरक्षित स्थितियों के बारे में श्रमिकों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार ने तेल कम्पनियों (परिष्करण शालाओं समेत) में नौकरी की सुरक्षा के सम्बन्ध में एक सदस्यीय आयोग (गोखले आयोग) नियुक्त किया था। आयोग की सिफारिशों पर त्रिपक्षीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया

और बाद में ये सिफारिशें नियोजकों तथा श्रमिकों के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं का विषय रहीं। चूंकि सम्बन्धित पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके, सरकार विभिन्न सम्बन्धित पक्षों का परामर्श लेकर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में आवश्यक संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, ताकि तेल कम्पनियों समेत सभी उद्योगों में इसी प्रकार की स्थिति में काम करने वाले श्रमिकों के लिये नौकरी की सुरक्षा का कोई उपाय सुनिश्चित किया जा सके।

मोगा में वर्षा से गेहूं की क्षति

645. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री इसहाक सामली :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा प्राप्त किये गये गेहूं के कई हजार बोरे मोगा अनाज मन्डी तथा नेहरू पार्क में पड़े थे और मई, 1970 में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गये; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी हानि हुई तथा इस हानि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्त किये गये लगभग 22,000 गेहूं के बोरे, 22-5-70 को मोगा की मन्डी में पड़े थे। बोरों को तिरपालों से ढक दिया गया था। तब भी कुछ बोरों का निचला भाग वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में जांच करने से पता चला कि बोरों के अन्दर खाद्यान्न को कोई हानि नहीं पहुंची थी। जो बोरे वर्षा से प्रभावित हुये थे, उन्हें बदल दिया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमिहीन मजदूरों को मकानों के लिये स्थान हेतु राज्यों को केन्द्रीय सरकार का निदेश

646. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री अदिचन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को इस आशय का निदेश दिया है कि वे भूमिहीन मजदूरों, विशेषकर हरिजनों को मकान के लिये स्थान दें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार ने उक्त निदेश को क्रियान्वित किया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख). आवास राज्य सरकारों का विषय है इसलिये भारत सरकार इस मामले पर राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, गांवों में

मकानों के लिये स्थान प्राप्त करने के सम्बन्ध में भूमिहीन मजदूरों तथा हरिजनों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों से सरकार का विशेष सम्बन्ध है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिये ग्राम आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत मकानों के लिये निःशुल्क व्यवस्था करने का एक कार्यक्रम है। यह योजना निर्माण, आवास तथा नगर विकास विभाग द्वारा प्रशासित की जाती है। यद्यपि, अनुसूचित जाति / जन जाति के व्यक्ति इस कार्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं तथापि इस योजना के अन्तर्गत इन दो जातियों के लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले राज्यों का नाम तथा अब तक आवंटित की गई मकानों की जगहों की संख्या निम्नलिखित है :-

	अलाट हुए आवास स्थानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	136
गुजरात	766
केरल	101
मैसूर	500
पश्चिम बंगाल	68
	1571

बिहार में राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये 9.92 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिये आवास स्थानों की समस्या पर जनवरी, 1970 में नई दिल्ली में हुए आवास तथा नगर विकास से सम्बन्ध रखने वाले राज्य सरकारों के मंत्रियों के सम्मेलन एवं 20 जुलाई, 1970 में जयपुर में हुए ग्रामीण आवास के इन्चार्ज राज्य मंत्रियों की बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था। निर्माण, आवास तथा नगर विकास विभाग से सम्बन्ध संसद की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने नई दिल्ली तथा जयपुर में राज्यों के मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया था। जून, 1970 में बंगलौर में हुई समिति की बैठक में भी इस समस्या पर विचार विमर्श किया गया था। इस विचार-विमर्श के फलस्वरूप भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिये मकान बनाने के लिये व्यवस्था करने तथा इस उद्देश्य के लिये सरकारी भूमि की उपलब्धि तथा स्थानीय उपलब्ध भवन सामाग्री से उचित आवास स्थानों पर निर्माण की लागत का अनुमान लगाने के सम्बन्ध में इस समस्या का मूल्यांकन करने के लिये राज्य सरकारों को कहा गया था।

लगभग सभी राज्यों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। हाल ही में जयपुर में हुई एक बैठक में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे यह जानकारी शीघ्र भेज दें।

रबी के मौसम के लिये खाद्यान्नों की वसूली का कार्यक्रम

647. **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री नारायणन :
श्री दण्डपाणि :
श्री झारखण्डे राय :
श्री मयावन :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबी के मौसम के लिये खाद्यान्नों की वसूली का कार्यक्रम लक्ष्य से बहुत पीछे चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) चालू मौसम में अब तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न वसूल किया गया है ; और

(घ) यदि कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). सरकार ने रबी खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था क्योंकि सरकार ने अपने इस आशय की घोषणा कर दी थी कि सरकार बिक्री के लिये दी जाने वाली सारी मात्राएं निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्यों पर खरीद लेगी। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अब तक की गई वास्तविक अधिप्राप्ति लगभग 30 लाख मीटरी टन रही है। यह अधिप्राप्ति पिछले मौसम से बेहतर है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली, देवनगर में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बोतल में किसी चीज का पाया जाना

648. **श्री जगेश्वर यादव** : **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री चन्द्र शेखर सिंह : **श्री निहाल सिंह** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा हाल में देवनगर, नई दिल्ली के एक निवासी को सप्लाई की गई दूध की बोतल में कोई चीज तैरती पाई गई थी;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इस बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली दुग्ध-योजना की गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला में दूध की बोतल का परीक्षण करने पर पता चला कि बोतल में $2'' \times 1\frac{1}{2}''$ आकार का लचकदार पलास्टिक का छल्ला था। वह छल्ला इतना बड़ा था कि जब तक कोई जान बूझ कर उसे बोतल में न डाले यह अपने आप बोतल में नहीं जा सकता था। यह पता नहीं लग सका कि यह किस स्तर पर किया गया।

दिल्ली दुग्ध योजना में दूध बन्द उपकरणों द्वारा (हाथ से छूये बिना) भरा जाता है। किसी बाहरी पदार्थ को बोतलों में जाने से रोकने के लिये दूध की लाइनों में विस्तृत फिल्टरों की व्यवस्था मौजूद है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

राज्यों में कृषि योजनाओं के लिए आवंटित अनुदानों को उपयोग में लाने में कमी

649. **श्री झारखण्डे राय :** **श्री सरजू पाण्डेय**
श्री जगेश्वर यादव : **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री इसहाक साम्भली :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों ने कृषि योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि का 20 प्रतिशत भाग गत वर्ष लौटा दिया था;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को आवंटित धनराशि को उनके द्वारा पूरे रूप में उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यों को आवंटित धन को पूरे तौर पर उपयोग में लाने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). 1969-70 से राजकीय प्लान स्कीमों के लिए निधि निर्मुक्त करने की संशोधित पद्धति के अनुसार राज्य सरकार को केन्द्रीय सहयता समग्ररूप से वार्षिक योजना के लिए एक-मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में जारी की जाती है और किसी विशेष कार्यक्रम या योजना का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः कृषि योजनाओं के लिए आवंटित अनुदानों का पूर्ण रूप से उपयोग न करने या उन्हें लौटाने का प्रश्न ही नहीं होता।

राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता की स्वीकृति भी दी गई है। प्रत्येक वर्ष, पहले 9 महीनों के वास्तविक व्यय और शेष तीन महीनों के प्रत्याशित व्यय के आधार पर राशि मंजूर की जाती है। व्यय के परीक्षित आंकड़े लगभग 3 वर्षों के बाद उपलब्ध होते हैं और इसके आधार पर अन्तिम समायोजन किया जाता है।

टेलीफोन-उपभोक्ताओं के निवास पर मीटर का लगाया जाना

560. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टेलीफोन-उपभोक्ताओं के निवास पर मीटर लगाने का प्रस्ताव किया है जिससे अधिक राशि का बिल आने की समस्या को समाप्त किया जा सके;

(ख) दिल्ली के टेलीफोन-उपभोक्ताओं द्वारा दी गई ऐसी कितनी राशि है जो अभी तक उनके खाते में जमा नहीं की गई है; और

(ग) सरकार इस राशि को कब तक उनके नाम में डालेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) 3.97 लाख रुपये ।

(ग) पूरा ब्यौरा प्राप्त न होने के कारण भुगतान की गई कुछ राशियां उपभोक्ताओं के खाते में जमा नहीं की जा सकीं । ब्यौरे प्राप्त होते ही ये उनके खाते में जमा कर दी जाती हैं ।

दिल्ली तथा अन्य राज्यों में श्रमिकों के लिये क्वार्टर

651. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकतर मजदूर विशेषत: दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहते हैं;

(ख) क्या सरकार ने औद्योगिक क्वार्टर बनाने की समस्या पर राज्य सरकारों और निर्माण तथा आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय से विचार-विमर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) दिल्ली में कितने श्रमिकों को क्वाटर मिले हुए हैं और कितनों को नहीं ;

(ङ) इस समस्या के समाधान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य में कितने कितने औद्योगिक क्वार्टर बनाये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) सरकार को मालूम है कि श्रमिकों के आवास में काफी सुधार करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन द्वारा जनगणना की जा रही है ।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आवास की अनेक योजनाएं मंजूर की गई हैं—यथा औद्योगिक श्रमिकों तथा समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए समेकित-साहाय्य प्राप्त आवास योजना, बागान आवास योजना, गोदी श्रमिक आवास योजना, खान श्रमिक आवास योजना तथा गंदी बस्ती शोधन/सुधार योजना । आखिर में निर्दिष्ट योजना में गंदी-बस्तियों के निवासियों के व्यवसाय आदि के आधार पर कोई भेद नहीं किया गया है ।

(घ) इस समय दिल्ली में श्रमिकों के लिये निर्मित मकानों की संख्या 6586 है जिनमें से 6557 मकान औद्योगिक श्रमिकों को आवंटित किये गये हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i)	साहाय्य-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्मित मकान	2,808
(ii)	सरकार के उपदान की सहायता से निर्मित	
	नियोजकों द्वारा	446
	कर्मचारियों द्वारा	58
(iii)	नियोजकों द्वारा सरकारी उपदान की सहायता के बिना निर्मित	3274
	कुल	6586

80,000 (लगभग) औद्योगिक श्रमिकों में से 73,443 श्रमिकों को अभी क्वार्टर दिये जाने हैं।

(ङ) चौथी योजना के दौरान वर्षानुवर्ष विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मकान बनाए जायेंगे।

(च) आवास योजनाएं राज्य सरकारों, उद्योगपतियों, आदि द्वारा मकानों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता देने की योजनाएं हैं।

नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा कांग्रेस (सत्तारूढ़) के लिये विशेष संगीत गोष्ठी का आयोजन

652. **श्री स० कुन्दू** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने श्री जगजीवन राम के नेतृत्व वाली कांग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिये 13 जून, 1970 को नई दिल्ली के मावलंकर हाल में श्रीमती गंगू बाई हांगल की संगीत गोष्ठी के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्वाचन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राजनैतिक दलों के सम्मेलनों को यह सुविधा देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में बीजों की बिक्री के लिए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा एक गैर-सरकारी फर्म के साथ ठेका

653. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम ने बिहार में बीजों की बिक्री के लिये एक गैर-सरकारी फर्म के साथ ठेका किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार कोआपरेटिव मार्किटिंग यूनियन के साथ पहले का ठेका रद्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) एक गैर-सरकारी फर्म के साथ ठेका करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : जी हां।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने बिहार कोआपरेटिव मार्किटिंग यूनियन को अपना एकमात्र वितरक नियुक्त करके 1 जून, 1969 से 31 मई, 1970 तक एक वर्ष के लिए एक करार तय किया है। यूनियन के साथ तय हुये करार का चालू वर्ष के लिए नवीकरण नहीं किया गया है।

(ग) बिक्री एजेन्सी के रूप में यूनियन का कार्य सन्तोषजनक नहीं था ।

(घ) इस फर्म ने एक वर्ष में कम से कम 20 लाख रुपये की बिक्री करने की गारन्टी दी है । यह राशि उस राशि से दुगनी है जिसकी बिहार स्टेट कोआपरेटिव मार्किटिंग यूनियन द्वारा गारन्टी दी गई थी ।

हवाई डाक के पत्रों को ले जाने के समय में परिवर्तन करने का कार्य इंडियन एयरलाइन्स को सौंपना

654. **श्री स० कुन्दू** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक के ले जाने के समय को निर्धारित करने और उसमें परिवर्तन करने का कार्य इण्डियन एयर लाइन्स को सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। यह काम स्थानीय डाक-प्रशासन हवाई जहाज, रेल गाड़ी और परिवहन बसों के समयों को दृष्टि में रखकर करता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब के लिये दूर-दर्शन केन्द्र

655. **श्री नारायणन** :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स्वामीनाथन :
श्री बलराज मधोक :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह मांग की है कि पाकिस्तान के दूर-दर्शन कार्यक्रम का जो अमृतसर और जालंधर में बहुत लोकप्रिय हो गया है, मुकाबला करने के लिये इन शहरों में दूर-दर्शन केन्द्र खोले जायें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त सुझाव मान लिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

Loss of grains and fodder due to early rains in May, 1970

656. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rains set in in North India immediately after the terrible loo early in the month of May this year ;

(b) whether it is also a fact that most of the farmers had been able to dispose of only one-third of their grains according to the season prevailing every year ;

(c) whether it is also a fact that a large quantity of grains and fodder was spoiled as a result of rains ; and

(d) if so, the details of estimated loss suffered on this account ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (d). Reports had been received that considerable damage had been caused to the wheat, particularly the harvested crop still awaiting threshing, by untimely and successive spells of heavy rains in the months of May and June in the States of Punjab, Haryana, some parts of Uttar Pradesh and the Union Territories of Delhi and Chandigarh.

The actual statistics regarding disposal by the farmers of their crops in all the affected States are not available. In Haryana, however, the farmers were able to dispose of 70% of their produce, and the estimated loss in that State is about Rs. 3 crores.

Distribution of Land in States by Panchayats

657. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land belonging to Gram Panchayats distributed by them amongst the landless in different areas and states ;

(b) whether it is a fact that instead of giving this lands to landless Harijans and other backward people, Gram Panchayats have given it to their own people ; and

(c) if so, the steps taken by Government to ensure that the land is distributed amongst the landless ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, community Development and Cooperation (Shri S. C. Jamir) : (a) to (c). Information has been called for, from the State Governments and will be placed on the Table of the House, when received.

Plan to acquaint Agriculturists of backward States of advance farming techniques

658. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the farmers of Punjab, Andhra Pradesh, Western Uttar Pradesh etc., have made a remarkable progress in the field of agriculture ;

(b) if so, whether Government propose to chalk out any plan to acquain the farmers of

agriculturally backward States and regions with the re-volutionary results achieved by the said progressive farmers at Government expenses ;

(c) if so, the outline thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Yes, Sir. The farmers of Punjab, Andhra Pradesh and Western Uttar Pradesh, as also in other States, having irrigation facilities, and using new technology, have obtained higher yields.

(b) and (c). The prescribed package of practices for the cultivation of high yielding varieties under the new strategy are being extended in irrigated and assured rainfall areas. These consist of balanced use of fertilizers, proper use of irrigation water, plant protection measures, farmers' training etc. A centrally sponsored scheme for Integrated Dry Land Agricultural Development is being taken up in agriculturally backward areas having no assured irrigation and low rainfall as demonstration-cum-training projects for the farmers in these areas.

(d) Does not arise.

दूध से बनी वस्तुओं पर रोक लगाने का दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की सप्लाई पर प्रभाव

659. **श्री छ० म० केदारिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा दिल्ली के निकटवर्ती अन्य राज्यों के जिलों में दूध से बनी वस्तुओं पर रोक दिल्ली दुग्ध योजना के अनुरोध पर लगाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो दूध की कमी वाली अवधि में आवश्यक दूध का कितना प्रतिशत उपलब्ध होता है;

(ग) दूध की आंशिक सप्लाई से मांग को कैसे पूरा किया जाता है; और

(घ) क्या दिल्ली दुग्ध योजना दूध और दुग्ध चूर्ण मिलाकर मिलावट वाला दूध बेचती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) गर्मियों में अभाव के दिनों में, अधिकतम सर्दियों की तुलना में, दूध की प्राप्त मात्रा 50 से 60 प्रतिशत तक ही होती है ।

(ग) क्रीम उतरे दुग्ध चूर्ण तथा बसा का प्रयोग कर पुनर्गठित या पुनर्मिश्रित दूध द्वारा मांग पूरी की जाती है ।

(घ) जी नहीं । खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित स्तर के अनुसार दिल्ली दुग्ध योजना मानकीकृत, गाय का, टोन्ड तथा डब्ल टोन्ड दूध बेचती है ।

विविध भारती से कार्यक्रमों का बार-बार प्रसारित किया जाना

660. **श्री छ० म० केदारिया :**
श्री दे० अमात :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विविध भारती द्वारा 'हवा महल' कार्यक्रम में बार बार उन्हीं नाटकों को प्रसारित करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या ऐसा आर्थिक कारणों से होता है या इसका कारण यह है कि लेखकों से पर्याप्त संख्या में नाटक उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि उन्हीं कार्यक्रमों के बार बार प्रसारित किये जाने के कारण आकाशवाणी की प्रतिष्ठा गिरती जा रही है?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख) . चुने हुए कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण प्रायः श्रोताओं के अनुरोध पर होता है और इस प्रकार अपरिहार्य है। वास्तव में 'हवा महल' में शामिल सभी फीचर वे होते हैं जो आकाशवाणी के किसी न किसी केन्द्र से पहले ही प्रसारित हो चुके होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सुपर बाजारों की कार्य-प्रणाली का अध्ययन

661. **श्री छ० म० केदारिया :**
डा० रामसुभग सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सुपर बाजारों की कार्य-प्रणाली का कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इनको खोले जाने के बाद कितनी राजसहायता, ऋण या अन्य वित्तीय सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां। अध्ययन से पता चलता है कि सुपर बाजार के सकल लाभ दर तथा अन्य आय में सुधार हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1968-69 में उसके खर्चे में कमी हुई है जबकि उसकी बिक्री में गिरावट आई। इसके फलस्वरूप भण्डार ने अपने कार्यकरण के प्रथम तीन वर्षों में नुकसान उठाया है।

(ख) 1969-70 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा सुपर बाजार को दी गई वित्तीय सहायता कुल 80.58 लाख रुपये है, जिसमें हिस्सा पूंजी 41.76 लाख रुपये, ऋण 32.97 लाख रुपए (जिसमें से 9.40 लाख रुपए की रकम वापिस की गई है) तथा राज सहायता के रूप में 5.85 लाख

रुपए सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 80.00 लाख रुपए की नकद ऋण सीमा की गारंटी दी है जो कि समिति ने सिन्डीकेट बैंक से प्रतिभू/सामान के दृष्टि बन्धक के प्रति प्राप्त की है, जिसमें कुछ शर्तों के आधार पर सरकार का 25 प्रतिशत का जोखिम निहित है।

मिट्टी परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना

662. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास समिति की चुनी हुई शीर्ष सहकारी समितियों और जिला विपणन समितियों को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित करने में सहायता देने के लिए कोई नई योजना आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त योजना पर कितना खर्च आएगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना में सहकारी समितियों को भूमि निरीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है।

विभिन्न राज्यों में चुने हुए क्षेत्रों में प्रत्येक प्रयोगशाला की प्रति वर्ष 30,000 भूमि नमूनों का परीक्षण करने की क्षमता होगी ताकि किसानों को उनकी भूमि के लिए अत्यधिक उपयुक्त उर्वरकों के सम्बन्ध में सलाह दी जा सके तथा इस प्रकार सहकारी संगठनों को उर्वरकों के वितरण के बारे में सक्रिय उत्साह-वर्धक उपाय अपनाने तथा बेहतर सेवाएं सुलभ करने के योग्य बनाया जा सके।

(ग) योजना में प्रत्येक भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के लिये व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार है। 1970-71 के दौरान 10 ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार है :

		ऋण	राज सहायता	कैफियत
1	2	3	4	5
(1) हिस्सा पूंजी	अनावर्ती व्यय के प्रति	1,00,000	—	राज्य से बाहर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सुलभ किया जाता है।
(2) दीर्घ-कालीन ऋण	अनावर्ती व्यय के प्रति	70,000	—	योजना सीमा
(3) राज सहायता	कर्मचारी-वर्ग पर आवर्ती व्यय के प्रति	—	—	

1	2	3	4	5
	पांच वर्षों की अवधि में निम्न प्रकार से : प्रथम वर्ष 40,000 द्वितीय वर्ष 40,000 तृतीय वर्ष 30,000 चतुर्थ वर्ष 20,000 पांचवां वर्ष 10,000		1,40,000	(पांच वर्षों से ऊपर) कृषि/सहकारिता विभाग की प्लान स्कीमों में राज्य सरकार द्वारा सुलभ।
		1,70,000	1,40,000	
(4)	रसायनों, देखरेख आदि के ऊपर आवर्ती व्यय में समिति का हिस्सा		40,000	प्रति वर्ष

Exhibition of Film 'Prem Pujari'

663. **Shri Chandrika Prasad**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 15th May, 1970, certain pro-Pak elements had created communical tension in Amroha by raising objections to the display of some scenes from the film Prem Pujari;

(b) whether it is also a fact that objections were raised on that part of the film depicting Indo-Pak war in Khemkaran which was anti-Pakistan;

(c) whether the exhibition of the said film has been stopped in Amroha; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Malpractices in Central Labour Bureau, Simla

664. **Shri Chandrika Prasad**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently some malpractices and irregularities in financial matters committed by the high officers of the Central Labour Bureau, Simla have come to light; and

(b) if so, the action taken in the matter?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya): (a) and (b). Some complaints of irregularties have been received by the Central Bureau of Investigation and are at present under the Bureau's investigation.

Advance Increments to Hindi Stenographers in A.I.R.

665. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8891 on the 7th May, 1970 and state:

(a) whether the successful Hindi Stenographers would be given four increments from the 28th February, 1967 like English Stenographers; and

(b) if not, the way contemplated to compensate the loss incurred by Hindi Stenographers due to delay in taking a decision in this matter?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). Junior stenographers in Hindi and other Indian languages employed in the subordinate offices of All India Radio would be entitled to advance increments from the date they pass the dictation test at the prescribed speed. Government orders to this effect were issued on 30th April, 1970. Normally orders take effect from the date of issue but if in a particular case, a stenographer had passed the prescribed test earlier and the application of the orders tends to operate adversely, his case would be considered on merit.

देश में भूख से मृत्यु

666. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** **श्री राम चरण :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री शिव चरण लाल :**
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में देश में राज्यवार-भूख से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) इसके क्या कारण थे ; और

(ग) सरकार ने भुखमरी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से हुई मौतों के बारे में जो भी आरोप केन्द्रीय सरकार के नोटिस में आते हैं, उन्हें राज्य सरकारों को जांच के लिये भेज दिया जाता है। किसी भी राज्य सरकार ने 1968 अथवा 1969 में भुखमरी से हुई किसी मौत की पुष्टि नहीं की है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सतना स्टोन लाईम कम्पनी के श्रमिक नेता द्वारा शिकायत

668. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री नम्बियार :**
श्री प० गोपालन : **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सतना स्टोन लाईम कम्पनी के श्रमिक नेता, श्री चन्द्र शेखर

तिवारी द्वारा की गई कथित शिकायत पर दिलाया गया है कि सतना (मध्य प्रदेश) में उन्हें बन्दूक दिखाकर श्रमिक विवाद के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) :(क) जी हां ।

(ख) और (ग). चूंकि यह शिकायत दण्डविधान के अन्तर्गत आने वाले अपराध के सम्बन्ध में थी, अतएव इस पर उचित कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जानी है ।

Payment of Project Allowance to P&T Employees Working on Diversion Point of Railway Line in Kangra Valley

669. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the postal employees working in the Post and Telegraph Offices situated in the area, where the Kangra Valley Railway line is being diverted because of the construction of Pong Dam in Himachal Pradesh, will be granted Project Allowance ;

(b) if so, the amount of such allowance proposed to be paid to each category of the employees and the details in this respect and the date from which it is proposed to be paid ; and

(c) if not, the reasons therefor, particularly when such an allowance is being paid to the postal employees working in similar other projects ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The question is under consideration.

(b) and (c). Do not arise in view of (a) above.

गुजरात के खेड़ा जिले के गांवों द्वारा अधिक टेलीफोन कनेक्शन देने की मांग

671. **श्री० प्र० न० सोलंकी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमूल डेरी केन्द्रों और ग्राम पंचायत कार्यालयों के प्रसार के कारण गुजरात के खेड़ा जिले के विभिन्न गांवों में नये टेलीफोन कनेक्शन देने के बारे में मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दूध उत्पादक सहकारी मंडल से मातार, बोचासन और इनके साथ लगते अन्य गांवों में 124 टेलीफोन कनेक्शनों के लिए मांग प्राप्त हुई है।

(ग) अब तक 11 व्यक्तियों की मांगें पूरी की जा चुकी हैं। बाकी कनेक्शन मातार और बोचासन के प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों से दिए जाएंगे, जिनके लगभग चार महीने में चालू होने की सम्भावना है।

आकाशवाणी प्रशासन का विकेन्द्रीकरण

672. **श्री जनार्दनन** :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री कं० हाल्दर :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करने और एक नया रेडियो प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नीति सम्बन्धी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) देश के विभिन्न भागों में आकाशवाणी केन्द्रों के प्रशासन तथा देखभाल के लिये महानिदेशालय के अधीन प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, परन्तु सूचना और प्रसारण मंत्रालय से नीति का उत्तरदायित्व लेने के लिये कोई अधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) अभी तक ब्योरा अन्तिमरूप से तय नहीं हुआ है।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, सेक्टर पांच में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा एक नये दुग्ध केन्द्र का खोला जाना

673. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री बलराज मधोक :
श्री जय सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर पांच के दूसरे किनारे पर (मुनीरका के सामने) एक भी दुग्ध केन्द्र नहीं है और समीपस्थ दुग्ध केन्द्र संख्या 881-882 में शाम की पारी में दूध नहीं बांटा जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र के निवासियों को शाम को अपनी आवश्यकता

पूर्ति के लिये दूध दुग्ध केन्द्र संख्या 595-596 से लाना पड़ता है और यह दुग्ध केन्द्र सड़क के पार सेक्टर चार में काफी दूरी पर है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार (मुनीरका के सामने वाले) सेक्टर पांच के बीच में एक नया दुग्ध केन्द्र खोलेगी, जिसमें प्रातः और शाम दोनों पारियों की व्यवस्था हो ताकि बच्चों को भारी यातायात के समय मुख्य सड़क को पार करने के खतरे से बचाया जा सके और जब तक वहां नया दुग्ध केन्द्र खोला जाये, तब तक क्या दुग्ध केन्द्र संख्या 881-882 में शाम की पारी शुरू की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब-शिन्दे) : (क) डिपो सं० 881-882, जो अभी तक प्रातः की पारी में ही कार्य कर रहा है, रामकृष्णपुरम के सेक्टर सं० 5 में मुर्नीका गांव की ओर स्थित है जो दूर वाले सिरे से थोड़े फासले पर ही है ।

(ख) जी हां । डिपो सं० 881-882 द्वारा सायंकालीन पारी में कार्य प्रारम्भ होने तक टोकेन होल्डर अपने दूध की सायंकालीन आवश्यकता पास में ही स्थित डिपो सं० 596 और 818 से पूरी कर रहे हैं ।

(ग) डिपो संख्या 881-882 दिनांक 27 जुलाई, 1970 सायंकाल से दूध वितरित कर रहा है । डिपो सं० 881-882 और 817-818 के कार्यभार को कम करने के लिये सेक्टर 5 में एक नया दुग्ध डिपो निर्माण किया गया है जो शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देगा । यह डिपो गांव मुर्नीका के सामने रामकृष्णपुरम, सेक्टर 5 के दूर वाले सिरे के मध्य में स्थित नहीं है ।

दिल्ली में टेलीफोन प्रणाली के विरुद्ध शिकायतें

674. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के टेलीफोन अधिकारियों के विरुद्ध बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली का टेलीफोन विभाग बहुत असावधानी से कार्य कर रहा है और शिकायतों के विरुद्ध दो दिन तक भी कार्यवाही नहीं को जाती ;

(ख) क्या टेलीफोन के किराये और टेलीफोन सम्बन्धी अन्य खर्चों में भारी वृद्धि किये जाने के बावजूद भी टेलीफोन की सेवाओं में भारी गिरावट आई है और इस बारे में अधिकारी गम्भीरता से ध्यान नहीं देते ; और

(ग) क्या टेलीफ़ोन विभाग फर्मों को 4 से 8 वर्ष पुराने बिलों का भुगतान करने का नोटिस दे रहा है जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी धनराशि बट्टे खाते में पड़ गई है और दूसरी ओर वास्तविक फर्मों को परेशान किया जा रहा है, यदि हां, तो इस मामले में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह सच है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक पुराने बिलों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किये जा रहे हैं। इस तरह ऐसे नोटिस जारी करने से बकाया राशि बट्टे खाते में पड़ने से बच जायेगी। इन नोटिसों के उत्तर में बिलों या हिसाब में यदि किन्हीं त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया जाय तो उनकी शीघ्र छानबीन करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। इस तरह किसी को परेशान नहीं किया जाता।

श्रमिक समस्याओं का सर्वेक्षण

675. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष सरकार ने गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि श्रमिकों की समस्याओं के कारण उत्पादन में लगभग कितनी कमी हुई है और इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(घ) सरकार ने श्रमिकों की समस्याओं को यथासम्भव हल करने तथा राजनीतिक व्यक्तियों को श्रमिकों से अपना मतलब सिद्धि करने से रोकने के लिये क्या प्रभावशाली कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण जिसमें 1969 के दौरान किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा दिया गया है, सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) 1969 में जिन कुल 2,270 कामबंदियों (हड़तालों व तालाबंदियों) की सूचना प्राप्त हुई, उनमें से 874 मामलों में, जिनके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है, 42.16 करोड़ रुपये के उत्पादन की क्षति बताई गई है। यह सूचना कच्ची है और इसमें संशोधन हो सकता है क्योंकि और सूचना स्पष्टीकरणों की कई एक अभिकरणों से अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) श्रम संबंधी समस्याओं का पुनरीक्षण तथा उनके समाधान के लिये की जाने वाली कार्यवाही का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। श्रम एक समवर्ती विषय है और केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही इसके लिये उत्तरदायी हैं। अनेक कानूनों के अन्तर्गत व्यवस्थित अनेक तंत्र व अनुशासन संहिता जैसे अन्य स्वेच्छिक करार श्रम समस्याओं को यथासंभव रूप से निपटाने के लिये सरकार व सम्बन्धित पक्षों के पास उपलब्ध है।

विवरण

श्रम ब्यूरो के निदेशक द्वारा 1969 के दौरान किये गये सर्वेक्षण :—

1. श्रम ब्यूरो के निदेशक द्वारा अभ्रक तथा नारियल-जटा के कारखानों में श्रमिकों की दशाओं का सर्वेक्षण।

2. इन दोनों उद्योगों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों की दशाओं का अध्ययन भी एक साथ किया गया ।

3. श्रम ब्यूरो के निदेशक द्वारा दो उद्योगों यथा भोज्य तेल उद्योग (हाड्रोजनीकृत तेल को छोड़कर) और चीनी उद्योग में ठेका श्रम सर्वेक्षण किये गये ।

4. केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय श्रम-विज्ञान केन्द्रों द्वारा कारखानों में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य-विज्ञान के अनेक सर्वेक्षण और कुछ अल्पकालिक उत्पादिता एवं मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी किये गये ।

5. चुने हुये सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों और श्रम कानूनों की क्रियान्विति का अनुमान लगाने के लिये मामला अध्ययन किये गये ।

1969-70 में सुपर बाजार को हुई हानि और उनके द्वारा किराये का भुगतान न किया जाना

676. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 तक सुपर बाजार, नई दिल्ली की कनाट प्लेस शाखा को कुल कितनी हानि हुई ; और 31 मार्च, 1970 तक उक्त हानि में कितनी वृद्धि हुई ;

(ख) क्या सुपर बाजार की उक्त शाखा ने नगरपालिका को इमारत के किराये का अभी तक भुगतान नहीं किया है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली स्थित अन्य सुपर बाजारों के संतुलन-पत्रों की 31 मार्च, 1970 को क्या स्थिति थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) और (ग). सहकारी भाण्डार लि० के लेखे जो कि दिल्ली में सुपर बाजार की सभी यूनिटों को चलाती हैं, समूची समिति के लिये समेकित रूप में तैयार किये जाते हैं तथा न कि प्रत्येक शाखा के लिये अलग से तैयार किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त, लेखे वित्तीय वर्ष के लिये तैयार न करके सहकारी वर्ष पहली जुलाई से 30 जून तक के लिये तैयार किये जाते हैं ।

पहले तीन वर्षों की हानि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

1966-67	7.08 लाख रुपये
1967-68	22.70 लाख रुपये
1968-69	19.41 लाख रुपये

30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के लेखों की अभी तक लेखा-परीक्षा नहीं हुई है ।

(ख) सुपर बजार ने नई दिल्ली नगर पालिका को अप्रैल, 1970 तक का किराये तथा विक्रयों पर मार्च, 1970 तक का कमीशन पहले ही दे दिया है ।

भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मण्डल के विरुद्ध आरोप

677. **श्री के० रमानी :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री प० गोपालन : **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य निगम कर्मचारी संघ ने भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मण्डल के विरुद्ध सरकारी धन बरबाद करने के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के आरोप लगाये हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्यनिगम के प्रबन्धकों को इस सम्बंध में खाद्य निगम कर्मचारी संघ से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, सरकार ने इस सम्बन्ध में 29-5-1970 के "पेट्रियाट" में प्रकाशित समाचार को देखा है ।

(ख) ये आरोप इस प्रकार थे—(1) कार्यकारी समिति और निदेशक बोर्ड की 22-5-1970 की बैठकों में भाग लेने के लिये चण्डीगढ़ जाने हेतु निगम के निदेशकों और अन्य अधिकारियों हेतु वातानुकूलित बस की व्यवस्था करने में भारी खर्चा, (2) बस प्राइवेट कम्पनी से किराये पर ली गई थी और न कि भारतीय पर्यटन विकास निगम से और (3) यह पता होते हुए भी कि बस की व्यवस्था की गई है, कुछ निदेशकों ने हवाई जहाज से जाना पसन्द किया जिसमें निगम को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा ।

(ग) वातानुकूलित बस का इस लिए प्रबन्ध किया गया था कि निदेशक चण्डीगढ़ में कार्यकारी समिति और निदेशक बोर्ड की बैठकों में भाग लेने पर गेहूं की फसल की व्यस्ततम अवधि के दौरान कुछेक मंडियों का दौरा भी कर सकें । इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम ने भारतीय पर्यटन विकास निगम से अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने अन्य वायदे होने के कारण वातानुकूलित बस देने से अपनी असमर्थता व्यक्त की इस लिये तुलनात्मक दरों पर पर्यटन निगम द्वारा प्रस्तावित प्राइवेट चालक से बस किराये पर लेनी पड़ी थी । इस सम्बन्ध में खाद्य निगम द्वारा किया गया कुल खर्च वास्तव में इससे कुछ कम ही बैठता है यदि निगम के सभी निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी अपनी हकदारी के अनुसार वायु यात्रा करते । इस व्यवस्था से निगम अपने दो जूनियर अधिकारियों की बैठक के लिए संगत रिकार्ड तथा फाइलें चण्डीगढ़ में ले जाने के लिये जरूरत थी । निदेशकों में से दो निदेशक हवाई जहाज से इस लिये गये क्योंकि उन्हें पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ एक दिन पहले वार्तालाप करना था । लेकिन वे वापस बस से ही आए । तथापि, एक निदेशक जिन्हें पटना से आना था, समय पर बस पकड़ने के लिये दिल्ली नहीं पहुंच सके और इस लिए उन्हें हवाई जहाज से जाना पड़ा ।

इस स्थिति के स्पष्टीकरण को देखते हुये सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही न करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रादेशिक श्रम आयुक्त (सी) आसनसोल के सामने कोयला कर्मचारियों का प्रदर्शन

678. **श्री के० रमानी :**
श्री मोहम्मद शरीफ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री भगवान दास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जून, 1970 को प्रादेशिक श्रम आयुक्त (सी), आसनसोल के सामने कोयला खान मजदूर सभा, रानीगंज के नेतृत्व में हजारों कोयला कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शन के कारण क्या थे ;

(ग) क्या प्रादेशिक श्रम आयुक्त (सी) आसनसोल को कोई ज्ञापन दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो इस ज्ञापन का ब्योरा क्या है ; और

(ङ) ज्ञापन में उठाये गये प्रत्येक मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) अपनी तकलीफों को प्रकट करने के लिए ।

(ग) जी, हां ।

(घ) से (ङ). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3772/70]**

उर्वरक की खपत में कमी

679. **श्री रवि राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उर्वरक की खपत में वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो नाइट्रोजन उर्वरक और फासफेटी उर्वरक के सम्बन्ध में वर्ष 1969-70 के लिए खपत का मूल लक्ष्य क्या था और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खपत में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इसके कारणों की जांच की है और यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) चौथी योजना अवधि के पहले वर्ष के लिये उर्वरकों (एन० पी० और के०) की खपत का लक्ष्य 26 लाख मीटरी टन रखा गया था, परन्तु वास्तविक खपत 20.09 लाख मीटरी टन हुई थी । इस प्रकार 1968-69 में उर्वरकों (एन० पी० और के०) की खपत में

14 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि चौथी योजना अवधि में वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर 25 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।

(ख) 1969-70 के लिये नाइट्रोजनपूरक और फासफेटी उर्वरकों की खपत का परिचालित लक्ष्य क्रमशः 17.0 और 6.0 लाख मीटरी टन था और क्रमशः 3.02 तथा 1.65 लाख मीटरी टन की कमी आई थी।

(ग) सरकार द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार, लक्ष्यों की तुलना में कम स्तर पर खपत होने के मुख्य कारण कुछ क्षेत्रों में समय पर और पर्याप्त मात्रा में वर्षा का न होना, कृषिकों को पर्याप्त ऋण का न दिया जाना, वितरण पद्धति में कठोरता और विस्तार कार्य में अन्तर का होना है।

कृषकों और उर्वरक विक्रेताओं को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की पुनः अदायगी की गारंटी सम्बन्धी एक योजना पर सरकार विचार कर रही है। कृषिकों और उर्वरक विक्रेताओं को अधिक से अधिक ऋण सुविधायें प्रदान करने के लिये वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देश में विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिये उर्वरक विक्रेताओं को लाइसेंस देने की पद्धति के स्थान पर रजिट्रेशन की पद्धति अपनायी गई है। राष्ट्रीय प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण योजनाओं को और सुदृढ़ किया गया है ताकि कृषि विषयक आधुनिकतम् तकनालौजी से जिसमें उर्वरकों का आशातीत तथा सन्तुलित प्रयोग शामिल है, कृषक को परिचित कराया जा सके। सरकार उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये उर्वरक वर्द्धन परिषद की स्थापना के बारे में भी सक्रियरूप से विचार कर रही है।

पश्चिमी बंगाल में भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण

7180. **श्री वि० कु मोडक :**
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित एक विशिष्ट अनुभाग (सेल) ने राज्य के विभिन्न जिलों में भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण हाल में पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था पश्चिमी बंगाल में क्रमबद्ध भू-जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रही है। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर भूमिगत जल क्षमता योग्य पाये गये क्षेत्रों में कृषि विभाग की समन्वेषी नलकूप संस्था गहरा समन्वेषी ड्रिलिंग कार्य कर रही है। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष कक्ष भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था तथा समन्वेषी नलकूप संस्था के निकट सहयोग से कार्य कर रहा है।

(ख) अब तक किये गये सर्वेक्षण के आधार पर सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए भूमिगत जल संसाधनों के विकास के विभिन्न स्तरों के लिये उपयुक्त क्षेत्रों का निर्धारण करना सम्भव हो गया है। जल के रासायनिक गुणों के क्षेत्रीय लक्षण ; जलभरे स्थलों की उपलब्धि सम्बन्धी गहरे क्षेत्रों अथवा जलयुक्त स्तरों आदि के बारे में निर्धारण कर दिया गया है। अधिक जल निकासी (भारी ड्यूटी) वाले नलकूपों तथा कम जल निकासी कुंओं के विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया गया है और राज्य सरकारों को विशेषकर उनके द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले उथले तथा गहरे नलकूपों के विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, समुचित सलाह दी गई है।

दिल्ली दुग्ध-योजना के दुग्ध केन्द्रों की मरम्मत

681. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 जून, 1970 को नई दिल्ली में मंदिर मार्ग के निकट एक दुग्ध केन्द्र के उपरि भाग के गिर जाने से एक 9 वर्षीय लड़की की मृत्यु हो गई थी, और यदि हां, तो इस घटना का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारत की राजधानी में दुग्ध केन्द्रों की स्थिति की देखभाल करने की जिम्मेदारी किस पर है और लड़की के माता पिता को यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो कितना ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के बहुत से दुग्ध केन्द्रों के ढांचों की तत्काल मरम्मत करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या उनकी मरम्मत की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उनकी मरम्मत कब की जायेगी ; और

(ङ) इन मरम्मत कार्यों पर अनुमानतः कुल कितनी राशि खर्च की गई है अथवा की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। दिल्ली दुग्ध योजना की गाड़ी नं० 77 धक्के से इंजन को चालू करते समय 17 जून, 1970 को सायं 6-30 बजे मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के निकट डिपो नं० 251-252 से टकरा गई। वाहन को डिपो के पास ही डिपो की ओर ढलान वाली जगह पर खड़ा किया गया था और जब उसे धकेला गया तो नियन्त्रण नहीं रहा। गाड़ी का बांयी भाग डिपो के सामने की ओर तथा छत से टकराया और इस टक्कर के फलस्वरूप, छत की स्लैब, डिपो के पीछे की ओर खड़े एक बच्चे के ऊपर गिर पड़ी। बच्चा उसी स्थान पर मर गया। दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष बच्चे के पिता से मौके पर मिले। ड्राइवर का पुलिस द्वारा धारा 279 और 304 (भारतीय दंड संहिता) के अन्तर्गत एफ० आई० आर० सं० 254 दिनांक 17 जून 1970 द्वारा चालान किया गया है।

(ख) दुग्ध केन्द्र के रख रखाव का कार्य दिल्ली दुग्ध योजना के इंजीनियरिंग कक्ष द्वारा किया जाता है, टक्कर के लिये प्रतिपूर्ति की अदायगी बीमा कम्पनी द्वारा की जानी है। क्योंकि दूध की गाड़ियों का तृतीय पार्टी जोखिम के लिये बीमा किया हुआ है।

(ग) और (घ). दुग्ध केन्द्र के मरम्मत का कार्य दिल्ली दुग्ध योजना के इंजीनियरिंग कक्ष द्वारा किया जाता है ।

(ङ) दुग्ध केन्द्रों के मरम्मत तथा रख रखाव पर होने वाले वार्षिक व्यय की राशि लगभग 35,000 रुपये है ।

पाला पड़ने से सब्जियों तथा रबी की फसल की रक्षा के लिये कृषि उपकरण

682. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय घास चारा अनुसन्धान संस्था झांसी के एक युवक कृषि इन्जीनियर ने सर्दियों में सब्जियों तथा रबी की फसल की पाला पड़ने से रक्षा करने के लिये एक कृषि उपकरण तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी उपादेयता का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसन्धान संस्था, झांसी के सहायक कृषि अभियन्ता श्री जय सिंह ने भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसन्धान संस्था, झांसी के भूतपूर्व निदेशक डा० मुख्तर सिंह के सहयोग से पाले से फसलों की सुरक्षा के लिये एक "इगफ्री स्मोक स्क्रीन फारमर" का डिजाइन तैयार किया है ।

(ख) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान, दो सर्दियों के मौसमों में, संस्था के केन्द्रीय अनुसंधान फर्म, झांसी में इस उपकरण की उपदेयता का मूल्यांकन किया गया है । पाला से आलू की फसल की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिये यह उपयुक्त पाया गया । आलू की फसल के सम्बन्ध में एक प्रोटोटाइप केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था, शिमला तथा इसके उप केन्द्र जलन्धर को भी भेजा गया था, क्योंकि पाले के कारण इन क्षेत्रों में आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है । आगामी रबी मौसम के दौरान अन्य स्थानों पर परीक्षण के लिये दो और प्रोटोटाइप निर्माणाधीन हैं ।

(ग) इस उपकरण में एक क्यूबिक फुट क्षमता का एक दहन ड्रम होता है, जिसमें ड्रम के अन्दर आने वाली हवा की मात्रा को नियंत्रण करने के लिये छिद्रों तथा कपाटों (शटर्ज) की व्यवस्था है । ड्रम हाथ से चलने वाले ब्लोयर से जुड़ा हुआ होता है । चालक द्वारा कंधे पर 12 किलोग्राम के सारे उपकरण को आसानी से उठाने के लिये पट्टियों सहित एक सहारा देने वाले फ्रेम की व्यवस्था की गई है । परिचालन के दौरान गर्मी से चालक को बचाने के लिये उपकरण में पर्याप्त व्यवस्था की गई है । फसल का अवशिष्ट तथा फार्म का कूड़ा दहन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है । जमीन के स्तर से लगभग 2-3 मीटर की ऊंचाई पर एक मोटा समोक सक्रीन बनाया गया है । यह पाले से फसल की सुरक्षा के लिये एक "सुरक्षा पर्त" बनाता है ।

खेतों के किनारों पर रखे कूड़ा-करकट के छोटे ढेरों को जला कर कृषक एक धुएं का पर्दा बनाकर इस ढंग को प्रयोग में लाते हैं। जैसा कि समझा गया था, यह ढंग व्यावहारिक रूप से उतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि शांत तथा पाले की रात को धुआं फसल पर नहीं फैलता है। भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसंधान संस्था में तैयार किया गया "स्मोक स्क्रीन फारमर" ब्लौयर की क्रिया से खेतों में धुआं फैलाता है और शांत तथा पाले की रात होने के कारण यह धुआं फसल पर फैल जाता है और पाले से पूर्णतः इसकी सुरक्षा करता है।

वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि

683. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री श्री चन्द गोयल :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री अविचन :
श्री जो० ना० हजारिका :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री दे० अमात :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1970 में वनस्पति घी के मूल्यों में फिर वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में वनस्पति घी के मूल्य 30 जून 1970 के मूल्यों की तुलना में कम थे या अधिक थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1970 से जबकि वनस्पति के मूल्यों में पिछली बार संशोधन किया गया था, यह वृद्धि अंशतः कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि होने और अंशतः स्टाक की चल रही स्थिति को ध्यान में रखकर सोयाबीन तेल के उपयोग के स्तर को कम करने के कारण हुई थी।

(ग) बिक्री कर और अन्य स्थानीय करों को छोड़कर 1966-67, 1967-68 और 1968-69 की 30 जून को वनस्पति के खुदरा मूल्यों की 30 जून, 1970 के मूल्यों के साथ नीचे तुलना की जाती है :

रुपये प्रति किलो

दिनांक	उत्तरी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र
30 जून को				
1966-67	5.50	5.13	5.44	5.40
1967-68	5.21	5.12	5.37	5.18
1968-69	3.81	3.57	3.77	3.66
1970	5.86	5.84	5.88	5.89

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का उत्तर प्रदेश, मैसूर तथा मध्य प्रदेश में पुनर्वास

684. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व पाकिस्तान के लगभग 5000 विस्थापित व्यक्तियों को तत्काल राहत और संरक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा उत्तर प्रदेश, मैसूर और मध्य प्रदेश के बीच क्या व्यवस्था तय हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): हाल ही में हुए प्रवाह के, अर्थात 1-1-1970 से पश्चिमी बंगाल में भारी संख्या में आने वाले प्रवासियों में से, लगभग 36,828 व्यक्तियों की निम्नलिखित संख्या को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मैसूर की सरकारों ने तत्काल राहत तथा आवास देना अस्थायी रूप में मान लिया है :—

उत्तर प्रदेश	...	15,000	व्यक्ति
मैसूर	...	3,500	,,
मध्य प्रदेश	...	18,328	,,

17-7-1970 तक 4,578 व्यक्ति मध्य प्रदेश को और 5,112 व्यक्ति उत्तर प्रदेश को सीधे पश्चिम बंगाल से भेज दिये गये थे और माना मैं आश्रित इस नये प्रवाह के 1250 व्यक्ति (250 परिवार) मैसूर भेजे जा रहे हैं।

इन व्यक्तियों को वर्तमान शिविरों में और/या नये शिविरों में जोकि स्थापित किये जायेंगे, आवास दिया जायगा। उनकी राहत और आवास के सम्बन्ध में सारा खर्च भारत सरकार देगी।

उड़ीसा में केन्द्रीय बीज फार्म को हीराकुड क्षेत्र से स्थानान्तरित करना

685. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में हीराकुड क्षेत्र स्थित केन्द्रीय बीज फार्म को उड़ीसा में किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) स्थानान्तरण के कारण क्या हैं और इस में कुल कितना व्यय होगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

भूमि अधिग्रहण जांच प्रतिवेदन

686. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भूमि अधिग्रहण विधि के सम्बन्ध में जांच करने के लिये ए० एन० मुल्ला की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया ;

(ख) प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों में से कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये स्वीकार किया गया ; और

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिये भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में कोई संशोधन निकट भविष्य में संसद् में प्रस्तुत किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) श्री ए० एन० मुल्ला, संसद् सदस्य की अध्यक्षता में बनी भूमि अधिग्रहण पुनर्विलोकन समिति ने 18 मार्च, 1970 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) और (ग). भूमि अधिग्रहण पुनर्विलोकन समिति की रिपोर्ट समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के पास टिप्पणी के लिये भेज दी गई है। यदि रिपोर्ट की क्रियान्विति के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो समस्त राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से विस्तृत टिप्पणियां प्राप्त होने पर ही, उन पर विचार किया जाएगा।

लेम्फलपेट, मनीपुर में कृषि विकास के लिये रक्षित भूमि

687. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेम्फलपेट में, कृषि विभाग, मनीपुर के लिये कृषि कार्य हेतु कुल कितना क्षेत्र रक्षित किया गया है ;

(ख) लेम्फलपेट में कृषि कार्य के लिये किसानों को कुल कितनी भूमि पट्टे पर दी गई है;

(ग) क्या गत वर्ष कृषि विभाग के लिये रक्षित समूची भूमि में खेती की गई थी ;

(घ) यदि नहीं, तो औसत रूप से कुल कितनी भूमि में खेती की गई थी और उसमें से कुल कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ङ) क्या मनीपुर सरकार लेम्फलपेट में दी गई भूमि के पट्टे की अवधि बढ़ा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर यथासम्भव रख दी जायेगी।

विभिन्न राज्यों में सामुदायिक विकास विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की स्थिति

688. **श्री शिव नारायण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास मंत्रालय बन्द हो जाने के बाद, सामुदायिक विकास विभाग ने खण्डों की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में कुछ प्रगति की है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में सामुदायिक विकास खण्डों में कितने प्रतिशत कर्मचारी कम कर दिये गये हैं ;

(ग) इस समय कार्य कर रहे कर्मचारियों के कृत्य क्या हैं और क्या उनकी सेवाएं विभिन्न खण्डों में किये जाने वाले वार्षिक खर्च के अनुरूप हैं ; और

(घ) उन राज्यों में, जिनमें खण्ड अधिकारियों के पद समाप्त कर दिये गये हैं ; खण्ड अधिकारियों के कार्य की देखभाल किस वर्ग के अधिकारी करते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी हां । सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलापों की बराबर समीक्षा होती रही है तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत इन कार्यकलापों की प्रगति सभा को सामुदायिक विकास विभाग की 1969-70 की वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही सूचित कर दी गई है ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण 1 में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3773/70]**

(ग) सामुदायिक विकास के कर्मचारियों के उपयोग के प्रश्न पर बारीकी से विचार किया गया है । राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया था कि सभी स्तरों पर विस्तार अभिकरणों की कार्य-कुशलता तथा वेतन में सुधार के लिए ठोस प्रयास किये जाने चाहिए । न्यूनतम विश्वव्यापी योग्यता की अपेक्षा अपेक्षाकृत निपुण व्यक्तियों के साथ विस्तार सेवाओं के लिये विशेष क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिए । मद्रास में जून, 1968 में मुख्य मंत्रियों तथा सामुदायिक विकास और पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक क्षेत्र की वास्तविक कार्यक्रम सम्बन्धी सम्भाव्यता तथा कार्य-भार को ध्यान में रखते हुए खण्डों के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन किये जाने चाहिए । यह भी सुझाव दिया गया था कि जिन कर्मचारियों के पास किसी क्षेत्र विशेष में काफी मात्रा में कार्य न होने की सम्भावना थी, उन्हें पुनः कार्य में लगाया जाय । विस्तार सेवाओं में सुधार एक चुनौती का कार्य है तथा कार्य के परिमाण देखते हुए एक खण्ड को दिये गये विस्तार कर्मचारियों की संख्या कम होती है । विस्तार सेवाओं की आवश्यकता का पता लगाने के लिए अकेले वार्षिक खर्च के आंकड़े ही अच्छा साधन नहीं हैं ।

(घ) सभी राज्यों में खण्ड अधिकारियों का कार्य खण्ड विकास अधिकारी देखते हैं ; जब कि मध्य प्रदेश में विकास सहायक देखते हैं ।

Abolition of Land Revenue on Un-Economic Holdings in Delhi

689. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Delhi Administration has sent any proposals to abolish levy on uneconomic holdings of small peasants ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) when these proposals were received and the steps taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The Delhi Administration sent a proposal as far back as 1967 suggesting that Land Revenue on all agricultural holdings of less than 8 standard acres may be abolished on the ground that such holdings are uneconomic. They also stated that the number of such uneconomic holdings was 52,772 and that the Land Revenue from them was roughly Rs. 2,61,000/-. This Ministry thereupon asked the Delhi Administration in 1967 as to how they proposed to make up the deficiency in revenues which would be caused by the proposed abolition of Land Revenue on agricultural holdings of

less than 8 standard acres. In January, 1970 the Delhi Administration came up with a reply on this point and indicated that they would be able to make up this loss by increased revenues from Excise Duty, Sales Tax as well as from savings schemes, etc. The matter was examined in this Ministry and the Delhi Administration was informed in July, 1970 that the definition of the term "uneconomic holding" as given in Section 3 (22) of the Delhi Land Reforms Act, 1954 required to be reviewed because of the improvement in irrigation facilities available to the agricultural lands in and around Delhi Union Territory and also because of the introduction of high yielding varieties of crops and multiple cropping. It was pointed out to the Delhi Administration that holdings of less than 8 standard acres could not be considered as uneconomical holdings as such lands could bring in good returns now on account of the programmes relating to vegetable production, multiple cropping, high yielding varieties and mixed farming. As such the Delhi Administration were advised to reconsider the matter. Further action will be taken on hearing from them.

Distribution of Land Belonging to Gram Panchayats Amongst Schedule Castes and Schedule Tribes

690. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Om Prakash Tyagi:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land belonging to Gram Panchayats distributed by them amongst the landless people in different States upto the end of 1969 ;

(b) the number of persons amongst them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(c) the total land thus given to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S.C. Jamir) : (a) to (c). Information has been called for, from the State Governments and will be placed on the Table of the House, when received.

पंजाब के खाद्य तथा पूर्ति विभाग से गेहूं का गायब हो जाना

691. **श्री प० गोपालन :**
श्री इ० के० नायनार :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के खाद्य तथा पूर्ति विभाग के गेहूं के दो लाख बोरे गायब हो गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मामले में पंजाब के सारे खाद्य तथा पूर्ति विभाग का हाथ था ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). यह मामला पंजाब सरकार तथा उनके अधिकारियों से सम्बन्धित है और

इसलिये यह राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, न कि केन्द्रीय सरकार के। तथापि, पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी जा रही है।

न्यूनतम मजूरी के बारे में हिन्द मजदूर सभा, दिल्ली द्वारा ज्ञापन दिया जाना

692. **श्री क० लकप्पा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 150 रुपये न्यूनतम मजूरी देने की मांग के बारे में सरकार को हिन्द मजदूर सभा, दिल्ली से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांग के बारे में विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) दिल्ली प्रशासन से यह पता चला है कि उन्हें हिन्द मजदूर पंचायत, दिल्ली से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें मृद्भाण्ड श्रमिकों के लिए 5 रु० प्रतिदिन की न्यूनतम मजूरी के लिए प्रार्थना की गई है।

(ख) इस मामले की जांच करने तथा मृद्भाण्ड उद्योग के रोजगार में मजूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन करने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए, दिल्ली प्रशासन ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एक समिति गठित की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

693. **श्री क० लकप्पा : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र प्रदेश, बम्बई के प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के लगभग सभी कर्मचारी 24 जून, 1970 को हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या कर्मचारियों की मांगें पूरी कर दी गई थीं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का संबंध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा संबंध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न सूचना भेजी है :

(क) से (ग). प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के कार्यालय के कर्मचारी, (1) वेतन-मानों में संशोधन, (2) मकान किराये-भत्ते की वृद्धि; और (3) चिकित्सा की और अच्छी सुविधाओं से संबंधित मांगों को मनवाने के लिये 24 जून 1970 को एक दिन की हड़ताल पर गये। इन मामलों पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड विचार कर रहा है।

अमरीका से विमान द्वारा लाई गई भेड़ों पर खर्च

694. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मार्च/अप्रैल, 1968 में अमरीका से कुछ भेड़ें मंगाई थीं तथा इन भेड़ों को भारत में विमान द्वारा लाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी भेड़ों को विमान द्वारा लाया गया था ।

(ग) उनको लाने पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) उन भेड़ों को जहाजों द्वारा क्यों नहीं लाया गया ; और

(ङ) यदि इन भेड़ों को जहाजों से लाया गया होता तो कितनी बचत होती ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 1465

(ग) 19,46,293.50 रुपये

(घ) तथा (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

इंडिया सप्लाई मिशन ने समुद्रीय मार्ग द्वारा भेड़ों के परिवहन के प्रश्न पर अवश्य ही विचार किया था और वास्तव में सर्वश्री स्टेट्स मेरिन से एक आफर भी प्राप्त की, जिसने भाड़ा की दर 177,550.60 डालर बताई । इस आंकड़े में स्टालों या गोठों के लिये 32,000 डालर की अनुमानित अतिरिक्त लागत, यात्रा के दौरान खाद्य के लिये 25,000 डालर की अतिरिक्त लागत, भेड़ों के विस्तर के लिये 8,000 डालर, परिचरों के आवास के लिये, 6,000 डालर, खाद्य वाटों आदि जैसी विविध मदों के लिये 1,000 डालर की अतिरिक्त लागत सम्मिलित नहीं थी । इन सब विविध व्यय का योग 72,000 डालर आता है । इसके अतिरिक्त 1. परिचरों का वेतन तथा भत्ता, 2. साथ में चलने वाले पशु-चिकित्सकों का वेतन, 3. परिचरों तथा पशु-चिकित्सकों को अपने देश लौटने के व्यय के लिये अतिरिक्त खर्च होगा ।

पोत परिवहन मंडल द्वारा अनुमान लगाया गया था कि इन मदों पर कुल खर्च 15,000 से 20,000 डालर के बीच होगा । इसलिये 2,59,505.80 डालर के वास्तविक हवाई भाड़ा की तुलना में समुद्री भाड़े की राशि 2,64,000 डालर से 2,69,000 डालर के बीच आयेगी ।

इस बात को भी ध्यान में रखना है कि 2 दिन से 4 दिन तक की कम हवाई यात्रा में भेड़ों के बीमार तथा कमजोर होने की सूचना मिली है । समुद्री यात्रा के कारण यह और अधिक परिमाण में होने की आशा होती ।

समुद्र द्वारा भेड़ों के परिवहन की लागत कम नहीं होनी थी और समुद्री जहाज द्वारा यात्रा लम्बी अवधि की होती, जिससे भेड़ों पर अधिक खराबी तथा बहुत से खतरे हो सकते थे । इसलिये भेड़ों का समुद्र द्वारा लाने का विचार समाप्त कर दिया ।

कृषि विभाग ने सलाह दी थी कि गर्मी से बचने के लिये भारत में भेड़ मार्च के समाप्त

होने से पहिले पहुंच जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग ने सलाह दी थी कि खरीदी जाने वाली भेड़ों में यथासम्भव अधिक गर्भिणी भेड़ें होनी चाहिये, जिससे कि नवजात मेमनों के लिये बिना कुछ अदा किये हम इन भेड़ों से मेमनें प्राप्त कर सकेंगे । सुपुर्द की गई भेड़ों में काफी भेड़ें गर्भिणी थी । गर्भिणी भेड़ों के स्वास्थ्य को बहुत कम खतरा होता है यदि उन्हें समुद्री जहाजों की अपेक्षा वायुयानों से ले जाया जाये, क्योंकि समुद्री जहाजों को यात्रा लम्बे समय की होती है तथा इन्हें काफी तापमान के क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है ।

पश्चिम बंगाल में भूमि वितरण की योजना

695. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल प्राशासन ने भूमि वितरण की एक नई योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान योजना संयुक्त मोर्चा सरकार की भूमि-नीति से किस रूप में भिन्न है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यह यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में छोटे किसानों द्वारा जबरदस्ती हस्तगत की गई भूमि का निर्धारण

696. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के इस निर्णय के पश्चात् कि उन छोटे किसानों को, बेदखल न किया जाये जिन्होंने पश्चिम बंगाल में 2 एकड़ सरकारी भूमि जबरदस्ती हस्तगत कर ली थी, क्या सरकार ने ऐसी भूमि के कुल क्षेत्र का पता लगा लिया है;

(ख) क्या ऐसी भूमि के स्वामी वस्तुत: किसान ही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनमें से अन्य वर्गों के लोग कितने हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को भूमि के बलात् कब्जे के मामलों की जांच-पड़ताल करने और अपेक्षित जानकारी भेजने के लिये अनुदेश दिए हैं । ऐसी जांच-पड़ताल में कुछ समय लग सकता है ।

खाद्य प्रोटीन तत्व

697. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खाद्य कांग्रेस ने 15 मई, 1970 को नई दिल्ली में

आयोजित अपनी विचार-गोष्ठी में देश में प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिये विभिन्न उपायों का सुझाव दिया था ;

(ख) सरकार के अनुसार इस समय उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा में कितनी कमी है और प्रोटीन तत्वों की कितनी कमी है ; और

(ग) उक्त विचार-गोष्ठी ने विशिष्टरूप से क्या सुझाव दिये तथा उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय आहार में औसत कैलारी लगभग 1960 होती है जबकि 2100 से 2300 कैलारी की आवश्यकता होती है । वनस्पति प्रोटीन की 45 ग्राम और जान्तव प्रोटीन की 5.25 ग्राम प्रतिदिन की उपलब्धि होती है जबकि अभिस्तावित पौष्टिक लक्ष्य क्रमशः लगभग 55 ग्राम तथा 10 ग्राम है ।

(ग) कांग्रेस के निष्कर्षों तथा सिफारिशों की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाती है । केन्द्र तथा राज्य स्तर की सभी सरकारी एजेंसियों तथा संबंधित स्वयंसेवी एवं गैर-सरकारी संस्थानों को अन्तिम रिपोर्ट की प्रतियां भेजने का विचार है ताकि उचित एवं संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा सके । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3783/70]**

प्रेस सम्वाददाताओं को मान्यता सम्बधी सुविधाएं देना

698. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'नेशनल सालिडेरिटी' के प्रतिनिधि को मान्यता संबंधी वे विशेषाधिकार तथा सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं जो मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को दी जाती हैं जब कि प्रेस सूचना ब्यूरो ने इनकी अनुमति देने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपयुक्त साप्ताहिक पत्रिका भारत समर्थक नीति का अनुसरण करती है ;

(ग) यदि हां, तो उल्लिखित साप्ताहिक पत्रिका के सम्बन्ध में अपवाद के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सुविधाएं देने से पूर्व सरकार ने प्रेस परामर्शदात्री निकाय से सलाह मांगी थी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दी गई सलाह का ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). नेशनल सालिडेरिटी, नई दिल्ली के सम्पादक को साप्ताहिक पत्र के संवाददाता के रूप में अक्टूबर, 1969 में प्रत्यायित किया गया था । सामान्यता समाचारपत्रों के सम्पादकों को प्रत्यायित नहीं किया जाता, परन्तु केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति ने केवल 6 पत्रिकाओं अर्थात "शंकर्ज वीकली", नई दिल्ली, "सेवाग्राम", दिल्ली, "एशियन रिकार्डर", नई दिल्ली, "अफ्रीका डायरी", नई

दिल्ली, "नेशनल सालिडेरिटी", नई दिल्ली, तथा "नेशनल इनवैस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स" दिल्ली के सम्बन्ध में अपवाद माना। समिति ने जिस विचार को मद्देनजर रखते हुए यह सिफारिश की थी वह यह था कि ये पत्रिकाएं विशिष्ट प्रकार की हैं और इन प्रत्येक पत्रिका का सम्पादक स्वयं संवाददाता के रूप में भी काम करता है। "नेशनल सालिडेरिटी" को प्रत्यायित करने से पूर्व, मामले को प्रेस प्रत्यायन समिति को उनकी सिफारिश के लए भेजा गया था। प्रत्यायित करने के लिये किसी पत्र की नीति का विचार नहीं किया जाता।

प्रत्यायित होने के उपरान्त, "नेशनल सालिडेरिटी" का प्रतिनिधि अन्य सभी के समान उन सुविधाओं का हकदार है जो संवाददाताओं को सामान्यतया दी जाती है।

आकाशवाणी से विज्ञापनों के प्रसारणों से कुल आय

699. **श्री स० चं० सामन्त :**

श्रीमती सुचेता कृपालानी :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी तथा टेलीविजन के विभिन्न एककों में विज्ञापनों के प्रसारणों का विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में 30 जून तक प्रसारणों तथा विज्ञापनों से आकाशवाणी के विभिन्न एककों को कुल कितनी आय हुई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मार्च, 1971 तक की अवधि के दौरान विविध भारती के निम्नलिखित 11 केन्द्रों से व्यापारिक विज्ञापन चालू किये जाएंगे :

चण्डीगढ़-जलन्धर, बंगलौर-धारवाड़, कानपुर - लखनऊ - इलाहाबाद, अहमदाबाद-राजकोट तथा हैदराबाद-विजयवाड़ा।

टेलीविजन पर व्यापारिक विज्ञापन आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) 1969-70 के दौरान व्यापारिक सेवा से अर्जित कुल आय 2,30,44,373 रुपये तथा 1970-71 (जून तक) के दौरान 62,21,336 रुपये थी।

रोम में खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक

700. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि उन्होंने हाल में रोम में खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अन्य सरकारों के प्रतिनिधियों से बात चीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई थी ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). रोम में खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक नहीं हुई।

फिर भी, खाद्य तथा कृषि संगठन ने नीदरलैंड के हेग में विश्व खाद्य कांग्रेस का आयोजन किया था जिसमें अन्य सहयोगियों के साथ केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री भी सम्मिलित हुये थे।

इस सम्मेलन में अन्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत करने का कोई अवसर नहीं था।

प्रव्रजन के कारणों को मालूम करने के लिए पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के बयानों का रिकार्ड करना

701. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के प्रव्रजन के कारणों को मालूम करने के लिए उनके बयानों को रिकार्ड करने का कोई प्रबन्ध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). चूंकि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी हजारों की संख्या में आ रहे हैं, इसलिये सीमा पार करके आने वाले प्रत्येक शरणार्थी के बयान रिकार्ड करने की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

तथापि, पश्चिम बंगाल में आए बहुत से शरणार्थियों से पूछने पर यह पता चला है कि भारी संख्या में शरणार्थियों के आने के बहुत से कारण हैं जिनमें जीवन की अस्थिर स्थिति, आर्थिक संकट और पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यक समुदाय के प्रति भेद-भाव का बर्ताव शामिल है। वर्तमान चुनाव अभियान के अन्तर्गत साम्प्रदायिक दलों के प्रचार द्वारा स्थिति और भी बिगड़ गई है।

चौथी योजना की अवधि में गो-मांस के उत्पादन में वृद्धि

702. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गोमांस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या निश्चित कार्यवाही करने जा रही है ; और

(ख) यदि कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार गो-मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।

(ख) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना की अवधि में दूध के अत्याधिक अभाव की पूर्ति के लिए पशु पालन क्षेत्र में मुख्यत: दुग्ध उत्पादन की वृद्धि पर बल दिया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसरण में कई राज्यों में गो वध पर प्रतिबन्ध लगा दिया

गया है। हमने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संविधान के अनुच्छेद 48 को पूर्णतः लागू करने का अनुरोध किया है। हमने बहुत से देशों में पशुओं को मांस तथा दूध के लिए विकसित करने की आम नीति को नहीं अपनाया है।

अहमदाबाद तथा बम्बई और बड़ौदा तथा बम्बई के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

703. **श्री मनुभाई पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और बम्बई के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या बड़ौदा बम्बई और अहमदाबाद के बीच स्थित है ; और

(ग) क्या बड़ौदा को बम्बई से जोड़ने की कोई योजना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। राष्ट्र व्यापी सीधी ट्रंक डायलिंग के लिये एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें बड़ौदा का संबंध बम्बई से जोड़ने का विचार है। इसके लिये अहमदाबाद, बड़ौदा बम्बई सेक्शनों में ट्रंक परिपथों में वृद्धि करनी होगी, अहमदाबाद में एक ट्रंक आटो एक्सचेंज लगाना पड़ेगा और बम्बई के ट्रंक आटो एक्सचेंज में विस्तार करना पड़ेगा। इस समय यह अनुमान है कि 1975-76 तक बड़ौदा का बम्बई से सम्बन्ध जोड़ना सम्भव हो जायगा।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जहां तक सीधी ट्रंक डायलिंग का ताल्लुक है, राज्यों की राजधानियों के परस्पर और उनका दिल्ली के साथ सम्पर्क स्थापित करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

गांधी नगर, गुजरात में टेलीफोन सुविधायें और गांधी नगर तथा अहमदाबाद और दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन सेवा

704. **श्री मनुभाई पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की नई राजधानी गांधी नगर में उपलब्ध टेलीफोन सेवाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सीधी डायल व्यवस्था के अन्तर्गत गांधी नगर का अहमदाबाद और दिल्ली के साथ टेलीफोन द्वारा सीधा सम्बन्ध स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) गांधी नगर में एक 600 लाइनों का आटो-एक्सचेंज 3-पोजीशन ट्रंक एक्सचेंज के साथ काम कर रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) लगभग तीन वर्ष।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या

705. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1970 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्य कर रहे प्रत्येक समुदाय के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस विभाग में अनुसूचित जातियों को 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल रहा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकारी कर्मचारी जिन समुदायों से सम्बन्ध रखते हैं, उनके बारे में सूचना नहीं रखी जाती।

(ख) जी, नहीं।

पंजाब में बहावलपुर तथा उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रदेश के शरणार्थियों को भूमि का आवंटन

706. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहावलपुर तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश से आने वाले शरणार्थियों को बसाने के लिये पंजाब में 4,000 मानक एकड़ भूमि सुरक्षित रखी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या शरणार्थियों को यह क्षेत्र आवंटित कर दिया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). मिश्रित पंजाब में लगभग 7,000 मानक एकड़ भूमि गैर-पंजाबी भूमि दावेदारों को आवंटन के लिये सुरक्षित रखी गई थी। इसमें से, लगभग 4,500 मानक एकड़ भूमि पहले ही गैर-पंजाबी भूमि दावेदारों को आवंटित की जा चुकी है। जहां तक शेष क्षेत्र का सम्बन्ध है, पंजाब तथा हरियाणा की राज्य सरकारों से मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

कुछ राज्यों में अलाटियों द्वारा ट्रैक्टरों को पंजाब और हरियाणा के खरीददारों को बेचना

707. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि राज्यों विशेष के लिये नियत ट्रैक्टरों को उनके अलाटी पंजाब तथा हरियाणा में खरीददारों को लगतार बेचते रहे हैं ;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने इस प्रथा के बारे में शिकायत की है; और

(ग) इस प्रथा को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सरकार को पता चला है कि कुछ मामलों में कुछ विशेष राज्यों में कृषकों को बेचे गये ट्रैक्टर उनके (कृषकों) द्वारा पुनः पंजाब हरियाणा आदि के खरीददारों को बेचे जा रहे हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसी प्रथा को रोकने के लिये सरकार ट्रैक्टरों के विक्रय तथा वितरण के सम्बन्ध में एक नियन्त्रण आदेश जारी करने के बारे में विचार कर रही है।

वर्ष 1970-71 में अनाज के उत्पादन की सम्भावनाएं

708. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में देश में अनाज का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या इस वर्ष भी अधिक उत्पादन होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) कृषि वर्ष 1970-71 अभी आरम्भ हुआ है और देश के बहुत से भागों में खरीफ की बुवाई चल रही है । अतः 1970-71 के मौसम के खाद्यान्न उत्पादन (रबी के मौसम की फसलों सहित) की सम्भावनाओं के बारे में अभी कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) जी हां । विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि इस वर्ष के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाया जाये ।

Financial Loss to Farmers due to late Procurement of Sugarcane by Sugar Mills

709. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Sugar Mills in Uttar Pradesh were unable to procure the entire quantity of Sugarcane from the farmers in time this year as a result of which a large quantity of sugarcane went waste and the farmers had to incur heavy financial loss ;

(b) if so, whether Government have tried to ascertain or propose to ascertain the causes therefor;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government propose to consider the question of asking the mill-owners to pay compensation to the farmers; and

(e) the arrangements made by Government to ensure that such a situation does not recur in future?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) In some areas, the availability of sugarcane for sugar factories has been very large this year because of diversion of sugarcane from manufacture of gur and khandsari to sugar due to low prices of gur and khandsari. The Central as well as the State Governments concerned took measures to ensure that factories crush all available sugarcane in their areas. As a result, many factories in U.P. have worked into July and some may go on into August also. They have already crushed the highest ever quantity of sugarcane this year. All efforts including diversion of cane are still being made to utilize all available cane for manufacture of sugar.

(b) and (c). The main causes contributing to this situation are (i) unprecedented large crop of sugarcane; and (ii) the steep fall this year in the utilisation of sugarcane for the production of gur and khandsari.

(d) The payment of compensation by sugar factories is governed by the agreements entered into between the sugar mills and the suppliers of cane under the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Order, 1954 and the provisions of that Order.

(e) Government have decided to set up a Committee to study in depth the working and problems of the sugar industry in the country including the question of long-term stabilisation of production of sugarcane and sugar.

जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा खराब ट्रैक्टर सप्लाई किये जाने के कारण उनके द्वारा ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने सम्बंधी सहयोग-समझौते पर पुनर्विचार

710. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री जी० वाई कृष्णन :
श्री भोलानाथ मास्टर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य ने कृषि उद्योग निगम के माध्यम से खराब ट्रैक्टर सप्लाई किये थे ;

(ख) यदि हां, तो इन ट्रैक्टरों में पाई गई खराबियों को ध्यान में रखते हुए इनके उपयोग में क्या कठिनाईयां पेश आईं ; और

(ग) क्या जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के सहयोग से ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने के निर्णय को बदलने का कोई विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). पूर्वी जर्मनी से आयातित ट्रैक्टरों (आर एस 09) के कार्य के बारे में कुछ

शिकायतें मिली हैं। इस समय इस मामले पर भारत सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों और जर्मन सम्भरणकर्त्ताओं द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। इस संयुक्त परीक्षण के परिणामस्वरूप कुछ सुधार और संशोधन करने के लिये सुझाव दिये गए हैं। परीक्षण करने के बाद इन्हें पहले प्राप्त हुए ट्रैक्टरों में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

भारत में एक ट्रैक्टर संयंत्र स्थापित करने के बारे में पहले लिए गए निर्णय को बदलने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में बन्द हुये कारखानें, संस्थान तथा कार्यालय

711. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से कितने कारखानें बन्द हो गए हैं, ऐसे कारखानों, संस्थानों तथा कार्यालयों के नाम क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) इन कारखानों के बन्द होने के कारण क्या हैं ; और

(ग) उनको पुनः खोलने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) (क) से (ग). सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी।

Central Financial Assistance to Improve Market Conditions in Madhya Pradesh

712. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh has asked for financial assistance from the Central Government in order to improve the conditions of some makets where farmers sell their agricultural produce ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahed Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Taking over of Textile Mills in Madhya Pradesh by National Textile Corporation

713. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Textile Corporation has taken over some textile mills in Madhya Pradesh ;

(b) if so, whether the recommendations of the Wage Board have been implemented in those mills ; and

(c) if not, the reasons therefor and whether Government propose to take any steps to implement those recommendations immediately ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). The position is being ascertained.

मध्य प्रदेश में वन-पशुओं की उचित व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सहायता

714. **श्री गं० च० दीक्षित :**
श्री शशि भूषण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वन पशुओं की वर्तमान व्यवस्था की प्रणाली संतोषजनक है ;

(ख) क्या वन पशुओं के परिरक्षण और संरक्षण की वर्तमान व्यवस्था प्रभावशाली है;

(ग) यदि नहीं, तो उनके प्रबन्ध को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सरकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्री खाद्य-स्रोतों के उपयोग के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

715. **श्री दे० अमात :**
श्री अदिचन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सहित समुद्रीय खाद्य स्रोतों का उपयोग करने के लिये इस वर्ष प्रत्येक राज्य द्वारा पेश की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है तथा इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कितनी तथा किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता मांगी गई है;

(ख) क्या इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है, यदि हां, तो यदि कोई परिवर्तन किये गये हैं तो वे क्या हैं, और प्रत्येक राज्य को इस उद्देश्य के लिये नकद तथा अन्य रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ग) वर्ष 1968 तथा 1969 के दौरान समुद्रीय खाद्य सामग्री का कितना उत्पादन हुआ तथा वर्ष 1970 के दौरान इस में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा समुद्रीय संसाधनों के उपयोग के लिये प्रस्तावित योजनायें प्रत्येक योजना के लिये प्रस्तावित राशि तथा राज्य सरकार द्वारा 1970-71 के बजट में निर्धारित की हुई राशियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं। भारत सरकार ने कुछ सुझाव

देते हुये तथा प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुये योजनाओं को प्राय : स्वीकार कर लिया है। वर्तमान प्रणाली के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य योजनाओं की किसी भी योजना के लिये पृथक रूप से कोई विशिष्ट राशि स्वीकृत नहीं की जाती। केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी एक योजना के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। राज्यों की वार्षिक योजनाओं का परिव्यय विभिन्न विकास शीर्षों के अन्तर्गत उनके ब्यौरे के निर्धारण सहित योजना आयोग द्वारा राज्यों में उपलब्ध संसाधनों तथा अन्य घटकों के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सहायता कुल परिव्यय के आधार पर ब्लाक अनुदानों तथा ऋणों के रूप में प्रदान की जाती है किन्तु विभिन्न राज्यों में प्रारम्भ की हुई केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है। इनमें से कुछ योजनायें किसी विशेष राज्य से सम्बन्धित नहीं होतीं तो भी उनका लाभ कई राज्यों द्वारा उठाया जाता है ऐसी एक योजना के अन्तर्गत गहरे समुद्रीय संसाधनों के सर्वेक्षण के लिये पश्चिमी तथा पूर्वी तट पर कई जहाजों को लगाया जा रहा है। एक अन्य योजना के अन्तर्गत देश में ही निर्मित 57 फुट से अधिक लम्बे तथा लोहे से बने मछली पकड़ने के पोतों की लागत के लिये उपदान प्रदान करने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 5.2 करोड़ रुपये के प्रावधान का निश्चय किया गया है। विभिन्न समुद्र तटीय राज्यों के बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मीन बंदरगाहों के निर्माण का समस्त व्यय पूर्णत : केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। लघु बन्दरगाह कार्यों का (जिनके लिये प्रत्येक राज्य द्वारा प्रावधान कर लिया गया है) उल्लेख विवरण में दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने मद्रास और बम्बई के प्रमुख पत्तनों पर विशाल मीन पत्तनों के लिये मंजूरी दे दी है, और अन्य प्रमुख पत्तनों पर बंदरगाहों की योजना विचाराधीन है [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 3774/70**]

(ग) सन 1968 और 1969 में पकड़ी गई समुद्रीय मछलियों की मात्रा क्रमश : लगभग 9.04 लाख मीटरी टन तथा 9.12 लाख मीटरी टन थी और 1970 में यह मात्रा 9.52 लाख मीटरी टन तक बढ़ जाने की संभावना है।

तमिलनाडु में श्रमिक अशान्ति

716. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु राज्य में श्रमिक अशान्ति बढ़ रही है ;

(ख) कितने मामलों में तमिलनाडु सरकार ने हड़तालें समाप्त कराने के लिये केन्द्र से सहायता मांगी ; और

(ग) केन्द्र ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को क्या प्रस्ताव भेजे हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह कहना सही नहीं होगा कि तमिल नाडु में श्रमिक अशांति बढ़ रही है।

(ख) हाल में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Production and Export of Sugar by Sugar Mills

717 **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total production of sugar in the country this year and the State-wise figures thereof ;

(b) the quantity of sugar which is surplus after meeting the requirement of the country ; and

(c) whether the sugar mill owners have asked for some facilities to export sugar surplus to our requirement and if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The total production of sugar upto 15th July, 1970 for 1969-70 season is 42.04 lakh tonnes. A State-wise break-up is given in the attached statement.

(b) The quantity of sugar available after meeting the requirements of internal consumption and exports at the end of the season 1969-70 is estimated around 20 lakh tonnes, including the stock carried over from the last season.

(c) No, Sir. The sugar industry has asked the Government to export as much sugar as possible under the provisions of the International Sugar Agreement, 1968. This is being done.

Statement

State		Production of sugar (Provisional) (000' tonnes)
U. P.	..	1613
Bihar	..	332
W. Bengal	..	14
Assam	..	10
Haryana	..	97
Punjab	..	70
Rajasthan	..	20
Madhya Pradesh	..	37
Orissa	..	17
Maharashtra	..	1042
Gujarat	..	99
Mysore	..	217
Kerala	..	18
Andhra	..	337
Tamil Nadu	..	266
Pondicherry	..	15
All India	..	4204

विश्व जनमत तैयार करने के लिये पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में आने अल्संख्यकों के संबंध में चल चित्र तथा टेलीविजन चलचित्र बनाना

718. **श्री समरगुह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में आने वाले अल्पसंख्यकों के बारे

में चलचित्र तथा टेलीविजन चलचित्र बनाने का प्रबन्ध किया है जो भारत के बाहर विदेशों में इस दृष्टि से दिखाई जायेंगी कि विश्व में पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति जो अमानवीय व्यवहार किया जाता है उसके विरुद्ध जनमत तैयार हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) तथा (ख) . भारत से बाहर के देशों में दिखाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अल्प संख्यकों के बारे में सिनेमा तथा टेलीविजन के लिए फिलहाल फिल्म बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Land allotted to all India Blind Relief Society, Lajpat Nagar, New Delhi

719. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9716 on the 14th May, 1970 regarding land allotted to All India Blind Relief Society, Lajpat Nagar, New Delhi and State :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). The information has been collected and is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT 3775/70**].

Transfer of Officers working on Posts Carrying Extra Gains

720. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4257 on the 26th March, 1970 regarding transfer of officers working in posts carrying extra gains and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The following two officers have been continued for more than 3 years on posts carrying extra gains ;

(1) Assistant Director (Movement).

(2) Special Officer (Information).

They are being continued in accordance with the provision of the recruitment rules and in consultation with the UPSC.

(c) Does not arise.

Transfer of Officials from Posts carrying extra Gains in Department of Communications

721. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4256 on the 26th March, 1970 regarding transfer of officials from posts carrying extra gains and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). Yes. The requisite information was collected and supplied to Department of Parliamentary Affairs on 13th May, 1970 in fulfilment of the assurance given in reply to Unstarred Question No. 4256 on 26th March, 1970. A copy of the statement giving the requisite information is attached. **[Placed in Library. See No. LT 3776/70].**

(c) Does not arise.

Workers locked in Cold Storage of Delhi Branch of Modern Bakeries Ltd.

722. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some workers were locked in the cold storage of the Delhi Branch of Modern Bakeries Ltd., at about mid-night of 15-12-1969 and became unconscious ;

(b) whether this incident happened all of a sudden or was the result of mismanagement or lack of supervision or mischief ;

(c) whether this incident was brought to the notice of the General Manager and whether he went to the scene of this incident and made arrangements for their treatment and ordered an enquiry into the incident ; and

(d) the steps taken to prevent the recurrence of such incidents?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Two workers of the night-shift got accidentally entrapped inside the cold storage of the Delhi Branch of Modern Bakeries on the night of 15th December, 1969, due to the door latch having got stuck. The workers were inside the cold storage for about ten minutes only and none of them became unconscious.

(c) The General Manager visited the site later and made due enquiries. The need for medical aid did not arise.

(d) Safety device in the form of a bell inside the cold storage which can be rung by any person entrapped inside was already provided. After this incident, a further safety measure has been provided by making a small window for the cold storage, which can be opened only from inside and through which a person can come out.

श्रव्य, दृश्य प्रचार निदेशालय की मार्फत सरकारी उपक्रमों तथा सांविधिक उपक्रमों के विज्ञापन

723. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 14 मई 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9736 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी उपक्रमों और सांविधिक उपक्रमों के अपने विज्ञापन श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय तथा अन्य

मान्यता प्राप्त पूर्णतः भारतीय एजेन्सियों की मार्फत भेजने के लिये राजी करने में सरकार को कितनी विफलता मिली है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : इण्डियन एयरलाइंज कारपोरेशन ने मैसर्ज कलेरियन मैक्कन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लि० को उनके साथ वर्तमान व्यवस्था को 1 अक्टूबर, 1970 से समाप्त करने का 3 महीने का अपेक्षित नोटिस दिया है। सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के कारण अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के सम्बन्ध में कोई और प्रगति नहीं हुई है।

फिल्म वित्त निगम के विरुद्ध शिकायतें

724. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में फिल्म वित्त निगम के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ग). फिल्म वित्त निगम के कार्य संचालन में सुधार करने के लिये फिल्म उद्योग के सदस्यों से समय-समय पर सुझाव मिले हैं। इन सुझावों पर निगम तथा सरकार द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।

पिछले तीन वर्षों में निकाले गये स्मारक टिकटों का निर्यात

725. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में टिकट-वार कितने स्मारक टिकट निकाले गये तथा प्रत्येक देश को पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार कितने टिकट निर्यात किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : पिछले तीन वर्षों के दौरान निकाले गये स्मारक डाक-टिकटों का ब्योरा टिकट-वार संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है। डाक-टिकट ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश को निर्यात किये गये स्मारक डाक-टिकटों की संख्या सम्बन्धी सूचना वर्ष-वार इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी। डाक-टिकट विक्रेताओं द्वारा सीधे निर्यात करने सम्बन्धी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3777/70]**

राज्यों में खेतिहर मजदूरों द्वारा फसल में से भाग लेने के लिये कानून

726. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसा कानून बनाने का है जिसके अन्तर्गत खेतिहर

मजदूरों को कृषि उत्पादन का भाग मिल सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो खेतिहर मजदूरों की अधिकारों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब-शिन्दे) : (क) ऐसा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है जिसके द्वारा कृषि श्रमिकों को कृषि उत्पादन का हिस्सा दिया जा सके ।

(ख) श्रमिकों के राष्ट्रीय आयोग ने जिसने कृषि श्रमिकों की समस्याओं पर विचार किया, अपनी 1969 की रिपोर्ट में कृषि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये कुछ सिफारिशें कीं, जो नीचे दी जाती हैं :—

1. न्यूनतम वेतन कानून को प्रभावीरूप से लागू किया जाये और कृषि में न्यूनतम वेतन को समय-समय पर बदला जाये ।
2. भूमि हीन कृषि श्रमिकों को मकान के लिये स्थान की व्यवस्था की जाये ।
3. कृषि ढांचे में तबदीलियां की जायें जिनमें पट्टेदारी की रक्षा करना, भूमि का पुनः वितरण, सहकारी खेती का विकास और भूमि के पुनः बन्दोबस्त का कार्यक्रम शामिल है ।
4. आबादी की भूमि में अधिकार ।
5. विकास कार्यक्रमों की प्रगति को ठीक प्रकार से आंकने के लिये सरकार में एक विशेष कक्ष बनाया जाये, जिसका विशेष उत्तरदायित्व कृषि श्रमिकों के विकास और कल्याण से सम्बन्धित होना चाहिये और वह उन विशेष समस्याओं का अध्ययन करे जो देश के विभिन्न भागों में उनसे सम्बन्ध रखती हैं ।

चरखी-दादरी-दिल्ली और चरखी-दादरी रोहतक के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

727. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 8 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8896 और 26 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 700 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1970 तक चरखी-दादरी से दिल्ली और रोहतक को सीधे टेलीफोन करने के परिपथों की व्यवस्था किये जाने का आश्वासन दिया गया था ; यदि हां, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं ; और

(ख) उक्त सीधे परिपथों की शीघ्र व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) यह बताया गया था कि मार्च, 1970 के अन्त तक यह कार्य पूरे हो जाएंगे और उसके बाद इन ट्रंक सर्किटों की व्यवस्था कर दी जायेगी । चरखी दादरी से दिल्ली और रोहतक तक सर्किटों की व्यवस्था करना एक से अधिक नई वाहक प्रणाली लगाने का काम पूरा होने पर निर्भर करता है । उपस्कर

में पेंचीदा खराबी पैदा हो जाने के कारण इसे ठीक करना आवश्यक हो गया और इसके परिणाम-स्वरूप इसे लगाने का काम रुका रहा । इस अपरिहार्य विलम्ब के लिये खेद है ।

(ख) डाक-तार विभाग के तकनीशियनों ने ये खराबियां दूर कर दी हैं और अब इसे लगाने के काम में प्रगति हो रही है । उन्हें आशा है कि यह काम अगस्त, 1970 के अंत तक पूरा हो जायेगा । इसके बाद सर्किटों की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

फसल बीमा योजना सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के निर्देश-पद

728. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 14 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1633 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य फसल बीमा योजना के आर्थिक, प्रशासनिक और जीवनांककीय निहितार्थों का विस्तार से अध्ययन करने के लिये कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब-शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) समिति के निर्देश-पद निम्न प्रकार हैं :

(1) समिति को फसल बीमा विषयक विशेषज्ञ समिति कहा जायेगा, और यह निम्न कार्य करेगी :

(2) आर्थिक, प्रशासनिक, वित्तीय जीवनांककीय तथा फसल बीमा विषयक विधान के मसौदे के निहितार्थ तथा कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई फसल बीमे की आदर्श योजना की जांच करना ;

(3) योजना के तकनीकी और संगठनात्मक पहलुओं तथा इसके अन्तर्गत आये पण्यों की जांच करना ;

(4) उपरोक्त दोनों दस्तावेजों के बारे में कोई आवश्यक या वांछित संशोधन करने या विकल्प के विषय में भारत सरकार को विशिष्ट सिफारिशें करना ।

बारानी खेती का एकीकृत विकास करने की योजना

729. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 7 मई 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 885 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई बारानी खेती का एकीकृत विकास करने की योजना किस अवस्था में है ; और

(ख) इस योजना के लिये चुने गये क्षेत्रों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख). संकलित शुष्क कृषि भूमि विकास सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को अन्तिमरूप दे दिया गया है । प्रारम्भ में 1970-71 के दौरान 2,000 एकड़ भूमि में कार्य

करने के लिये 9 मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की जायेंगी अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में एक एक परियोजना शुरू की जायेगी। राज्य सरकार के परामर्श से चुने गये क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	जिला
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	गुजरात	राजकोट
3.	हरियाणा	हिसार
4.	मध्य प्रदेश	इन्दौर
5.	महाराष्ट्र	शोलापुर
6.	मैसूर	बेलारी
7.	राजस्थान	जोधपुर
8.	तमिलनाडु	तिरुनेलबेली
9.	उत्तर प्रदेश	झांसी

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का अध्ययन करने के लिये समिति

730. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 26 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 99 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीनी उद्योग के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये समिति का गठन कर लिया गया है तथा उसके निदेश पदों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : समिति के गठन और विचारार्थ विषय की शीघ्र ही घोषणा किये जाने की आशा है।

चौथी योजना में दूर संचार के विकास के परिव्यय में कटौती तथा इसके परिणाम-स्वरूप परियोक्ताओं की प्रतीक्षा के समय में वृद्धि

731. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा चौथी योजना में दूरसंचार के विकास के परिव्यय में कटौती करने के फलस्वरूप नए टेलीफोन परियोक्ताओं की प्रतीक्षा का समय चार वर्ष से बढ़ कर पांच वर्ष से अधिक हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). टेलीफोन कनेक्शन देने की औसत प्रतीक्षा अवधि जो कि वर्ष 1956 में एक वर्ष थी, चौथी योजना के आरम्भ के समय उत्तरोत्तर बढ़ कर लगभग चार वर्ष हो गई थी। चौथी योजना के पहले वर्ष के अंत में यह अवधि 4.7 वर्ष हो गई है।

चौथी योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय डाक-तार विभाग ने ऐसी कार्रवाई करने का सुझाव दिया था जिससे यह प्रवृत्ति बदल जाए और लगभग दस साल के भीतर धीरे-धीरे औसत प्रतीक्षा अवधि घट कर एक वर्ष रह जाए। अतः दूरसंचार के लिए चौथी योजना की अवधि के दौरान 846 करोड़ रुपये के परिव्यय की एक योजना तैयार की गई थी। फिर भी, वित्त और सामान सम्बन्धी साधनों के एक सीमा में उपलब्ध होने के कारण और दूसरे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए इस योजना पर लगाई जाने वाली रकम कम कर के 467.75 करोड़ रुपये करनो पड़ी। विभाग का मूल रूप में जो रुपया लगाने का सुझाव था उससे यह रकम काफी कम है, लेकिन दूसरी और तीसरी योजनाओं में क्रमशः जो 74 करोड़ और 179 करोड़ रुपये की रकम लगाई गई है, उससे यह रकम काफी ज्यादा है।

वित्तीय साधन तो सीमित है ही इसके अलावा साज-सामान के साधनों, अर्थात् देश में उत्पादन वाले एक्सचेंज उपस्कर, भूमिगत केबल और टेलीफोन यंत्रों की सप्लाई के सीमित होने के कारण टेलीफोन विकास में रुकावट पैदा हुई है। सरकार देश में इन वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के योजना तैयार करने में क्रियाशील है, जिससे एक विशाल पांचवीं योजना बन सके। वर्तमान संकेतों के अनुसार यह लागत लगाने के उपरांत आशा है कि औसत प्रतीक्षा अवधि को 4 और 5 वर्ष तक कर देने की संभावना हो जाएगी।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का निर्यात

732. **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम इस वर्ष बढ़िया किस्म के कुछ बीजों का विदेशों को निर्यात करेगा ;

(ख) यदि हां, तो उनकी किस्मों का ब्योरा क्या है तथा उनका किन देशों को निर्यात किया जायेगा ;

(ग) बिक्री के लिए बीज की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध है ; और

(घ) इससे सरकार को लगभग कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) **बीजों की किस्मों का ब्योरा**	**देश**
गेहूं (कल्याण सोना)	इथापिया

समिश्र मक्का (विजय)	इराक
संकर बाजरा और संकर मक्का	जोर्डन
सब्जियों के बीज	इराक

(ग) जुलाई 1969 से जून 1970 तक एक वर्ष की अवधि के लिए खाद्यान्नों के बीजों के निर्यात का कोटा 2000 मीटरी टन निश्चित किया गया था। आगामी वर्ष के लिये भी वही कोटा निर्धारित किये जाने की सम्भावना है। आलुओं के बीजों कुफरी सिन्दूरी के निर्यात के सम्बन्ध में 1000 टन का कोटा भी निर्धारित किया गया है।

(घ) बीजों के निर्यात के लिये 35,000 रुपये के आदेश प्राप्त हो चुके हैं तथा अधिक आदेशों की प्राप्ति की सम्भावना है।

प्रेस के कार्य में हस्तक्षेप

733. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1970 में कुछ संसद सदस्यों ने राज्य सरकारों और अन्य लोगों द्वारा प्रेस के कार्य में बढ़ते हुए हस्तक्षेप पर प्रधान मंत्री से चिन्ता व्यक्त की थी तथा उनसे इन प्रवृत्तियों को शीघ्र रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाने का आग्रह किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। इस मामले में प्रधान मंत्री को जून, 1970 में एक संसद सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) राज्य सरकारें समाचारों के बारे में अपनी विज्ञापन नीति निश्चित करने में स्वतंत्र हैं और भारत सरकार का इस बारे में उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। यदि कोई समाचार पत्र राज्य सरकार की किसी ऐसी कार्रवाई, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को आघात पहुंचता हो, से तंग हो तो वह समाचार-पत्र भारतीय प्रेस परिषद को शिकायत भेज सकता है जो एक उच्च अधिकार प्राप्त स्वयं विनियमित निकाय है और ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए उपयुक्त अधिकरण है। भारत सरकार प्रेस परिषद की घोषणाओं को सब से अधिक महत्व देती है और आशा करती है कि राज्य सरकारें भी प्रेस की स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र जनतन्त्र के हित में ऐसा ही करेगी।

पत्रकारिता सम्बन्धी कर्मचारियों के लिये बीमे की व्यवस्था

734. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारिता सम्बन्धी कर्मचारियों की जान अथवा अंग की हानि के लिये बीमे की व्यवस्था की जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) तथा (ख). एम्पलाइज स्टेट इन्सोरेंस एक्ट, 1948 में उन मामलों में श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लाभ की व्यवस्था है जिनमें काम के दौरान चोट आ जाए या चोट के कारण मृत्यु हो जाए। क्योंकि श्रमजीवी पत्रकार समाचार-पत्र तैयार करने का कार्य कर रहे हैं, अतः वे भी एम्पलाइज स्टेट इन्सोरेंस एक्ट की धारा 2 (9) के अन्तर्गत आ जाते हैं, बशर्ते कि उनकी मासिक आय 500 रुपये से अधिक न हो।

दक्षिण भारत और गुजरात की दूर-संचार सेवाओं के भंग होने की जांच करने की मांग

735. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ओ) के प्रतिनिधियों ने 27/28 जून, 1970 को दक्षिण भारत और गुजरात की दूर संचार सेवा के पूर्णतया भंग हो जाने की जांच करने की जोरदार मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) विभाग को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी मैं इस बात का उल्लेख कर देना चाहता हूं कि सर्किटों में खराबी इस मौसम में समय-समय पर होने वाले सामान्य कारणों की वजह से हुई है।

प्रेस परिषद का पुनर्गठन

736. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष ने प्रेस परिषद के पुनर्गठन करने के लिए संशोधित प्रेस परिषद अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने के बारे में सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) तथा (ख). प्रेस परिषद के गठन के मामले में श्रमजीवी पत्रकार संघ समेत समाचारपत्रों की विभिन्न एसोसियेशनों से अभ्यावेदन मिले थे। परन्तु संशोधित प्रेस परिषद अधिनियम के अनुसार प्रस परिषद को ही यह अधिकार है कि वह उन एसोसियेशनों को अधिसूचित करे जिनमें से प्रेस परिषद के सदस्य नामजद करने के लिए नामों के पैनल को आमन्त्रित करता है। प्रेस परिषद के सदस्यों का चयन एक नामांकन समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य सभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा लोक सभा के अध्यक्ष हैं। अतएव, प्रेस

परिषद के पुनर्गठन में सरकार का कोई हाथ नहीं। यह उपबन्ध अधिनियम में परिषद की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के लिये रखा गया है।

दिल्ली में बेरोजगारी में वृद्धि

737. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़ों में 20 प्रतिशत वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वयं दिल्ली प्रशासन दिल्ली में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रत्याशियों को स्वीकार नहीं करता है और व्यक्तियों की भरती सार्वजनिक रूप से करता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सरकारी तथा अन्य संस्थायें तथा कार्यालय केवल रोजगार कार्यालयों से आये व्यक्तियों को ही स्वीकार करें जिससे पंजीकृत उम्मीदवार रोजगार के अवसरों से वंचित और हताश न हों ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) उपलब्ध जानकारी दिल्ली के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या से सम्बन्धित है। यह संख्या 31-12-1968 को 1,16,000 थी जो 31-12-1969 को बढ़कर, 1,39,000 हो गई। इस प्रकार, यह वृद्धि 20 प्रतिशत हुई।

(ख) जी नहीं। खुले बाजार से उम्मीदवारों की भर्ती उसी सूरत में की जाती है जब नियोजन कार्यालय में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों।

(ग) गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार उन पदों के अलावा जो संघ लोक सेवा आयोग अथवा पदोन्नति/स्थानांतर द्वारा भरे जाते हैं सभी रिक्त स्थान नियोजन कार्यालयों को अधिसूचित करने पड़ते हैं। सीधी भर्ती उसी सूरत में की जाती है जब नियोजन कार्यालय में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने सभी विभागों को हिदायतें भी जारी की गई हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर व्यय

738. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर सरकार ने कुल कितना धन खर्च किया है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीब तथा छोटे स्तर के किसानों को लाभान्वित करने के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर 31 मार्च, 1969 तक कुल 592.5 करोड़ रुपये की सरकारी रकम व्यय हुई है। 1969-70 के दौरान किये गये वास्तविक व्यय का ब्योरा उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार चतुर्थ योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों तथा ब्लाक ऋणों के रूप में दी जा रही है, तथा यह किसी विशेष योजना विषयक ढांचे से सम्बन्धित नहीं है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए परिव्यय राज्य योजना क्षेत्र में सुलभ किया जाना है। चतुर्थ योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम अथवा गरीब तथा छोटे किसानों के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। चतुर्थ योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर राज्य सरकारें जो राशि व्यय करेंगी वह इस कार्यक्रम को उनके द्वारा दी गई अग्रता पर निर्भर होंगी।

चीनी उद्योग द्वारा आंशिक रूप से हानि का वहन

739. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी उद्योग को आंशिक रूप से उस हानि का जो चीनी के अतिरिक्त निर्यात के कारण उसे होती है, वहन करने के लिये कहा है ;

(ख) सरकार को अब तक कितनी हानि हुई है ; और

(ग) सरकार के इस प्रस्ताव पर चीनी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी खाते में अधिकांश बिक्री निर्दिष्ट अवधियों में "लंदन डेली प्राइस" (एल० डी० पी०) से सम्बद्ध मूल्यों के आधार पर की गई है। हानि की राशि का मूल्य निर्धारण अवधि की समाप्ति पर ही पता लग पायेगा।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की अधिमान्य मंडियों जहां प्राप्ति बहुत बेहतर है और तुलना में हानि कम है, को किये गये निर्यात में हुई हानि को वहन करने के अलावा, चीनी उद्योग इस बात पर भी सहमत हो गया है कि वह सम्भालने के खर्च के रूप में सरकारी खाते में जो मात्रा निर्यात की जा रही है उस पर होने वाली हानि का एक भाग भी देगा जो अनुमानतः लगभग 30/32 रुपये प्रति मी० टन बनेगा।

पश्चिम बंगाल में कार्मिक संघों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन पेश करना

740. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के बहुत से कार्मिक संघों ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन पेश नहीं किये हैं, जैसा कि विधि के अन्तर्गत अपेक्षित है ;

(ख) पश्चिमी बंगाल में कितने कार्मिक संघ हैं तथा उन संघों की संख्या कितनी है जिन्होंने निर्धारित समय में इस वर्ष अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया है ;

(ग) उन संघों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध विधि के अनुसार इस बीच कार्यवाही की गई है ; और

(घ) अपराधी संघों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

हरियाणा की पेहोबा तथा गुलाह तहसील से बड़ी संख्या में पंजाबी किसानों को बेदखल कर उस जमीन को स्थानीय किसानों को देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय निदेश

741. **श्री दिनकर देसाई :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा सरकार के पेहोबा तथा गुलाह तहसील में लगभग 17,500 एकड़ भूमि से अमृतसर, गुरदासपुर और लुधियाना के पट्टेदारों को हटा कर उसके मूल स्वामियों को देने के प्रस्ताव पर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या हरियाणा सरकार ने इस मामले को सरकार की राय जानने के लिये भेजा ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा सरकार को क्या सलाह दी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

अस्पतालों और चिकित्सा उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए इस अधिनियम का संशोधन

742. **श्री दिनकर देसाई :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के हाल ही के फैसले को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार औद्योगिक अधिनयम विवाद में संशोधन करने का विचार कर रही है जिससे अस्पताल तथा चिकित्सा उद्योग उसके अन्तर्गत आ जाएं ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित विधेयक संसद् के इस सत्र में पुनःस्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस मामले पर 23 और 24 जुलाई, 1970 को हुई स्थाई श्रम समिति की हाल ही की बैठक में विचार-विमर्श किया गया । इन विचार-विमर्शों के प्रकाश में इस मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य कर्मचारी बीमा योजना के डाक्टरों द्वारा हड़ताल

743. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1970 में राज्य कर्मचारी बीमा योजना के डाक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना के डाक्टरों की मांगों को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं । परन्तु ग्रेटर बम्बई में बीमा योजना के डाक्टरों ने पहली जुलाई, 1970 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की ।

(ख) मुख्यत: प्रति व्यक्ति फीस में वृद्धि सम्बन्धी मांग के अनुसरण में ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को "एक व्यक्ति समिति" के रूप में तालिका प्रणाली के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिये, जिसमें बीमा डाक्टरों को दी जाने वाली प्रति व्यक्ति फीस की दर भी सम्मिलित है, नियुक्त किया था । इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर निगम और राज्य सरकारें विचार कर रही हैं ।

"Congress-Gets away with rice scandal"

744. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a news item published in "March of the Nation" dated the 13th June, 1970 (Page 15) under the Caption "Cong—I gets away with Rice-Scandal" ; and

(b) if so, what is the factual position and Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Government have now seen the news item published in the 'March of the Nation' dated 13.6.70. The facts of the case are that some complaints were received in March, 1970 alleging that the Food Corporation of India officials in collusion with Rice Mills in Madhya Pradesh had purchased coarse rice at prices applicable to fine rice in the slender group. The quality check is exercised both at the time of procurement as also at the destination stations and when the quality of foodgrains received at the destination is not according to specifications, complaints are lodged by the recipients. In respect of rice despatched from Bilaspur in Madhya Pradesh, some complaints were lodged from Kerala but no complaints were lodged by the recipients in Tamil Nadu and West Bengal. The

complaints from Kerala were investigated and the rice was found to be within the specifications prescribed. The Corporation has ordered a full enquiry of the case which is still in progress. Government however, are not aware of any move on the part of political parties to hush up the case as alleged in the news item.

Range of Delhi T. V.

745. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the range of each T. V. Centre yet to be set up ;

(b) the names of the cities in Punjab which are covered by the range of Delhi Television Centre or any other Centre in the country ;

(c) the extent to which this news is correct that licences and permits for television receiving sets have been granted in the areas which are not within the range of any Indian Television Centre and whether these permits have been granted to promote Pakistani television broadcasts in view of the fact that they are of no use there otherwise ; and

(d) the names of cities in various States which have been granted permits for television receiving sets but which are outside the range of Indian Television Centres ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcating and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a). The area coverage of the T. V. Stations to be set up during the Fourth Plan period will be as under :

Srinagar	..	3,900 sq. kms.
Bombay/Poona	..	16,000 sq. kms.
Calcutta	..	11,400 sq. kms.
Madras	..	10.400 sq. kms.
Lucknow/Kanpur	..	27,000 sq. kms.

(b) Nil.

(c) Licences for TV receiving sets have been granted in some areas which are not within the range of any Indian TV station. Under the law, grant of licences for TV receiving sets cannot be refused whether or not the place where it is to be installed comes within the range of an Indian station.

(d) Calcutta, Bombay, Amritsar, Jullundur, Gurdaspur, Ferozepur, Kapurthala, Patiala, Hoshiarpur, Ludhiana, Ambala, Karnal and Simla.

Unemployment allowance to trained persons

746. **Shri Mrityunjay Prasad :**
Shri P. Vishwambharan :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a scheme is under consideration to provide unemployment allowance to the trained and the unemployed persons seeking employment whether such allowance is already being paid to some people any-where and if so, the details thereof ; and

(b) whether a scheme to provide old age allowance to the destitute old persons is also under consideration and whether such allowance is being given to such persons any where in the country and if so, the details thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is made available.

Equal Pay for Equal Work

747. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the public sector and private sector enterprises, Government offices, schools etc., where the Directive Principle of 'equal pay for equal work' as enshrined in Article 39(d) of the Constitution of India, is being implemented ;

(b) the method adopted to ensure the implementation of the aforesaid principle ;

(c) the measures being adopted to remove disparities in this regard ; and

(d) if arrangements for making such enquiries do not exist at present whether Government propose to make such arrangements in future and if so, the details thereof ?

Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) No such list is maintained ; generally, no discrimination exists between men and women workers in regard to equal pay for equal work.

(b) to (d). The ILO Convention (No. 100) concerning Equal Remuneration for Men and Women workers for work of equal value has been ratified by the Government of India. The provisions of this Convention have been brought to the notice of all State Governments, Central Employing Ministries, Public Sector enterprises, Wage fixing bodies and Central organisations of Workers and Employers for implementation. Periodical reports on the steps taken or proposed to be taken by the concerned agencies in implementing this Convention are also called for. The appropriate Governments make every effort to remove the disparities wherever they exist.

गत तीन वर्षों में बिहार में उर्वरक और कीटनाशी दवाइयों की खपत

748. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष बिहार में उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों की कुल कितनी खपत हुई तथा खाद्यान्नों और अन्य फसलों का कितना अनुमानित उत्पादन हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : बिहार में 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में उर्वरकों की खपत (पोषणों के रूप में) इस प्रकार थी :

	एन **नाइट्रोजन**	पी **फौसफेट**	के **पोटाश**
		*	*
1967-68	57,520	26,080	6,698
1968-69	60,000	6,000	4,020
1969-70	64,865	25,000	12,526

विभिन्न कीटनाशियों की खपत (बनाई हुई) जो कृषि विभाग द्वारा बिहार राज्य में

*यह मात्रायें बिहार को भेजी गई हैं ।

पिछले तीन सालों में बांटी/बिची गई इस प्रकार है :

	कीटनाशियों की बनी हुई कुल मात्रा	
वर्ष	**पाउडर (मीटरी टनों में)**	**तरल (लिटरों में)**
1967-68	3,579	90,592
1968-69	2,122	53,340
1969-70	1,032	61,503

इन मात्राओं में सहकारिताओं और निजी एजेन्सियों द्वारा बिहार राज्य में काश्तकारों को बेचे गये कीटनाशी शामिल नहीं हैं, जिनके कि आंकड़े हाल में उपलब्ध नहीं हैं।

बिहार में खाद्यान्नों और अन्य महत्वपूर्ण फसलों के 1967-68 से 1969-70 के उत्पादन के अनुमान, जैसे उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं :

		हजार मीटरी टनों में	
फसल	**1967-68**	**1968-69***	**1969-70***
चावल	4,731.6	5,197.4	**
मक्का	1,129.8	1,019.0	**
गेहूं	913.5	1,259.0	**
चना	247.0	158.8	**
कुल खाद्यान्न	8,627.0	8,849.9	**
पटसन†	832.6	400.2‡	620.9
मेस्ता†	195.2	80.3‡	131.2
आलू	784.6	1,117.1	**
गन्ना (गुड़)	403.1	591.4	**

Famine and Drought in Bihar

749. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state

(a) whether it is a fact that two crores people of Bihar are suffering from famine and drought ; and

*अन्तिम अनुमान।

**खाद्यान्न फसलों के 1969-70 के अनुमानों को अन्तिमरूप दिया जा रहा है। फिर भी, उपलब्ध जानकारी ऊपर दी गई है।

†उत्पादन, 180 किलोग्राम की हजार गांठों में।

‡आंशिकरूप से संशोधित अनुमान।

(b) if so, the action taken by Government to save them from starvation and the steps proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. The Government of Bihar have reported that a population of 119.87 lakhs in 15,705 villages was affected by distress caused by untimely Hathia rains which affected the flowering of the paddy crop, and by pests attack on kharif paddy crops during 1969.

(b) The State Government have taken necessary relief measures, like opening of fair price shops, grant of gratuitous relief, opening of relief works, and distribution of loans in the affected areas.

Applications pending for telephone connection at Patna

750. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no waiting list for persons for telephone connections in Patna ;

(b) if so, whether it is also a fact that telephone connections have not so far been given even to those persons whose names were approved for giving telephone connections in the last meeting of the telephone Advisory Committee ;

(c) the number of persons whose names were approved for giving telephone connections during the last meeting of the Telephone Advisory Committee and the number out of them to whom telephone connections have been given ; and

(d) the time by which the remaining persons are likely to be given telephone connections ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) to (d). The entire waiting list of 1082 applicants in the Rajendranagar, Patna and Patna City exchanges were released after the meeting of Telephone Advisory Committee on 2-4-70. 829 persons actually paid the demand notes and 695 have so far been provided with connections. The remaining 134 connections are likely to be provided by the end of August, 1970. The delay has been unavoidable due to shortage of cables and other essential linestores.

Trade Union Rights for University Employees

751. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees working in the Universities are not enjoying the trade union rights ;

(b) whether it is a fact that the National Labour Commission has recommended not to grant them these rights ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). The Supreme Court had held that a university is not an 'industry', as defined in the Industrial Disputes Act, 1947. The National Commission on Labour in its report submitted in August, 1969 recommended that the scope of the definition of 'industry' under the Industrial Disputes Act should be enlarged to cover universities also in a phased manner and under an appropriate

procedure. The Standing Labour Committee at its meeting held on the 23rd and 24th July, 1970 discussed, among other things, the general question of amendment of the definition of the term 'industry' as contained in the Industrial Disputes Act. In the light of these discussions, the matter would be processed further.

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिये सहायता

752. **श्री लखनलाल कपूर :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की समस्यायों का अध्ययन करने हेतु उत्तर प्रदे श के मुख्य मंत्री श्री चरणसिंह द्वारा नियुक्त तालिका की सिफारिशों पर विचार किया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के चीनी उद्योग को अपने अधिकार में लेने तथा एक नियन्त्रित निगम के माध्यम से उसका प्रबन्ध कार्य चलाने के लिये केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ग) क्या सरकार ने यह सहायता देना स्वीकार कर लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य में स्थित चीनी उद्योग की समस्याओं के अध्ययन हेतु नियुक्त की गई "तीन सदस्यीय समिति" की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध नहीं की गई है और वह अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ सुझाव दिये हैं जोकि केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

शिक्षा को उद्योग में सम्मिलित करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियमों का संशोधन

753. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय के हाल ही के इस निर्णय की ओर ध्यान दिया है कि एक स्कूल के मुख्य अध्यापक को श्रमिक संघ का सदस्य बनाने का तथा चुनाव लड़ने का अधिकार था क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत यह एक कर्मकार था; और

(ख) फैसले को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने तथा शिक्षा को एक उद्योग के रूप में मानने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम को बदलने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). बम्बई उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर आगे कार्यवाही रेल प्रशासन द्वारा की जायेगी। 23 और 24 जुलाई, 1970

को हुई स्थायी श्रम समिति की बैठक में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने के व्यापक प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया, ताकि शैक्षिक कार्यों को उसकी परिधि में लाया जा सके । इन निष्कर्षों के प्रकाश में इस मामले में आगे कार्यवाही की जायेगी ।

किसानों को दिये जाने वाले गन्ने के मूल्यों में उतार-चढ़ाव

754 . **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने की पिराई के गत सीजन में कुल कितनी चीनी का उत्पादन हुआ ;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में गन्ना-उत्पादकों को वास्तव में कितना-कितना मूल्य दिया गया था ;

(ग) क्या कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नहीं दिये गये थे तथा चीनी मिल मालिकों ने उन्हें कम मूल्य लेने के लिये कई प्रकार से विवश किया था ;

(घ) क्या इसका चालू वर्ष में गन्ने की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां ; तो राष्ट्रीय मूल्य में उतार-चढ़ाव हुए बिना किसानों को दिये जाने वाले वास्तविक मूल्यों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिये सरकार का स्थायीरूप से क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क)1969-70 में 22 जुलाई,1970 तक 42.16 लाख मीटरी टन ।

(ख) चीनी कारखानें आम तौर पर गन्ने का जो वास्तविक मूल्य देते हैं, वह सरकार द्वारा गन्ने का निर्धारित न्यूनतम मूल्य होता है ।

(ग) मैसूर, आन्ध्रप्रदेश, तमिल नाडु की राज्य सरकारों को उनके अनुरोध पर कारखानों द्वारा पिराई सीजन के अन्त में अपंजीकृत गन्ने की पिराई के लिए गन्ने के न्यूनतम मूल्य में, 9.4 प्रतिशत से प्रत्येक .1 प्रतिशत की कम उपलब्धि लिए 5.36 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से छूट देने की अनुमति दी गई है । राज्य सरकारों ने सूचित किया था कि अपंजीकृत गन्ना उत्पादक यह चाहते हैं कि चीनी कारखानें उनके गन्ने को कम कीमत पर इस्तेमाल करें ।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

चीनी के निर्यात तथा उसके भण्डार में कमी करने की योजना

755. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी का निर्यात करने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इससे उस भण्डार में, जो इस समय मिलों तथा सरकार के पास हैं, किसी तरह से भारी कमी हो जायेगी ; और

(घ) इस भण्डार को कम करने के लिये कौनसी अन्य योजना आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1968 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुमेय लगभग 3.20 लाख मीटरी टन के कुल कोटे का निर्यात करने का निर्णय किया है। इस मात्रा में से 95,000 मीटरी टन चीनी का चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अन्तर्गत यू० एस० कोटे का प्रतिनिधित्व करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका तथा एन० पी० क्यू० का प्रतिनिधित्व करने वाले यू० के० को निर्यात किया जा रहा है और हानि को चीनी उद्योग वहन करेगा। भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा अन्य 50,000 मीटरी टन चीनी कुछ दुर्लभ वस्तुओं का आयात करने की अनुमति के प्रति निर्यात की जा रही है। शेष मात्रा का सरकारी खाते पर निर्यात किया जा रहा है और उसकी हानि की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय राजस्व से की जाएगी। तथापि, उद्योग ने इस मात्रा को सम्भालने सम्बन्धी खर्चे को वहन करना मान लिया है।

(ग) कारखानों के पास चीनी का स्टाक निर्यात की गई मात्रा की हद तक कुछ कम हो जायगा। सरकार के पास चीनी का कोई स्टाक नहीं है।

(घ) चीनी के स्टाक को कम करने के लिये निम्नलिखित अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं :

(1) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे दोनों शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं भी चीनी के वितरण की मात्रा कम हो, वहां उसकी वृद्धि कर दें ;

(2) राज्यों के घरेलू उपयोग के लिये लेवी चीनी के मासिक कोटे को बढ़ा दिया गया है और उनकी आवश्यकतानुसार उसका आवंटन किया जा रहा है। यह कोटा फरवरी तथा जून, 1970 के महीनों में 2.33 तथा 2.49 लाख मीटरी टन के बीच रहा जबकि वह 1968-69 में 1.59 लाख मीटरी टन था।

(3) खुली बिक्री की चीनी के अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है।

(4) मिलों पर से भार कम करने के उद्देश्य से चीनी का बफर स्टाक बनाने के प्रश्न पर सक्रियरूप से विचार किया जा रहा है।

मेडिकल औषध विक्रेता तथा कर्मचारियों को कर्मकारों में सम्मिलित करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम के संशोधन हेतु ज्ञापन

756. **श्री मधु लिमये** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (एस) की परिभाषा में संशोधन करके 15,000 मेडिकल तथा औषध-बिक्रेताओं और कर्मचारियों को (फेडरेशन आफ एम० आर० एण्ड आई०) कर्मकारों की श्रेणी में सम्मिलित करने के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में दिये गये सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) इससे भी अधिक व्यापक प्रश्न पर कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम में निर्दिष्ट

'कामगर' की परिभाषा में किसी संशोधन की आवश्यकता है, 23 और 24 जुलाई, 1970 को हुई स्थाई श्रम समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया । इन विचार-विमर्शों के प्रकाश में इस मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

Defects in Telephone Lines in Lahar Gohad, Alampur and Mehgaon in Bhind, M. P.

757. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the details of action being taken by Government to redress the complaints regarding chronic defects in telephone lines in Lahar, Gohad, Alampur and Mehgaon being fed by the telephone exchange located in Bhind District in Madhya Pradesh, resulting in great inconvenience to the subscribers ; and

(b) the time by which the said defects are likely to be removed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) I. (i) The copper wire trunk (liable to be affected by thefts) from Lahar P. C. O. to Bhind is proposed to be replaced by ACSR (aluminium) wire. The alignment will also be strengthened.

(ii) Installation of 25 line SAX (auto exchange) at Lahar is sanctioned.

II. (i) Copper wire trunk line from Gohad to Bhind is proposed to be replaced by A.C.S.R. wire to prevent theft of copper wire.

(ii) The working of small Automatic Exchange at Gohad is being stabilised.

III. Phonocom Circuit between Alampur and Seondha has been recently attended to and defects rectified.

IV. The Copper Wire trunk between Mehgaon and Bhind is proposed to be replaced by ACSR to prevent copper wire theft.

(b) By March 1972.

Direct trunk call line between Datia and Gwalior

758. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that previously the facility of direct trunk call line existed from Datia city to Gwalior in Madhya Pradesh and now the people of Datia have to book for Jhansi through Gwalior trunk call line ; and

(b) the reasons of creating this inconvenience and the action which is being taken in this regard by the Department ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is at present direct trunk outlet between Datia and Gwalior and the calls are passing on this direct trunk and not via Jhansi.

(b) For a period of about 5 months in 1969 (from 24-7-69 to 18-12-69) the direct trunk circuit between these two places had to be closed down for carrying out some urgent reconstruction work on Telecommunication lines. On completion of this work, the direct circuit was restored.

ढेंकानाल, उड़ीसा में लघु कृषि विकास एजेंसियां

759. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में कितने जिलों को चुना गया है ; और

(ख) क्या उड़ीसा के ढेकानाल जिले को इस प्रयोजन के लिए चुना गया है और यदि हां, तो इस योजना के परिणामस्वरूप कितना धन खर्च किया जायगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तीन ।

(ख) जी हां । राज्य सरकार ने ऐसी परियोजना के लिये इस जिले का चुनाव तथा प्रस्ताव किया है । आशा है राज्य सरकार शीघ्र ही अन्तिम परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी । चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों में इस परियोजना पर 150 लाख रुपये की सीमा तक व्यय किया जाएगा ।

उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों के प्रभाव का मूल्यांकन

760. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जन संचार संस्थान के सहयोग से देश के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में आकाशवाणी और राष्ट्रीय एकता के प्रचार संगठनों जैसे विभिन्न माध्यमों के कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में एक अभियान चलाया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) ऐसे मूल्यांकन अध्ययन विभिन्न माध्यमों के कार्य का सामान्य भाग है । विषय पर अन्वेषक प्रायोजना का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक उद्योग के साथ संयुक्तरूप से उर्वरक सम्वर्धन परिषद का गठन

761. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उर्वरक उद्योग के साथ संयुक्तरूप से उर्वरक सम्वर्धन परिषद् का गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख). ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

राज्यों में उद्योगवार रोजगार

762. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यवार और उद्योगवार भारत के कारखानों के कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र में राज्यवार और उद्योगवार कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में से उपर्युक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). सूचना केवल 1967 तथा 1968 वर्षों के सम्बन्ध में उपलब्ध है और यह श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारतीय श्रम सांख्यिकी 1970 की तालिकाओं 2.1 तथा 2.2 (पृष्ठ 19 से 26) में दी गई है ।

कृषि भूमि का सर्वेक्षण

763. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से 1969 तक वर्षवार तथा राज्यवार एकड़ों में (1) कुल भौगोलिक क्षेत्र, (2) वन-क्षेत्र, (3) कृष्येतर उपयोग में लाई गई भूमि, (4) कृषि योग्य भूमि, (5) फसल वाला शुद्ध क्षेत्र, (6) कषि योग्य पड़ती भूमि, (7) शुद्ध सिंचित क्षेत्र, (8) एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र और (9) फसल वाला कुल क्षेत्र, के आंकड़े क्या थे ; और

(ख) 1967 से 1969 तक राज्यवार तथा वर्षवार (1) फसल वाला शुद्ध क्षेत्र, (2) शुद्ध सिंचित क्षेत्र तथा (3) एक से अधिक बार बुवाई वाला क्षेत्र कितने-कितने प्रतिशत था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग वर्गीकरण और सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के आंकड़े भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़ों के अंग के रूप में एकत्रित किये जाते हैं और कुछ समय उपरान्त ही उपलब्ध होते हैं । सन् 1966-67 के विषय में अंतिम अखिल भारतीय तथा राज्यवार आंकड़े उपलब्ध हैं । अपेक्षित जानकारी देते हुये 1966-67 के भूमि उपयोग आंकड़ों पर आधारित दो विवरण (1 तथा 2) संलग्न हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3778/70]**

सन् 1967-68 के भूमि उपयोग आंकड़े अभी तक दस राज्यों से ही प्राप्त हुए हैं । इन राज्यों के सम्बन्ध में 1967-68 के विषय में जानकारी प्रदर्शित करने वाला विवरण (3) संलग्न है ।

कलकत्ता में बिड़ला मुख्य कार्यालयों के बन्द होने के बारे में आकाशवाणी द्वारा कथित पक्षपातपूर्ण प्रसारण

764. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 मार्च, 1970 को आकाशवाणी, दिल्ली ने कलकत्ता में बिड़ला मुख्य कार्यालयों के बन्द किये जाने के बारे में बंगला, हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रसार किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रसारण का पूर्ण पाठ क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के प्रसारण में बिड़ला बन्धुओं के बारे में एकांगी विवरण पेश किया गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बिड़ला बन्धुओं तथा इनसे सम्बद्ध फर्मों के कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत विवरण को आकाशवाणी द्वारा बिल्कुल प्रसारित नहीं किया गया ; और

(ङ) प्रसारण के पाठ को तैयार करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रसारित समाचारों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3779/70]**

(ग) जी, नहीं । आकाशवाणी ने बिड़ला बन्धुओं की घोषणा प्रसारित की थी और पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया भी ।

(घ) जी, नहीं । बिड़ला एम्पलाईज वर्कर्स यूनियन की समन्वय समिति ने जो वक्तव्य जारी किया था वह उसी सायंकाल को 7 बजकर 50 मिनट के बंगला के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में प्रसारित किया गया था । इस सम्बन्ध में जब अन्य वक्तव्य प्राप्त हुए तो उनका भी उनके सामाचारिक महत्व के आधार पर प्रयोग किया गया ।

(ङ) पारियों में काम करने वाला आकाशवाणी का सम्पादकीय स्टाफ समाचारों के प्राप्त होते ही प्रसारणार्थ वायस-कास्ट्स तैयार करता है । सम्बन्धित अधिकारियों के नाम बताना जनहित में नहीं होगा ।

समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण

765. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों के मूल्य और उनमें विज्ञापनों को दिये जाने वाले स्थान पर तुरन्त नियंत्रण लगाने की आवश्यकता महसूस की है ;

(ख) क्या 25 सितम्बर, 1961 को उच्चतम न्यायालय ने समाचार-पत्र (मूल्य और

पृष्ठ) अधिनियम, 1956 और दैनिक समाचार-पत्र (मूल्य और पृष्ठ) आदेश, 1960 को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया था ;

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून बनाने के लिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में संशोधन करने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). सरकार ने समाचार पत्रों के मूल्य पर तथा समाचार पत्रों में विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले स्थान पर नियन्त्रण रखने की जरूरत समझी और इसी कारण, प्रेस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) अधिनियम, 1956 बनाया तथा इसके बाद दैनिक समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) आदेश, 1960 निकाला। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इनको असंवैधानिक तथा अवैध घोषित कर दिया।

(ग) तथा (घ). गोलकनाथ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण संविधान के अनुच्छेद 19(2) में संशोधन करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल) में कपास की काश्त

766. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगबान दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल में बड़ी मात्रा में कपास की काश्त की जा रही है ;

(ख) क्या सामान्यत: साउथ चौबीस परगना में और विशिष्ट रूप से सुन्दरवन में होने वाली कपास की काश्त का पश्चिम बंगाल की कृषि अर्थ-व्यवस्था में मुख्य हाथ होगा ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा अब तक प्राप्त परिणामों के आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कपास की काश्त करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। यह पारम्परिक कपास उगाने वाला क्षेत्र नहीं है ; लेकिन राज्य सरकार ने 1969-70 में लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में प्रदर्शन किया है।

(ख) 1969-70 में कपास के प्लाटों पर किया गया प्रदर्शन उत्साहवर्धक रहा है। आगे परीक्षण करना अभी आवश्यक है जिससे हम यह निश्चय कर सकें कि कपास की खेती पश्चिम बंगाल की कृषि अर्थ व्यवस्था में एक बड़ा भाग अदा करेगी।

(ग) 1969-70 के दौरान, सुन्दरवन में 30 एकड़ (12 हैक्टार) पर, जो $\frac{1}{10}$ एकड़ ($\frac{1}{25}$ हैक्टार) के प्रति प्लाट के हिसाब से 300 प्लाटों में विस्तृत थे, कपास उगाई गई। कपास की प्रति एकड़ 2 से 4 क्विन्टल उपज (5 से 10 क्विन्टल कपास प्रति हैक्टार) की आशा इन प्लाटों से है।

(घ) 1970-71 के दौरान राज्य सरकार 10,000 एकड़ (4,000 हैक्टार) को कपास के अधीन आवरित करने के लिए सोच रही है जिसके लिए आवश्यक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा ब्योरे अभी तैयार किए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति

767. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की वास्तविक संख्या क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इसका वर्षवार ब्योरा क्या है ;

(ग) वर्ष, 1967 से अब तक कितनों को रोजगार दिलाया गया है ; और

(घ) क्या नियोक्ताओं को इन्हीं पंजीकृत व्यक्तियों में से श्रमिक नियुक्त करने को विवश करने के लिए कानून बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

विवरण

पश्चिम बंगाल में 1967-69 में नाम दर्ज कराने वाले व नियुक्ति सहायता पाने वालों की संख्या और प्रत्येक वर्ष के अन्त में नियोजन कार्यालय के चालू रजिस्टर में शेष रहे उम्मीदवारों की संख्या।

वर्ष	वर्ष के दौरान नाम लिखाने वालों की संख्या	वर्ष के दौरान जितने लोगों को नियुक्ति सहायता दिलाई गई	वर्ष के अन्त में नियोजन कार्यालय के चालू रजिस्टर में शेष बचे उम्मीदवारों की संख्या
1967	3,26,677	30,014	4,36,481
1968	3,18,840	28,201	4,34,423
1969	3,34,663	23,270	4,96,475

पश्चिम बंगाल में रोजगार की विस्फोटक स्थिति

768. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के राज्य प्रशासन ने राज्य में रोजगार की स्थिति को विस्फोटक स्थिति बताया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समस्या को हल करने के लिये राज्य प्रशासन कोई उपाय नहीं सुझा सकी है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास इस समस्या को संतोषपूर्ण ढंग से शीघ्र सुलझाने के लिये कोई परियोजना अथवा योजना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से आवश्यक सूचना देने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वार्षिक योजनाओं और चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, सिंचाई व बिजली, परिवहन व संचार और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा समाज-कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा पश्चिम बंगाल सहित देश के सभी भागों में अधिकाधिक नियोजन अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त बेरोजगारी से राहत पाने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष कार्यक्रम जैसे छोटे किन्तु उत्पादन की क्षमता रखने वाले उप-सीमान्त जोतधारी किसानों के लिये कार्यक्रम, अजल खेती और ग्रामीण निर्माण कार्य भी आरम्भ करने का सुझाव है । इसके साथ-साथ कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रम से अधिक मात्रा में नियुक्ति अवसर जुटाये जायेंगे ।

Statement of Agriculture Minister of U. P. regarding Drought-Hit Areas

769. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement of the Agriculture Minister of Uttar Pradesh wherein he has stated that there are at least 17 districts in Uttar Pradesh which are often hit by drought but the Central Government have approved the special relief programme only for one district ;

(b) if so, whether Government propose to chalk out a concrete programme for other drought-hit districts of the State ; and

(c) the number of drought-hit areas for which relief programmes have been chalked out by Government at country level and the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Attention of the Government has not been drawn to any such statement made by the Agriculture Minister of Uttar Pradesh. However, the State Government have requested for the inclusion of 7 chronically drought-hit areas under the new Rural Works Programme. Only a part list of 23 districts to be taken up under the Programme has been finalised so far. Mirzapur in Uttar Pradesh is one

of these districts. The question of additional districts to be taken up under the Programme is at present under the consideration of Government.

(c) As for the 23 selected districts, the schemes are under formulation in consultation with the State Governments.

Licences for Sugar Mills in U. P.

770. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the U. P. Government have requested the Centre to grant licences for seven sugar mills ;

(b) if so, whether the Centre has granted licences for only three sugar mills ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The Uttar Pradesh Government recommended 5 applications for the establishment of new cooperative sugar factories and out of these letters of intent have been issued in August, 1969 for three cooperative sugar factories at the following places :

1. Kaimganj, District Farrukhabad.
2. Rasra, District Ballia.
3. Harduaganj, District Aligarh.

Increase in Small Farmers Development Projects in Uttar Pradesh

771. **Shri Janeshwar Misra :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Food Minister of Uttar Pradesh has made a written or oral complaint to Government that Uttar Pradesh is being discriminated in the matter of agricultural development programmes ; and

(b) if so, whether Government have decided to increase the number of Central projects intended for the development of farmers in Uttar Pradesh in view of the larger number of small farmers in that State as compared to other States ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The Minister for Food and Agriculture, Uttar Pradesh had represented that in view of the backwardness of U. P. and preponderence of small farmers 11 out of 46 of the Small Farmers Development Agency projects and 10 out of 40 Marginal Farmers and Landless Agriculturists Agency Projects may be allotted to U. P. The question of allocation of these projects to the various States and Union Territories in the country was considered very carefully both in the Planning Commission and the Union Department of Agriculture and it was decided that in view of the larger population of small farmers and marginal agriculturists etc. U. P. may be allocated 4 projects under the SFDA and 2 Projects under the MFAL schemes as against the maximum of 3 projects under SFDA and 2 other projects under MFAL allocated to any other State. This Committee had considered all aspects of the matter and specially kept in view the point that these two schemes are of a pilot nature and need to be tried out in different parts of the country.

The Government have not taken any decision to increase this allocation to U. P.

The present allocations of the projects for Small Farmers and marginal Farmers will be reviewed sometime next year on the basis of the performance of the projects in the different states.

भारत में सुपर बाजारों को हानि

772. **श्री हेम बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सभी 101 सुपर बाजार हानि पर चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन 101 सुपर बाजारों को इनके उद्घाटन से लेकर जून, 1970 तक कितनी राज सहायता दी गई ;

(ग) क्या हानि पर चल रहे इन सुपर बाज़ारों को बन्द करने के बारे में सरकार के पास कोई योजनायें हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उसके द्वारा इन्हें 101 सुपर बाजारों को दी गई राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेश-प्रशासनों के माध्यम से बहु-विभागोय भण्डारों को राज सहायता के रूप में बंटन के लिए 67.39 लाख रुपये की राशि मंजूर की है ।

(ग) और (घ). यह विचार नहीं है कि जिन बहु-विभागीय भण्डारों को हानि हुई है, उन्हें अवश्य ही बन्द कर दिया जाना चाहिए, लेकिन पहले तो उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिये प्रयास करने होंगे । सहकारी कानून के उपबन्धों तथा मंजूरी की शर्तों के अनुसार पेशगियों की वसूली की जाती है । फिर भी जहां तक आवश्यक हो केन्द्रीय सरकार के परामर्श से यह सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय शासित प्रदेश—प्रशासनों को निर्णय करना है कि यदि सहकारी बहु-विभागीय भण्डार हानि उठा रहे हैं तो इस सम्बन्ध में तथा कार्यवाही की जानी चाहिए ।

आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र की शक्ति में वृद्धि

773. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र की शक्ति में वृद्धि करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या किसी राज्य की राजधानी में भी कोई ऐसा केन्द्र है जिनकी शक्ति त्रिवेन्द्रम केन्द्र की भांति कम हो ; और

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम केन्द्र को एलेप्पी स्थित 100 किलोवाट के ट्रांसमिटिंग केन्द्र से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसे किस ढंग से सम्बद्ध किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां, राज्यों की कई ऐसी राजधानियां हैं जिनके केन्द्रों की शक्ति त्रिवेन्द्रम केन्द्र की शक्ति के समान है ।

(ग) जी हां, टेलीफोन लाइनों द्वारा ।

सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण काम पर न लिये गये डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी

774. **श्री पी० विश्वम्भरन : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण, राज्यवार, सम्पूर्ण भारत के डाक तथा तार विभाग के उन कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है जिन्हें अभी तक काम नहीं दिया गया ;

(ख) 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण केरल सर्किल के तार तथा डाक विभाग के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनहीनता की विभागीय कार्यवाही, जैसे अग्रिम वेतन वृद्धि में कमी करना, दर्जा घटाना, पदावनति करना और पदोन्नतियों को स्थगित करना, की गई है ; और

(ग) सितम्बर, 1968 से केरल सर्किल के डाक तथा तार विभाग के श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कितने कर्मचारियों को उनके सम्बद्ध डिवीजनों से बाहर स्थानान्तरित किया गया है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) कुल 12

केरल (9)

4- अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी—इन्हें आगे उपलब्ध होने वाले स्थानों पर नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

1- सेवा बर्खास्त कर दी गई ।

2- सेवा से हटा दिये गये ।

1- अस्थायी कर्मचारी, इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं परन्तु वह अभी तक नौकरी पर नहीं आया है ।

1- अस्थायी कर्मचारी, यह फिर से नौकरी करने को तैयार नहीं है क्योंकि बिना शर्त के बहाली चाहता है ।

दिल्ली (3)

तीन अस्थायी कर्मचारी दूसरे धोखाधड़ी के मामलों में ग्रस्त थे । इनके मामले अदालत में चल रहे हैं ।

(ख) जो दंड दिये गये उनके ब्यौरे और जिन कर्मचारियों को ये सजाएं दी गईं, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

(i) पदोन्नति रोकी गई

(ii) वेतन वृद्धि रोकी गई 246

(iii) समय वेतनमान में वेतन को निचले स्तर पर नियत किया गया 93

(iv) निचले पद पर पदावनत किया गया 1

(ग) 27 तृतीय श्रेणी कर्मचारी और 7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।

सपान्ही अभ्रक खानों के श्रमिकों और प्रबन्धकों में विवाद

775. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक श्रमिक संघ (एच० एम० एस०) के नेतृत्व में सपान्ही अभ्रक खानों के श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच प्रबन्धकों द्वारा अवैध तालाबन्दी का विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास अनिर्णीत पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय न्याय-निर्णय कार्यवाही की क्या स्थिति है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) प्रबन्धकों द्वारा मासिक तथा दैनिक दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों की मजूरी में एक जनवरी 1968 से 10 प्रतिशत की वृद्धि करने से इन्कार करने और बोनस भुगतान अधिनियम के अनुसार सभी कर्मचारियों को 1966, 1967 तथा 1968 के वर्षों का लाभांश बोनस देने से इन्कार करने से सम्बन्धित, सपान्ही अभ्रक खान के प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच, एक विवाद केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2, धनबाद के पास अनिर्णीत पड़ा है । श्रमिकों का प्रतिनिधित्व अभ्रक श्रमिक यूनियन द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) इस मामले की न्यायाधिकरण द्वारा आंशिक रूप से सुनवाई की जा रही है तथा यह आगे जांच के लिये अनिर्णीत पड़ा है ।

धान, कपास तथा मोटे अनाज के लिए समर्थन मूल्य

776. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धान, कपास तथा मोटे अनाज के लिये समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिये हैं और यदि हां, तो निर्धारित मूल्य क्या है ;

(ख) क्या ये मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों के अनुरूप हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने भी वसूली मूल्य निर्धारित किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । देश भर में 1970-71 सीजन के लिये धान और खरीफ के मोटे अनाजों का न्यूनतम सहाय्य मूल्य क्रमशः 46.00 और 45.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । कपास वर्ष 1969-70 के लिये विभिन्न किस्म की कपास का न्यूनतम साहाय्य मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3780/70]**

(ख) जी हां ।

(ग) भारत सरकार कपास के अधिप्राप्ति मूल्य घोषित नहीं करती है। 1970-71 सीजन के लिए धान और खरीफ के मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्य कटाई मौसम से पहले (अर्थात् अक्तूबर, 1970 तक) निर्धारित किये जायेंगे।

गो-वध सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

777. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो समिति के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) समिति किस तिथि को नियुक्त की गई थी ; और

(घ) समिति के कार्य में और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) गोरक्षा समिति ने 12 बैठकें की हैं, अनेक व्यक्तियों की गवाहियां रिकार्ड की हैं, 100 से अधिक व्यक्तियों के लिखित ज्ञापन प्राप्त किये हैं और समस्त राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त किए हैं किन्तु इस समय समिति का कार्य रुका हुआ है।

(ग) 29-6-1967

(घ) सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के प्रतिनिधियों के हटने के कारण समिति अपनी रिपोर्ट को पूरा करने में प्रगति नहीं कर सकी। सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के प्रतिनिधियों से बार बार अनुरोध किया गया है कि वे समिति की कार्यवाही में भाग लें, किन्तु उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

पंजाब तथा हरियाणा में गेहूं की वसूली

778. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में गेहूं की वसूली के लक्ष्य पूरे हो गये हैं ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1969-70 में कितना लाभ कमाया गया है ; और

(ग) वसूली मूल्यों तथा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को की गई सप्लाई के मूल्यों में अधिकतर अन्तर कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) पंजाब और हरियाणा में अब तक क्रमशः 21.6 तथा 4.5 लाख मीटरी टन गेहूं अधिप्राप्त किया जा चुका है जबकि लक्ष्य क्रमशः 25.0 तथा 3.5 लाख मीटरी टन था।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के 1969-70 के खाते अभी बन्द नहीं किए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के लिए "बिना लाभ, बिना हानि" के आधार पर गेहूं की अधिप्राप्ति और वितरण करता है।

(ग) गेहूं की अधिप्राप्ति तथा उसके केन्द्रीय निर्गम मूल्य देश भर में एक जैसे होते हैं। 1970-71 के लिए सभी किस्मों के लिए अधिप्राप्ति मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल है और अम्बर रंग की मैक्सिकन और अन्य बढ़िया देसी किस्मों का निर्गम मूल्य 84 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि लाल मैक्सिकन और देसी लाल किस्मों का निर्गम मूल्य 78 रुपये प्रति क्विंटल है।

अखिल भारतीय छोटे तथा मध्यम समाचारपत्र संघ से अभ्यावेदन

779. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको अखिल भारतीय छोटे तथा मध्यम समाचार पत्र संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदनों में कौन-सी मुख्य मांग की गई है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु०गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3781/70]**

पश्चिमी बंगाल में भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण

780. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित एक विशिष्ट अनुभाग (सैल) ने राज्य के विभिन्न जिलों में भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण हाल में पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल का क्रमबद्ध सर्वेक्षण करता रहा है। कृषि विभाग के अण्वेषी नलकूप संगठन द्वारा उन क्षेत्रों की गहरी खुदाई की जा रही है, जिन्हें भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने भूमिगत जल के लिये उपयुक्त पाया था। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा स्थापित कक्ष (सैल) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग तथा अण्वेषी नलकूप संगठन के साथ घनिष्ठ सहयोग के साथ कार्य कर रहा है।

(ख) अब तक किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर कृषि तथा अन्य कार्यों के लिये उपयुक्त

जल वाले क्षेत्रों का वर्गीकरण सम्भव हो सका है। क्षेत्रवार जल के रासायनिक गुणों और उन क्षेत्रों में कितनी गहराई पर जल उपलब्ध है, इस बारे में अध्ययन किया जा चुका है। अधिक मात्रा में और कम मात्रा में जल निकालने के नलकूपों के लिये क्षेत्रवार वर्गीकरण किया जा चुका है और इस संबंध में परामर्श राज्य सरकारों को दिये जा चुके हैं जिससे कि वे गहरे और कम गहरे नलकूपों के कार्य को हाथ में ले सकें।

पश्चिमी बंगाल में कपड़ा मजदूरों द्वारा हड़ताल

781. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के कपड़ा मजदूरों ने जून, 1970 में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां तो मजदूरों की मांग क्या थी और उसे पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को सुविधायें

782. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दे० अमात :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों ने सेवा की शर्तों सम्बन्धी अपनी कुछ अवशिष्ट मांगों के बारे में राज्य मंत्री से हाल में बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या स्टाफ आर्टिस्टों को कुछ और सुविधायें दी गई हैं ; अथवा दी जा रही हैं और यदि हां, तो वे सुविधायें किस प्रकार की हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के द्वारा समय-समय पर मांगें रखी जाती हैं जिन पर सदा सहानुभूतिपूर्वक तथा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

(1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह स्टाफ आर्टिस्टों के शुल्क में महंगाई भत्ते के एक अंश को मिलाना।

(2) 500 रु० प्रति माह तक शुल्क पाने वाले स्टाफ आर्टिस्टों को महीने के अन्तिम दिन शुल्क का वितरण ।

(3) अस्थाई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह असाधारण छुट्टी प्रदान करना ।

(4) भारत सरकार के निविदा अधिकारियों की भांति 'अर्नजित छुट्टी' प्रदान करना ।

(5) उन स्टाफ आर्टिस्टों को, जिनके शुल्क के स्केल का अधिकतम 300/- रु० प्रति माह से अधिक नहीं है, अर्जित छुट्टी पर जाने से तत्काल पूर्व प्राप्त शुल्क के बराबर "छुट्टी शुल्क" प्रदान करना ।

(6) एक शुल्क-मान से अन्य अगले उच्चतर शुल्क-मान में पदोन्नति नियुक्ति होने पर स्टाफ आर्टिस्टों के शुल्क-निर्धारण के बारे में नियमों को बनाना ।

(7) कुछ स्टाफ आर्टिस्टों को, जिनका शुल्क कुछ वर्षों से एक विशिष्ट स्थिति पर अवरुद्ध हो गया है, शुल्क-वृद्धि जारी करना ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को एक निगम के रूप में परिवर्तित करना

783. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को एक निगम में परिवर्तित करने के बारे में अन्तिम निर्णय इस बीच किया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया एक स्वतन्त्र समाचार एजेंसी है और सरकार का इसके संचालन पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस संदर्भ में प्रेस आयोग की सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है ।

पश्चिम पाकिस्तान के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शरणार्थियों का गुजरात में पुनर्वास

784. **श्री द० रा० परमार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान से भारत आये और गुजरात राज्य के विभिन्न भागों में प्रवास करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के शरणार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि अब तक उन्हें समुचित रूप से फिर से नहीं बसाया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से अधिकतर कांडला पत्तन तथा उसके निकटवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों में जा बसे हैं यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(घ) उनमें से कितने पक्के घरों में ठीक तरह से बस गये हैं और उनको किस प्रकार की सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी गई थी तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) क्या कांडला पत्तन तथा गुजरात राज्य के दूसरे भागों में जा बसे इन शरणार्थियों को फिर से बसाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा संभव समय में सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये मध्य प्रदेश द्वारा चम्बल क्षेत्र देने का प्रस्ताव

785. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री दे० वि० सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये चम्बल क्षेत्र देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से ब्योरे-वार योजना की प्रतीक्षा है ।

खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करना तथा उसका प्रभाव

787. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने के पश्चात् देश में खाद्य स्थिति का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने से खाद्य स्थिति में किस सीमा तक सुधार हुआ है;

(ग) क्या खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने के बाद पंजाब तथा हरियाणा में से गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं के मूल्यों में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(घ) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार ने सभी खाद्य क्षेत्र समाप्त नहीं किये हैं । चावल के संचलन

पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों को छोड़कर गेहूं के क्षेत्र 4 अप्रैल, 1970 से समाप्त कर दिये गये हैं। खाद्य स्थिति पर इन खाद्य क्षेत्रों के समाप्त करने का क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अभी पूरा पूरा अनुमान लगा पाना कठिन है। तथापि, यह देखा गया है कि खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने से पिछले कुछ महीनों में गेहूं और गेहूं से बने पदार्थों की सप्लाई-स्थिति में सुधार हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूरतगढ़ कृषि फार्म से एकत्र की गई फसलों को आग लग जाने के कारण क्षति

788. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सूरतगढ़ कृषि फार्म के 300 एकड़ भूमि से एकत्र की गई फसलें मई, 1970 में आग लग जाने के कारण नष्ट हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो आग लग जाने के कारण नष्ट हुए खाद्यान्नों की कुल मात्रा तथा उनका मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार ने आग लग जाने के कारणों की जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख). मई, 1970 के दौरान केन्द्रीय राजकीय फार्म, सूरतगढ़ में आग लग जाने की तीन घटनायें हुई थीं। आग लग जाने से 115 क्विन्टल चने तथा 15 क्विन्टल भूसे की कुल हानि हुई थी। हानि हुई कुल मात्रा का मूल्य 11,075.00 रुपये था। यह चना तथा भूसा कुछ ठेकेदारों का था न कि केन्द्रीय राजकीय फार्म, सूरतगढ़ का।

(ग) तथा (घ). जी हां। जांच करने पर पता चला था कि दो मामलों में ट्रैक्टरों की चिनगारियों से तथा तीसरे मामले में एक श्रमिक की असावधानी के कारण जिसने कटाई की गई फसल की ढेर से कुछ दूरी पर खाना पकाने के लिये आग जलाई थी, आग लगी। आंधी के कारण इस आग से एक चिनगारी फसल की ढेरों तक पहुंची।

Self-sufficiency in the Manufacture of Communication Satellite

789. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact the control of foreign elements has been increasing on the Indian Broadcasting System ; and

(b) if so, whether Government propose to take some concrete steps to ensure that India does not depend on others in the matter of communication satellite ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Hybrid Variety of Paddy

790. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the varieties of hybrid paddy introduced in the country during the last three years; and

(b) the particulars of the varieties of paddy developed in Central and State sponsored Research Organisations ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The varieties of hybrid paddy introduced in the country during the last three years are Pankaj (IR-5-114-3-1) and I. R. 20.

(b) The particulars of the following varieties developed under the All India Coordinated Rice Improvement Project which is operating at the Central Research Institutes, and research of the Agricultural Universities and State Governments are given below :

1. **Jaya :** It is a derivative of the cross Taichung Native 1 × T.141, and is a short statured variety (115 cm) with medium maturity (135 days). It has a high yield potential (6-7 tons/ha). The grains are coarse and the cooking quality is acceptable. Jaya is reported to be earlier than IR-8 by 3-4 days. This variety has been evolved at the Hyderabad Centre of the All India Coordinated Rice Improvement Project.

2. **Padma :** It is an early maturing (115 days), short-statured (70 cms) variety obtained from a cross between T.141 and Taichung Native 1. This variety is earlier than Taichung Native I by a week and has a high yield potential (5-6 tons/ha) in that duration group. Its grains are finer than those of Taichung Native 1 and has acceptable cooking quality. This variety was evolved at the Central Rice Research Institute, Cuttack.

3. **Jaganath :** A dwarf mutant of T.141, it is a dwarf photosensitive variety, which matures in 140-170 days depending upon sowing time. It is suited for growing in coastal area of Andhra Pradesh, south eastern parts of Madhya Pradesh, Orissa and West Bengal, where peculiar seasonal conditions and conditions of impeded drainage may not favour IR-8 and Jaya in main crop season. It possesses medium slender grains with good cooking quality. It has been reported to yield on an average about 4 tonnes/ha.

4. **Sabarmati :** A selection from back progeny of Taichung Native 1 × Basmati 370-4, it is a dwarf variety with high yielding potential 4.0 tonnes/ha. It matures in 110 to 120 days from seed to seed and has medium slender grain with fine aroma. Because of its short duration, it is suitable for multiple cropping with wheat, potato and rabi vegetables. It is recommended for cultivation in Delhi, Haryana and Western U. P.

5. **Jamuna :** A selection from the back cross progeny of Taichung Native 1 × Basmati 370, it has long slender grain and matures in 106 to 110 days. It is also suitable for multiple cropping. This variety has been recommended for cultivation in Delhi, Haryana, Western U. P. and Andhra Pradesh.

6. **Karuna :** A selection from the cross IR.5 × ADT. 27, it is recommended for cultivation in Thanjavur district of Tamil Nadu. It yields 10 to 15 per cent more than ADT-27 and has the acceptable grain quality of ADT-27.

Details regarding improved varieties of rice developed by the State Research Institutions for special areas/conditions are being collected and will be furnished as soon as available.

Schems for Hire-purchase of Tractors in States

791. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States, where the scheme of hire-purchase of tractors has already been introduced and the names of States where it is likely to be introduced ; and

(b) the amount of financial assistance granted by the Centre to the States for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Scheme of Hire-Purchase of Tractors and other Agricultural Implements has been introduced by the State Agro-Industries Corporations of Assam, Bihar, Haryana, Kerala, Maharashtra, Mysore, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal. The Agro-Industries Corporations in the remaining States are also taking necessary steps to introduce the Scheme as early as possible.

(b) No direct financial assistance is being given by the Government of India to the State Governments for the scheme. The scheme is financed by the Agro-Industries Corporations out of the funds available at their disposal either by share capital contributions or by obtaining loans from the Banks, etc. The Central Government holds 49% to 50% shares in these Corporations.

चौथी योजना के दौरान असम कृषि विश्वविद्यालय के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सहायता

792. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान असम कृषि विश्वविद्यालय के विकास के लिये धन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने धन का नियतन किया गया है; और

(ग) यह धन किन प्रयोजनों से खर्च किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सामान्य पद्धति के अनुसार असम कृषि विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता दी है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने असम कृषि विश्वविद्यालय को उसके विकास के लिए 1969-70 में 5,45,283 रुपये और 1970-71 के प्रथम त्रैमासिक में 10.00 लाख रुपये दिए । कृषि विश्वविद्यालयों को लागू होने वाली सहायता के प्रतिमान के अनुसार इस विश्वविद्यालय को चुने हुए मदों पर शत प्रतिशत सहायता प्राप्त हो सकेगी, किन्तु प्रत्येक मद पर राशि सीमित होगी और चौथी योजनावधि में किसी भी राज्य के लिए अधिकतम राशि 2.00 करोड़ रुपये होगी ।

(ग) जिन मदों पर विश्वविद्यालय द्वारा धन खर्च किया जाना है, उनकी सूची संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3782/70.]**

राज्यों में भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण

793. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिगत जलसंसाधनों का राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र-वार कोई अन्तिम सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र-वार, इसमें से कितना जल मध्यम सिंचाई योजनाओं तथा कितना लघु सिंचाई योजनाओं के लिये उपलब्ध है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। उपलब्ध भूमिगत जल साधनों के ठीक मात्रात्मक आंकड़े राज्य और संघ क्षेत्र वार नहीं बनाये गये हैं। तो भी भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण और संघ कृषि विभाग का समन्वेषी नल कूप संगठन सिंचाई के लिये भूमि गत जलके बड़े, माध्यम या लघु मात्रा में विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की खोज और मालूम करने के लिये जांच पड़ताल कर रहे हैं। जबकि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण भूभौतिक तकनीकों के द्वारा भूमिगत जल के पूर्वेक्षण के लिये मुख्यतया उत्तरदायी है, समन्वेषी नलकूप संगठन जलोढ़ और तलछटी संघटनो में परीक्षा छिद्रण द्वारा गहरी गवेषणा कर रहा है।

पश्चिमी राजस्थान और तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा को आवरण करने वाले दो सीमित क्षेत्रों में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता के द्वारा विशद मात्रात्मक अध्ययनों के लिये दो परियोजनायें भी कार्यरूप में लाई गई हैं। पश्चिमी राजस्थान में परियोजना, तीन प्रतिनिधि क्षेत्र, नामतः जलौर, बरुन्डा और लाठी को सम्मिलित करती है। जलौर में मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया है और अन्य दो क्षेत्रों में प्रगति में है। कावेरी डेल्टा में मूल्यांकन कार्य प्रगति में है। मूल्यांकन अध्ययनों के लिये इन विशद परियोजनाओं के अलावा, समन्वेषी नलकूप संगठन, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण और कृषि पुनर्वित्त निगम के निजी परामर्शकों के द्वारा इन क्षेत्रों में जिन्होंने, कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा समर्थित 171 भूमिगत जल विकास योजनाओं को आवरित किया, तीव्र मूल्यांकन सर्वेक्षण भी किये हैं।

(ख) सब भूमिगत जल साधन, लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा विकास के योग्य हैं क्योंकि वे कूप, नलकूप, पम्पसेट आदि, जिनकी व्यक्तिगत रूप से कीमत 26 लाख रुपये से कम है जो लघु सिंचाई के लिये सीलिंग है (मध्य योजनायें वे हैं जो प्रत्येक 25 लाख रुपये से अधिक कीमत की है परन्तु 5 करोड़ से कम की है) जैसे कार्यों से परिपूर्ण कर दिये हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा की जाने वाली बीजों की खरीद और बिक्री के मूल्यों में अन्तर

794. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीज निगम खाद्यान्नों के बीज स्वीकृत किसानों से 90 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है जबकि वे किसानों को 19.60 रुपये प्रति बोरी जिसमें $6\frac{1}{2}$ किलोग्राम बीज होते हैं, की दर से बेच रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उतना अधिक लाभ होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नही ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

बचत बैंक तथा पेंशन भुगतान की सुविधाओं वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

795. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों तथा अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों की संख्या कितनी है जिनमें बचत बैंक तथा पेंशन भुगतान की सुविधायें हैं;

(ख) उनमें से कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी; और

(ग) सरकार द्वारा उनको स्थायी बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात के लिए टेलीफोन निर्देशिका

796. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि वर्ष, 1967 से गुजरात में कई स्थानों पर नए टेलीफोन लगाये गए हैं परन्तु वर्ष 1967 के बाद केवल अहमदाबाद को छोड़ कर गुजरात सर्कल के लिये कोई टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित नहीं की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि टेलीफोन निर्देशिका न होने से, लोगों को विवश होकर 15 पैसे खर्च करके "इन्क्वारी" से नम्बर मांगना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो टेलीफोन निर्देशिका को प्रकाशित करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और इसको शीघ्र ही प्रकाशित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा निर्देशिका सम्भवत: कितने समय तक जनता को उपलब्ध हो जाएगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) पिछली बार डाइरेक्टरी का प्रकाशन जनवरी, 1968 में हुआ था । उसके बाद बहुत से नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

(ख) नए टेलीफोन उपभोक्ताओं को डाइरेक्टरी का 1968 संस्करण सप्लाई किया गया था । इसमें सन्देह नहीं कि किसी भी नए नम्बर या ऐसे बदले हुए नम्बर के लिये जो डाइरेक्टरी में नहीं दिया गया है, उपभोक्ताओं को डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा को टेलीफोन करना पड़ता है । जहां प्रमापित दर प्रणाली लागू है, वहां इस सेवा के लिए प्रति काल 15 पैसे खर्च करने

पड़ते हैं। चूंकि नियमित डाइरेक्टरी के प्रकाशन में देर हो रही थी, इसलिए अहमदाबाद और भावनगर तार डिवीजनों में फरवरी, 1970 तक संशोधित पूरक डाइरेक्टरियां निकाली गईं। बाकी तीन डिवीजनों अर्थात् राजकोट, बड़ौदा और सूरत के लिए पूरक डाइरेक्टरियां छापने के लिये कार्रवाई की गई है और आगामी कुछ ही दिनों में वितरण के लिये ये उपलब्ध हो जाएंगी।

(ग) नई डाइक्टरी के प्रकाशन में विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं :

(i) गुजराती भाषा में टेलीफोन डाइरेक्टरी—सामान्यतया यह डाइरेक्टरी राज्य सरकार की प्रेस में छापी जाती है। चूंकि राज्य सरकार प्रेसों को राज्य सरकार का तुरत किया जाने वाला काम करना होता है, इस लिये इसके प्रकाशन में बुरी तरह से देर हो जाती है। आशा है कि प्रेस आगामी तीन महीनों में नई डाइरेक्टी तैयार कर देगी।

(ii) अंग्रेजी में टेलीफोन डाइरेक्टरी—पहले यह डाइरेक्टरी भी राज्य सरकार की प्रेस में ही छपती थी। चूंकि राज्य सरकार प्रेस यह काम नहीं कर सकती, इस लिये पोस्टमास्टर जनरल ने अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर के एक प्राइवेट मुद्रक नियुक्त कर दिया है। किन्तु उपयुक्त मुद्रक चुनने में काफी समय लग गया। आशा है कि डाइरेक्टरी का अगला संस्करण टेलीफोन उपभोक्ताओं को इस वर्ष के अन्त तक उपलब्ध हो जायेगा।

खालों तथा चमड़े का निर्यात

797. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 9 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 924 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3783/70]**

खाद्य स्थिति का मूल्यांकन

798. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हुई अच्छी फसल को देखते हुए खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता की तुलना में देश की खाद्य स्थिति का फिर से मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास सथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). संसद के पिछले अधिवेशन से कोई नया मूल्यांकन नहीं लगाया गया है। पहले जो मूल्यांकन किया गया था उसमें 1968-69 की अपेक्षा 1969-70 में उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि को ले लिया गया था। वर्ष 1970 के लिए आयात सम्बन्धी जरूरतें लगभग 40 लाख मीटरी टन आंकी गयी हैं, ये आयात चालू खपत की जरूरतें और वफर स्टाक में लिये खाद्यान्न डालने के लिये हैं।

(ग) देश में अधिक से अधिक खाद्यान्नों की पैदावार प्राप्त करने के लिए कुछेक उपाय किए गए हैं। इनमें कुछ उपाय इस प्रकार हैं—अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग, बहु-फसली कार्यक्रम, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, बड़े पैमाने पर तथा समन्वित ढंग से कीट नियन्त्रण उपाय, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, बेहतर बीजों की सप्लाई, किसानों को कृषि औजार तथा ऋण देना, बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देना और भूमि संरक्षण तथा भूमि उद्धार की योजनाएं।

रेडियो पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

799. **श्री रा० बरुआ :**
श्री समर गुह :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत में हाल ही में हुये साम्प्रदायिक दंगों तथा अन्य मामलों को लेकर रेडियो पाकिस्तान से अपना भारत विरोधी प्रचार हाल ही में और तेज कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे इस प्रचार का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे प्रचार का खण्डन घरेलू तथा वैदेशिक सेवाओं में प्रसारित समाचार बुलेटिनों तथा विशेष कमेंटियों में तथ्यों को देकर किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में जोतों के विवरण पेश किया जाना

800. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक आम आदेश जारी

किया है जिसमें सभी जोतदारों को 31 जुलाई 1970 तक निर्धारित फार्म संख्या 10 में अपनी जोतों का विवरण पेश करने को कहा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन विवरणों को न पेश करना एक दण्डनीय अपराध है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे आदेश का क्या अभिप्राय है ; और

(घ) क्या राज्य प्रशासन को किसी प्रकार यह सूचना दे दी गई है कि ऐसे आदेश से सामान्य जनता को बड़ी परेशानी होती है तथा प्रशासनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1955 की धारा 23 ख में जिसमें 1969 में संशोधन किया गया है, भूमि राजस्व के पुनः निर्धारण, बहुत छोटे जोतदारों को पूरी छूट देने, अन्य छोटे जोतदारों को राजस्व की रियायती दर और मध्यम तथा मौलिक जोतदारों के लिए भू-राजस्व की उच्चतर दर लगाने की व्यवस्था की गई है । भू-राजस्व के संशोधित दरों को लागू करने के विचार से जोतदारों को अपनी भूमि की मात्रा के बारे में एक निश्चित तिथि तक विवरणियां प्रस्तुत करनी थीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक निश्चित अवधि के अन्दर विवरण प्रस्तुत करने के लिये दण्ड की व्यवस्था करना आवश्यक था, क्योंकि ऐसी व्यवस्था न होने से मध्यम तथा मौलिक जोतदारों द्वारा, जिन्हें उच्चतर दर पर भू-राजस्व अदा करना था, भू-राजस्व की बढ़ी हुई दर पर अदायगी करने से बचने की दृष्टि से विवरण प्रस्तुत न करने या उसे लुप्त करने की आशंका थी ।

(घ) भू-राजस्व की प्रगतिशील दर की योजना, किसी व्यक्ति की भूमि की मात्रा पर निर्भर करती है । अतः देय-क्षमता का लक्ष्य छोटे जोतदारों के भार को कम कर के सामूहिक रूप से लोगों की कठिनाइयों को दूर करना है, यद्यपि इससे बड़े जोतदारों को कुछ अधिक भू-राजस्व देना पड़ सकता है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उड़ीसा के सम्बलपुर जिले के तमदी गांव में चार हरिजनों की हत्या

अध्यक्ष महोदय : अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व पर विचार करेंगे । श्री एस० एम० जोशी ।

श्री प्र० रं० ठाकुर (नवद्वीप): श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आपने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को स्वीकार करने से पूर्व यह पता लगाने का प्रयास किया है कि जिन लोगों की हत्या की गई है, उनकी हत्या केवल इसी लिए की गई कि वह हरिजन थे या अर्ध मानव अथवा पशु थे ? अन्यथा इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती

क्योंकि इस प्रकार के समाचार तो प्राय : समाचारपत्रों में आते रहते हैं और जब उनकी जांच की जाती है तो उनमें से अधिकांश गलत साबित होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम ने विभिन्न स्रोतों से इसका पता किया है । इसके अतिरिक्त इस के लिए अनेक व्यक्तियों ने अधिसूचना दी थी । इसलिए सम्पूर्ण स्थिति का स्पष्टीकरण सभा में हो जाना ही अधिक उचित है ।

Shri S. M. Joshi (Poona): Mr. Speaker, I draw the attention of the Home Minister to the reported killing of four Harijans in Tamdi village in Sambalpur District of Orissa.

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्यमंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त): राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 18 जुलाई, 1970 को उड़ीसा के सम्बलपुर जिले के तमदी गांव में लगभग 40-50 मछियारों ने एक घर पर हमला कर दिया । वहां उन्होंने चार निवासियों को निर्दयतापूर्वक पीटा और उन्हें घर में ही बन्द करके आग लगा दी । हमलावरों और मृत व्यक्तियों के बीच गांव में मछली पकड़ने सम्बन्धी अधिकारों के बारे में कोई झगड़ा था और कहा जाता है कि घटना से एक दिन पहले मृत व्यक्तियों में से किसी एक ने हमलावरों में से किसी एक को पीटा था । मृत व्यक्ति हरिजन थे और यह भी कहा जाता है कि हमलावर भो अनुसूचित जाति से ही हैं । पुलिस ने हमलावरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और तेरह व्यक्तियों में से जिनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिये यये हैं, नौ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं । पुलिस अधीक्षक ने गांव का दौरा किया है और साथ ही साथ वहां अतिरिक्त पुलिस भी तैनात की गई है ताकि हिंसा की कोई और घटना न घट सके । जांच कार्य अभी जारी है और अपर पुलिस अधीक्षक उस का पर्यवेक्षण कर रहा है ।

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, Sir, I was rather astonished when my call attention was objected to Mahatma Gandhi preached 100 years ago for paying special attention to the Harijans. Now I want to draw the attention of the House towards the shabby treatment being meted out to Harijans. This particular community is victim of the cruelity of the majority. If this minority does not get an opportunity to be a majority, what is the use of our democracy. According to the statement given by the hon. Minister the assailants are reported to belong to Scheduled Caste. But according to press reports they are Caste Hindus. Whether they were Harijans or somebody else the point is why police should take 7 days to reaching the spot for investigations. Every thing has been initiated after the spot was visited by a Harijan Minister. Why is it so? What is the use of this democracy? Through this call attention I want to draw the attention of the whole country towards our condition. I gave a similar call attention notice some time back also when some Harijans were put to wrongful restraint by barbed wire fencing at the instance of village Panchayat. According to Press, Caste Hindus are the villain of the piece. It has been done by feudal lords. I want to ask of the hon. Minister whether these reports are not true, what the facts are. Why police took 7 days to reach the spot?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य जिन तथ्यों की बात कर रहे हैं, वह पहले ही वक्तव्य में प्रस्तुत किये जा चुके हैं । वह इस हमले का कारण जानना चाहते हैं और मैं कह चुका हूं कि हमला मछली सम्बन्धी अधिकारों के झगड़े के फलस्वरूप किया गया । दूसरे राज्य सरकार ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, वही हमारी सूचना का आधार है । वही तथ्य है और हम ने इन्हें सभा

के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। हां, पुलिस सात दिन बाद क्यों वहां पहुंची, इसके बारे में राज्य सरकार से जांच कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस ध्यान आकर्षण सूचना को स्वीकार करना उचित समझा। वास्तव में यह इस प्रकार की पहली ही घटना नहीं है। आये दिन देश में ऐसी घटनायें देखने सुनने को आती रहती हैं। गत दो वर्षों में हरिजनों पर अत्याचार की बहुत घटनायें सामने आई हैं। क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश या तमिलनाडु सभी जगह इस तरह की घटनायें घट चुकी है। 27 जुलाई 1970 के अखबार में इसके साथ ही एक अन्य घटना का उल्लेख भी किया गया है। हरिजनों के मन्दिर में दाखिल होने के प्रयत्न मात्र से ही दंगा हो गया। उन बेचारों को गोलियां खानी पडीं।

इस प्रकार की सभी घटनायें हमारे मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध हैं। मुझे खेद है कि कुछ राज्य सरकारें अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहीं। मैं मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि भविष्य में भूमि सम्बन्धी मामलों के फलस्वरूप और अधिक झगड़े होने को संभावना है। जब तक सरकार ऐसी घटनाओं के साथ पूरी सतर्कता और ताकत से पेश नहीं आयेगी, हरिजनों पर अत्याचार की घटनायें समाप्त होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ती जायेंगी।

मैं पूछना चाहता हूं कि गत एक या दो वर्षों से होने वाली इन विभिन्न घटनाओं के परिपेक्ष में क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कोई नये अनुदेश दिये हैं। क्या उन्होंने राज्य सरकारों से दोषियों को कड़ी सजा देने का अनुरोध किया है। विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां कि राजे महाराजे जमीदार आदि लोग अधिक रहते हैं, वहां इस प्रकार के निदेशों की बहुत आवश्यकता है।

अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार कर रहा है ? वह संविधान की सुरक्षा के लिए कितना प्रयत्नशील है। राज्य सरकार के प्रतिवेदन से हमें विशेष सरोकार नहीं। क्या केन्द्र उड़ीसा सरकार के त्यागपत्र की मांग करेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अपनी चर्चा के दौरान मेरे माननीय मित्र ने इस सामान्य प्रश्न को भी उठाया है कि गत दो वर्षों में ऐसी अनेक घटनायें हुई हैं। निस्सन्देह हमें भी इन घटनाओं से उतनी ही चिंता है जितनी कि अन्य सदस्यों को और संभवत: उससे भी अधिक ही। हम इस इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठा रहे हैं।

गत वर्ष और उससे भी पहले वर्ष जब सभा में इस विषय पर चर्चा हुई तो उसके बाद इलाया पेरूमल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने अनेक सुझाव दिये। इन विभिन्न सुझाओं में से एक दंड सम्बन्धी उपबन्धों को और अधिक कड़ा बनाने के सम्बन्ध में था। इस पर आगे कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त इलाया पेरूमल समिति के सुझावों के आधार पर गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों को भी लिखा। इनमें एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी था कि राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक एक समिति बनाई जानी चाहिये। यह एक प्रकार की समन्वय समिति होगी जिसमें पुलिस महानिरीक्षक, हरिजन कल्याण विभाग आदि के प्रतिनिधि होंगे ताकि पुलिस और हरिजन कल्याण अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। लगभग यह सभी सुझाव राज्य सरकारों को भेजे जा चुके हैं और यह प्रसन्नता का विषय है कि बिहार,

गुजरात, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और त्रिपुरा आदि में ऐसी समितियां बनाई जा चुकी हैं।

यह समितियां सम्पूर्ण कार्यवाही की देख रेख करेंगी। पुलिस अधिकारी भी जिलों का भ्रमण करेंगे और स्थिति का मौके पर जायजा लेंगे। यह सभी सुझाव राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : कुछ दिन पहले उड़ीसा में इसी प्रकार की एक घटना घटी थी जिसके बारे में उड़ीसा मंत्रिमंडल के हरिजन मंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया था परन्तु सरकार ने उसका खण्डन किया था। इससे पता चलता है कि हरिजन मंत्री को अन्य मंत्रियों से अलग समझा गया और उसके वक्तव्य पर उचित कार्यवाही नहीं की गई। उड़ीसा में 15 या 16 मकान जलाए गए परन्तु न तो कोई कार्यवाही ही की गई और न ही उन लोगों को कोई राहत दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि उड़ीसा सरकार को हरिजनों के साथ कोई सहानुभूति नहीं। यह समस्या केवल उड़ीसा प्रदेश की नहीं बल्कि अखिल भारत की है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त ने वार्षिक प्रतिवेदन में लिखा है कि बलात्कार और हत्याओं की कुल आठ घटनाएं हुई। एक मामले में एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा गया है कि पुलिस की हरिजनों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। यह प्रतिवेदन राष्ट्रपति और समाज कल्याण मंत्रालय को भेजा गया परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला।

आश्चर्य की बात है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने अपने प्रतिवेदनमें बलात्कार और हत्या की घटनाओं का शीर्षक उत्पीड़न के मामले दिया है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। मकान जलाए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को जिन्दा जलाया जा रहा है और ऐसी दर्दनाक घटनाओं का शीर्षक उत्पीड़न के मामले मात्र दिया गया है। यह उचित नहीं है। मंत्री महोदय ने अभी बताया कि एक समिति ने राज्यों को कुछ सुझाव भेजे हैं और मामले को वहीं समाप्त कर दिया गया। परन्तु हम यह मामला केवल राज्य सरकार पर नहीं छोड़ सकते। केन्द्रीय सरकार को शीघ्रातिशीघ्र एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करना चाहिए। इस आयोग को हर जगह जाकर हरिजनों की कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हरिजन खुले आम अपने दुःखों को प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता है कि यदि उन्होंने ऐसा किया, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जायगा। अतः क्या सरकार उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की नियुक्ति करेगी ताकि हरिजनों की कठिनाइयां आयोग को पता लग सके?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस मामले में जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में कई समितियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त को नियुक्त किया गया है। एक समिति ने जो सुझाव राज्यों को भेजे हैं, उनमें एक सुझाव यह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोग सच्ची जानकारी बताने से डरते हैं क्योंकि उन्हें कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है। समिति ने ऐसे लोगों का हवाला दिया है जो जानकारी देने से शायद डरते हैं। समस्या के इस पहलू पर विचार किया गया है। अस्पृश्यता अधिनियम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रदेशों पर है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा में होने वाले अमानविक अत्याचार की निन्दा की जानी चाहिए। मंत्री महोदय को इस मामले में रुचि लेनी चाहिए। वक्तव्य में कहा गया है कि मछली के अधिकारों को लेकर हमलावरों और मृत व्यक्तियों के बीच कोई मन मुटाव था और हत्या की घटना के एक दिन पूर्व मृत व्यक्तियों ने हमलावरों को पीटा था। इससे स्पष्ट है कि दोनों दलों में तनाव चलता आ रहा था। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे एक विस्तृत वक्तव्य दें क्योंकि उड़ीसा में हत्याओं की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। अतः क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से फिर से बात करेंगे अथवा केन्द्रीय सरकार स्वयं इस मामले में जांच करेगी ? मंत्री महोदय ने जिस समिति का हवाला दिया है वह समिति उड़ीसा में क्या कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं कि मैं अथवा सरकार इस मामले में रुचि नहीं ले रहे हैं। सच तो यह है कि ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद हमने उड़ीसा सरकार से अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा और अगले दिन सुबह टेलीफोन पर बात करनी चाही परन्तु टेलीफोन की तारें खराब थीं और इसी कारण हम पूरी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहे। (**व्यवधान**) अतः यह बिल्कुल अनुचित है कि हमने जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मंत्री महोदय ने कहा कि टेलीफोन की तारें खराब थीं, इसलिये जानकारी प्राप्त न की जा सकी। प्रायः जब हरिजनों को जलाया जाता है, उनके जन-धन की हानि होती है तो टेलीफोन की तारें खराब हो जाती हैं, न्यायालय बन्द हो जाते हैं, पुलिस कार्यवाही करना बन्द कर देती है। केवल अस्पृश्यता (निर्योग्यताओं का निवारण) अधिनियम, 1955 बनाने मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाता।

इलया पेरुमल समिति के पैरा 32 में कहा गया है—

"विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गये कुछ निर्णयों का अध्ययन करते हुये समिति ने यह पाया कि कुछ मामलों में प्रक्रिया सम्बन्धी कमी के कारण असफलता प्राप्त हुई और साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों ने भी उनमें रुचि नहीं ली।" प्रतिवेदन में कई उदाहरण भी दिये गये हैं। मैंने समिति के प्रतिवेदन का हवाला इसलिये दिया है कि हत्याओं के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हरिजनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और हरिजन पुलिस तथा न्यायालय में सच्ची बात बताने से डरते हैं।

मंत्री महोदय ने जिस वक्तव्य का हवाला दिया उसमें सिफारिश की गई है कि केवल विधान बनाने से काम नहीं चल सकता। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि एक अलग व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है जिसको जांच-पड़ताल करने की शक्ति दी जाय और अर्द्ध-न्यायिक सत्ता प्रदान की जाए। यह भी कहा गया है कि सामाजिक असमर्थता को दूर करने के लिये सामाजिक कार्यवाही की जाएगी और अपराधियों पर मुकदमा चलाया जायगा। अतः केवल यह कहना कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का काम है, पर्याप्त नहीं है। संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कमजोर वर्ग और विशेष कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को

संरक्षण प्रदान करे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हरिजनों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई व्यवस्था की जाएगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जैसा कि, मैंने पहले कहा कि यह झगड़ा दो वर्गों के बीच मछली के अधिकारों को लेकर हुआ था। परन्तु यहां जो विस्तृत प्रश्न उठाया गया है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं क्योंकि इससे हरिजनों के साथ किए जा रहे भेदभाव के व्यवहार को रोकने में सहायता मिलेगी। हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि दांडिक कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन यदि समस्या को पूरी तरह सुलझाना है तो सभा ही इस मामले में सहायता कर सकती है। इस विषय पर राज्य-मंत्रियों के साथ बातचीत की गई थी जिसमें सामाजिक कल्याण विषय को लेकर चर्चा की गई थी। उन्हें विशिष्ट सुझाव पर अन्तिम राय देने के लिये कहा गया है।

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये दूसरे प्रश्न के बारे में मैंने कुछ सुझाव दिये थे। मैं संक्षेप में उनको फिर दोहरा देता हूं। समन्वय समिति को समय समय पर अस्पृश्यता अधिनियम सम्बन्धी कार्यवाही की समीक्षा करनी चाहिये और अधिनियम को शक्तिशाली ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सिफारिश करनी चाहिये। विशिष्ट जिले के न्यायाधीशों को तथा पुलिस को अस्पृश्यता अधिनियमों के उपबन्धों की पूरी जानकारी होनी चाहिये। साथ ही अधिकारियों को भी चाहिये कि वे अपने क्षेत्र की ताजी जानकारी से परिचित रहें। पर्यवेक्षण अधिकारियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अपराध सम्बन्धी मामलों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब न किया जाए। राज्य सरकारों को चाहिये कि वे प्रतिवर्ष यह समीक्षा करे कि अधिनियम के अन्तर्गत कितने अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया जहां तक पुलिस अधिकारियों और पुलिस वालों को प्रशिक्षण देने का सम्बन्ध है, उन्हें अस्पृश्यता के सामाजिक तथा न्यायिक पहलू से सम्बन्धित अनुदेश दिए जाने चाहिये। प्रशिक्षणार्थियों के लिये अधिनियमों के अनुबन्ध जानना अनिवार्य होना चाहिये। अन्ततः, हरिजनों के साथ किए जा रहे भेदभाव पूर्ण बर्ताव के विरुद्ध जो स्वैच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रशासन से प्रोत्साहन एवं सहायता मिलनी चाहिये।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैंने आसाम तथा पूर्वी भारत के कई भागों में आए भूकम्प के सम्बन्ध में आपको लिखा था। आसाम की जनता बाढ़, भूकम्प तथा पूर्वी पाकिस्तान से लोगों के आगमन तथा लोकोशैड में काम करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल से चिन्तित है। मैं जानना चाहता हूं कि आसाम में आए भूकम्प से कितनी क्षति हुई है ? मैं अनुरोध करता हूं कि आप माननीय मंत्री से वक्तव्य देने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में उन्हें बता दूंगा।

Shri Malahu Prashad (Bansgaon) : I rise on a point of order. I had tabled four Adjournment Motions on 27th, 28, 29th and 30th of July. During the last session discussion on Elaya Perumal Committee remained in conclusive. I want that discussion to be resumed.

Mr. Speaker : Point of order is not the panacea for all things you could ask me privately. I will try to get some time allotted by the Business Advisory Committee for discussion on this matter. You should not raise this matter through a point of order in this manner.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : पिछले दो या तीन दिनों से हम यह कहते रहे हैं कि अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के 50 हजार कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और अन्तरिम राहत की अदायगी के बारे में एक ज्ञापन दिया है। यद्यपि हम श्री नन्दा से वक्तव्य देने से अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी वह इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

आकाशवाणी से प्रसारणों सम्बन्धी संहिता तथा फिल्म सेंसर शिप जांच समिति का प्रतिवेदन

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शर सिंह) : मैं श्री सत्य-नारायण सिन्हा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) व्यक्तियों द्वारा आकाशवाणी से प्रसारणों सम्बन्धी संहिता की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-3740/70]**

(2) फिल्म सेंसर शिप सम्बन्धो जांच समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3741/70]**

पाइराइट्स खनन उद्योग के बारे में तथा धातुप्रद खान (दूसरा संशोधन) विनियम, 1970

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2061 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पाइराइट्स खनन उद्योग को उक्त अधिनियम की प्रथम सूची में शामिल किया गया। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3742/70]**

(2) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत धातुप्रद खान (दूसरा संशोधन) विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो, दिनांक 20 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 949 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3743/70]**

निर्यात नीति संकल्प

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निर्यात नीति संकल्प 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-3744/70]**

धान कूटन उद्योग (विनियम) अधिनियम, 1958 तथा धान कूटन उद्योग (विनियम) संशोधन अधिनियम, 1968 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा लेखा परीक्षा लेखे

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) :

(1) धान कूटन उद्योग (विनियम) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धान कूटन उद्योग (विनियम तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 553 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-3745/70]**

(2) धान कूटन उद्योग (विनियम) संशोधन अधिनियम, 1968 की धारा 1 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 554 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 जन, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3746/70]**

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना के 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3747/70]**

भारतीय तार यंत्र नियम, 1970

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं भारतीय तार यन्त्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार यंत्र (सातवां संशोधन) नियम, 1970 जो दिनांक 8 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 774 में प्रकाशित हुये थे।

(2) भारतीय तार यन्त्र (छठा संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 11 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 775 में प्रकाशित हुये थे।

(3) भारतीय तार यन्त्र (पांचवां संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 13 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 903 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3748/70]**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (श्रम तथा रोजगार विभाग)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम—सम्बन्धी 123वां प्रतिवेदन ।

(2) गृह-कार्य मंत्रालय—अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्बन्धी 128वां प्रतिवेदन ।

संसदीय समितियां
PARLIAMENTARY COMMITTEES

कार्य का सारांश

सचिव : मैं 1 जून 1969 से 31 मई, 1970 तक की अवधि के लिये संसदीय समितियां कार्य का सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

उड़ीसा में दूसरे इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में वक्तव्य
STATEMENT Re : SECONC STEEL PLANT IN ORISSA

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : We have already given notice of a Call Attention on the subject. Please admit that so that we may be able to put questions.

Mr. Speaker : There will be discussion on this subject. You will also be given an opportunity to put question on the statement.

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस बारे में चिन्ता ....

अध्यक्ष महोदय : आप इसको सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री ब० रा० भगत : उड़ीसा में दूसरे इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में सदन में काफी चिन्ता व्यक्त की गई है और सदन के बाहर इसके लिए आन्दोलन हुआ है । इस संबंध में दस्तूर एण्ड कम्पनी और कुल्यिन्स जैसे परामर्श दाताओं द्वारा तैयार की गई कुछ रिपोर्टों की भी चर्चा की गई है । तथ्य ये हैं कि काफी पहले अर्थात् सन् 1948-49 में भारत सरकार के कहने पर तीन विदेशी परामर्शदाताओं में इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए संभव स्थलों का अध्ययन किया था । उन्होंने उड़ीसा में जिन कुछेक स्थानों की सिफारिश की थी उन में बड़ाकोट संभलपुर, हीराकुड और बोनाईगढ़ शामिल थे । इन अध्ययनों के आधार पर सरकार ने उस समय, राउरकेला में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का फैसला किया था ।

2. तब से कुछ और अध्ययन किये गये हैं और इन अध्ययनों के आधार पर तथा इन में सुझाई गई स्थल-संबंधी तथा अन्य सुविधाओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि चौथी योजना अवधि में तीन स्थानों पर इस्पात कारखाने स्थापित करने के बारे में कार्यवाही की जाय । हौस्पेट, विशाखापत्तनम् और सलेम के क्षेत्रों में इस्पात कारखाने लगाने के

बारे में प्रधान मंत्री ने 17 अप्रैल, 1970 को घोषणा की थी परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वर्तमान कारखानों का विस्तार नहीं किया जायेगा अथवा दूसरे स्थानों पर नये कारखाने जायेंगे। वास्तव में इस्पात की मांग की वृद्धि के साथ साथ इन दोनों ही बातों पर ध्यान देना नहीं लगाये आवश्यक होगा जिससे देश में इस्पात की क्षमता बढ़ सके।

3. आज बोनाईगढ़ में एक इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में आन्दोलन चल रहा है। यह स्थान राउरकेला से केवल 25 मील के लगभग है। राउरकेला की अधिष्ठापित क्षमता 1.8 मिलियन टन की है और जब यह प्राप्त हो जाएगी तो कारखाने की क्षमता को लगभग 4.0 मिलियन टन तक बढ़ाये जाने की गुंजाइश होगी। राउरकेला का विस्तार करने में काफी कम समय लगेगा और इस पर लागत भी काफी कम आयेगी बनिस्बत इसी क्षमता के नये कारखाने की स्थापना में, भले ही वह इसके निकट ही क्यों न हो।

4. राउरकेला इस्पात कारखाने में ही कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड चादरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 45 करोड़ रुपये की पूंजी आवश्यक होगी। लोहे और इस्पात के बारे में उड़ीसा की सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में से बहुत से प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :- बारबिल के कच्चे लोहे के कारखाने का और अधिक विस्तार–फेरो–बैनेडियम प्रायोजना की स्थापना, स्पंज आइरन / बिलेट के कारखाने और एक उद्योग समूह की स्थापना, जिसमें तलचर में फाउण्ड्री ग्रेड कच्चे लोहे का उत्पादन भी शामिल है।

5. यह सुझाव दिया गया है कि उड़ीसा में दूसरे इस्पात कारखाने के लिए कम से कम शक्यता-अध्ययन ही कर लिया जाय। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार जिस पद्धति का अनुसरण करती रही है उसके अनुसार सर्वप्रथम भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से किसी विशेष स्थान के लाभों की जांच की जाती है जैसे – यातायात की सुविधाएं, कच्चे माल की निकटता, पानी और बिजली की उपलब्धि तथा उस क्षेत्र में अन्य सुविधाओं के विकास की लागत। इस प्रकार के प्राथमिक अध्ययनों के आधार पर कारखाने के स्थल के बारे में निर्णय किया जाता है और इस प्रकार निर्णय कर लेने के पश्चात् ही कारखाने के बारे में तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से शक्यता अध्ययन करने का कार्य हाथ में लिया जाता है।

6. उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों में इस्पात कारखानों की स्थापना के संबंध में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सरकार को भली प्रकार मालूम है। हमारे वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों पर अधिक बोझ होने के कारण तथा पूर्णतया देशीय जानकारी पर निर्भर करने के हमारे निर्णय के कारण एक समय में एक सीमित संख्या से अधिक इस्पात कारखानों का निर्माण एक साथ हाथ में नहीं लिया जा सकता परन्तु अगली योजना अवधियों में निस्सन्देह नये कारखाने लगाये जाने हैं और नये स्थलों पर विचार किया जाना हैं। मैं माननीय सदस्यों तथा उड़ीसा के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश में इस्पात उद्योग के विकास के भावी कार्यक्रम में उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में उपलब्ध सुविधाओं पर पूरा पूरा विचार किया जायेगा।

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : इसको कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभापटल पर रखने का अर्थ यही है कि इसकी प्रति प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी ।

श्री ब० रा० भगत : मैं उड़ीसा में दूसरे इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में एक विवरण सभापटल पर रखता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव
MOTION RE : ELECTION TO COMMITTEE

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के दिनांक 9 सितम्बर, 1966 के संकल्प संख्या एफ 10-1/65-एफ ए आइ टी,बाद में संशोधित किये गये रूप में,के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उक्त संकल्प के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली अगली अवधि के लिये राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये, अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के दिनांक 9 सितम्बर 1966 के संकल्प संख्या एफ 10-1/65-एफ ए आइ टी, बाद में संशोधित किये गये रूप में, के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उक्त संकल्प के अध्याधीन, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली अगली अवधि के लिये राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये, अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक
INDIAN POST OFFICE (AMENDMENT) BILL

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है । इस विधेयक का तात्पर्य भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 45 में संशोधन करना है । इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार डाकघर के माध्यम से मनीआर्डर द्वारा अथवा पोस्टल आर्डर द्वारा थोड़ी राशि भेजने की सुविधायें

लोगों को उपलब्ध करा सकती है। इन दोनों में अन्तर इतना है कि मनीआर्डर द्वारा आप एक हजार तक की राशि भेज सकते हैं और यह राशि पाने वाले के घर पर दी जाती है जबकि पोस्टल आर्डर द्वारा आप थोड़ी राशि ही भेज सकते हैं और पोस्टल आर्डर की राशि को डाकघर में जाकर वसूल करना पड़ता है। धारा 45 में यह व्यवस्था है कि 10 रुपये से अधिक का पोस्टल आर्डर नहीं हो सकता। यह धारा 1935 से लागू है कि परन्तु अब महसूस किया गया है कि दस रुपये की राशि बहुत कम है अत: अब और अधिक राशि के पोस्टल आर्डर जारी किये जायेंगे। इससे कार्य बोझ हल्का हो जायेगा और राजस्व की प्राप्ति में भी कोई अन्तर नहीं आयेगा। इससे वाणिज्यिक बैंकिंग सेना पर थी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर): 1935 में पोस्टल आर्डर का अधिकतम मूल्य 10 रुपये निर्धारित किया गया था परन्तु इसको बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। मेरे विचार में इसमें और वृद्धि की जानी चाहिए थी। क्योंकि रुपये का वास्तविक मूल्य कम हो गया है।

पोस्टल आर्डर बैंक ड्राफ्ट के समान है। बैंक कुछ कमीशन प्राप्त कर ड्राफ्ट जारी करते हैं। मेरे विचार में पोस्टल बैंकिंग पद्धति में ऐसा किया जा सकता है। अत: मेरे विचार में बैंक ड्राफ्ट तथा पोस्टल आर्डर में कोई फर्क नहीं है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मुझे आशा है कि माननीय मंत्री पोस्टल आर्डर के मूल्य की अधिकतम राशि में और वृद्धि करेंगे।

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : Shri Lobo Prabhu has moved an amendment whereby he has suggested that the maximum amount of a Postal Order should be raised to Rs. 100 instead of Rs. 50. I have also moved an amendment in which I have suggested that no such limit should be fixed, because nobody can predict as to what will be the real value of the rupee in future. I shall move my amendment at the proper time.

Shri Suraj Bhan (Ambala) : Only rich people and big firms take advantage of Postal Orders and the insured letter system. The poor send their remittances through money order only. The rates of money order were revised last time. It has put more burden on the pockets of the poor. I want to suggest that the commission being charged on postal orders should be brought at par with the rate of money orders. The postal order system should be popularised in the rural areas so that villagers may also be able to derive benefit from this system.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]**

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : 1968-69 के बजट में जब डाक की दरों में तथा पत्रों आदि के मूल्यों में वृद्धि हुई थी तो मैंने उसी समय कहा था कि इससे पत्रों आदि की बिक्री में कमी होगी। मैंने अब जो आंकड़े प्राप्त किये हैं उनसे पता लगता है कि पोस्ट कार्डों, अन्तर्देशीय पत्रों आदि की बिक्री में पर्याप्त कमी हुई है।

डाक सेवा देश की सबसे पुरानी सेवा है जोकि सरकार के हाथ में है परन्तु अब यह समाजवाद की शत्रु बन रही है। मैं जानता हूं कि इसके बावजूद भी सरकार बढ़ाई गई दरों को व्यय नहीं करेगी। सरकार को रेलगाड़ी द्वारा डाक भेजने की 'सरफेस मेल' पद्धति लागू करने पर विचार करना चाहिए जैसाकि उनकी एक समिति द्वारा सुझाव दिया गया है। इसको पुरानी दरों पर ही लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार पत्रों आदि के भेजने में वृद्धि होगी और इस प्रकार सरकार को राजस्व प्राप्ति में कोई कमी नहीं होगी।

मुझे इस बात में प्रसन्नता हुई है कि गांवों के पोस्ट मास्टरों के भत्तों को जिनको कम कर दिया गया था अब बहाल कर दिया गया है परन्तु पोस्टमैनों को विभिन्न राज्यों में अभी थी 30 रुपये और 50 रुपये तक की राशि ही दी जाती है। पिछले अनेक वर्षों से इस राशि में वृद्धि नहीं की गई है। अतः इस राशि के भी वर्तमान मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वृद्धि की जानी चाहिए। मेरे अपने कस्बे में डाक कर्मचारियों के लिए मकान बनाने का प्रस्ताव 1962 में शुरू किया गया था, 1967 में भूमि अर्जन का कार्य आरम्भ किया गया था। परन्तु अभी तक मकान बनाने के किसी प्रस्ताव का मंजूरी नहीं दी गई है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि इस कार्य को शीघ्र ही क्यों नहीं कराया गया। इस कार्य के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है परन्तु सरकार यदि चाहे तो पांच प्रतिशत से भी अधिक लोगों को क्वार्टर देने के लिए बहुमंजलीय इमारतें बना सकती है। वहां डाक कर्मचारियों को अपने वेतन का 20 प्रतिशत भाग निजी मकान वालों को किराये के रूप में देना पड़ता है, मुझे आशा है कि सरकार डाक व तार विभाग में शीघ्र सुधार करेगी।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : आसाम सर्किल में त्रिपुरा, नेफा, मनीपुर, नागालैंड और आसाम आते हैं, परन्तु इतने बड़े सर्किल को उपेक्षा की जा रही है, इस सर्किल में अब तक कोई निर्माण प्रभाग नहीं है। इतने बड़े सर्किल में निर्माण प्रभाग के बिना निर्माण कार्य किस प्रकार किये जायेंगे। अब तक निर्माण कार्य कलकत्ता स्थित कार्यालय द्वारा किये जाते रहे हैं जिसके कारण स्वीकृत राशि प्राप्त होने में विलम्ब हो जाता है और कोई काम नहीं होता है। डाक तथा तार विभाग केवल गोहाटी में ही इमारत के किरायों पर 30,000 रुपये प्रतिमास से अधिक व्यय कर रहा है जबकि गोहाटी शहर के बीच इमारत बनाने के लिये डाक तथा तार विभाग के पास काफी भूमि है। महाडाकपाल का कार्यालय अभी तक शिलांग में है। वर्ष 1962 में यह कार्यालय गोहाटी में स्थानान्तरित किया गया था। संकट की स्थिति में गोहाटी को मुख्यालय बनाया जाता है और शान्ति होने पर वे शिलांग चले जाते हैं। जब गोहाटी आसाम का मुख्य केन्द्र है तो उपर्युक्त कार्यालय को वहीं क्यों नहीं रखा जाता है ? यह बहुत आवश्यक है।

रेलवे डाक सेवा कार्यालय अब सिलचर में है परन्तु रेलवे मुख्यालय गोहाटी में है। रेलवे डाक रेलवे मुख्यालय से भेजी जाती है। आसाम सर्किल के मेल गार्डों के दिबरूगढ़ में हुए गत सम्मेलन में कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था कि रेलवे डाक सेवा कार्यालय

को सिल्चर से गोहाटी स्थानान्तरित किया जाना चाहिये । यदि सरकार वहां की संचार व्यवस्था में सुधार करना चाहती है तो उन्हें इन कठिनाइयों पर विचार करना चाहिये ।

डाक तथा तार विभाग में कर्मचारियों को स्थायी बनाने में 8-10 वर्ष का समय लग जाता है और कुछ कर्मचारी मृत्यु के बाद स्थायी घोषित किये जाते हैं ।इस प्रकार आसाम सर्किल में काफी गड़बड़ी है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चपरासी, पैकर, टेलीफोन आपरेटर आदि जैसे चौथी श्रेणी के पदों पर स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये परन्तु इस समय इन पदों पर नियुक्तियां अखिल भारतीय आधार पर की जाती हैं । इस प्रथा को समाप्त करके इस सेवा में नियुक्तियां उसी सर्किल से की जानी चाहिए । कागज और टैग तक दिल्ली या बम्बई से मंगवाये जाते हैं । इन वस्तुओं को आसाम सर्किल में से ही खरीदा जा सकता है । मेरी प्रार्थना है कि इन मामलों की ओर ध्यान दिया जाये ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The amendment envisaged in this Bill will benefit the capitalists only. I want to suggest that if the limit of postal orders is increased from Rs. 10 to Rs. 50 then Government should also reduce the rates of Money orders. Because if people start sending money through Postal orders, the Department will be put to a loss. Government should keep this fact also in view. Telephone, Telegraph, Television have assumed the same importance in the villages as they have in the big towns. The postmen should be given handsome salaries so that efficiency in service is increased. At present it takes one week to deliver a letter in the villages. Similarly telegrams also reach late. In view of this, proper facilities should be extended to the villages as well.

It has been decided to instal Public call offices in the villages having a population of 5000. As the number of such villages is not more, I would suggest that even if five or ten villages, having a population of 5000 collectively, want they should be provided with P.C.Os.

I may point out that if we make a call for Ghaziabad or Faridabad, at a distance of 20 miles from Delhi, it is considered to be a local call but when we make a call from one village for another we have to pay extra charges. In view of this, I want that if somebody makes a call from Gohana for Barod or from Rohtak for elsewhere, it should be treated as a local call. There should be maximum number of Savings Banks in the villages. The frequency of clearance of mail should be increased in the rural areas. Certain cases of payment of salaries are still pending in respect of the persons who were involved in the September, October Strike. They should be expedited.

The facilities of television should also be extended to the rural areas.

श्री क० अनिरुद्धन : (चिरयन्कील) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जनता तथा विभाग को अधिक सुविधाएं देना है । इस समय पोस्टल आर्डर 10 रुपये तक के मूल्य के हैं, इस विधेयक के द्वारा अब 20, 30, 40 और 50 रुपये तक के मूल्य के पोस्टल आर्डरों की व्यवस्था की जा रही है । लगभग $1\frac{1}{2}$ लाख डाक-घरों में 10 रुपये तक के पोस्टल आर्डर भी उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये सबसे पहले 10 रुपये तक के मूल्य के पोस्टल आर्डर सभी डाक-घरों में उपलब्ध किये जाने चाहिये ।

इसके अतिरिक्त यदि आप पोस्टल आर्डर की राशि 50 रुपये तक बढ़ाने की बजाय 100 रुपये तक बढ़ा दें तो इससे जनता और विभाग को अधिक सुविधा होगी ।

जनता डाक तथा तार विभाग से अधिक कार्यकुशलता की आशा करती है । यदि यह

बात ठीक है तो इसके लिये पहले डाक कर्मचारियों को संतुष्ट करना होगा । शाखा डाक घर के डाकपाल को बहुत कम सुविधाएं दी जाती हैं । उनकी स्थिति में अवश्य सुधार किया जाना चाहिये ।

डाक विभाग के नियमित कर्मचारियों ने अधिक मजूरी की मांग की है । सरकार ने वेतन आयोग नियुक्त करके इन मांगों को दबा दिया है । साधारण व्यापारी भी अपने कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देता है । डाक कर्मचारियों ने भी अन्तरिम सहायता की मांग की है । अतः उन्हें यह सहायता तत्काल दी जानी चाहिये ।

टेलीफोन विभाग की स्थिति यह है कि मैं गत चार दिनों से अपने निवासस्थान त्रिवेन्द्रम को टेलीफोन करने का प्रयास कर रहा हूं परन्तु मुझे यही उत्तर मिलता है कि लाइन खराब है, इसी प्रकार मैंने बम्बई के हवाई अड्डे से त्रिवेन्द्रम फोनोग्राम भेजा था और वह उन्हें मिला नहीं है । अतः सम्पूर्ण व्यवस्था में या तो सुधार किया जाना चाहिये या इसे समाप्त ही कर देना चाहिये । इस विभाग में अधिक कार्यकुशल कर्मचारी होने चाहिये और उन्हें अच्छे वेतन मिलने चाहिये । सभी डाक घरों में 100 रुपये तक के मूल्य के पोस्टल आर्डर उपलब्ध होने चाहिये शाखा कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों सहित डाक तथा तार विभाग के सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन और अन्तरिम सहायता मिलनी चाहिये । डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिये जो समस्त देश में समझी जा सके ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जो कई वर्षों के बाद लाया गया है । मैं चाहता हूं कि सरकार कुछ माननीय सदस्यों के संशोधनों को स्वीकार कर लें । उदाहरणार्थ सरकार को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वे पोस्टल आर्डर की राशि को जितना चाहे बढ़ा सके । हाल ही में महाडाकपाल का कार्यालय कटक से भुवनेश्वर स्थानान्तरित कर दिया गया है । अतः इस कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को क्वार्टरों के सम्बन्ध में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस विभाग के 400 कर्मचारी पहले ही भुवनेश्वर में काम कर रहे हैं और अब इनकी संख्या लगभग 1500 हो गई है । अतः उनके आवास की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये ।

मैं इस विचार से सहमत हूं कि विभाग्रेतर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिये । इसके साथ-साथ देहातों के डाकपालों के वेतन भी बढ़ाये जाने चाहिये ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The denomination of Postal orders is proposed to be increased in this Bill. I want to know the basis on which it has been decided to issue postal orders of the denomination of Rs. 50/-. They can have denomination upto Rs. 100/- and 200/-. The value of rupee has declined very much. The value of Re. 1/- in 1898 is equivalent to Rs. 10/- in 1970. Similarly the value of Rs. 10/- is now Rs. 100/-. It will be easy to send money to other places. I want to suggest if Government want to popularise Postal orders, they should reduce the commission from 10 Paise to 2 or 5 Paise. But there is no such provision in this Bill. I want that common man should be benefited. The present system of registration of postal articles is very cumbersome and one has to waste much time on standing at different counters. It would be better if all the work is done at one and the same counter. The Government should simplify the forms. It has been observed that the new Money Order from is more complicated than the previous one. International coupons are not available at most of the Post Offices. Government should make some arrangement to make them available.

The standard of shoes and uniforms supplied to the Postmen is not upto the mark. The Government has not been paying sufficient attention to provide facilities to the common man. I would suggest that Government should issue postal orders of higher denominations, i.e. upto Rs. 100/- instead of Rs. 50/-.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : According to the Indian Post Office Act, 1898, Government had authorised the Post offices to issue postal orders upto the denomination of Rs. 10/-. But this limit is being enhanced through this Bill. I think if this limit is increased upto Rs. 100, it would benefit the common man. If denominations of larger amounts are issued, it would involve less expenditure on their printing. With these words I support this Bill.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं बहुत से माननीय सदस्यों के साथ इस बात पर सहमत हूं कि पोस्टल आर्डर का मूल्य 50 रुपये तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या इस सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता। मुझे आशा है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत कुछ संशोधन वह स्वीकार कर लेंगे। भारतीय तार अधिनियम में व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता है। यदि इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर विचार किया जाये तो पता चलेगा कि इससे सरकार को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वह जो चाहे, कर सकती है। वे पत्रों और तारों के विलम्ब से पहुंचने के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। एक्सप्रेस तारें भी कई घण्टों के बाद प्राप्त होती हैं। इस सम्बन्ध में मैंने कई शिकायतें की हैं। श्री लखन लाल कपूर ने किशनगंज को तीन तारें भेजीं जो चार दिन के बाद पहुंची सरकार को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि यदि तार तीन घण्टे में नहीं पहुंचती है तो सरकार न केवल उस धन राशि को वापिस ही करेगी बल्कि उसके साथ जुर्माना भी देगी।

भारतीय तार अधिनियम की धारा 5, जिसके अन्तर्गत कलेक्टर या किसी अधिकारी को किसी साधारण सी शंका पर तार रोकने का अधिकार प्राप्त है, का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। कुछ दिन पूर्व हमें बताया गया था कि इस सम्बन्ध में सरकार एक विधेयक प्रस्तुत करेगी, किन्तु वह विधेयक आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। उस विधेयक को इस विधेयक से भी पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये था।

इस विभाग ने पिछड़े क्षेत्रों के लिये कुछ नियम बनाये हैं परन्तु उन्हें लागू नहीं किया गया है। डाक-घर स्थापित करने के उद्देश्य की ठीक परिभाषा की जानी चाहिए कि यदि 300 या 400 जनसंख्या वाला कोई गांव कुछ किलोमीटर पर स्थित है तो वहां एक डाक घर स्थापित किया जायेगा। डाक कर्मचारियों आवास सम्बन्धी मांग काफी समय से विचाराधीन है और अभी उसे 5 प्रतिशत कर्मचारियों को भी क्वार्टर नहीं मिले हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की दशा शोचनीय है। विभाग्रेतर डाक पालों की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं और उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : यह एक साधारण विधेयक है। इस पर विचार के दौरान माननीय सदस्यों ने समूचे डाक तथा तार विभाग के कार्यकरण पर चर्चा आरम्भ कर दी है। इसका आरम्भ श्री लोबो प्रभु ने किया है।

इस विधेयक के अन्तर्गत 10 रुपये से अधिक राशि के पोस्टल आर्डरों की व्यवस्था की जा रही है। इसलिये इस समय पूरे विभाग की त्रुटियों का वर्णन करना ठीक नहीं है। यह ठीक है कि इस विभाग में अनेक सुधारों की आवश्यकता है।

मैं इस विधेयक से सम्बन्धित एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। डाक तथा तार विभाग को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि सभी डाक घरों में पोस्टल आर्डरों का भुगतान अविलम्ब हो जाय। अब ऐसा देखा जाता है कि भुगतान में चार-चार अथवा पांच-पांच दिन लग जाते हैं। इससे निर्धन लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इस नई व्यवस्था के फलस्वरूप धन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सुविधा होगी और राशि गन्तव्य स्थान पर शीघ्र पहुंचाई जा सकेगी। मेरा अनुरोध है कि पोस्टल आर्डरों की राशि के शीघ्र भुगतान के लिए समुचित व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है और इसे किया जाये।

ऐसा अनुभव हुआ है कि रजिस्टर्ड पत्र भी कई बार गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचते। यह बहुत खराब बात है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उनके मार्ग में ही खो जाने की भी रिपोर्टें मिली हैं। ऐसी चीजों की ओर विशेष ध्यान देकर इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।

मनी आर्डर के माध्य से राशि भेजने पर लिये जाने वाले शुल्क में अब वृद्धि कर दी गई है। अब इस विधेयक के पारित हो जाने से पोस्टल आर्डर के माध्यम से राशि भेजना सस्ता तथा सुविधाजनक होगा। ऐसी व्यवस्था कर दी जानी चाहिए कि पोस्टल आर्डरों की राशि उन्हें प्रस्तुत करने पर मिल जाया करे।

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : The working of Post offices in the country has become very inefficient. We hear every now and then about cases of embezzlements and thefts in Post offices. There is nobody to set things right. I want to give an example in this regard. The 'Searchlight' of Bihar on 5th July bore the heading "Madhepura postal services in a mess". In Saharsa district dak is delivered after two or three days. This is going on for the last about one year. The reason for this is that there is no coordination between railway and postal authorities of that area. In regard to administration of P. and T. Department I want to refer to a personal matter. Government has decided to provide a telephone to each Member of Parliament in his constituency. I requested the authorities concerned to install a telephone at my place, which is located at a distance of 5 miles from the Exchange. I had written to them about it. I am sorry to say that an officer of the Department says that it is situated at a distance of 15 miles and the matter remains undecided. I request the Hon. Minister to look into this. Afterwards, I asked them to provide me a telephone at Madepura. The Hon. Minister should pay attention to the corruption, indiscipline and high handedness prevalent in this Department. I am entitled to a telephone in my constituency but the same has not been provided to me so far. I want to know whether it is due to the fact that I do not belong to their party ? This matter should be considered seriously.

Shri Y. P. Mandal (Samastipur) : I welcome the Bill that has been brought forward. It seeks to amend section 45 of the Indian Post office Act 1898. During these 72 years a large number of changes have taken place in the country. We had a green revolution recently. I request that post offices should be opened in villages having population less than 5 thousand. The condition of a distance of 5 kilometres for opening a post office should also be relaxed. This fact cannot be denied that Department of Communications has done commendable work in the country. Now, under this Bill, provision is being made to issue postal orders for more than Rs. 10 denomination. It will be possible now to get a postal order for Rs. 50/-. I feel that postal orders for still higher denomination should also be issued.

The staff of the Directorate General of P and T pays very little attention to the suggestion made by Members of Parliament. It should be inquired into. With these words I support this Bill.

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : I request that more time be given for discussion on this subject, because this Department is very important one and there are innumerable complaints against it. Previously it was said that the functioning of this Department is very efficient. What is the position now ? Its working has deteriorated now. We should have a discussion on this subject here.

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी यह इच्छा नोट कर ली गई है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Sir, I want to draw the attention of the Hon. Minister to a difficulty, which will increase after the introduction of postal orders of more than Rs. 10 denomination. In Branch post offices there is always a shortage of cash. They do not have enough money to make payments against money orders and now you are going to issue postal orders of higher value. I request that adequate cash should also be provided in post offices.

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : The Hon. Members have raised so many points while speaking on this Bill. I will first deal with those points which are connected with the Bill. Shri Suraj Bhan has said that the fee charged on money order is higher than the commission charged on postal orders. On the other hand, Shri Shiv Chandra Jha has said that sending of money through money order is cheaper. These are two contradictory statements.

The money order is delivered at the address of the payee. This involves more expenditure to the Department and that is why the fee on money orders is higher. Some Hon. Members have suggested that we should take the power of increasing denomination of postal order through this Bill, so that we are not required to come before Parliament with an amendment every time we have to increase the denomination of postal order. Some one has moved an amendment to this effect. I am going to agree to this suggestion.

Shri Tiwary has demanded that provision should be made for more cash in sub-post offices and Branch post offices. We will see that the limit in this respect is increased. We will consider this. Some points have been raised which are not connected with the Bill. As Shri Lobo Prabhu has said that Extra departmental post masters and postmen should be paid more. In this regard we have given and ad-hoc increase. Now we are thinking to appoint a committee which should go into the question of allowances etc. of extra departmental persons.

Shri Randhir Singh has asked for more facilities in villages. We too want to do the same. The difficulty is that of finances. We have done our best and provided the maximum facilities keeping in view the limited finances at our disposal. The housing problem is not confined to this Department only. Here again the difficulty is that of funds. In regard to complaints of delay in the delivery of money orders, delay in getting telephone connections, I am prepared for having a full discussion on them. There are certainly some short comings in this Department. If a full discussion takes place, we will be able to state our difficulties also.

I will enquire into the complaint of Shri B. P. Mandal. I do not agree with this allegation that officers of our Department ask for bribe from Members of Parliament. It is a very serious charge. If it is proved I am prepared to give most stringent punishment to that officer.

Shri Kalita has raised the question of Assam. It is correct that it is a very large circle. We have tried to provide more facilities in this area in the recent past. We are seized of the matters connected with that area. Every effort will be made to provide more and more facilities there.

The recruitments to lower cadre posts are made through the local employment exchanges. If persons beloging to other States come through local employment exchanges, it is not the fault of our Department. If they fulfil the prescribed conditions, we have to consider them. A

person who knows local language and is an Indian national and has other requisite qualifications he has got a right to be considered for recruitment.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : The telepone subscribers of Gorakhpur are more than one thousand, but an automatic exchange has not been provided there as yet. Land was acquired for this purpose about 5 or 6 years back. I have raised this issue three or four times here.

Shri Sher Singh : An automatic telephone exchange is being installed there.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कुछ संशोधन हैं ।

श्री भोला नाथ मास्टर (अलवर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

Page 1,

for clause 2, substitute—

'Amendment of Section 45

2. Section 45 of the Indian Post office Act, 1898, shall be re-numbered as subsection (1) of that section and—

(a) in sub-section (1) as so renumbered, the proviso shall be omitted ;

(b) after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely :

"(2) The Central Government may also make rules prescribing the maximum limit of amount upto which postal orders may be issued from time to time".'

पृष्ठ 1,—

खण्ड 2 के स्थान पर यह

प्रतिस्थापित किया जाये,—

'धारा 45 का संशोधन

2. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 45 को उस धारा की उप-धारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-धारा (1) में परन्तुक का लोप कर दिया जायेगा ;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"(2) केन्द्रीय सरकार रकम की वह अधिकतम सीमा, जिस तक समय-समय पर पोस्टल आर्डर दिये जा सकेंगे, विहित करने वाले नियम भी बना सकेगी ।' (6)

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोला नाथ मास्टर ने अपने संशोधन में कोई सीमा निर्धारित नहीं की है और मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में उक्त संशोधन को स्वीकार करने का उल्लेख किया है । अत: उस पर यदि मुतदान होता है और सदन् उसे स्वीकार कर लेता है तो इस संशोधन की आवश्यकता नहीं रहती ।

श्री श्रीचन्द गोयल : हम उक्त संशोधन का समर्थन नहीं करते । रुपये की कीमत इतनी घट गई है कि पहले जो 10 रुपये की कीमत थी वह अब 100 रुपये की है । पोस्टल आर्डर का प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा अपनी फीस का भुगतान करने के लिये किया जाता है । पुनर्वास विभाग में केवल पोस्टल आर्डर द्वारा रुपया जमा किया जा सकता है । रुपया भेजने का यह बहुत सरल तरीका है । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह 50 रुपये के आंकड़े किस आधार पर निश्चित किये गये हैं । यह आंकड़े कम से कम 100 रुपये के होने चाहिए थे । यदि इस राशि को 100 रुपये कर दिया जाये तो यह विभाग के लिये तथा जनता के लिये भी सुविधाजनक होगा ।

श्री मास्टर के संशोधन के बारे में मेरी यह आपत्ति है कि हम सरकार को पोस्टल आर्डर जारी करने के बारे में असीमित अधिकार नहीं देना चाहते ।

श्री लोबो प्रभ : श्री मास्टर का संशोधन लगभग 12 पंक्ति का है जबकि हमारा संशोधन बहुत सरल है कि यह राशि 50 रुपये के स्थान 100 रुपए कर दी जानी चाहिए । अतः मैं निवेदन करूंगा कि हमारे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ।

Shri Shiv Chandra Jha : I am also of the opinion that denomination of Rs. 100 should be provided in place of Rs. 50. I do not agree with the idea of giving unlimited power to the Government for issuing postal orders. In that case there will be unbalance in our economy. Do the Government think that the 50 crore people of India will immediately get accustomed to the system of postal order. It will take some time to be accustomed to this system. Government should keep denominations of rupee one, five, ten, fifty and hundred. As a result of it, the printing expenditure will be reduced and it will be convenient to the general public also.

Shri Bhola Nath Master : It is not proper to fix the limit of the value of postal orders at Rs. 50 because we do not know what will be the value of rupee tomorrow. Therefore, I suggest that it will be better if we leave this matter to the discretion of the Government to prescribe from time to time the denominations of postal orders.

Shri Tulshi Das Jadhav (Baramati) : In small villages people face great difficulty in getting postal orders encashed as the postal authorities ask them to produce witnesses in this regard. The Government should, therefore, make arrangement in this regard and should see that the rural people do not experience any difficulty in this matter.

Shri Sher Singh : It has been suggested that Government should be empowered to issue postal order upto the value of Rs. 100 instead of Rs. 50. There is another suggestion that the Government should be given power to issue postal orders upto any value, so that the Government may not have to come to the House, again and again to get the sanction for issuing postal orders of higher denominations. It is a good suggestion and to acceptable to the Government.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ 1, पंक्ति 6 में" 50 रुपये" "Fifty rupees" के स्थान पर "100 रुपये" "One hundred rupees" रखा जाये ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 60 : विपक्ष में 94

Ayes 60 : Noes 94

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भोलानाथ मास्टर के संशोधन संख्या 6 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

Page 1—

for clause 2, substitute—

'Amendment of Section 45. 2. Section 45 of the Indian Post Office Act, 1898, shall be re-numbered as Sub-section (1) of that Section and—

(a) in Sub-section (1) as so renumbered the proviso shall be omitted ;

(b) after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) The Central Government may also make rules prescribing the maximum limit of amount up to which postal orders may be issued from time to time".'

पृष्ठ 1,—

खण्ड 2 के स्थान पर यह

प्रतिस्थापित किया जाये,—

'धारा 45 का संशोधन 2. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 45 को उस धारा की उप-धारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-धारा (1) में परन्तुक का लोप कर दिया जायेगा ;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(2) केन्द्रीय सरकार रकम की वह अधिकतम सीमा, जिस तक रकम समय समय पर पोस्टल आर्डर दिये जा सकेंगे, विहित करने वाले नियम भी बना सकेगी" ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 114 : विपक्ष में 43

Ayes 114 : Noes 43

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2, as amended, was added to the Bill

खंड 1—(विधेयक का संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया
Amendment made

संशोधन संख्या 2

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1968" **के स्थान पर "1970 रखा जाये ।**

(श्री शेर सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 1 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया
Amendment made

संशोधन संख्या 1

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "Nineteenth" "19वें" के स्थान पर "Twenty First" "21वां" रखा जाये

(श्री शेर सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया
The Title was added to the Bill

श्री शेर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दू अल्प संख्यकों के भारी संख्या में आगमन के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : MIGRATION OF HINDU MINORITIES FROM EAST PAKISTAN

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दू अल्पसंख्यकों के भारी संख्या में आने तथा इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर चर्चा करेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Lakhs of Hindus are coming from East Pakistan to India daily. It is a very serious problem. It is not the problem of Bengal alone, but it is the problem of the whole country. It is not a new problem.

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

It is a part of the planned conspiracy of Pakistan.

Hindus from Pakistan have been continuously migrating to India after 1947. Some people have been killed and some have been forced to change their religion. It is a part of the Pakistan Government's policy. On the one side Pakistan send the people belonging to the minority community to India and on the other side it infiltrates in Kashmir and Assam.

People of the minority communities have no security there.

It is the responsibility of every Government to make security arrangements for the minority Communities living in its country.

Hon. Minister has just stated that the Government have issued reminders to the Pakistan Government in this regard. The Government can persuade and appeal to the Pakistan Government but it cannot do more than that. I am very sorry to listen to him and I think every citizen of the country will be sorry to listen to it. I want to know what steps Government have taken in this regard during the last two, three years or even during the last six months ?

The hon. Minister should place the copy of the letter written to Pakistan on the Table of the House so that we may be able to know what action has been taken by the hon. Minister in this regard and we may also be able to know the reaction of the Pakistan Government in this regard. Pakistan has not accepted any of our protests.

We have got a special responsibility for the Hindus living in Pakistan. At the time of partition it was decided that the responsibility of making security arrangement for the minority communities will be that of the concerned Governments.

On that basis we have taken the responsibility for the security of the Muslims living in India. In every agreement with Pakistan, it may be Nehru Liaqut agreement, Nehru Noon agreement, Pant Mirza agreement and the recent Tashkent agreement, the issue of the security has been included in it. It is, therefore, clear that the Government feels that the Pakistan Government have a special responsibility for the Hindus living in Pakistan.

We should also know why they are being migrated from Pakistan ? They are being migrated only because they are Hindus.

As Pakistan has not given any protection to the minority community on her side the very basis of the partition is finished. It was Pandit Nehru who gave the following assurance to the minority community living in Pakistan.

"We owe it to these people in East Bengal who may be endangered to give them protection in their territory, if there is no other alternative in their own territory, if circumstances demand it".

People are coming in lakhs from there and they are in great difficulty there but our Government is not fulfilling its promises.

It is regrettable that during the last 22 years Pakistan has not honoured any agreement and our Government have not taken any steps in this regard. Late Shri Jawahar Lal Nehru had said that we will take some other steps. What are those other steps ? Will you impose any economic sanctions against Pakistan ? I agree that fighting is not a good thing and it is better if a way can be found out by negotitations. It is very strange that Pakistan has refused to talk on the question of exodus of Hindus but is willing to talk on Farakka. We should not have any piece meal talks with that country. Let there be a package deal once for all. It appears that Government do not attach as much importance to the problem of exodus of Hindus as it deserve. Government should not under-play the problem. It is a national problem and it should receive top priority. If the Pakistan Government do not protect the Hindus there, our Government should not hesitate even in waging a war against that country. Even Gandhiji had once said in one of his prayer speeches that he will bless such a war.

The responsibility of giving full protection to the minorities living in our country is ours. There should be no discrimination with them of any sort. If we can make this provision then after it, it becomes the duty of every Hindu or Muslim to tell Pakistan that this exodus of minorities will affect our economy as well as the law and order situation and for this they will have to give money and land. The hon. Minister has stated that he is not in favour of demanding land because it will create complications. I say that we should not be afraid of any thing and we should demand money and land from them.

You concluded the Tashkent agreement under the pressure of Russia. Today, Pakistan and Russia are more friendly and nearer. If a little thing happens in India, Pakistan makes a huge propaganda in the world. What you have done in this respect ? What literature you have published ? Our Embassies are sitting idle and our Government is sleeping.

Some people suggested exchange of population. But it will not be a good thing. Our Party is opposed to the idea of exchange of population. Let both the Governments protect the respective minorities. If Pakistan do not discharge its responsibility in this regard we should severe diplomatic relations with that country.

Government have earmarked only a sum of Rs. 34 lakhs for the rehabilitation of the displaced persons. About 1½ lakh people have so far reached this country and a like number is expected to come after the rains. Therefore, this amount will be very inadequate. The work of rehabilitation should be taken up on a war footing and co-operation of all Parties should be sought in this regard. The Minister should himself visit Bengal and see the condition of those people and do the needful. If, however, he is unable to do any thing let him vacate the post and make a room for someone who is able to do some good to these people.

Shrimati Sucheta Kripalani (Gonda) : For the last 20 to 25 years, there has been a

continuous inflow of refugees from East Bengal. About 50 lakh refugees have come from there. Hindus are being made the victims of political pressures in Pakistan and are being ousted. A law has been passed by Pakistan relating to attachment of the property of Hindus. Since then near anarchic conditions are prevailing there and it has become impossible for Hindus to stay on there. The military administration there has taken up the programme of ousting Hindus. This has led to mass exodus of Hindus. This mass exodus of Buddhists and Hindus started from Khulna in October, 1969. The refugees in Bangaon, Bashirhat and Hasnabad are being in a deteriorating condition. About 1½ lakh refugees have already come and about one lakh 80 thousand refugees are sitting on the border to enter into India. The Hindus are being ousted because there is danger from Hindus that they may not cast vote in favour of the Party of Muziburrehman in the coming elections.

The second thing is that the population of East Pakistan is more in as compared to the population of West Pakistan. A sort of struggle is going on between West Pakistan and East Pakistan. West Pakistan wants to rule over East Pakistan but if the elections are held, East Pakistan can win because of its more population. Therefore, the Pakistan Government wants to oust Hindus from East Pakistan so that the population of East Pakistan may become less than that of West Pakistan.

Besides there is a clash over Urdu and Bengali language. The people who dominate in Pakistan, thought that they will be able to impose Urdu on Bengalis but there wishes were not fulfilled and the Bengalis fought a big struggle in this respect and showed their love towards their mother tongue.

Hindus are being ousted because of Muslim League and Jamayat-ul-Ulma. Here our External Affairs Ministry is sitting idle. It is difficult to tackle the problem of refugees when there is a continuous inflow into the country.

Some good work has heen done all these years to rehabilitate the refugees, but the progress has not been to the desired extent. The condition of the refugees is still miserable.

The condition of the refugees who have come recently and are in Mana Camp is pitiable. Some emergency measures should be taken to help the people there. If the Prime Minister is not able to do something we should collect contributions for those people.

As I told this work cannot be done by the Ministry of Rehabilitation only. This a parallel task of the Ministry of External Affairs also. Just Shri Kanwar Lal Gupta stated that we should press Pakistan for implementing the Nehru Liaqat Pact. I say that so long we will not make efforts in this direction, they will not give ear to us. The Pakistan Government has sent a note that we are making false propaganda against them in respect of this mass exodus of Hindus but our Government is keeping quiet.

Shri Swaran Singh told that they would protect the country. You have seen the result of the visit of Madam Binh. The Indian Business men are being turned out from Saigon. The same happenings are taking place in Ceylon and Pakistan. Due to this Policy we have been isolated.

We should help those Indians who are in trouble. We are resposible for their sad plight. Had we not accepted the Partition then the people would have been in peace. It is my demand that a Committee of Parliament Members may be constituted which pay visits to Bashirhat, Hasnabad and other Camps to see conditions of inhabitants. We should protect them and let them live as they live.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : This motion has set a serious problem and we should not take it light heartedly.

At the Time of Partition of India, many fundamental issues were decided upon. The one was that minorities in Pakistan would not be harassed and they would live in Peace. But hatred

enveloped both the Countries. Differences arose on the issues of water disputes, Assam and many other Points. Many people came to India and vice versa. We are proud that India remained faithful to Liaquat Ali Pact.

It is a fact that certain such happenings did occur in India which stained the prestige of India but what is happening in Pakistan is a matter of great shame. And Pakistan is responsible for this. Pakistan should realize its responsibility but if such situation prevails then all the minorities in Pakistan would be turned out. We have blood relations with the minorities of Pakistan. Both the people should have love with each other. But hatred is created there against the minoritity.

This issue does not belong to any party but it is a question of national importance. If our brethern in Pakistan get into any trouble then it pains us. But we should not say such thing which may encourage Pakistan. We should settle this question through diplomatic Channels and other forums. But it has been our experience that Pakistan does not understand our decent language. They will only understand when we warn them of the consequences which may follow by their acts.

I will ask the hon. Minister to be strong in their attitude towards Pakistan. Weakness does not pay every where. It is not a question of few people but the numbers are going to lakhs. You should warn the Pakistan and if it proves ineffective then the matter should be raised on higher levels. I know that there are many other disputes but this issue is most complicated. If we go on pleasing Pakistan then no problem will be solved. It will be our Policy. I stoutly say that this issue can be raised in Human Rights Commission. I know there may be implications. But you see Pakistan itself raises such issues everywhere. It raises the question of Kashmir in Islamic Summit, U.N.O. and other forums.

This is a country of valiant people. I am happy that they are one on this issue. We should send a Parliamentary delegation to Pakistan which may take first hand knowledge. If Pakistan refuses it then we should also change our tone in the very language of Pakistan. We should not put curb on the people coming from Pakistan but this may be taken into consideration that they are spoiling the ratio proportion of the population of Assam. Pakistan is turning out large number of people. This can not be tolerated. There may be conspiracy behind it. The diplomacy says that we should also change our tone and take a strong action. You should place this issue before Pakistan through other countries which are friends of either countries. If something happens to Pakistan then they raise this issue before the whole world but we do nothing when such thing happen to us. We should not show such weakness.

What are the reasons that Indians are being turned out from Africa, Kenya, Burma, Ceylon and other countries ? Our race is the strongest in the world. The population of India is on second place. I do not want that the people of India should be meted out such treatment. It may be the diplomacy of Pakistan to tarnish our image before the world. Or Pakistan is making the minority the scape goat between the disputes of East and West Pakistan. It may be possible that such things are happening just to detract the minds of people. So I would like to say that you should take strong steps in this matter.

I do not think that the transfer of population is the solution of this problem. It is not an easy task. Some hon. member suggested to demand territory from Pakistan to absorb the people coming from Pakistan. But I think one day will come when both the territories will be one. This issue is not so complicated as is regarded. It can be solved through negotiation and taken to U. N. O. also. It is question of humanity. I know the Government is doing much for their rehabilitation. There should not be slackness in this task.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मैं उन राजनीतिक कारणों की चर्चा नहीं करूंगा जो इतनी बड़ी संख्या शरणार्थियों के निष्क्रमण के लिये उत्तरदायी हैं, मेरा यह कहना है कि सरकार न केवल इतने व्यापक निष्क्रमण को भली-भाति संभाल पाई है अपितु इन शरणार्थियों को बसाने तथा पुनर्वास करने में भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद को रोकने में भी असफल रही है, मेरे विचार में यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, मुझे यह कहा गया है कि जब तक ये लोग सीमा पार नहीं करते तब तक वहां के गुंडे उन्हें परेशान करते हैं और सीमा के इस पार आने पर उन्हें अधिकारियों और पुनर्वास विभाग के विभिन्न अनुभागों से परेशानी उठानी पड़ती है और उन्हें एक शिविर से दूसरे शिविर में भेजा जाता है, यह बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार के मानवीय दुःखों और परेशानी में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और घूसखोरी व्याप्त है, हमें यह देखना चाहिए कि चाहे वे राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक कारणों से भारत आए हों, पर एक बार यहां आने पर हमें उन्हें बसाने में युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए। मैं यह कहूंगा कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है। इस कार्य में पुनर्वास तथा श्रम, वित्त, उद्योग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों को मिल-जुल कर हाथ बंटाना चाहिए।

भारत आने वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण दो कारणों से किया जाना चाहिए। पहला, यह देखना चाहिए कि उनमें क्या काम करने की योग्यता है तथा दूसरा उनमें क्या काम करने की सम्भावनाएं हैं। यदि हम उन्हें रोजगार पाने के लिए उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण न दें तो उन्हें उसी प्रकार दुर्भाग्य और गरीबी का सामना करना पड़ेगा जो कि भारत पहुंचे हुए अन्य लाखों शरणार्थियों को करना पड़ा है। अतएव इन कारणों को देखते हुए इस प्रकार से लोगों का चयन करने में तत्परता होनी चाहिए। आसाम की सरकार ने यह बताया है कि इस निष्क्रमण के परिणामस्वरूप कुछ अवांछनीय व्यक्ति भी इसका लाभ उठा रहे हैं, वे आसाम में जासूसी तथा अन्य कार्यवाहियों में लगे हुए हैं। भारत सरकार को इस स्थिति का लाभ उठाने वाले मुट्ठी भर अवांछनीय लोगों के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए।

पुनर्वास बोर्ड के अध्यक्ष ने कुछ माह पूर्व यह सिफारिश की थी कि चूंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों को शरणार्थियों से ऋण की वसूली न होने से हानि का 50 प्रतिशत वहन करना पड़ता है अतएव केन्द्रीय सरकार को इस हानि का 100 प्रतिशत वहन करना चाहिए। राज्य सरकारों पर अनावश्यक ही इसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है।

यह भी सुझाव दिया गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप-समूहों के तीव्र विकास के लिये एक विशेष विकास निगम बनाया जाना चाहिए क्योंकि वहां विभिन्न बागानों, मत्स्य-पालन उद्योग, वन-उद्योग आदि की बहुतायत संभावनाएं हैं। वहां की जनसंख्या भी सीमित है तो क्या सरकार इस निगम की स्थापना अविलम्ब नहीं करेगी।

आयकर कानून और वित्तीय अधिनियम में कई प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था है। चूंकि देश में रोजगार स्थिति खराब है अतएव सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने के लिये मालिकों को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था में इन लोगों को खपाया जा सके।

भारत सरकार का अपना यह दावा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त वे जरूरतमन्द व्यक्तियों, किसानों, छोटे व्यक्तियों को ऋण दे रहे हैं, मेरा यह कहना है कि पश्चिमी बंगाल में स्थापित बैंकों को चाहिए कि वे शरणार्थियों को ऋण दें जिससे दक्ष व्यक्ति अपना कारोबार चला सकें और देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ न बनें।

देश में राष्ट्रीय विपत्ति के समय सारी जनता सहायता करने को आगे आती थी परन्तु दुर्भाग्यवश गत कुछ वर्षों से ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि लोगों को इस सरकार की नीतियों में विश्वास नहीं रहा है। मेरा यह कहना है कि उद्योगपतियों व व्यापारियों पर यह उत्तर-दायित्व आ जाता है कि वे भी इन लोगों के पुनर्वास में योगदान दें, मेरे विचार में सरकार को व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि उनका जनता तथा धर्मार्थ कार्यों में रुचि क्यों नहीं रही है। अभी भी कुछ विलम्ब नहीं हुआ है और उन्हें आगे आकर केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार की सहायता करनी चाहिये ताकि यह शरणार्थी समस्या शीघ्रता से हल हो सके।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान में जो हो रहा है, वह दुर्भाग्य की बात है, भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने तथा देश में शान्तिपूर्ण विकास करने के लिये पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना आवश्यक है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसका बदला हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इससे स्थिति और भी बिगड़ जायेगी। हम युद्ध करने के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। क्या केवल पाकिस्तान को विरोध-पत्र भेजने से स्थिति को सुलझाया जा सकता है। सरकार इस बारे में निष्क्रिय है, वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इस प्रश्न को नहीं उठा पाये हैं, जो पाकिस्तान में हो रहा है वह रंगभेद नीति से भी बदतर है, मैं शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में नहीं कहूंगा और न ही पाकिस्तान में हो रही घटनाओं का वर्णन करूंगा, मैं केवल एक ही बात पर अपने विचार रखना चाहता हूं और वह विश्व जनमत तैयार करने तथा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों से परिचित कराने में असफलता के बारे में है।

गत फरवरी में मध्य पूर्व जाने वाले शिष्टमंडल का मैं भी एक सदस्य था मुझे यह जानकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि मिस्र में भी, जो हमारा गहरा मित्र समझा जाता है, जन-भावनाएं भारत की अपेक्षा पाकिस्तान की ओर अधिक हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनकी हमारे प्रति कोई भावना नहीं है परन्तु तुलनात्मक रूप से स्थिति दूसरी है, वहां हमारे दूतावासों के कर्मचारियों की पत्नियों से यह मालूम हुआ कि उनके अनुभव में वहां के लोगों का झुकाव पाकिस्तान की ओर अधिक है। यह झुकाव धर्म आदि पर आधारित नहीं है अपितु वास्तव में पाकिस्तान ने वहां हमारे विरुद्ध रेडियो, समाचार-पत्र के द्वारा तथा राजनयिक स्तर पर प्रचार किया हुआ है। हम इन प्रचारों का खंडन करने के लिये कुछ भी नहीं करते हैं, जब मैंने कई स्थानों में अपने लोगों से बातचीत की तो यह पाया कि उन्हें वस्तु स्थिति के बारे में ज्ञान कम है। वे इस तथ्य से भी परिचित नहीं है कि भारत में मुसलमानों की संख्या विश्व में तीसरा स्थान रखती है, जब उनको इसका भी पता नहीं तो किस प्रकार वे वहां भारत के बारे में बता सकते हैं। यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यदि

मुस्लिम देशों में आप यह बात नहीं पहुंचा सकते तो आप कैसे सफल हो सकते हैं। आपको उन्हें बताना होगा कि भारत में भी बड़ी संख्या में मुसलमान हैं तथा वे भी हिंदुओं के समान अधिकारों का उपयोग करते हैं, यदि ऐसा उन्हें न बताया गया तो पाकिस्तान के प्रचार का खंडन कैसे होगा ? अल्जीरिया में भी एक कटु अनुभव हुआ जब हमें भारतीय दूतावास की ओर से वहां के विदेश मंत्री से बातचीत करने हेतु एक दुभाषिया प्रदान किया गया वहां अरबी भाषा बोली जाती है। कुछ क्षणों में हमने पा लिया कि यह दुभाषिया हमारे प्रश्नों का उक्त विदेश मंत्री के उत्तरों का ठीक ठीक अनुवाद नहीं कर पा रहा है और हम बड़ी ही दुविधापूर्ण स्थिति में फंस गये। यह बात तो छोटी सी प्रतीत होती है परन्तु वस्तुतः यह बड़ी ही गम्भीर बात है जबकि हम वैसे तो इसलामी संस्कृति का अध्ययन करते हैं जब कि हमें अरबी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है। इसके बाद अल्जीरिया के मंत्री ने अपना एक दुभाषिया इस कार्य पर लगाया इसी से हमारी योग्यता का पता चल जाता है और हम दूसरे देशों पर अपनी योग्यता का ऐसा बुरा प्रभाव अंकित करते हैं।

हमारे विदेश मंत्री समझते हैं कि दूतावासों के माध्यम से पत्र व्यवहार करना ही कूटनीति है परन्तु वस्तुतः यह बात नहीं है सत्य यह है कि प्रत्येक देश अन्य देशों के जनमत को समझने और उसे अपने विचारों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, इसका एक उदाहरण पाकिस्तान के साथ वर्ष 1965 में हमारे संघर्ष का है जबकि इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के विरुद्ध लड़ने हेतु पाकिस्तान को अपनी नौ-सेना देने को भी तैयार हो गये थे क्योंकि वहां पाकिस्तानी प्रचार बड़ा तगड़ा रहा था और हमने इण्डोनेशिया के लोगों पर भारतीय पक्ष तथा वस्तुस्थिति प्रकट करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार ने वहां के लिये किसी भी ऐसे माध्यम की व्यवस्था नहीं की जिसके द्वारा वहां के लोग यह समझ सकते कि भारत में क्या हो रहा है। उन्हें तो भारत के बारे में वही पता लगता है जिसका प्रचार पाकिस्तान करता है।

श्रीलंका में भारत के तमिल भाषियों की समस्या है जिसमें भाषा, धर्म तथा भावना आदि मामले शामिल हैं। दुर्भाग्य से श्रीलंका के प्रधान मंत्री की यह धारणा है कि भारत के तमिल भाषी विशेष रूप से द्रमुक लोग श्रीलंका में कोई स्वार्थपूर्ण उद्देश्य रखते हैं। इस धारणा को तब दूर किया जा सकता जब पिछली बार श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया था। परन्तु सरकार ने उस अवसर से लाभ नहीं उठाया। उनको मद्रास में ले जाकर यह दिखाया जा सकता था कि भारतीय लोग श्रीलंकावासियों के लिये कितना सद्भाव रखते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1965 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंका में भारत के विरोध में इतिहास विरोधी पर्चे वितरित किया तथा खूब भारत विरोधी प्रचार किया परन्तु वहां स्थिति हमारे दूतावास के किसी भी व्यक्ति ने उसका खण्डन करने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। उन पर्चों में कहा गया था कि भारतीय सिहांली लोगों के शत्रु हैं। भारतीय दूतावास ने इस प्रचार का मुकाबला करने का कोई प्रयास नहीं किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और जब तक इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। भारत आज चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ है। नित्य ही नई नई समस्यायें जन्म लेती हैं। दूसरे देश समझते हैं कि वहां भी अन्य देशों में भारतीय लोग रहते हैं भारत उन्हें वापस बुला लेगा।

क्या हम इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र तक नहीं ले जा सकते ? परन्तु लगता है कि इस बारे में हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की कूटनीति पूर्णतया असफल रही है ।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष नगर) : आज हम ऐसे मौसम में शरणार्थियों की समस्या पर विचार कर रहे हैं जबकि पश्चिम बंगाल में चारों ओर घनघोर बादल घिरे हुए हैं भारी वर्षा हो रही है । मैं यह स्वीकार करती हूं कि भारत सरकार ने इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये कुछ न कुछ किया है और इस सम्बन्ध में भारतीय वैदेशिक-कार्य मंत्री ने पाकिस्तान के वैदेशिक कार्य मंत्री के साथ सम्पर्क स्थापित किया है तथा सुना जाता है कि इस बारे में उत्साहवर्द्धक उत्तर मिला है परन्तु यह मालूम नहीं हो सका है कि उससे हमारा किस सीमा तक उत्साह बढ़ता है । यह हम जानना चाहेंगे ।

दूसरे, जब भी हम इस प्रकार का विचार-विमर्श पाकिस्तान से करने लगते हैं तो पाकिस्तान फरक्का और काश्मीर जैसे मामले पर बातचीत करने का अनुरोध करता है जबकि शरणार्थियों की समस्या मानवीय समस्या है तथा इस बारे में सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिये ।

पाकिस्तान से आए 1,45,595 शरणार्थियों में से 1,39,950 शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आकर ठहरे हैं । इसके परिणामस्वरूप इस राज्य की अर्थ व्यवस्था पर बहुत कुप्रभाव पड़ा है । आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1964 से अब तक भारत में 6 लाख से अधिक लोग पूर्व पाकिस्तान से भारत में आए हैं । अतः उनके पुनर्वास आदि की समस्या को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना, समझना तथा हल किया जाना चाहिये ।

परन्तु खेद की बात तो यह है कि कुछ राजनयिक दल इस समस्यापूर्ण स्थिति से राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं । एक सुझाव यह दिया गया है कि व्यापारी लोगों से कहा जाय कि वे इन विस्थापितों को अधिक से अधिक संख्या में अपने यहां रोजगार में लगायें । यह एक अच्छा सुझाव है और अनेक व्यापारी लोग इसके लिये तैयार भी हैं । परन्तु विपक्षी दलों को यह समझ लेना चाहिये कि मानव की दुर्दशापूर्ण स्थिति के समय राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास अनैतिक कार्य है ।

अगली बात जो मैं कहना चाहूंगी वह यह है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध घातक प्रचार करता जा रहा है । भारत में हुई छोटी सी घटना को भी वह देश सहस्रगुणा बढ़ाचढ़ा कर तथा खूब नमक मिर्च लगा कर प्रचारित करता है । यह सही है कि हमारे देश में कभी कभी साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं परन्तु भारत की यह घोषणा है कि वह मुसलमानों की हर प्रकार से रक्षा करेगा । वस्तुतः भारत में इतने मुसलमान हैं जितने पूर्व पाकिस्तान अथवा पश्चिम पाकिस्तान में भी नहीं हैं । परन्तु पाकिस्तान तरह तरह का अनैतिक प्रचार करता है और हमारी सरकार इस प्रचार का उसका समुचित रूप में उत्तर नहीं देती वह यह नहीं प्रचारित करती कि वस्तुतः पाकिस्तान में क्या हो रहा है । हमें संसार में अपनी विचारधारा को स्पष्ट करना चाहिये । हम इस समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग तक ले जा सकते हैं । मंत्री महोदय का यह कहना कि उक्त मामले को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने से कोई लाभ नहीं होगा पूरी तरह न्यायसंगत नहीं क्योंकि इससे कम से कम इस बारे में विश्व का मत

तो प्राप्त हो सकता है । इसके अतिरिक्त हमें विश्व को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि पाकिस्तान ने स्वयं को एक इस्लामी देश घोषित किया है तथा वह अन्य धर्मों को कुचलना चाहता है ।

हसनाबाद तथा बसीरघाट की दशा आज भी बड़ी ही निराशापूर्ण है अब तक आये शरणार्थियों में से कितने शरणार्थियों को पुनर्वास प्राप्त कराया गया है । जहां लाखों लोग वहां आये हैं वहां 84,573 का मामला ही निपट सका है । यह भाद्र का महीना है तथा पश्चिम बंगाल में या तो कड़ाके की गर्मी पड़ती है या फिर भीषण वर्षा होती है । वहां जो टेन्ट आदि के प्रबन्ध किये गये हैं वे सर्वथा अपर्याप्त हैं । साथ ही चिकित्सा व्यवस्था भी समुचित नहीं है । इस संबंध में पश्चिम बंगाल प्रशासन को दी गई 34 लाख रुपये की राशि सर्वथा अपर्याप्त है तथा इससे उन शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता । इसके लिये तो 100 से 300 करोड़ रुपये के बीच की कोई राशि चाहिये । ये लोग बड़े ही निराश तथा संतप्त हैं ।

इन शरणार्थियों में जो महिलाओं के साथ सीमा पार करते समय जोकुछ गुजरती है उससे देखकर या सुनकर बड़ी शर्म आती है । उनमें से अनेक को भ्रष्ट किया जाता है, उनका दुरुपयोग किया जाता है तथा किसी भी अच्छे-बुरे कार्य करने हेतु उनको प्रयोग में लाया जाता है भारत में आने पर भी युवा स्त्रियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है । उनके मान तथा सम्मान की रक्षा हेतु यथोचित व्यवस्था की जानी चाहिये । उनके स्त्रीत्व, आभूषणों तथा अन्य सामान की सुरक्षा हेतु मंत्री महोदय पूरी सुरक्षा व्यवस्था करें ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

शरणार्थियों की दुर्दशा का ध्यान रखते हुये उनके बीजा आदि सम्बन्धी तकनीकी बातों की ओर भी अत्यधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये ।

इन शरणार्थियों को चिकित्सा की सुविधायें भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है स्वयं सेवी संस्थाओं तथा कांग्रेस संगठन कार्यों को इस हेतु काफी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । भारत सेवक समाज, रामकृष्ण मिशन तथा महिला समन्वय परिषद् आदि संस्थायें अच्छा कार्य कर रही हैं ।

इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बात इस संदर्भ में है । वह हमारा रवैया है । हम युद्ध नहीं चाहते हैं । हम हर समस्या का समाधान परस्पर विचार विमर्श द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं । भारत तथा पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्य इस बारे में एक मेज पर बैठकर बातचीत करे तथा इस मानवीय समस्या का कोई अच्छा सा हल निकालें ।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगी कि पुनर्वास हेतु उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते समय उनके साथ भेड़ बकरियों के समान व्यवहार न किया जाये । नदी तट पर रहते आये इन शरणार्थियों को सूखाग्रस्त इलाकों में भेजा जाय ।

भारत इन शरणार्थियों को हृदय से स्वीकार करे तथा इन्हें मानवीय जुल्मों से बचाये ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : गत छः मास की अवधि में भारत में 1,50,000 नये शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश किया है और आशा है कि प्रायः 1,80,000

व्यक्ति और सीमा पार करके भारत में आने वाले हैं। अतः इन लोगों को राहत तथा रोजगार देने की पूर्व व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। पुनर्वास तो उनका करना ही है।

जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, अभी तो शायद 1964 से अब तक आये 8 लाख शरणार्थियों के भी पुनर्वास का प्रबन्ध नहीं हो पाया है। यह बड़ा भारी कार्य है। उनको राहत देने सम्बन्धी जो समाचार प्राप्त हुए हैं वे बड़े ही निराशाजनक हैं ; एक उदाहरण मुझे प्राप्त हुआ है कि हसनाबाद में 60,000 शरणार्थियों में से केवल 13,000 के लिये ही राशन की व्यवस्था की गई है और इन लोगों को सिर छुपाने का स्थान मिलने में भी कठिनाई हो रही है।

मंत्री महोदय ने इसका दायित्व पश्चिम बंगाल के प्रशासन पर डाला है। परन्तु वहां जो सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्त हैं वे इस कार्य के लिये सर्वदा अयोग्य हैं।

मेरा सुझाव है कि कम से कम दो मंत्री श्री संजीवैया तथा श्री भागवत झा आजाद वहां जाकर कुछ दिन रहें और वहां की समस्या को हल करें। मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा में शरणार्थियों के पुनर्वास संबंधी अन्तिम सीमा पहुंच गई है अतः इन राज्यों को काफी मात्रा में सहायता दी जानी चाहिये।

श्री संजीवैया ने हमें बताया है कि कुछ राज्य एक-एक लाख शरणार्थियों का दायित्व वहन करेंगे। परन्तु मध्य प्रदेश तो उन्हें चम्बल घाटी में बसाना चाहता है जहां की स्थिति बड़ी ही कठिन तथा कष्टप्रद है। इसके अतिरिक्त कोई अकेला राज्य इतने विस्थापितों का भार सहन नहीं कर सकता। अतः हम सभी का कर्त्तव्य है कि हम सब मिलकर इस समस्या को हल करने में अपना अपना योग दें, भारत के सभी राज्यों को इस बारे में आगे आना चाहिये तथा सहायता करनी चाहिये। सरकार भी कृषि के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित उद्योगों में उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करने का अधिकाधिक प्रयास करे, परन्तु इस संदर्भ में ही अन्दमान के मुख्य आयुक्त ने एक बड़ी ही विचित्र बात कही है कि इन बंगालियों को वह सामरिक महत्व के अपने प्रदेश में नहीं बसने देंगे क्योंकि उन्हें बंगालियों पर विश्वास नहीं है। यह बड़ी ही अपमानजनक और खतरनाक बात है सरकार इस बारे में यथोचित कार्यवाही करे।

हमारे देश में शरणार्थियों का इस प्रकार आने का मुख्य कारण है आर्थिक संकट, विशेष रूप से पाकिस्तान के जैसोर तथा खुलना जिलों में असुरक्षापूर्ण स्थिति तथा अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव होगा। परन्तु इस कारण को बहुत कम महत्व दिया जा रहा है। हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि किसी भी सूरत से देश में किसी साम्प्रदायिक भावना को जन्म न मिल सके। भारत में आकर महाराज चक्रवर्ती ने जो भाषण दिये हैं इन से स्पष्ट आभास मिलता है कि पूर्व पाकिस्तान में भारत के लिये मित्रतापूर्ण वातावरण है और छात्रों, नवयुवकों तथा सामान्य लोगों में ऐसी विचारधारा व्याप्त है कि उन्हें भारत देश के साथ मित्रता रखनी चाहिये। उन्होंने भारतीय लोगों से यह अनुरोध भी किया है कि जो विभिन्न समाचार पूर्व पाकिस्तान के बारे में उन्हें प्राप्त होते हैं उनमें गुमराह न हो, स्वयं को भ्रान्ति में डालें तथा ऐसा कोई कार्य न करें जिससे भारत का पाकिस्तान के बीच संभावित मित्रता को खतरा हो जाये। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस रिव्यू में कहा गया है कि पूर्व पाकिस्तान में दो दलों के बीच संघर्ष व्याप्त है, एक दल वह है जो शासन कर रहा है और दूसरा वह जो परिवर्तन चाहता है । यही कारण है कि याहया खां तथा उसके साथी अपनी शक्ति बनाये रखने के लिये पाकिस्तान की जनता के हृदय में अपनी चालाकी और तस्करी से ऐसी हलचल पैदा करना चाहते हैं कि वहां के लोगों में भारत के प्रति शत्रुता का भाव पैदा रहे । और साथ ही वह सदा के लिये भारत को पाकिस्तान का शत्रु भी बनाये रखना चाहते हैं ताकि उनकी अपनी शक्ति और हकूमत बनी रह सके ।

यदि हम वर्तमान स्थिति तथा भारत और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मित्रता का फायदा नहीं उठाते तो हम न केवल भारत के हित को धोखा दे रहे हैं बल्कि अपने देश की ओर से किये जाने वाले शांति प्रयासों को भी धोखा दे रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है । यह समझ में नहीं आता कि भारत सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को वर्तमान वातावरण का फायदा उठाने के लिये अनुदेश क्यों नहीं देती है । क्या हम लेखकों का तथा छात्रों का शिष्टमंडल इस समय पूर्वी पाकिस्तान नहीं भेज सकते हैं, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में लोकतंत्र की विशेषरूप से लहर चल रही है ।

यदि हम शरणार्थियों को बसाने के लिये पाकिस्तान से क्षेत्र की मांग करें तो यह वर्तमान स्थितियों में एक गैर-जिम्मेदार तथा निन्दनीय मांग होगी, इस प्रकार की बातों से हमारे देश को तथा शान्ति को धक्का लगता है ।

अनेक लोगों ने विचार प्रकट किया है कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिये फिर भी हम विभिन्न कारणों से ऐसा पसन्द नहीं करते हैं । हमें यह भी मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की रुचि क्या है । साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उन्होंने इस मामले को सच्चे दिल से नहीं भुलाया है और हमारे प्रति वे शक्तियां कुछ विशेष रुख अपनाएंगी । संयुक्त राष्ट्र अथवा इसी प्रकार के किसी संघ में जाने से हम बुरी तरह बन्धन में भी फंस सकते हैं । किन्तु विश्व को इस बात की जानकारी देनी होगी कि इस समय भारत के समक्ष शरणार्थियों की बहुत विशाल, भयानक तथा भीषण समस्या है । हमने इस बारे में विश्व को अभी तक बताया भी नहीं है कि हमने कई लाख शरणार्थियों को पुनः बसाना है । हमें यह सब उन्हें आत्म-सम्मान के तरीके से बताना है ।

हमें सच्चे और सही अर्थों में विपक्षी विचार-विमर्श की नीति को जारी रखना चाहिए । हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिये अपितु इन समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से करना चाहिये चाहे ये बात चीत व्यापार प्रतिबन्ध के बारे में हो, या नदी के पानी के बारे में हो अथवा अन्य समस्याओं के बारे में हो जिससे इन देशों के संबंधों में सुधार हो सके और ईर्ष्या-द्वेष की भावना दूर हो जाये । इन समस्याओं को हल करने के यही दो तरीके हैं । हमें मित्रता की नीति का अनुसरण करना चाहिये और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह घोर अपराध है जिसके लिये हमें आने वाले समय में जवाब देना पड़ेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : शरणार्थियों की समस्या देश के विभाजन के परिणामस्वरूप हुई जिसके लिये कतिपय राष्ट्रीय नेता और सत्ताधारी कांग्रेस दल जिम्मेदार है । उस समय राष्ट्रीय नेताओं और सरकारी अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिये थे जो आज

बहुत खोखले प्रतीत होते हैं, विशेषरूप से पश्चिम बंगाल के बारे में हमारी सरकार इस बात से चिन्तित है कि पूर्व पाकिस्तान में प्रगतिशील आन्दोलन मजबूत नहीं होने चाहिएं। अत: हमसे इस सचाई को छिपाने से कोई लाभ नहीं है । इस समय, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में एक समान सरकारी तंत्र है अर्थात पूंजीपति और जमींदार वर्ग दोनों देशों में शासन कर रहे हैं। इस लिये, एक स्थायी हल ढूंढना कोई सरल कार्य नहीं है। परन्तु कम से कम संबंधों को सामान्य बनाने के लिये हमें सच्चा प्रयास करना चाहिए । आज हम पश्चिम बंगाल के लोगों को दुखी पाते हैं।

लोगों का पूर्वी पाकिस्तान से जो आगमन हो रहा है उसके कारण क्या हैं। ऐसा इस लिये हो रहा है क्योंकि कुछ प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पाकिस्तानी सरकार से समर्थन मिल रहा है। बहुत से दुरुत्साहक एजेंट गावों में घूम रहे हैं और लोगों को आन्तकित करके उन्हें वहां से निकाल रहे हैं। कुछ जिलों में फसल अच्छी नहीं हुई है और उस मौके का यह एजेंट फायदा उठाकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। वहां कुछ अफवाहें फैलाई गई हैं लेकिन तात्कालिक दंगे वहां नहीं हुये हैं। अत: उत्तेजना का कोई आधारभूत मुख्य कारण नहीं दिखाई देता है।

हमारे देश में प्रतिदिन 1500 से 2000 तक शरणार्थी लोग आ रहे हैं। ये सभी शरणार्थी नामशुद्र वर्ग के हैं जो अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत आते हैं तथा वे अपनी जन्मभूमि में ही रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार अपने देश में उन शरणार्थियों के हितों की रक्षा करने में बुरी तरह असफल हुई है। मैं यह आरोप श्री स्वर्ण सिंह, वैदेशिक कार्य मंत्री के विरुद्ध लगा रहा हूं। अत: उनको मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे देना चाहिये क्योंकि पुनर्वास मंत्रालय को इन शरणार्थियों के आगमन के बारे में उन्होंने पहले से कोई सूचना नहीं दी है। ढाका में उच्च आयुक्त कार्यालय को उन्होंने किस लिये रक्खा हुआ है ?

पश्चिम बंगाल में इन शरणार्थियों की देखभाल के लिये विभिन्न पुराने सिविल अधिकारियों को रखा गया है जो इनसे मानवीय सहानुभूति भी नहीं प्रकट करते हैं। इन शरणार्थियों के साथ भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य मानवीय मूल आवश्यकताओं को प्रदान करने के सम्बन्ध में जो व्यवहार किया जा रहा है, उस पर हमें शर्म आती है।

दूसरी ओर साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी शक्तियां झूठे आंसू बहाकर जनता को गलत रास्ते पर ले जा रही हैं।

बंगाल की मूसलाधार वर्षा में तथा सूर्य की तपती धूप में कई परिवार बेघर हो कर मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उनको शीघ्र ही पुन: बसाया जाए। सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं है, तथा जल सप्लाई बहुत ही कम मात्रा में है जिसके परिणामस्वरूप वे शरणार्थी नगरों की ओर भाग रहे हैं। बीसवीं शताब्दी में मानव-जाति के साथ आजकल इस तरह का व्यवहार करना सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है। देश के लोगों के सामने समाजवाद की बात करना, अपने देश को कल्याणकारी राज्य बताना, यह सब ढोंग दिखाई देता है जो कि केवल मतों को प्राप्त करने के लिये किया जाता है । बच्चों के लिये दूध और भोजन पकाने के लिये ईंधन भी

उपलब्ध नहीं है। मनुष्य को अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चीजें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। सरकार को इस ओर शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये।

"केयर" और "कासा" जैसी विदेशी एजेंसिया इन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। सीमा-क्षेत्र में इन एजेंसियों को क्यों ऐसा करने दिया जा रहा है। भारत सरकार भी इस बारे में चुप है और कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वे कठिनाइयां उत्पन्न करना चाहते हैं। जब भारतीय खाद्य निगम इन शरणार्थियों को चावल दे रहा है तो इन विदेशी एजेंसियों को वस्तुएं वितरित करने और शरणार्थियों के बीच में जाने की कोई जरूरत नहीं प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि आप बंगाल में उपद्रव कराना चाहते हैं।

शरणार्थियों को बसाने के कार्यक्रम में भी सरकार बुरी तरह असफल रही है। यदि हम कहते हैं कि 10 जुलाई, 1970 तक कुल डेढ़ लाख शरणार्थी आये हैं तो उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक को सरकार बसा नहीं पायी है। शरणार्थियों के और आने की सम्भावना है, अत: सरकार को कुछ करना चाहिए।

इन शरणार्थियों को बेट्टिआ और अन्य दो शिविरों में भेजा जा रहा है जहां प्रबन्ध की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिये ये शरणार्थी पश्चिम बंगाल के बड़े शहरों में आ रहे हैं तथा इससे हम सबके लिये समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी।

प्रधान मंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए और मुख्य मंत्रियों से पुनर्वास का अपना कोटा लेने के लिये कहा जाना चाहिए और किसी को बहाना बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यदि सरकार राष्ट्रीय एकता की बात करती है तो देश के इस भाग के लोगों को जीवन की आवश्यक सुविधाएं शीघ्र ही प्रदान की जानी चाहिये।

अण्डमान में इन शरणार्थियों को पुनः बसाने के लिये पर्याप्त गुंजाइश है। अत: अण्डमान विकास कार्यक्रम को शीघ्र ही आरम्भ किया जाना चाहिये। हमें शरणार्थियों को इधर-उधर के शिविरों से हटाकर तत्काल ही सीधे उनको अण्डमान में भेजने के लिये कार्यवाही करनी चाहिए जहां पूर्व पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों को जलवायु का परिवर्तन अनुकूल पड़ेगा।

पूर्व पाकिस्तान से अनेक प्रवासी यात्रा संबंधी कागजात के बिना भारत में आ रहे हैं और उनका पंजीकरण इनके बिना भी किया जाना चाहिये। ऐसा पता लगा है कि पश्चिम पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों के आवेदन पत्रों की संख्या 5,07,000 थी और उन्हें मुआवजे के रूप में 192 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। लेकिन पूर्व पाकिस्तान से आये 46,55,030 शरणार्थियों में से 25,99,000 शरणार्थियों को बिल्कुल कोई लाभ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये कम से कम 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। भारत सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार 31 दिसम्बर, 1950 के बाद बनाई गई अनधिकृत बस्तियों को मान्यता नहीं देनी चाहिये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि एक संसदीय शिष्टमण्डल को सीमावर्ती क्षेत्रों का

दौरा करना चाहिये ताकि वे स्वयं स्थिति को समझ सकें और सही धारणा के साथ वापिस लौटें। यदि आवश्यक हो तो इन संसद सदस्यों को इधर-उधर के शिविरों में ले जाना चाहिये और उन शरणार्थियों को समझाया जाना चाहिये कि सरकार कौन सी विशेष व्यवस्था कर रही है। वहीं मौके पर जाकर ही निर्णय किये जाने चाहिये ताकि उनके कष्टों को कम से कम किया जा सके।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ऐसा मामला है जिस पर सदस्य अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और बोलने वाले सदस्यों की लम्बी सूची है। इस विषय पर अन्य अवसर पर चर्चा जारी रहेगी और इसके बारे में कार्य मंत्रणा समिति फैसला करेगी।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 31 जुलाई, 1970/9 श्रावण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Fridav. July 31, 1970/ Sravana 9, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—17-12-70—340